राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 06] पन्द्रहवीं विधान सभा के छठे सत्र का उनतीसवां दिवस [संख्या: 14

बुधवार,

10 मार्च 2021

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री ज्ञानचंद पारख।

पाली में वैट रिफण्ड के लम्बित प्रकरण

215. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली में विगत पांच वर्ष में वैट रिफण्ड के कौन-कौन से प्रकरण निर्णीत होने के उपरान्त भी कितने-कितने समय से किन-किन कारणों से, कितनी-कितनी राशि के लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में उक्त अवधि के वैट रिफण्ड के कौन-कौन से प्रकरण किन-किन कारणों से कितने-कितने समय से किस-किस स्तर पर निर्णय हेतु लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में वैट पैनल्टी के ऐसे कौन-कौन से प्रकरण हैं, जिनमें अपील में व्यवहारी के पक्ष में फैसले हुए, किन्तु फिर भी सरकार द्वारा गलत वसूली की गयी? पैनल्टी के रिफण्ड के कौन-कौनसे प्रकरण कितनी-कितनी राशि के कितने-कितने समय से किन-किन कारणों से किस-किस स्तर पर लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार उक्त लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कितनी-कितनी अवधि में कर देगी? निर्णीत प्रकरणों में रिफण्ड की राशि कितनी-कितनी अवधि में लौटा दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) जिला पाली में विगत पांच वर्षों में वैट रिफण्ड के प्राप्त ऑनलाइन प्रार्थना पत्रों के निर्णीत होने के उपरान्त भुगतान हेतु कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(2) पाली जिले में वैट रिफण्ड की मांग का एक ही प्रकरण Assistant Commissioner, Anti-evasion, Pali के स्तर पर व्यवहारी से मांग राशि बकाया होने के कारण निर्णय हेतु लम्बित है, जिसका विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) उक्त जिले में वैट पैनल्टी से सम्बन्धित ऐसा कोई प्रकरण नहीं है, जिसमें अपील व्यवहारी के पक्ष में निर्णीत होने के उपरान्त वसूली की कार्यवाही की गयी हो।

पैनल्टी रिफण्ड से सम्बन्धित कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(4) बिन्दु संख्या 2 में वर्णित मैसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेन्ट लिमिटेड, पाली के प्रकरण में सुनवाई पूर्ण होने के पश्चात् उक्त प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार किये जाने के पश्चात् ही तय किया जाएगा कि रिफण्ड बनता है या नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा प्रश्न है कि विभाग ने जो प्रकरण निर्णीत कर लिए, पर व्यवहारी को आपने असेसमेंट नोट ही नहीं दिया, आपने निर्णय कर दिया पर व्यवहारी को असेसमेंट नोट नहीं दिया तो जब तक असेसमेंट नोट नहीं देंगे, तब तक व्यवहारी रिफण्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकता तो जिन-जिन प्रकरणों में असेसमेंट नोट नहीं दिया, उन प्रकरणों में आप असेसमेंट नोट कब तक व्यवहारी को दिलवा देंगे और क्या आप उसके लिए कोई अवधि तय करेंगे और जो प्रकरण पैंडिंग हैं, उनका निर्णय कितनी अवधि में कर देंगे? पहला क्वेश्चन तो मेरा यह है।

श्री अध्यक्ष: एक-एक क्वेश्चन आने दें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): एक-एक पूछूं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल इस बात का है कि डिपार्टमेंट के द्वारा असेसमेंट नोट नहीं दिया गया, अगर असेसमेंट नोट नहीं दिया जाता तो फिर यह बकाया कैसे निकल जाता? फिर आपको किस तरीके से पता लगता कि, साहब, हमें इतना रिफण्ड मिल रहा है, मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, इसलिए दिया गया है। एक बात।

जहां तक दूसरी बात यह है, पैंडिंग का प्रश्न है तो पैंडिंग की तो पेशी दे दी गयी है, अब पेशी पर क्या फैसला होता है, क्या नहीं होता है, वह तो

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आगे की बात है। वह कोई एक पेशी होती है, दो पेशी होती है, तीन पेशी होती हैं। हो सकता है एक पेशी में ही फैसला हो जाए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय, व्यवहारी को असेसमेंट की जानकारी मिल जाती है, हाथों-हाथ मिल जाती है। जिस समय वह असेसमेंट करता है तो उसको जानकारी होती है कि मेरा इतना रिफण्ड बनता है। बनता है, उसको पता है। एक तो क्वेश्चन यह है कि आप उनको असेसमेंट नोट जारी करवा दें और जो रिफण्ड उनका हक बनता है वह उनको दिलवा दें।

दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट घोषणा की थी कि वैट के जो डिस्प्यूटेड केसेज हैं, उनके लिए एमनेस्टी योजना लाएंगे और ब्याज पैनल्टी माफ करेंगे। विभाग ने कई डिस्प्यूटेड केस, उनका जी.एस.टी. का रिफण्ड यह कहकर कि पहले वैट का जो प्रकरण है, आप उसकी राशि भरो, जबकि वैट का लॉ और जी.एस.टी. का लॉ, दोनों अलग-अलग हैं। कई प्रकरणों में उन्होंने जी.एस.टी. का रिफण्ड दिया भी, जबकि डिस्प्यूटेड मैटर था तो दोनों में अलग-अलग नहीं हो सकता, कानून-नियम एक है, पर आपके विभाग के अधिकारियों ने अलग-अलग प्रकरणों में अलग-अलग अपने मनमाने तरीके से किसी का रिफण्ड रोककर जबरन वसूली की और किसी को जी.एस.टी. का रिफण्ड दे दिया तो ऐसे प्रकरण जिनमें जबरन वसूली की गयी है, क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी की मंशा के अनुसार आप उनको अपील में लाकर, क्योंकि आपने कुछ प्रकरणों में दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): अपील में लाने का प्रावधान करोगे क्या, ताकि उनकी जो जबरन वसूली हुई उनका पैसा मिल जाए?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां तक आपने प्रश्न उठाया कि एमनेस्टी प्लान, तो एमनेस्टी के लिए तो इनको आलरेडी एक नोटिस दिया जा चुका है कि आप एमनेस्टी योजना में आ जाओ लेकिन ये आये नहीं। यह दिया जा चुका है, मैं आपको तारीख भी बता देता हूं। जब भी इन्होंने ऑनलाइन एप्लाई किया, उसी वक्त उनको यह नोटिस दे दिया गया था कि आप असिस्टेंट कमिश्नर के पास में एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत आ जाओ, आपका फैसला कर दिया जाएगा। एक बात।

आपका दूसरा सवाल क्या था, मुझे ध्यान नहीं है, आप बोल लें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय, मेरा स्पष्ट क्वेश्चन है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के बाद जो भी डिस्प्यूटेड केसेज थे, विभाग के अधिकारियों ने कुछ डिस्प्यूटेड केसेज में जी.एस.टी. का रिफण्ड यह कहकर रोक दिया कि पहले आप वैट वाला जो पैसा बकाया है वह भरो, जबकि वह मैटर डिस्प्यूटेड था और कुछ प्रकरणों में उन्होंने जी.एस.टी. का रिफण्ड वैसे के वैसे कर दिया। नियम सबके लिए बराबर है तो विभाग ने जिन लोगों से जबरन वसूली की, क्या आप उनको अपील में जाने का मौका देकर, उनकी जो जबरन वसूली हुई है, वह पैसा आप वापस देने की कार्यवाही करेंगे? यह सीधा-सा क्वेश्चन है। जो गलत वसूली है, मैं उसी की बात कर रहा हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपको यह निवेदन करूं कि देखिये किस्सा यह है, यह जो सारा का सारा किस्सा है आप पूछना चाहते हैं, वैट रिफण्ड के लिए उन्होंने एप्लाई किया। वैट रिफण्ड के लिए जो आपका असिस्टेंट कमिश्नर, एन्टी-इवेजन था, उसने मना कर दिया। वे हाई कोर्ट गये, हाई कोर्ट में जाकर के स्थगन तो मिल लिया, लेकिन स्थगन के साथ-साथ डिपार्टमेंट को यह भी कह दिया गया कि इसको रिफण्ड नहीं देना है। एक बात।

तीसरी बात यह कि बाद में जाकर उन्होंने हाई कोर्ट से विद्ड्रा कर लिया, विद्ड्रा करके वे कर बोर्ड में चले गये। कर बोर्ड ने उनको फैसला दे दिया, कर बोर्ड के द्वारा यह फैसला हो गया कि पार्शल एग्जम्पशन के लिए इकाई को पात्र मान लिया गया। ठीक है न। अब पात्र मान लिया गया तो हमने उसको 2001 में जो नोटिस दिया था, उसको हमने विद्ड्रा कर लिया और कर बोर्ड की कोई अपील भी नहीं की। अब विद्ड्रा करने के बाद में जब उन्होंने रिफण्ड के लिए एप्लाई किया, तब उनसे कहा कि आपके पास तो इतना-इतना पैसा पहले से बकाया है, जो आपको मैंने परिशिष्ट 'क' पर दिया है। बकाया कितना बताया है कि, व्यवहारी कम्पनी के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 1997-98 के बाद की अवधि की विभिन्न वर्षों की वैट एवं सी.एस.टी. की कुल रकम 15 करोड़ 3 लाख रुपये की राशि एवं एण्ट्री टैक्स की बकाया 48 करोड़ 68 लाख रुपये की मांग आप पर बकाया निकाल दी। बकाया निकालने के बाद भी इस प्रकरण में व्यवहारी को उपयुक्त अवसर दिया गया और उपयुक्त अवसर में साफ-साफ लिखा गया कि वह एमनेस्टी योजना 2021 के अनुसार मांग का निस्तारण करे, ताकि अंतिम रिफण्ड राशि आंकलित की जा सके।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं, हो गया। no, I'll not allow it. लिमिट है। प्रश्न की लिमिट है, I understand it. (व्यवधान) अलग ढंग से आएं। अलग ढंग से आएं। I'll not allow. I'll not allow. I said, अलग ढंग से लेकर आएं।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): अलग तरीके से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अलग से। अगला प्रश्न।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 13 फरवरी, 2021)

ढीपरी चम्बल (इटावा) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के नवीन भवन का निर्माण

58. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढीपरी चम्बल (इटावा) जिला कोटा के घटिया भवन निर्माण बाबत संवेदक एवं निर्माण कार्य की देखरेख करने वाले विभागीय अभियंताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भवन के स्थान पर नवीन भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 186.70 लाख की आवश्यकता मानी जाकर प्रस्ताव विभाग को प्रेषित किये जा चुके हैं? यदि हां, तो उक्त तकमीने के आधार पर कब तक स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को पत्र क्रमांक 2020/100-106, दिनांक 23-10-2020 भिजवाकर उक्त भवन को नाकारा घोषित करने हेतु लिखा गया है? यदि हां, तो उक्त भवन के लिए स्वीकृति कब तक जारी कर दी जाएगी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह स्थगित प्रश्न है? (व्यवधान) एक सैकण्ड, एक सैकण्ड।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, एक सैकण्ड। स्थगित प्रश्न है चिकित्सा विभाग का, आज लिस्ट हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: आप एक मिनट रुकें। (व्यवधान) प्लीज आप एक मिनट रुको, let me understand it. हमारी गलती होगी तो we have to correct it.

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): यह पी.डब्ल्यू.डी. को ट्रांसफर हो गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह है वैसे चिकित्सा विभाग का ही, लेकिन पी.डब्ल्यू.डी. को ट्रांसफर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। जैसा आदेश है आपका।

(1) जी नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढीपरी चम्बल का निर्माण वर्ष 1990-91 एवं अतिरिक्त निर्माण वर्ष 1995-96 में लगभग 25 से 30 वर्ष पूर्व करवाया गया था। भवन निर्माण बाबत संवेदक एवं निर्माण कार्य की देखरेख करने वाले विभागीय अभियन्ताओं के खिलाफ कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गयी है। वर्तमान में भवन उपयोग में लिया जा रहा है। भवन मरम्मत एवं रखरखाव के अभाव में क्षतिग्रस्त है।

(2) जी हां। नवीन भवन निर्माण हेतु राशि रु. 186.70 लाख के प्रस्ताव अधिशासी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 176 दिनांक 29.05.2019 द्वारा मुख्य अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर को प्रेषित किया गया है। विवरण परिशिष्ट '1' पर प्रस्तुत है। वांछित स्वीकृति जारी किये जाने बाबत निर्णय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (एन.आर.एच.एम.) द्वारा किया जाना है।

(3) इस बिन्दु का जवाब बिन्दु संख्या 2 में दिया जा चुका है।

(4) जी हां। उक्त भवन को नाकारा/कन्डम घोषित करने बाबत पत्र प्रभारी अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढीपरी चम्बल द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को लिखा गया है। विवरण परिशिष्ट "2" पर प्रस्तुत है। भवन को नाकारा घोषित करने बाबत जिला कलेक्टर द्वारा अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त रिपोर्ट पर निर्णय लेने के पश्चात् ही नाकारा घोषित किया जा सकता है। तत्पश्चात् नवीन भवन के

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

निर्माण की स्वीकृति NRHM द्वारा दी जाती है तथा निर्माण भी NRHM द्वारा किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहूंगा, क्या मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि इस भवन को 3 जून, 2000 को सम्भाला गया था, यह 25-30 साल पहले का नहीं है। असत्य तथ्यों के आधार पर अधिकारियों ने आपको और हाउस को गुमराह किया है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें, आप प्रश्न पूछें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): सर। एन.आर.एच.एम. ने नाकारा घोषित करने के लिए एक साल पहले लिख दिया। आपके डाक्टर ने लिख दिया। इसके बावजूद भी पी.डब्ल्यू.डी. और स्वास्थ्य विभाग के बीच में कलेक्टर आ गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, जबकि प्रश्न यहां आने के बाद भी क्या करना चाहिए था, यह पूर्णत: जर्जर है, तथा बैठने योग्य नहीं है। इस पर अतिक्रमण हो रहा है। मैं इस पन्द्रहवीं विधान सभा के आने के बाद पहले सत्र से अर्ज करता आ रहा हूं, इसलिए मुझे प्रश्न लगाना पड़ा। कृपा करके, कितने दिनों में इस भवन को बना दोगे और उस संवेदक के खिलाफ क्या कार्यवाही करोगे? किस कारण से सरकार ने कार्यवाही नहीं की? यह भी जानकारी दें।

श्री अध्यक्ष: समस्या का समाधान चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं?

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): सर।

श्री अध्यक्ष: समाधान।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं कि नाकारा घोषित करने के लिए माननीय सदस्य को कलेक्टर के पास दरख्वास्त देनी चाहिए ताकि कलेक्टर पी.डब्ल्यू.डी. से असेसमेंट करवा लें। उसके बाद एन.आर.एच.एम. को भेज दें। नवीन भवन का निर्माण हमेशा एन.आर.एच.एम. के द्वारा करवाया जाता है। किसी और के द्वारा नहीं करवाया जाता है। मरम्मत का पैसा अगर चिकित्सा विभाग पी.डब्ल्यू.डी. को दे देता है तो पी.डब्ल्यू.डी. करवा देती है। इसमें कोई दोराय नहीं कि व्यक्तिगत तौर पर मैं भी इसको जानता हूं। उस भवन को अच्छी तरह से जानता हूं। वहां 5 कमरे हैं, 2 कमरों में काम चालू है और 3 कमरे बिलकुल नाकारा हैं।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): एक ही प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, प्रश्न क्या है? माननीय सदस्य, आप बैठें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): मैंने आपके आदेश की पालना की।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें। मैं खड़ा हूं, आप सीनियर आदमी हैं।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): बहुत सेंसिटिव है।

श्री अध्यक्ष: आप बोलें। फिर मैं बैठता हूं। आपको उत्तर चाहिए ही नहीं। खाली बोलना ही है अपने को। जब आपको मंत्री जी ने कहा है कि आप कलेक्टर को लिखकर के दें। कलेक्टर डाइरेक्शन देगा।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): कलेक्टर को लिख दिया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठें ...(व्यवधान) अगला प्रश्न। आपका प्रश्न आएगा ही नहीं। यह क्या तरीका है? आप बार-बार खड़े हो जाएं ...(व्यवधान) सीनियर आदमी हैं। मैं खड़ा हुआ हूं।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): चेयर के पास आएंगे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: I'll name you. मैंने उस दिन देवनानी जी को भी कहा था। सीनियर आदमी हैं। क्या एग्जाम्पल सैट कर रहे हैं आप? I'll not allow it.

अगला प्रश्न। श्री रूपाराम।

जैसलमेर में विद्युतीकृत ग्राम एवं ढाणियां

216. श्री रूपाराम (जैसलमेर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में कितने ग्राम एवं ढाणियां विद्युतीकृत हैं? ग्रामों व ढाणियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकृत ग्रामों व ढाणियों में से कितने-कितने ग्राम एवं ढाणियां ऐसी हैं, जिनमें प्रतिदिन घरेलू उपयोग हेतु बिजली दस घंटे से कम समय मिलती है? उक्त ग्रामों एवं ढाणियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र की विद्युतीकृत ग्राम व ढाणियों में घरेलू उपयोग हेतु बिजली 10 घंटे से कम मिलती है, उनमें प्रतिदिन 16 से 20 घंटे

(श्री रूपाराम)

तक घरेलू बिजली उपलब्ध कराने हेतु सरकार की क्या कार्ययोजना है एवं उक्त कार्ययोजना कब तक पूर्ण हो जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में कुल 486 ग्राम एवं 1,744 ढाणियां विद्युत तंत्र से विद्युतीकृत हैं एवं 7,502 घर सौर ऊर्जा संयंत्र से विद्युतीकृत हैं। विद्युतीकृत ग्रामों, ढाणियों एवं सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत घरों की सूची क्रमश: परिशिष्ट 'अ', 'ब' एवं 'स' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकृत ग्रामों व ढाणियों में से किसी भी ग्राम व ढाणी में घरेलू उपयोग हेतु 10 घण्टे से कम विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकृत ग्रामों व ढाणियों में वर्तमान में घरेलू विद्युत कनेक्शनों हेतु 20 से 22 घंटे प्रतिदिन सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति दी जा रही है तथा कृषि क्षेत्रों में सिंगल फेज घरेलू विद्युत आपूर्ति को कृषि कार्य में अवैधानिक रूप से दुरुपयोग वाले स्थानों को छोडकर शेष स्थानों पर 20 से 22 घंटे सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति दी जा रही है। सभी क्षेत्रों में 20 से 22 घंटे प्रतिदिन सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए फीडर पृथक्करण योजना के तहत डी.पी.आर. बनायी जा चुकी है, जिसके वित्तीय सहायता के प्रयास किये जा रहे हैं।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री रूपाराम (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर एरिये में जहां घरेलू बिजली की दिक्कत है, वहां सैग्रिगेशन आफ फीडर्स कब तक स्वीकृत होकर, इसके कार्य कब तक पूरे किये जाने की कार्ययोजना है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एग्रीकल्चर फीडर्स सैग्रिगेशन के बारे में जो प्रश्न किया है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि इसकी डीपी.आर. बना ली गयी है, 58.86 करोड़ की लागत से कृषि एवं घरेलू फीडर को अलग-अलग कर रहे हैं। यह कार्य 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

प्रश्न संख्या 217

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती शोभारानी कुशवाह।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। सुश्री दिव्या मदेरणा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लम्बित क्लैम

218. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत किसानों की रबी 2017-18, खरीफ 2018, रबी 2018-19, खरीफ 2019-20 व रबी 2019-20 की फसल के क्लैम बीमा कम्पनी के पास लम्बित हैं? यदि हां, तो कितने किसानों के कितनी-कितनी राशि के क्लैम लम्बित हैं? तहसीलवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि खरीफ 2019 व रबी 2019-20 में किसानों से ली गयी प्रीमियम राशि सम्बन्धित बैंकों द्वारा बीमा कम्पनी के पोर्टल पर निश्चित समयावधि में अपलोड नहीं किये जाने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त शिकायतों के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) खरीफ 2019 व रबी 2019-20 व खरीफ 2020 में जोधपुर जिले की ओसियां, तिंवरी एवं बावड़ी के कुल कितने ऋणी व अऋणी किसान बीमित थे तथा बीमित किसानों के कितनी राशि के प्रीमियम काटे गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) जी हां। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत किसानों के रबी 2017-18 व खरीफ 2018 के कोई बीमा क्लैम बीमा कम्पनियों के पास लम्बित नहीं हैं, परन्तु रबी 2018-19, खरीफ 2019 तथा रबी 2019-20 के लम्बित बीमा क्लैमों का विवरण तहसीलवार संख्या सूची परिशिष्ट-'1' पर संलग्न है। इन लम्बित क्लैम प्रकरणों में प्रीमियम राज्यांश भुगतान पूर्व में किया जा चुका है।

(2) जी हां। खरीफ 2019 व रबी 2019-20 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत राज्य के विभिन्न हितधारियों, वित्तीय संस्थानों तथा जन प्रतिनिधियों से निश्चित समयावधि में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डेटा अपलोड नहीं होने सम्बन्धी सूचना तथा बीमा पोर्टल को डेटा प्रविष्टि हेतु पुनः खोलने का अनुरोध प्राप्त हुआ। अनुरोध के आधार पर राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय बीमा पोर्टल पर अपलोड होने से लम्बित हुए डेटा की प्रविष्टि हेतु भारत सरकार को अनुरोध किया गया। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर खरीफ 2019 के लिए बीमा पोर्टल दिनांक 09 से 31

(कृषि मंत्री)

अक्टूबर, 2019; 16 मार्च से 26 मार्च, 2020 एवं 02 से 10 नवम्बर, 2020 को तथा रबी 2019-20 के लिए 20 से 27 अप्रैल, 2020 को पुनः खोला गया और विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा पोर्टल पर प्रविष्टियां दर्ज की गयीं।

(3) खरीफ 2019, रबी 2019-20 व खरीफ 2020 में जोधपुर जिले की ओसियां, तिंवरी एवं बावड़ी के कुल बीमित ऋणी व अऋणी किसान तथा बीमित किसानों से काटी गयी प्रीमियम राशि का विवरण परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): खण्ड संख्या एक में सरकार ने बताया है कि विगत 2 वर्षों में बीमा क्लैम लम्बित हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि ये क्यों लम्बित हैं और सरकार द्वारा इनके भुगतान के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि रबी 2018-19 में जिला चूरू, इसमें 746 कृषकों की बीमा क्लैम की राशि 6 करोड़ 94 लाख थी। इसमें फार्म नम्बर 2 और 3 में उपज अंकित थी एवं जिला सांख्यिकी कार्यालय, चूरू द्वारा प्रेषित औसत उपज शून्य दर्शायी गयी थी। यह विसंगति पाई गयी। इस हेतु दिनांक 08.03.2021 को जिला सांख्यिकी कार्यालय, चूरू एवं राजस्व विभाग, चूरू के कार्मिकों के साथ बैठक आयोजित कर संशोधित औसत उपज प्रेषित करने के निर्देश जिला सांख्यिकी कार्यालय, चूरू को प्रदान किये गये हैं। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जब इनकी मीटिंग हुई तो दोनों ने इसमें सहमति व्यक्त कर दी और यह मान लिया गया कि इसमें विसंगति रही है। उनके मानने के बाद में आने वाले दस दिनों में इसका भुगतान कर दिया जाएगा। यह चूरू की स्थिति है।

दूसरा है, खरीफ 2019 में जिला अजमेर, कोटा, जालौर व सवाई माधोपुर के 1,153 कृषकों के एक करोड़ 50 लाख रुपये के बीमा क्लैम लम्बित हैं। यूनियन बैंक आफ इंडिया द्वारा कृषक प्रीमियम निर्धारित समय सीमा में बीमा कम्पनी को प्रेषित नहीं हो पाया था। बीमा कम्पनी द्वारा प्रीमियम प्राप्त न होने के कारण बीमा कम्पनी द्वारा फसल बीमा पालिसी निरस्त कर दी गयी थी। कृषकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कृषकों का प्रीमियम स्वीकार कर निरस्त की गयी पालिसियों को पुन: पोर्टल पर अनुमोदित कराया गया। खरीफ 2019 में जिला अजमेर, कोटा,

(श्री लालचन्द कटारिया)

सवाई माधोपुर में 1,153 कृषकों के 1 करोड़ 50 लाख रुपये के बीमा क्लैम अधिसूचित बीमा कम्पनियों द्वारा दिनांक 09.03.2021 को कृषकों के खाते में प्रेषित कर दिये गये हैं।

रबी 2019-20 में भीलवाड़ा व चूरू जिले के लगभग एक लाख 7 हजार कृषकों को 692 करोड़ 16 लाख रुपये के बीमा क्लैम, रबी 2019-20 में चूरू जिले के फसल कटाई से प्राप्त औसत उपज के आंकड़े जिला कार्यालय चूरू से प्राप्त हुए थे, जिन्हें बीमा कम्पनी को क्लैम की गणना हेतु विभाग द्वारा प्रेषित किया गया था। बीमा कम्पनी द्वारा फसल कटाई आंकड़ों में विसंगति बताकर क्लैम की गणना से इंकार किया। विभाग ने इस सम्बन्ध में राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित कर इस प्रकरण के सम्बन्ध में बीमा कम्पनी के साथ चर्चा की गयी एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार बीमा क्लैम की गणना करने के लिए निर्देश दिये गये। बीमा कम्पनी द्वारा राज्य सरकार के निर्णय के विरुद्ध भारत सरकार के समक्ष प्रकरण को रखा। भारत सरकार द्वारा प्रकरण के परीक्षण के उपरांत फरवरी, 2021 में निर्णय दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये औसत उपज के आंकड़ों के आधार पर बीमा क्लैम दिये जाएं। बीमा कम्पनी को चूरू जिले के 180 करोड़ के राज्यांश प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा भी केन्द्रीय अंश प्रीमियम का भुगतान 02.03.2021 को कर दिया गया है। चूरू जिले में कुल 691 करोड़ रुपये के बीमा क्लैम की गणना की गयी है। इसमें से 37,348 कृषकों को 433 करोड़ 40 लाख रुपये के बीमा क्लैम दिनांक 05.03.2021 तक कृषकों के खाते में अधिसूचित बीमा कम्पनी एस.बी.आई. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा ट्रांसफर किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, प्रश्न से इर्रेलेवेंट है। I'm sorry to intervene you, please. उनका सीधा पूछना था कि कितना है, तो आप बताएं कि एंट्री गलत हो गयी है, इसलिए है, डिटेल में नहीं जा रहे हैं। माननीय सदस्य, आपका प्रश्न क्या है?

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): 2 वर्षों में कितना क्लैम लम्बित है और लम्बित है तो सरकार इसके भुगतान के लिए क्या प्रयास कर रही है?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही तो बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप पूरे राजस्थान के 32 जिलों का बताएंगे तो वह लम्बा है, आप बता दें कि क्लैम है, यह करना है, यह करना है, वह ज्यादा बैटर है, बनिस्पत कि आधा घंटे तक पूरे जिलों का बता कर लम्बा कर दें।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): कोई लम्बा नहीं है। इस केस में जो विसंगतियां थीं, वे मैंने पढ़कर बता दिया कि पूरे राजस्थान में ये प्रकरण हैं और इतने पैसे बाकी हैं, जिनका भुगतान लगातार हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बार का बताऊं जानकारी के लिए कि खरीफ 2020 के लिए भी राज्यांश प्रीमियम 1,748 करोड़ थे, जिनमें से 900 करोड़ राज्यांश जमा करा दिया गया है, 31 मार्च तक 2020 तक का टोटल भुगतान कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती मंजु देवी।

जायल में वायु प्रदूषण की रोकथाम

219. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जायल में खनन कार्य चल रहा है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में खनन के कारण वायु प्रदूषण से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को रोकने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में प्रदूषण के कारण दमा व टी.बी. की बीमारी फैल रही है? यदि हां, तो उक्त बीमारी के कारण विगत पांच वर्ष में कितने लोगों की मौतें हुई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र जायल में 100 खनन पट्टा/क्वारी लाइसेंस में खनन कार्य चल रहा है। स्थानवार विवरण परिशिष्ट '1' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। उक्त विधान सभा क्षेत्र में खनन के कारण वायु प्रदूषण से लोगों का स्वास्थ्य खराब होने के सम्बन्ध में पिछले दो वर्षो में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी नहीं। वर्तमान तक उक्त विधान सभा क्षेत्र में प्रदूषण के कारण दमा व टी.बी. की बीमारी फैलने की कोई शिकायत या अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती मंजु देवी (जायल): माननीय अध्यक्ष महोदय, खनन और प्रदूषण से श्वांस सम्बन्धी बीमारियां होती हैं। यह हम सब जानते हैं, परन्तु जैसा कि मंत्रीजी ने कहा है कि जायल विधान सभा क्षेत्र में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है तो क्या सरकार जायल विधान सभा क्षेत्र में एक अध्ययन कराने का विचार रखती है? साथ में यह भी पूछना चाहूंगी कि जायल विधान सभा क्षेत्र में सिलिकोसिस की रोकथाम हेतु क्या प्रयत्न किये गये हैं और कितने कैम्प लगाए गये हैं?

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सम्बन्धी और प्रदूषण सम्बन्धी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग या पर्यावरण विभाग द्वारा कराई जाती है। परन्तु माननीय विधायिकाजी ने बहुत ही गम्भीर विषय उठाया है। जायल विधान सभा क्षेत्र में खनन से श्वांस सम्बन्धी बीमारियों के बारे में स्वास्थ्य विभाग, पर्यावरण विभाग और खान विभाग, इनकी एक संयुक्त अध्ययन रिपोर्ट बनाए जाने और उसके खर्चे के लिए डी.एम.एफ.टी. से उपलब्ध कराने का मैं उनको आश्वस्त करता हूं। सिलिकोसिस के बारे में उन्होंने जानकारी चाही है। जायल विधान सभा क्षेत्र में कस्बा बड़ी खाटू में दिनांक 17 अगस्त, 2020 को स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें कुल 210 में से 9 सम्भावित सिलिकोसिस रोगी चिह्नित किये गये। सिलिकोसिस को रोकने के लिए सघन पौधारोपण, पानी छिड़काव, श्रमिकों को मास्क देना, उनको समझाने के लिए शिविर आयोजित किया जाना, पांच वर्षों से प्रत्येक मंगलवार को नागौर में जिला क्षय निवारण केन्द्र में कैम्प आयोजित किया जाता है। गत पांच वर्षों से जायल विधान सभा क्षेत्र में 311 सिलिकोसिस प्रभावित प्रकरणों में 5 करोड़ 55 लाख रुपये की सहायता राशि दी गयी है। कांग्रेस सरकार के हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने नई सिलिकोसिस नीति भी राज्य के लिए लागू की है।

प्रश्न संख्या 220

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री खिलाड़ी लाल बैरवा।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री रामस्वरूप लाम्बा।

जिला मुख्यालयों पर नवीन अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना

221. श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिला

(श्री रामस्वरूप लाम्बा)

मुख्यालय पर अंग्रेजी माध्यम का सरकारी विद्यालय खोलने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो क्या प्रत्येक जिला मुख्यालय पर उक्त विद्यालय खोल दिये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस जिले में? उक्त विद्यालयों में कितने-कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं? जिलेवार एवं विद्यालयवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा अगले चरण में जिला मुख्यालय पर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने के पश्चात् ब्लाक मुख्यालयों पर भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो उक्त विद्यालय कहां-कहां खोले गये व नहीं तो क्यों? क्या सरकार ब्लाक मुख्यालयों पर उक्त विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) जी हां। घोषणा की पालना में विभाग द्वारा 33 जिला मुख्यालयों पर अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारम्भ किये जा चुके हैं। जिलेवार, विद्यालयवार विवरण मय अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। जिला मुख्यालयों पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोलने के बाद ऐसे ब्लाक मुख्यालय, जिनमें पूर्व से ही विवेकानन्द माडल विद्यालय संचालित हैं, को छोड़कर शेष सभी 167 एवं एक अतिरिक्त, कुल 168 ब्लाक पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) खोले जाने की घोषणा की गयी थी, जिसकी पालना में ब्लाक स्तर पर भी उक्त प्रकार के राजकीय विद्यालय खोले जा चुके हैं। विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के बिन्दु संख्या 37 में 5,000 से अधिक आबादी वाले 1,200 गांव/नगरों में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) खोले जाने की घोषणा की गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): खण्ड एक में 33 जिलों में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारम्भ करने की बात कही गयी है। इनमें कितने अध्यापकों के पद सृजित किये गये हैं? खण्ड 2 में 5,000 से अधिक आबादी वाले 1,200 गांवों में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खोलने की बजटीय घोषणा की गयी है तो इसमें कितना बजट आबंटित किया गया है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): बहुत बढ़िया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है, टोटल स्कूलों में 4,398 पद स्वीकृत किये गये हैं, टोटल वर्किंग 4,235 हैं। अभी वैकेंट 163 हैं...(व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष: बजट का कोई प्रोविजन किया है क्या? माननीय सदस्य पूछ रहे हैं। (व्यवधान) मैं काफी हूं अभी। बैठें आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश में जितने विद्यालय खोले गये हैं, उनमें से विद्यालयों को चिह्नित करके हमने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। वहां पर जो टीचर लगे हुए हैं, जैसे अन्य सरकारी विद्यालय हैं, वैसे ही वे भी सरकारी विद्यालय हैं। टीचर्स का जो वेतन होता है, वह भी देते हैं। वहां पर आई.सी.टी. लैब की आवश्यकता होती है, वह भी बजट हम लोग देते हैं। खेल सामग्री का, कम्पोजिट ग्रांट का, जो बजट राजस्थान के अन्य विद्यालयों में मिलता है, वह तो देते ही देते हैं। साथ में इसके अलावा भी स्टेट ओपन से हमने ढाई-ढाई लाख रुपये दिये हैं। जिला स्तर पर पांच लाख रुपये दिये हैं। पहले भी निदेशालय से सवा-सवा लाख रुपये दिये थे। मैं सदन के माध्यम से माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी इन महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में आवश्यकता होगी, वह सम्पूर्ण बजट राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह जवाब आपने स्वयं ने दिया है कि बजट घोषणा 2021-22 के बिन्दु संख्या 37 में 5 हजार से अधिक आबादी वाले गांव/नगरों में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गयी है। ये यह पूछ रहे हैं, यह जो 1,200 विद्यालय खोलने की आपने घोषणा की है, इस 2021-22 के बजट में इसके लिए कितना प्रावधान रखा है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में घोषणा की है तो ये विद्यालय खुलेंगे। यह तो हुई एक बात। किस चीज का बजट चाहिए आपको? इन्फ्रास्ट्रक्चर की जहां तक बात है तो जो हमारा मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर हम खोलेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय विद्वान शिक्षा मंत्री जी, हम केवल फिगर जानना चाहते हैं कि इन 1,200 विद्यालयों के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लिए आपने बजट प्रावधान 5 रुपये रखा है या 5 हजार करोड़ रखा है या 2 हजार करोड़ रखा है? यह बता दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): ये जो 1,200 विद्यालय हमने दो साल में क्रमोन्नत कर दिये, उसके लिए कितना बजट था? जितने बजट की आवश्यकता होगी, उतना बजट हम देंगे। आपको वहम क्यों हो रहा है? हम पी.ए.पी. में भी लेकर जा रहे हैं। पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान पहला मॉडल स्टेट बनेगा, जहां महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल रहे हैं। आपकी केन्द्र में सरकार है, हम पी.ए.पी. में लेकर जाएंगे, आप और दिला दीजिएगा। जितना आप कहेंगे, उतना देंगे। कहां दिक्कत आ रही है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इतना जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तो केवल...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, दोनों खड़े होकर बोलेंगे, यह ठीक परम्परा नहीं है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी, पहले मंत्री जी को बोलने दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर हमारे पास विद्यालयों का मौजूद है, उसमें ये विद्यालय खुलेंगे। जो हमारे पास टीचर हैं और आगे जिनकी भर्ती कर रहे हैं, उनमें से टीचर लगाएंगे। अन्य विद्यालयों में जिस प्रकार की केन्द्र और राज्यों की योजनाएं संचालित हैं और जो बजट दिया जाता है, वैसे ही इनमें भी दिया जाएगा। कहां दिक्कत आ रही है?

श्री अध्यक्ष: माननीय, मैं जो बात समझ पाया हूं, मंत्री जी यह कहना चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं, उन्हें चिह्नित करके उनमें अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बनाये गये हैं और जहां-जहां भी जो बजट की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए पूरे बजट की व्यवस्था की जाएगी।

अगला प्रश्न। श्री अमीन खां।

शिव गडरा रोड के गांवों में मूलभूत सुविधाएं

222. श्री अमीन खां (शिव): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर एवं जोधपुर की शेरगढ़ से गडरा रोड वाया शिव सड़क वर्ष 1965 में बनी है?

(2) क्या यह भी सही है कि डेजर्ट नेशनल पार्क वर्ष 1980 के पश्चात्

(श्री अमीन खां)

बना है? क्या हरसानी से गडरा रोड सड़क डेजर्ट नेशनल पार्क की सीमा पर है? यदि हां तो क्या डेजर्ट नेशनल पार्क की सीमा 20 फुट कम की जा सकती है? उक्त सीमा कम करने से डेजर्ट नेशनल पार्क को क्या नुकसान हो सकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) तहसील शिव-गडरा रोड के वर्षों से बसे हुए गांवों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री सुखराम विश्नोई): (1) जी हां। जिला बाड़मेर एवं जोधपुर की शेरगढ़ से गडरा रोड वाया शिव सड़क वर्ष 1965 में बनी है।

(2) राज्य सरकार द्वारा जरिये नोटिफिकेशन दिनांक 04.08.1980 से डेजर्ट नेशनल पार्क अभयारण्य घोषित किया गया है। हरसानी से गडरा रोड सड़क डेजर्ट नेशनल पार्क की सीमा पर है।

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26(ए)(3) के अनुसार बिना राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अनुशंसा के पार्क की सीमा कम नहीं की जा सकती है। सीमा कम करने से अभयारण्य में विद्यमान वन्य जीव एवं वनस्पति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है।

(3) डेजर्ट नेशनल पार्क अभयारण्य में पूर्व तहसील शिव व वर्तमान तहसील गडरा रोड में बहुत से गांवों में मूलभूत सुविधाएं यथा बिजली पेयजल एवं सड़क पूर्व में ही उपलब्ध हैं, जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। इसके अतिरिक्त जिन गांवों में उपरोक्त सुविधाएं नहीं हैं, वहां के लिए समन्वित कार्यकारी विभाग द्वारा नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही की जा सकती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अमीन खां (शिव): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग 3 में मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि डेजर्ट नेशनल पार्क एरिया में जो पीढ़ियों से गांव बसे हुए हैं क्या उन्हें हटाया जाएगा?

दूसरा, आपने सक्षम अधिकारी से मूलभूत सुविधाओं की परम्शिन लेने और नियमानुसार कार्यवाही करने की बात की है तो नियम क्या हैं और आपका सक्षम अधिकारी कहां बैठता है?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष जी, इस डेजर्ट नेशनल पार्क में कुल 53 गांव हैं और इनमें से 4 गांव- हाफिया, सिरगुवाला,

(श्री सुखराम विश्नोई)

ढगारी और साधों की बस्ती में पानी, बिजली और सड़क की मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि भारत सरकार ने 'परिवेश' नाम से एक पोर्टल बना रखा है जिसमें 11 के.वी. से ऊपर की बिजली की लाइन है तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड इसकी परमिशन देगा। एल.टी. लाइन या घर कनेक्शन है तो राजस्थान वन्य जीव बोर्ड इसकी परमिशन देगा। पानी की पाइपलाइन यदि 2 मीटर से कम है तो राजस्थान वन्य जीव बोर्ड परमिशन देगा। इससे ज्यादा है तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड परमिशन देगा। इसके साथ-साथ ही जो ग्रेवल सड़क है या सड़क का नवीनीकरण हो रहा है तो राजस्थान वन्य जीव बोर्ड उसकी परमिशन देगा। यदि सड़क की चौड़ाई करनी है तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड इसकी परमिशन देगा। राजस्थान में वन्य जीव बोर्ड बना हुआ है और भारत सरकार में भी वन्य जीव बोर्ड बना हुआ है। यह इनकी गाइड लाइन है।

श्री अमीन खां (शिव): अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि क्या इस डेजर्ट नेशनल पार्क में बसे हुए गांवों को हटाने का तो विचार सरकार नहीं रखती है?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): अभी इसके लिए कोई प्रपोजल प्रस्तावित नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती सफिया जुबेर।

रामगढ़ में खेल स्टेडियम बनाने की कार्ययोजना

223. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में खेल स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): जी हां। वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 61 के अनुसार मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम योजना के तहत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लाक में खेल स्टेडियमों के विकास कार्य करवाये जाने हेतु विधायक-सांसद निधि/जनप्रतिनिधि/जन सहयोग/सी.एस.आर. से प्राप्त राशि के बराबर राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित किया गया है।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या इन स्टेडियम्स में आप पोलो एवं आईपी.एल. के मैचेज कंडक्ट करने का विचार रखते हैं?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ब्लाक स्तर के स्टेडियम्स होंगे तो इनमें इतने बड़े आयोजन तो सम्भव नहीं होंगे, लेकिन निश्चित रूप से यह तय किया जाएगा कि आपके क्षेत्र की युवा पीढ़ी के जो खिलाड़ी हैं और चूंकि हर ब्लाक में जब ये बनने हैं, हर जिले में बनने हैं तो उस ब्लाक में किस खेल का प्रचलन ज्यादा है, उन खेलों को ज्यादा कवर करके उन खिलाड़ियों को खेलने की सुविधाएं मिलें, ऐसी व्यवस्था कराएंगे। पोलो मैच तो खाली मिट्टी के मैदान में हो जाते हैं, आप जब आदेश करेंगे, उस दिन करवा देंगे। आप चिंता न करें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री प्रताप लाल भील।

गोगुन्दा में अवैध शराब बिक्री के दर्ज प्रकरण

224. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में शराब की दुकानों पर शराब की तय दर से ज्यादा राशि लेने, निर्धारित समय के बाद दुकान खोलने तथा अवैध शराब बिक्री के विगत पांच वर्षों में कुल कितने प्रकरण दर्ज किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में आबकारी विभाग द्वारा विगत पांच वर्षों में शराब की दुकानों पर शराब की तय दर से ज्यादा राशि लेने के 53 प्रकरण, निर्धारित समय के बाद दुकान खोलने के 3 प्रकरण तथा अवैध शराब बिक्री के 355 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। विवरण क्रमशः परिशिष्ट-'1', '2' व '3' पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि गोगुन्दा उप-खण्ड कार्यालय पर लोकेशन के अनुसार कितनी दुकानें स्वीकृत हैं? क्या इन दुकानों के अलावा और कोई दुकानें संचालित हैं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जो लोकेशन विभाग के द्वारा मंजूर की गयी है, उसके अलावा

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई जिसके अलावा भी कोई दुकानें खुली हुई हों। यदि आपके पास ऐसी कोई शिकायत हो तो आप दे दें, मैं उसकी जांच करवा लूंगा।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): मेरा प्रश्न यह था कि गोगुन्दा उप-खण्ड मुख्यालय पर कितनी दुकानें स्वीकृत थीं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वह फिगर मेरे पास नहीं है, क्योंकि आपका जो प्रश्न है, उसमें आपने यह नहीं पूछा कि गोगुन्दा शहर में या गोगुन्दा कस्बे में कितनी दुकानें थीं। आपका प्रश्न यह है कि गोगुन्दा में शराब की दुकानों पर शराब की तय दर से ज्यादा राशि लेने और निर्धारित समय के बाद दुकान खोलने और अवैध बिक्री के विगत पांच वर्षों में कुल कितने प्रकरण दर्ज हुए? उसका मैंने आपको जवाब दे दिया है।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो बहुत सीधा था और मंत्री जी का जवाब भी बहुत सीधा है कि 53 प्रकरण तो ऐसे हैं, जिनमें शराब की कीमत ज्यादा ली गयी। जो पीछे आपने चार्ट लगाया है, उसमें सब कम्पाउण्ड किये हैं तो सबकी कम्पाउण्डिंग का आधार और उनका जुर्माना क्या है? मतलब कोई आदमी कीमत अधिक ले-ले तो वह कम्पाउण्डेबल है या केवल उससे जुर्माना वसूल करके उसे छोड़ना ठीक है? जो तीन ऐसे प्रकरण हैं, वे तय समय के बाद दुकान खोलने के हैं। उनका भी आपने इसी प्रकार से कम्पाउण्ड किया है और उसके बाद 355 ऐसे मामले हैं, जहां शराब की अवैध बिक्री के केस बने हैं। उनमें भी सब ने जुर्म स्वीकार कर लिया, हुआ क्या? जुर्म स्वीकार करने की कोई सज़ा आपने दी है, क्या इनके खिलाफ आपने कोई कार्यवाही की है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें दो तरह की कार्यवाहियां होती हैं। एक तो यह होता है कि मुल्जिम को गिरफ्तार किया जाता है और उसके खिलाफ चालान पेश किया जाता है। जो 355 की फिगर मैंने दी है, उसमें सबके खिलाफ चालान पेश किया है और उसका आपके पास रिकार्ड है, परिशिष्ट '3' को आप देखें। सबके खिलाफ चालान पेश हुआ और कई गिरफ्तार हुए हैं।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

इसके अलावा जो आपने तीन प्रकरण बताये हैं कि तीन प्रकरणों में क्या हुआ तो इसमें दो तरह के हैं। एक तो अगर मान लीजिए समय के बाद दुकान खोलने के प्रकरण आते हैं तो ब्रीच आफ लाइसेंस कंडीशन मानी जाती है और ब्रीच आफ लाइसेंस कंडीशन का निश्चित तौर पर दाम लेने के बाद में उसको कम्पाउण्ड किया जाता है। कम्पाउण्ड करने का सब में है। पूरी पालिसी में कम्पाउण्ड करने का है चाहे देर से खोले, चाहे शराब ज्यादा कीमत पर बेचे, चाहे कैसे भी करते हों, लेकिन कम्पाउण्ड के केसेज होते हैं, पर सज़ा दो तरह की है कि या तो चालान पेश हो जाता है और चालान पेश होने के बाद में कम्पाउण्ड हो जाता है या फिर उसमें जुर्माना होकर उसमें कम्पाउण्ड हो जाता है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री शंकर सिंह।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यह जानना चाहता हूं कि केस नम्बर 9 पर है वृत्त गोगुन्दा में, इसमें आप लिख रहे हो कि 07.02.2016 को इसका चालान पेश हो गया और इसमें 48 पव्वे मिले और बीयर के भी 48 मिले। आगे के कालम में लिखा है जुर्म स्वीकार किया। यह जो 2016 में चालान किया और अब अपन 2021 में हैं तो इसका हुआ क्या?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): प्रोग्रेस तो मेरे पास इस वक्त नहीं है और न प्रोग्रेस पूछी गयी है कि चालान जो पेश हुए हैं, उनका क्या हुआ। ऐसा कुछ नहीं पूछा आपने जितना पूछा गया उससे ज्यादा मैंने आपको सब कुछ बता दिया है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। शंकर सिंह रावत।

जवाजा पंचायत समिति को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना

225. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर की पंचायत समिति जवाजा को बीसलपुर से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बीसलपुर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ तथा उक्त प्रोजेक्ट पर कितनी राशि स्वीकृत की गयी एवं कार्य पूर्ण करने की अवधि क्या थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रोजेक्ट में स्वीकृत बजट में से कितनी राशि व्यय हो चुकी

(श्री शंकर सिंह रावत)

है एवं कितनी शेष है तथा कितना कार्य पूर्ण हो गया है तथा कितना शेष है? शेष कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रोजेक्ट के तहत गांवों को पानी मिलना शुरू हो गया है? यदि हां, तो किन-किन गांवों में कितनी-कितनी मात्रा में पानी दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि गांवों में जल वितरण पाइन्ट बढ़ाने की मांग की गयी है? यदि हां, तो किन-किन गांवों में तथा किन-किन गांवों में जल वितरण पाइन्ट बढ़ाये गये हैं? कितने शेष हैं व शेष कब तक लगा दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर की पंचायत समिति जवाजा के वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार 199 ग्राम एवं इनकी 390 ढाणियों को सतही जल स्रोत बीसलपुर बांध से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 190वीं बैठक दिनांक 30.05.2013 द्वारा राशि रुपये 231.46 करोड़ की जारी की गयी थी।

उक्त परियोजना के कार्यों के निष्पादन हेतु मैसर्स एस.पी.एम.एल. इन्फ्रॉ लिमिटेड, गुड़गांव को राशि रुपये 247.82 करोड़ का कार्यादेश दिनांक 21.08.2013 को जारी किया जाकर इसका कार्य दिनांक 30.08.2013 को प्रारम्भ हुआ। कार्यादेश अनुसार उक्त परियोजना दिनांक 30.08.2016 तक पूर्ण करनी निर्धारित थी। अनुबंधक फर्म द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार परियोजना के कार्यों की निर्धारित प्रगति नहीं देने के कारण, विभागीय वित्त समिति की 708वीं बैठक दिनांक 08.09.2016 द्वारा निर्णय लिया जाकर अनुबंध के क्लाज '2' एवं '3' के तहत कार्यवाही करते हुए दिनांक 18.09.2016 को कार्य रीसाइण्ड किया गया।

पंचायत समिति जवाजा हेतु स्वीकृत उक्त वृहद् पेयजल परियोजना के शेष रहे कार्यों को पूरा कराने हेतु विभाग द्वारा पुन: आमंत्रित की गयी नवीन निविदा के अन्तर्गत मैसर्स गेमन इण्डिया लिमिटेड, मुम्बई को दिनांक 30.06.2017 को राशि रुपये 174.45 करोड़ का कार्यादेश जारी किया जा चुका है तथा कार्यादेश अनुसार इस परियोजना का कार्य दिनांक 09.07.2019 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित था।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) उक्त पेयजल परियोजना पर अब तक रुपये 265.40 करोड़ की राशि का व्यय हुआ है। उक्त परियोजना हेतु राशि रुपये 332.77 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एस.एल.एस.एस.सी. की 19वीं बैठक दिनांक 26.12.2019 द्वारा जारी की गयी है।

परियोजना की स्वीकृत लागत रुपये 332.77 करोड़ के विरुद्ध रुपये 265.40 करोड़ की राशि अब तक व्यय हुई है तथा रुपये 67.37 करोड़ की राशि वर्तमान में शेष रही है।

उक्त परियोजना अन्तर्गत 88 प्रतिशत कार्य अब तक पूर्ण हो चुका है तथा 12 प्रतिशत कार्य वर्तमान में शेष रहा है। सम्पूर्ण परियोजना माह सितम्बर, 2021 तक पूर्ण करनी प्रस्तावित है।

(3) जी हां। उक्त परियोजना में पंचायत समिति जवाजा के सम्मिलित 199 ग्राम एवं 390 ढाणियों में से 159 ग्राम एवं 217 ढाणियों में स्वीकृत प्रावधान अनुरूप बीसलपुर बांध से 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 48 घण्टे के अंतराल से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है।

उक्त परियोजना से लाभान्वित ग्राम/ढाणियों में उपलब्ध कराई जा रही पेयजल की मात्रा सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(4) जी हां। उक्त पेयजल परियोजना अन्तर्गत पी.एस.पी. स्थापित किये जाने वाले ग्रामों में वर्ष 2046 की अभिकल्पित जनसंख्या के अनुसार 250 की आबादी पर एक पी.एस.पी. स्थापित किये जाने के स्वीकृत प्रावधानों के अनुरूप, अब तक लाभान्वित किये गये ग्राम एवं इनकी ढाणियों में पी.एस.पी. स्थापित किये गये हैं तथा किसी भी ग्राम/ढाणी में स्वीकृत प्रावधान से अधिक पी.एस.पी. स्थापित नहीं किये गये हैं। पी.एस.पी. स्थापना सम्बन्धी विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' में निहित है।

इस प्रकार किसी भी ग्राम/ढाणी में पी.एस.पी. बिन्दु बढ़ाये जाने की मांग के विरुद्ध इनके स्थापना का कोई कार्य शेष नहीं रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाह रहा हूं कि पहले जो स्वीकृति 2013 में 231.46 करोड़ की जारी हुई थी और कार्यादेश के अनुसार इसको 2016 में पूरा करना था। दूसरा, सरकार ने इसकी वापस स्वीकृति जारी की तो बजट राशि भी 332 करोड़ हो

(श्री शंकर सिंह रावत)

गयी तो ठेकेदार द्वारा टाइम पर पूरा नहीं करने पर सरकार द्वारा पनिशमेंट के तौर पर पैनल्टी लगानी चाहिए या उसकी राशि बढ़ाई जा रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? यह थोड़ा जवाब दें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है इसके अन्तर्गत मैं बताना चाहता हूं कि शुरू में एस.पी.एम.एल. कम्पनी को इस काम को करना था, लेकिन उन्होंने समय पर कार्य पूरा नहीं किया। इसके कारण दुबारा इसके टेंडर इन्वाइट किये गये और मैसर्स गेमन इण्डिया लिमिटेड, मुम्बई को यह कार्य 30.06.2017 को री-साइन किया गया। इसके अलावा आपको मालूम है कि अभी भी तीन वर्ष से फोरेस्ट डिपार्टमेंट से हमको कार्य करने की जो आवश्यक परमिशन मिलनी चाहिए, वह अभी तक नहीं मिली है। इसमें गेम सैंक्चुरी आ रही है तो डिले होने के कारण से कॉस्ट एस्केलेशन बढ़ा है। जिस फर्म ने काम नहीं किया, उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री, खाली फोर पब्लिक कंजम्प्शन। ओरिजिनल था 247.82 करोड़, वह टेंडर रिजेक्ट हुआ। दूसरा टेंडर हुआ, वह 174.45 करोड़ का हुआ। 174 करोड़ का जो सैकण्ड गेमन को दिया गया, उसके बाद आज उसकी कॉस्ट 332 करोड़ हो गयी है। विभाग में किसी भी योजना पर इतने बड़े लेवल पर डीविएशन, जिसमें प्रोजेक्ट इतनी हो और डबल कॉस्ट हो जाए, इसके सम्बन्ध में विभाग कोई नीति बना रहा है, जिससे पैसे का सदुपयोग हो और लोगों को लाभ मिले? यह सबकी पीड़ा है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो समय पर कम्पनी और ठेकेदार काम नहीं करता है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। उसके पैसे रोके जाते हैं, उनको ब्लैकलिस्टेड किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्लीज। मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूं, वह तो बाद की बात है। ओरिजिनल कॉस्ट 247 करोड़ थी, काम नहीं किया तो दूसरा टेंडर किया। वह 174 करोड़ में हुआ, 174 करोड़ में उसको काम करना था। अभी 88 परसेंट काम जो हुआ, उसके पहले विभाग ने इस स्कीम को रिवाइज करके 332 करोड़ की कर दी। मतलब 174 का टेंडर हुआ, टेंडर होने के बाद उसकी कॉस्ट को 265 करोड़ माना और उसको बढ़ाकर 332 करोड़ कर दिया। उसके बाद में भी आज 88 परसेंट है तो जब यह स्कीम कम्प्लीट होगी तो मेरी हाईपोथेसिस कहती है कि 450-500 करोड़ से नीचे

(श्री अध्यक्ष)

नहीं होगी। मैं खाली इसलिए पूछना चाहता हूं कि टैक्निकली जितने भी हमारे विभाग के अधिकारी हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम योजना बनाएं, उस योजना में इतना एस्टीमेट नहीं करें कि इतना बड़ा एस्केलेशन हो जाए। जिससे जनता के पैसे का उपयोग हो सके और लोगों को रिलीफ मिल सके। इस तरह की जो बड़ी योजनाएं हैं, जो सरफेस वाटर की बन रही हैं, उनमें सब में इस तरह की स्थिति बन रही है तो क्या विभाग जुडीशियस रिव्यू करके इस सम्बन्ध में कोई निर्णय करेगा?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): निश्चित रूप से आपने जो डायरेक्शंस दिये हैं, उनके आधार पर हम टैक्निकली किन्हीं इंजीनियर्स की इसमें कमी-खामी रहेगी तो उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और विभाग ऐसी नीति बनाएगा, जिसके अन्तर्गत कॉस्ट एस्केलेशन यदि बिना किसी कारण के जैसे अभी तीन साल से फोरेस्ट की अनुमति नहीं मिली है और 2013 में जो कार्य शुरू हुआ और अब 2021 आ गया तो ऐसी स्थिति में बिना किसी कारण से cost escalation, यदि बढ़ेगा तो उसमें जिम्मेदारी तय की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, मैं फिर कह रहा हूं, 2013 की कॉस्ट 247 करोड़ है। वह टेण्डर रिजेक्ट हो गया। नया टेण्डर हुआ। विभाग ने टेण्डर किया और टेण्डर करके उसकी कॉस्ट 174 करोड़ रुपये दी तो विभाग ने यह माना कि यह स्कीम 174 करोड़ रुपये में हो सकती है जबकि ओरिजनल 247 करोड़ थी। उसका टेण्डर रिजेक्ट हो गया। दूसरा टेण्डर किया तो विभाग को था कि 247 करोड़ में हमने दे दी। आज की डेट में उसको रिवाइज करके 332 करोड़ रुपये विभाग ने एप्रूव किया है। 174, ओरिजनल जो 247 करोड़ थी, उससे लोअर में लेकर आज डीविएशन इतना चला गया तो फिर विभाग का जो टैक्निकल आदमी है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम किसी भी योजना को बना रहे हैं, इतना बड़ा डीविएशन हो जाए, उसमें इन-बिल्ट, फोरेस्ट की है, ये तो एक्जीक्यूशन होगा, तब बात होगी। आज की डेट में तो 88 परसेंट ही कम्प्लीट हुआ है तो कम्प्लीट होने की स्टेज में साढे चार सौ, पांच सौ करोड़ से नीचे स्कीम्स नहीं जाएगी। यह मैं इसलिए कह रहा हूं, यह एक का नहीं, पूरे के पूरे सरफेस वाटर की जितनी स्कीम्स बन रही हैं, उस सरफेस वाटर स्कीम में टैक्निकली जो हमारा लेकुना है, उसके अन्तर्गत कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि न तो उसका रिलीफ मिल रहा है, न ही उस पैसे का Judicious उपयोग हो रहा है।

(श्री अध्यक्ष)

मेरी मान्यता है कि असम्बेली प्लेटफार्म पर, जिस पर बैठकर हमें चर्चा करनी चाहिए और विभाग को निर्देश दिये जाने चाहिए, इस तरह का डीविएशन बन रहा है, तो कहीं न कहीं हमारी टैक्निकल एक्सपर्टाइज है, उसे कहीं न कहीं हमें रिव्यू करने की जरूरत है। इस सम्बन्ध में हमें बात करनी चाहिए।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, एक पाइंट।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें प्लीज, आप बैठें। आप ग्रेविटी नहीं समझना चाहते हैं। आप किसी की महत्ता ही नहीं समझना चाहते। मंत्री जी आप जवाब नहीं देंगे।

अगला प्रश्न। श्री रमेश चन्द मीना।

श्री रमेश चन्द मीना (सपोटरा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बात के लिए नहीं, प्रश्न पूछें।

श्री रमेश चन्द मीना (सपोटरा): नहीं।

श्री अध्यक्ष: बात के लिए नहीं, नीचे बैठें। रिकार्ड नहीं होगा।

श्री रमेश चन्द मीना (सपोटरा): 000

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें। माननीय सदस्य, बैठें। कोई रिकार्ड नहीं होगा। प्रश्न पूछना है आपको?

श्री रमेश चन्द मीना (सपोटरा): 000

श्री अध्यक्ष: आप पीछे जाकर बोल लें, कोई तकलीफ नहीं है, पीछे जाकर बोल लें।

श्री रमेश चन्द मीना (सपोटरा): 000

श्री अध्यक्ष: ये चर्चा नहीं होगी, रिकार्ड नहीं होगा। आपका रिकार्ड नहीं होगा, पीछे जाकर पूछ लें प्रश्न। प्रश्न पूछना है आपको? आपको प्रश्न पूछना है? प्रश्न पूछना है? बैठें आप। अगला प्रश्न। नीचे बैठें आप। नहीं, रिकार्ड नहीं होगा।

श्री रमेश चन्द मीना (सपोटरा): 000

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। आपको बोलना है पीछे जाकर बोलिए। आप नहीं बोल सकते, पीछे जाकर प्रश्न में। आपके पास वाले में नहीं बोल सकते... (व्यवधान)।

श्री रमेश चन्द मीना (सपोटरा): 000

श्री अध्यक्ष: रिकार्ड नहीं होगा। प्रश्न नहीं होगा, अगला प्रश्न। आप बैठें, रिकार्ड नहीं होगा।

श्री रमेश चन्द मीना (सपोटरा): 000

श्री अध्यक्ष: I'll name you. आप बैठें, सीनियर आदमी हैं, बैठें प्लीज। I'm on leg. बैठें आप। I'm on leg, प्लीज बैठें, आप बैठें प्लीज। आप गलत काम नहीं करें, आप मंत्री रहे हुए हैं। आपको तकलीफ है, प्रश्न के बाद भी पूछ सकते थे। आपको प्रश्न पूछना है?

श्री रमेश चन्द मीना (सपोटरा): 000

श्री अध्यक्ष: आपको प्रश्न पूछना है? आप बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे। आपको प्रश्न पूछना है? प्रश्न पूछना है? पिछली सीट पर जाकर माइक पर बोलें। आप बैठिए, रिकार्ड नहीं होगा। अगला प्रश्न।

श्री रमेश चन्द मीना (सपोटरा):000

श्री अध्यक्ष: नहीं, प्रश्न नहीं होगा। आप डिक्टेट करेंगे मुझे? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप बैठिए।

श्री रमेश चन्द मीना (सपोटरा): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। रिकार्ड नहीं होगा। बैठिए आप।

श्री रमेश चन्द मीना (सपोटरा): 000

श्री अध्यक्ष: हां, मनमानी। बैठिए आप। आप बैठिए, I'll name you. माननीय चीफ व्हिप, I'll name him, I'll name him. I'll not tolerate it. I'll not tolerate it. I'm saying it. I'll name you. Mr., I'll name you. मैं आपको फिर कह रहा हूं। माननीय चीफ व्हिप।

श्री रमेश चन्द मीना (सपोटरा): 000

श्री अध्यक्ष: Don't challenge the Chair. धमकाने का नहीं है। आप सीखिए। बैठिए आप, प्लीज।

श्री रमेश चन्द मीना (सपोटरा): 000

श्री अध्यक्ष: नीचे बैठिए आप। नीचे बैठिए आप। आप अध्यक्ष की गरिमा घटा रहे हैं। मैं खड़ा हूं और आप बोलते जा रहे हैं। मैंने उस दिन देवनानी जी को पनिश किया और आप वही रिकार्ड बनाना चाहते हैं। You cannot dictate me. आपको नहीं बोलना, कोई तकलीफ नहीं है। सदन आपकी मर्जी से नहीं चलेगा, सदन अध्यक्ष की मर्जी से चलेगा, नियम और

(श्री अध्यक्ष)

कानून से चलेगा। आपको नहीं बोलना, आप बैठे रहिए। बैठे रहिए। रिकार्ड नहीं होगा। I said.

प्रश्न संख्या 226

(कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्रीमती संतोष।

श्रीगंगानगर में पशुपालकों को बकाया का भुगतान

227. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला श्रीगंगानगर में विगत 5 वर्षों में भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत कितने पशुओं का बीमा करके कितने लोगों को लाभान्वित किया गया? वर्षवार, लाभार्थीवार, तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में उक्त योजनान्तर्गत पशुपालकों को क्लैम की राशि नहीं दी गयी है? यदि हां, तो कहां-कहां तथा क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जिले में उक्त योजना के अन्तर्गत पशुपालकों के बकाया क्लैम शीघ्र देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) जिला श्रीगंगानगर में विगत 5 वर्षों में भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत किये गये पशुओं का बीमा एवं लाभार्थियों का वर्षवार, लाभार्थीवार एवं तहसीलवार विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। बीमा कम्पनी से प्राप्त सूचना अनुसार विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में भामाशाह पशु बीमा योजना अन्तर्गत उपयुक्त पाये गये समस्त क्लैम की राशि का नियमानुसार भुगतान किया जा चुका है।

(3) बीमा कम्पनी से प्राप्त सूचना अनुसार जिला श्रीगंगानगर में भामाशाह पशु बीमा योजना अन्तर्गत उपयुक्त पाये गये किसी भी पात्र पशुपालक के दावे का भुगतान लम्बित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, बीमित पशुपालकों को बीमा कराने के बावजूद भी लाभ नहीं दिया गया है। जो आंकड़े

(श्रीमती संतोष)

जवाब में दिये गये हैं, उनके अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में पशुधन का बीमा 464, हुआ है और लाभान्वित किया गया है 278 को, वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2,283 पशुधन का बीमा हुआ है और लाभान्वित किया गया है 943 को, 2018-19 में पशुओं का बीमा 447 का हुआ है और लाभान्वित किया गया है 429 को, तो जो शेष बीमित पशुपालक हैं, उनको लाभ क्यों नहीं दिया गया है? उनको कब बीमा राशि दे दी जाएगी?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि जितने बीमा थे, उनका कोई भुगतान लम्बित नहीं है, जो मैंने पूरे चार्ट में दे रखा है। यह स्कीम सितम्बर 2018 तक चली। उसके बाद में बंद है। भारत सरकार को हमने पत्र लिखा है, उसमें भारत सरकार ने यह माना है कि कैबिनेट में नियमों में परिवर्तन करेंगे और उसके बाद में जब वहां से सहमति मिलेगी तो इसे हम दुबारा चालू करेंगे और जितनी जानकारी आपने मांगी है, उसमें मैंने दे रखी है।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): जो जवाब में मुझे आंकड़े दिये गये हैं, मैंने वे ही बताये हैं आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्री जी की सुनें।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि यदि इसके अलावा आपके पास कोई प्रकरण है तो आप निश्चित तौर पर, मेरे अधिकारी भी सुन रहे हैं, आप मेरे कमरे में आएं, मुझे बताएं, उसका समाधान करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इनके प्रश्न का जो जवाब आप दे रहे हैं। आप स्वयं अपने आंकड़े दे रहे हैं, उसी पर उन्होंने पूछा था कि 2016-17 में 464 पशुओं का बीमा कराया था, आपने दिया 278, ऐसे ही दूसरे सालों में भी जितना बीमा करवाया, उससे कम को दिया। यही पूछना चाह रही हैं कि जिनकी बीमा की राशि तो जमा हो गयी, इन बाकी लोगों को बीमा का पैसा क्यों नहीं मिला?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें भी कई विसंगतियां हैं कि जब पशु मर जाता है, उसके बाद में जो नार्म्स बने हुए हैं, उसमें कई अपात्र हो जाते हैं, उसमें कमियां रह जाती हैं तो वह वहीं रिजेक्ट हो जाते हैं। जिनको लाभ मिला है, उन्हीं आंकड़ों को दर्शाया है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोविन्द प्रसाद।

चरागाह भूमि पर संचालित गोशालाओं को पट्टा देने में शिथिलता

228. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार चरागाह भूमि पर प्रदेश में संचालित गोशालाओं का अनुदान बंद करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त गोशालाओं को नियमों में शिथिलता प्रदान कर पट्टे जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गोपालन मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) जी नहीं।

(2) गोशालाओं के लिए भूमि आबंटन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर राजस्थान भू-राजस्व (गोशालाओं के लिए भूमि आबंटन) नियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि झालावाड़ जिला और मेरे विधान सभा क्षेत्र दोनों में कई गोशालाएं ऐसी हैं जो चरागाह भूमि पर चल रही हैं तो सरकार चरागाह पर संचालित गोशालाओं को पट्टे देने का कब तक विचार रखती है? दूसरा, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार में चरागाह पर संचालित गोशालाओं को भी अनुदान देने का प्रावधान है या नहीं? यदि नहीं तो क्या सरकार इसको देने का विचार रखती है?

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हमारे पूर्वजों ने गोचर या चरागाह भूमि को पशुओं को चराने के लिए छोड़ा है। गोचर भूमि पर गोशालाओं के पट्टे देने के प्रावधान भू-राजस्व अधिनियम, 1957 में है, जो राजस्व विभाग से सम्बन्धित है। मैंने भी राजस्व मंत्री जी को चरागाह भूमि पर संचालित गोशालाओं को पट्टे देने के लिए निवेदन किया है। झालावाड़ जिले में 19 गोशालाएं चरागाह में संचालित हैं, उनमें से 5 गोशालाएं माननीय सदस्य जी के विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में भी संचालित हैं।

दूसरा, जो माननीय सदस्य जी ने जानकारी चाही अनुदान के सम्बन्ध में, मेरा निवेदन है कि जो गोशालाएं दो वर्ष पूर्व से पंजीकृत तथा जहां 200 से ज्यादा गोवंश हैं, ऐसी गोशालाओं को चाहे, वे चरागाह भूमि में चल रही हों या पट्टे वाली भूमि में हों, ऐसी सभी को अनुदान दिया जा रहा है। वर्तमान में

(श्री प्रमोद भाया)
राजस्थान में लगभग 627 ऐसी गोशालाएं हैं, जो चरागाह पर संचालित हैं और उनको भरण-पोषण का अनुदान गोपालन विभाग के द्वारा दिया जा रहा है।

(12.00 बजे)

उसमें लगभग 2 लाख 20 हजार गोवंश अभी मौजूद हैं। झालावाड़ जिले में 19 गौशालाएं, जो चरागाह में चल रही हैं, उनमें पांच गोशालाएं, जो माननीय सदस्य जी के विधान सभा क्षेत्र में भी हैं, उन 19 को भी अनुदान गोपालन विभाग के द्वारा दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

सदन की गरिमा व व्यवस्था बनाये रखना सभी की जिम्मेदारी

माननीय सदस्यगण, मुझे बहुत खेद है और मैं बहुत हर्ट फील करता हूं कि माननीय सदस्यगण नियम और उसका पालन नहीं करते हैं। कोविड के कारण सबको मालूम है कि हमने बैठने कीं व्यवस्था इस तरह से की है कि सभी सदस्य हाउस में आकर बैठ सकें। सभी पार्टियों के नेताओं को यह मालूम है कि हमने एडिशनल सीट्स क्रिएट कीं, जहां माइक की व्यवस्था नहीं है और यह सब पार्टियों को मालूम है कि बैठने की व्यवस्था अध्यक्ष महोदय नहीं करते हैं। यह गलत इम्प्रेशन दिया जा रहा है। बैठने की व्यवस्था पार्टी के चीफ व्हिप अध्यक्ष को सौंपते हैं। मैंने किसी के बैठने की व्यवस्था नहीं की है कि कोई कहां बैठे। यह बैठाने का काम पार्टी का है कि किस सदस्य को किस जगह पर उनको अलॉटमेंट करना है, अध्यक्ष उसको एंडोर्स करता है और हमने सभी पार्टियों के चीफ व्हिप को कहा है कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत कुछ सीटों पर माइक नहीं हैं। इसलिए हमने कहा था कि पीछे जाकर माइक पर अपनी बात कह सकते हैं। मैं अपेक्षा कर रहा था कि पार्टी के व्हिप अपने-अपने सदस्यों को इस बात की जानकारी देंगे। मुझे खेद है कि एक माननीय सदस्य, जो वरिष्ठ सदस्य हैं, वे सदस्य सदन की इस कार्यवाही को अपने चीफ व्हिप के डाइरेक्शन के बाद भी नहीं करना चाहते। मुझे दु:ख है। न मैं बैठने की व्यवस्था करता हूं, न मैं यह व्यवस्था के सम्बन्ध में आपको पूरी तरह से जानकारी देता हूं कि हम सदन को किस तरह से चलाएंगे। तब हमने कहा है कि जिन जगहों पर माइक नहीं हों, वे सदस्य पीछे जाकर अपनी बात माइक के सामने कह सकते हैं।

(श्री अध्यक्ष)

मैं समझता हूं कि पार्टी के व्हिप की यह जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने उस बारे में माननीय सदस्यों को अवगत कराया होगा। यदि अवगत नहीं कराया गया और इस तरह हाउस चलेगा तो मैं हाउस को टोलरेट नहीं करूंगा चाहे कोई नाराज हो, चाहे खुश हो।

जब मैं प्रतिपक्ष के सीनियर लीडर को किसी चीज के बारे में निर्णय लेकर उनको निर्णय करने के लिए कह सकता हूं तो मैं अपेक्षा करता हूं कि सरकारी पक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह भी नियम और कानून का उसी तरह से पालन करे, जिस तरह की अध्यक्षीय व्यवस्था की गयी है। यह मेरे लिए खेद का विषय है कि मेरे अध्यक्षीय निर्णय करने के बाद भी जीरो आवर में, स्थगन प्रस्ताव में, जहां यह निर्णय किया गया कि कम से कम सदस्य की भावना को सुनने के लिए मंत्री बैठे रहेंगे, पर मुझे कहते हुए तकलीफ है कि मंत्री स्थगन प्रस्ताव और 295 में हाउस में नहीं बैठते हैं। यदि हाउस की हम गरिमा नहीं बनाना चाहते हैं, अध्यक्ष की गरिमा नहीं बनाना चाहते हैं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आपने मुझे चुना है आप मुझे हटा दें, मुझे बहुत खुशी होगी, पर जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हुआ हूं मैं निर्णय निष्पक्ष रूप से, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, उन निर्णयों को लागू करने का काम करूंगा, चाहे कोई नाराज हो। इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं, संसदीय मंत्री जी से और पार्टी के व्हिप से कि कृपया आप अपने माननीय सदस्यों को, बैठने की व्यवस्था आपने की है, आपको उनको जानकारी देनी है कि उनके आगे माइक नहीं है तो आगे या पीछे खड़े होकर माइक पर प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष को यह डिक्टेट करें कि मैं यहीं पर प्रश्न पूछूंगा, इस व्यवस्था को मैं टोलरेट नहीं करूंगा।

मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं और मुझे कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे। यदि आपको कठिन निर्णय पसंद नहीं है तो मुझे अध्यक्ष पद से हटा दें, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं बहुत गम्भीरता से कहना चाहता हूं कि सदन की गरिमा को हम रोज गिराना चाहते हैं, हम सदन की गरिमा को बढ़ाना नहीं चाहते हैं और सदन की गरिमा यदि गिरती है तो संसदीय लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हट जाएगा और विश्वास हट जाएगा तो हम संसदीय लोकतंत्र में जनसमस्याओं का निराकरण कर लोगों का विश्वास नहीं बना सकेंगे। यह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में डिबेट होती है, डिस्कशन होते हैं। मैं कोई पुलिस का थानेदार नहीं हूं, जो किसी को वारंट निकालकर एड्हिअर करूं डिसिप्लीन को। आप ही के नियम और कानून के अन्तर्गत यह सदन चलेगा, तब सदन ठीक

(श्री अध्यक्ष)

ढंग से काम करेगा। इसलिए मैं अपेक्षा करूंगा कि जिस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण सीन आज हुआ है वह दुर्भाग्यपूर्ण सीन भविष्य में नहीं हो और हम सब सदस्य नियम और कानून का पालन करें। नहीं है तो पढ़ें इसको, इस किताब को पढ़ें।

मैं कोई अपनी मनमर्जी से नियम नहीं बना रहा हूं। मैं लिबरल भी हूं और लिबरल भी इसलिए हुआ हूं कि जब इसमें लिखा हुआ है कि कोई प्रश्न एक बार आ जाए तो दुबारा सदन में नहीं आये, तब भी प्रश्न की गम्भीरता के आधार पर 295, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, तब भी करना चाहता हूं। हमने यह निर्णय लिया था। आप सबको मालूम है कि पुलिस की डिमाण्ड में सभी बोलना चाहते थे, पर कोई हमारे बजट के हैड को देखता नहीं है। इसलिए बिजनस एडवायजरी कमेटी में हमने सब-हैड को आइडेंटिफाई किया है। हमने पुलिस की डिमाण्ड भी डिस्कस नहीं करवायी थी। हमने ए.सी.बी. की डिस्कस करायी है। शिक्षा विभाग के अन्दर शिक्षा, कला, संस्कृति में हमने डेलिबरेटली हायर एजुकेशन पर डिबेट करने का काम किया। हमने जनरल एजुकेशन पर डिबेट करने का काम नहीं किया, क्योंकि सदन में, जो अलग-अलग ओवर ए पीरियड आफ टाइम, जो विभाग में सब-हैड बन गये हैं, उस सब-हैड के आधार पर यदि हम चर्चा नहीं करेंगे तो उस सब-हैड की गम्भीरता नहीं होगी। इसलिए हमने सोच समझकर हायर एजुकेशन शिक्षा विभाग में लिया। माननीय गोविन्द जी डोटासरा, शिक्षा मंत्री जी इनके मन में भी आया कि आपने शिक्षा में यह क्या कर दिया। हमारे 52 साल के बाद शिक्षा, कला, संस्कृति के अलग हैड बन गये। शिक्षा अलग हो गया, स्पोर्ट्स अलग हो गया, कला अलग हो गयी, संस्कृति अलग हो गयी। हम शिक्षा, कला, संस्कृति में जब भी डिबेट करते हैं, जनरल डिबेट करते हैं, जिससे स्पेसिफिक उस पर फोकस नहीं जाता। इसलिए हमने इस बार भी यह कठिन निर्णय लिया कि किसी तरह से हम उसको अच्छा कर सकें। इसलिए हमारा प्रयत्न है कि आप सबके सहयोग से हम कैसे इस सदन की गरिमा को बनाएं और यह प्लेटफोर्म ग्रिवेंसेज रिड्रेसल का प्लेटफोर्म हो गया है। यह मैम्बर आफ लेजिस्लेटिव असेम्बली में कानून नहीं बनते हैं। कानूनों की संख्या कम हो गयी है। आजादी के बाद जब बनी, 1952 से उठाकर देखें जितने भी लैण्ड रिफोर्म के लॉज हैं, हिन्दुस्तान में सबसे प्रोग्रेसिव लॉज राजस्थान में बने थे। घंटों डिबेट होती थी कानून बनाने की। आज कानून बनाने के काम बहुत कम होते हैं।

इसलिए इस प्लेटफोर्म में सत्ता पक्ष और विपक्ष सबकी जिम्मेदारी

(श्री अध्यक्ष)

बनती है कि सत्ता पक्ष यदि नीति बनाकर काम कर रहा है, विपक्ष उस पर सजगता रखे और जनता की समस्याओं का निराकरण करने का हम प्रयत्न करेंगे तो लोगों का विश्वास होगा। यह मेरा एफर्ट है, मेरा प्रयत्न है। इसलिए मैं बार-बार कहता हूं कि मैं स्पीकर एक्टिविटी में विश्वास करता हूं। मैं साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं बनता हूं। जब मैं प्रश्न पूछता हूं तो मंत्री जी नाराज होते हैं, पर मेरी ड्यूटी बनती है, क्या मेरा धर्म नहीं बनता कि पी.एच.ई.डी. के अन्दर यदि पैसा इतना जा रहा है, तो हम सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि पैसे का उपयोग हो। यह मैं किसी मंत्री जी का नहीं, कल्ला साहब इतने सीनियर आदमी हैं पर मेरे मन में भी तकलीफ है कि 174 करोड़ की स्कीम 332 करोड़ रुपये हो जाये और अभी भी कम्प्लीट नहीं हो, तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर यह सोचा जाना चाहिए। मैं गम्भीरता से कहना चाहता हूं कि न हम कमेटी में इंपोर्टेंस लेते हैं न हम कमेटी का ध्यान रखते हैं। कमेटी के मैम्बर उसमें प्रभावशाली ढंग से काम नहीं करते हैं। सी.ए.जी. की रिपोर्ट पढ़ें मेहरबानी करके। एक विभाग में ईयर आफ्टर ईयर यदि एक्सेस ग्रान्ट हो रही है तो why you should have B.E? Why you should have R.E. and why you should have A.E.? क्या हमने आज दिन तक किसी ब्यूरोक्रेट को यह बताया कि यह एक्सेस ग्रान्ट लगातार आपके डिपार्टमेंट में क्यों जा रही है। उसका प्रमोशन हो रहा है, वह आगे बढ़ रहा है, लेकिन जनता के पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है। नये सिरे से हम सबको मिलकर इस राजस्थान में हम जनता के पैसे का सदुपयोग करें और सब मिलकर राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करें। इसी का प्लेटफोर्म यह विधान सभा है। इसलिए मुझे कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। मेरे मिलने वाले जो सदस्य हैं उनको भी नाराज करना पड़ता है, पर जो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी में डिसिप्लीन करने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की नहीं है, चीफ व्हिप की है। पार्लियामेंट्री मिनिस्टर की पार्लियामेंट्री डिबेट कैसे चले, उनमें उनकी भूमिका है। अध्यक्ष की भूमिका रैफरी की भूमिका है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सब काम मुझे करने पड़ते हैं। यह मेरे मन में बहुत पीड़ा है।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपको मुझ में अध्यक्ष का विश्वास है, जैसे आप सबने अनअपोज्ड मुझे बनाया तो मुझे यह अनप्लेजेंट ड्यूटी करनी पड़ेगी और आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मुझे यह कहें कि साहब अध्यक्ष पद के लिए हम नया आदमी चुनते हैं। तब भी मुझे खुशी होगी, मेरी किसी से नाराजगी नहीं

(श्री अध्यक्ष)

होगी, पर जब तक मैं अध्यक्ष हूं, मैं अनप्लेजेंट ड्यूटी को परफोर्म करूंगा और मैं आपसे भी अपेक्षा करूंगा कि मेहरबानी करके इस सब काम को करें और मेरा सहयोग करें, तब तो हम इन चीजों को ठीक ढंग से कर सकेंगे। रमेश जी मीना पहली बार मैम्बर नहीं हैं, तीसरी बार मैम्बर हैं। मिनिस्टर रहे हुए हैं। उनको यह मालूम है कि बैठने की व्यवस्था अध्यक्ष नहीं करता है। उन्हें मालूम है कि कोविड के बाद हमने इस तरह की व्यवस्था की। हमारे कुछ साथी वहां बैठे हुए हैं। वह जगह बैठने की है क्या, तो हमने व्यवस्था की कि दो सौ आदमियों को बैठाने के लिए हम कैसे इस व्यवस्था को ठीक कर सकें, इसलिए कोविड का भी ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंस भी मेन्टेन करें, बैठने की व्यवस्था करें। उस समय अनप्लेजेंट हमने, माइक सबको प्रोवाइड नहीं कर पाये। इसकी मंशा यह नहीं थी कि उसको हम बोलने को डिप्राइव करें, लेकिन डिप्राइव करने के नाम पर हम यदि बैठने की व्यवस्था के सम्बन्ध में अध्यक्ष को इंगित करें तो मुझे दुःख है। बैठने की व्यवस्था अध्यक्ष नहीं करता है।

मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं यह गलत इम्प्रेशन दिया जाता है कि अध्यक्ष सिटिंग करने की व्यवस्था करता है। सिटिंग करने का काम पार्टी के व्हिप लिस्ट बनाकर देते हैं कि कौन आदमी कहां बैठेगा, वह लिस्ट अध्यक्ष इम्पोज करता है, अध्यक्ष अपनी मर्जी से किसी को नहीं बैठाता। इसलिए मेहरबानी करके जो व्यवस्था हुई उस व्यवस्था को ठीक ढंग से लागू करने के लिए अपने-अपने सदस्यों को यह बताएं कि इस तरह की व्यवस्था हमने की है, उस व्यवस्था के अन्तर्गत हमें सदन को चलाना है। इसलिए अनप्लेजेंट ड्यूटी किसी की हुई हो, बैठने के सामने माइक नहीं हो, तो मैं उनसे फिर निवेदन करूंगा कि अपने पीछे या अपने आगे के माइक का उपयोग लेकर अपनी बात करें, जिससे सदन में हम ठीक ढंग से व्यवस्था कर सकें। यह मेरा आप सबसे निवेदन है।

दूसरा मेरा जो कमेंट है, हमारे माननीय सदस्य बातचीत करना चाहें, करें। उसके लिए लॉबी है। हमारी माननीय सदस्याएं, जिनकी आवाज मेरे पास डाइरेक्ट आती है, उनसे भी निवेदन है कि चर्चा करनी है तो लॉबी है। यह जगह नहीं है, जिस जगह पर बैठ कर हम चर्चा करें। यहां पर सबकी आवाज आती है। जो भी बात करता है उसकी आवाज यहां पर आती है। मुझे जानकारी है कि कौन-कौन सदस्य क्या बोला, उनका मैं नाम ले सकता हूं। मेरे पास उनकी आवाज आती है और मैं उनकी आवाज भी पहचानता हूं कि कौन आदमी क्या बोल रहा है। मेहरबानी करके इस सदन की गरिमा को बनाने का काम करें। मैं आशा करता हूं कि आप और हम सब मिलकर इस सदन की गरिमा को बनाएंगे और

(श्री अध्यक्ष)

मेरे को अनप्लेजेंट निर्णय करने के कम से कम अवसर देंगे, जिससे कम से कम अध्यक्ष को अनप्लेजेंट ड्यूटी का काम नहीं करना पड़े। मेरे अनप्लेजेंट को आप भी शेयर करिये। जहां अनप्लेजेंट निर्णय आपको लेना है, वह आप लीजिये। वह आप लेते नहीं हो। सिर्फ अध्यक्ष पर डाल देते हैं, वह ठीक नहीं है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप और हम सब मिलकर सदन को नियम और कानून के अन्तर्गत चलाएंगे, जिसकी जो जिम्मेदारी है, चीफ व्हिप की जो जिम्मेदारी है, वह निर्वहन करेगा। अध्यक्ष की वह निर्वहन करेगा और सदस्य की जो अपेक्षा है कि नियम और कानून के अन्तर्गत सदस्य बैठें, अपनी बात करें, उन नियमों का पालन करें, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा विश्वविद्यालय में आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पद होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से आहोर में वृद्ध आश्रम की तथा तालाब की भूमि की पैमाइश नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री बाबु लाल (झाड़ोल), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के उप खण्ड कोटड़ा की ग्राम पंचायत बड़ली के एक मकान में आग लगने से 3 वर्ष की बच्ची के जलकर मृत्यु हो जाने से सरकार द्वारा मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र परिवारों का नाम जोड़ने वाली साइट को पिछले 8-9 महीनों से बंद कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से ब्यावर रोड सुभाष नगर फाटक पर ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य धीमी गति से किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से सिरोही जिला न्यायालय परिसर से 09 मार्च, 2021 को कैदी के फरार होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से तहसील चिखली के राजस्व गांव माली में आदिवासी परिवार की खातेदारी भूमि को सैटलमेंट 2015 में धोखाधड़ी से अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री पुष्पेंद्र सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में महानरेगा योजना मे माह दिसम्बर, 2019 से मार्च, 2021 तक कार्य करने के उपरांत भी ठेकेदारों का भुगतान नहीं किये जाने से विकास कार्य प्रभावित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से राज्य सरकार के मुखिया द्वारा राज्य में कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता न होने का बयान दिये जाने से आम आदमी को भ्रमित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से छबड़ा थर्मल पावर मोतीपुरा में L&T कम्पनी द्वारा जीरो डिस्चार्ज वाटर को शुद्ध कर पीने योग्य नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(12) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से ग्राम सामोद से वीर हनुमान मंदिर तक जयपुर विकास प्राधिकरण से बनाई जाने वाली सड़क की वन विभाग द्वारा एन.ओ.सी. जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री सुभाष पूनिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में दिनांक 09.03.2021 को भयंकर ओलावृष्टि होने से किसानों की फसल बर्बाद हो जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड दरीबा द्वारा वायुमंडल एवं नदी नालों को प्रदूषित किये जाने से स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव के सम्बन्ध में।

(15) श्री नारायण सिंह देवल एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से जालौर जिले में रबी फसल में हुए खराबे का समय पर सर्वे नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री रामलाल शर्मा, श्री सुभाष पूनिया, श्री अर्जुन लाल जीनगर एवं श्री नारायण सिंह देवल को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से प्रदेश के राजस्व रिकार्ड में रावणा राजपूत जाति के लिए प्रयोग किये जाने वाले असम्मानजनक शब्दों को हटाकर रावणा राजपूत दर्ज किये जाने हेतु अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री कन्हैया लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू किये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री मदन प्रजापत, सदस्य की ओर से मरुस्थलीय क्षेत्र के जिलों में जनसंख्या के आधार पर योजनाएं लागू किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री संदीप कुमार, सदस्य की ओर से राजकीय महाविद्यालय, तिजारा में विज्ञान संकाय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में अवैध रूप से संचालित मांस/मछली की दुकानों से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(6) श्री नरेन्द्र नागर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खानपुर में किसानों की फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए वन क्षेत्र के चारों और तार फैंसिंग किये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री कालूराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्यावधि में पूर्ण नहीं कराए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में सैट परीक्षा का आयोजन शुरू कराए जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर शहर में वाहनों के

(श्री अध्यक्ष)

अवैध प्रवेश से बिगड़ी यातायात व्यवस्था से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(10) श्री कान्ति प्रसाद, सदस्य की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थानागाजी में भवन निर्माण की स्वीकृति के साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा में एयरपोर्ट निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा जमीन आबंटित किये जाने में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में जर्जर सड़कों की मरम्मत एवं नई सड़कें बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से पंचायत समिति जवाजा में अधिकारियों-कर्मचारियों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री पानाचंद मेघवाल, सदस्य की ओर से आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में आपरेशन के समय अंगों का फोटो लिये जाने पर रोगी की निजता भंग होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री चेतन सिंह चौधरी, सदस्य की ओर से नागौर जिले में निजी खातेदारी लीज से हो रहे अवैध बजरी खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(16) श्री धर्म नारायण जोशी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली में तालाबों व पहाड़ों की अवैध खुदाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(17) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान डाइट, माउंट आबू को सिरोही जिला मुख्यालय पर स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

(18) श्री आलोक बेनीवाल, सदस्य की ओर से नगरपालिका शाहपुरा में यातायात व्यवस्था सुधारने हेतु बाई पास निकालने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री रामलाल शर्मा। एक मिनट, कटारिया जी को बोलने दो।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

कोरोना संक्रमण के पुन: बढ़ने की आशंका के मद्देनजर विद्यालयों के वार्षिकोत्सवों की निरस्ती

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मैंने कोरोना का जो विस्फोट उदयपुर में हो रहा है, उस दिन विषय रखा था और आपने स्वयं ने भी उसमें यह कहा था कि आगे से सारे के सारे ऐसे फंक्शंस जो विद्यालयों के द्वारा आयोजित होते हैं, वे नहीं होने चाहिये। उसके दूसरे दिन ही 16 बच्चियां कस्तूरबा छात्रावास में तीन अलग-अलग स्कूलों में जाती थीं, वे भी पॉजिटिव हुईं। उसी दिन, जिस दिन हमने और आपने यहां बात की थी 9 तारीख को, उसी दिन आपके डायरेक्टर सौरभ स्वामी ने आदेश निकाला। उस आदेश में उन्होंने जो तारीख पहले थी कि 20-21 तक इनको पूरा करना है, उसकी जगह उन्होंने इस तारीख को बढ़ाकर 31 तारीख तक कर सकते हैं। मैं सोचता हूं कि इस समय मैं पूरा आदेश भी पढ़ सकता हूं लेकिन इसका जो आपरेटिव पार्ट लास्ट वाला है, "अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त समारोह आयोजन के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में दायित्व निर्धारित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जाएगी।" इसका मतलब, उनका यह कहना है कि 20-21 की जगह आप 31 तक करो, पर यह कार्यक्रम करने हैं और उसके कारण से विद्यालय में अगर इस प्रकार के कार्यक्रम हुए तो बच्चों में कोरोना का जो विस्फोट हुआ है, अभी उदयपुर में 45 तो आ गये हैं और कितने होंगे, वह अभी 2-4 दिन बाद पता लगेगा। मैं चाहता हूं कि मंत्री स्वयं उपस्थित हैं, डायरेक्टर को कहो, इस प्रकार का आदेश निकालकर अगर आप पाबंद करोगे तो उन अध्यापकों की ड्यूटी हो जाएगी, वे तो बच्चों को उन फंक्शंस में ले ही जाएंगे। मैं सोचता हूं कि इतनी जिद्द नहीं होनी चाहिये कि बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके इस कार्यक्रम को हम करें। मैं सोचता हूं कि इस पर विचार करना चाहिये और आपका यहां से निर्देश होने के बाद अगर डायरेक्टर इस प्रकार का आदेश निकालकर सारे के सारे विद्यालयों में प्रसारित करे तो मैं सोचता हूं यह उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, संयम लोढ़ा जी, बैठें। रिकार्ड नहीं होगा, संयम लोढ़ा जी, रिकार्ड नहीं होगा, प्लीज ...(व्यवधान) प्लीज बैठें, गलत परम्परा है। संयम लोढ़ा जी, गलत परम्परा नहीं डालें। माननीय मंत्री जी, कुछ बोलना है? माननीय मंत्री जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, पहले तो यहां से डाइरेक्शन देने

(श्री अध्यक्ष)

के बाद यह सर्कुलर निकला तो उस डाइरेक्टर के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने यह विषय उठाया था कि कोरोना की गाइड लाइन भारत सरकार की और राज्य सरकार की है, उसकी पालना सुनिश्चित की जाए। हमने उस पालना को सुनिश्चित करने के लिए भी चिट्ठी निकाली है। यह जो एनुएल फंक्शन हैं, उसमें जो राज्य सरकार और भारत सरकार की कोरोना की गाइड लाइन है, उसकी अक्षरश: पालना की जाए और आपके जो निर्देश थे, वह भी यही थे कि आप इसको दिखवाएं कि निर्देशों की पालना होनी चाहिये। हमने निर्देशों की ...

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, मुझे क्षमा करें। बिलकुल था कि हमें एनुएल फंक्शन रुकवाने चाहिये। यह तो बहुत अजीब स्थिति है। आपके विभाग का खुद का सर्कुलर कहता है कि 20-21 को करना है, अब उसको बढ़ाकर वह 31 तारीख कर रहे हैं तो क्या ग्रेविटी है। हाउस में डिस्कस हो गया, 20-21 को नहीं हुआ तो बंद कर देना चाहिये। 20-21 के बाद 31 तक करने का मतलब, हमारा तो मन बना हुआ ही है कि चाहे कोरोना फैले, चाहे लड़के बीमार हों, तब भी हम नियम का पालन करेंगे। इस तरह का अधिकारी का जो रुख है, वह ठीक नहीं है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो डेट का डिसीजन हुआ था यह पहले मेरी तरफ से निर्देश किये थे, केवल अधिकारी के निर्देश नहीं थे। फिर भी आपके निर्देश हैं, तो उसकी पालना होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, फिर मैं आपको कह रहा हूं, please understand it. पहला सर्कुलर 20-21 को कमप्लीट करने का था। आपकी ही कंसर्न होगी। डायरेक्टर ने लिखकर भेजा, हमने डिस्कस किया, अब सर्कुलर 30-31 को किया है तो क्या ग्रेविटी समझ में नहीं आ रही है क्या? मुझे तकलीफ इस बात की है कि आपका सर्कुलर था कि 20-21 तक सब एनुअल फंक्शन हो जाने चाहिए, नहीं तो उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। यह डायरेक्शन था। इसी के कन्सेंसस में ये फंक्शन हो रहे थे। उसी कन्सेंसस के अन्तर्गत फंक्शन में कोरोना की पालना नहीं हो रही थी। मैं भी एक फंक्शन

(श्री अध्यक्ष)

अटेंड करके आया हूं, कोरोना की कोई पालना नहीं हो रही है। वहां पर छोटे से बच्चों को बैठा दिया जाता है। गांव के लोग आ जाते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होता है, गांव के सारे लोग आकर देखते हैं। वहां पर मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। पर विभाग का मत था, कोरोना में बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, उनको मिले, मैं यहां तक सहमत हूं, लेकिन जब शुरू में कोरोना फैलना हो गया है और यह जानकारी में आ गया है फिर भी हम यह निर्णय करें कि 20-21 नहीं, 31 तक करना है, इसका मतलब हमारा तो यह मन बना हुआ है कि कोरोना हो या नहीं हो, 31 तक करेंगे, यह सोच ठीक नहीं है।

मैं आपकी उस बात का समर्थन करता हूं कि बच्चों की क्रिएटिविटी होने के कारण जो बच्चे कोरोना में स्कूल में नहीं गये, जो घर में कनफाइन्ड हो जाते हैं, उनको निश्चित तौर पर मौका मिलना चाहिए, मैं यहां तक सहमत हूं। जब हमको मालूम पड़ गया है कि सारे देश में कोरोना की बात शुरू हो गयी है, उदयपुर में केस हो चुके हैं, तब तो हमें उसकी गम्भीरता समझनी चाहिए। कोरोना स्टार्ट कैसे हुआ? आज मार्च है, इसी सदन में, एक साल पहले जनवरी में एक केस आया था, होटल में आया था और हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि इस लेवल का कोरोना होगा। आज अगर दुबारा इस तरह की स्थिति बन रही है तो इतनी सारी मेहनत सरकार ने की है, मुख्य मंत्री जी ने की है, चिकित्सा मंत्री जी ने की है, आपने और हमने सबने राय दी है, सबको इन्वाल्व किया है और कोरोना को कंट्रोल किया है। अब वापस फैल जाएगा तो हमारे एफर्ट्स का क्या होगा? इसलिए मैं आज अपेक्षा करता हूं कि इस तरह का रिजिड एटीट्यूट नहीं होना चाहिए। आप मेहरबानी करके उस आर्डर को विदड्रा करवायें और प्रोग्राम को रोकें, यह मैं आपसे अपेक्षा करूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देशों की अक्षरशः पालना होगी। जो आदेश निकाला गया था और जो डेट बढ़ायी गयी थी, मेरे निर्देश पर बढ़ायी गयी थी, इसलिए मैं इसमें हूं और आपके निर्देशों की पालना में इसको स्थगित कर देंगे।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ शिक्षा विभाग के आयोजनों में है या दूसरे आयोजनों में भी है?

श्री अध्यक्ष: यह सरकार को सोचना है। माननीय हरीश जी, हमको कोरोना की गम्भीरता को समझते हुए पब्लिक जहां-जहां आ रही है, जिसको

(श्री अध्यक्ष)

डिस्करेज कर सकें, वह ज्यादा अच्छा है। सरकार मेंडेटरी करे कि फंक्शन करना है, यह डिजायरेबल नहीं है। बात सिम्पल है। आज हम हाउस चला रहे हैं। हाउस में भी हम डिस्टेंस मेंटेन का काम कर रहे हैं। हमको भी हाउस को एडजोर्न कर देना चाहिए। यह भी सोच हो सकती है, लेकिन हम पूरी प्रिकाशन लेने के बाद कर रहे हैं। उसके बाद भी यदि कोई घटना होती है तो निश्चित तौर पर हाउस को एडजोर्न करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन शिक्षा विभाग में जब ये बच्चे आ गये, बड़गांव, जहां पर कल्चरल प्रोग्राम हुआ, ये ब्लाइंड लड़के हैं, उन ब्लाइंड लड़कों को वहां ले जाया गया, उन ब्लाइंड लड़कों की तो कोई गलती नहीं थी। मेंडेटरी था, इसलिए प्रिंसिपल वहां ले गया। मालूम पड़ गया कि उन ब्लाइंड लड़कों को हो गया, उसके चार दिन बाद दूसरे बच्चों को हो गया। इसका मतलब हमारा जो निर्देश है, जिसके अन्दर कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं यह भी वायरस को फैलाने का काम कर रहा है। जब यह जानकारी में आ गया तो हमें करना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि अन्य विभागों में भी यदि इस तरह की बातें हैं तो निश्चित तौर पर मेंडेटरी नहीं करें, डायरेक्शन नहीं दें। जो कोरोना की गाइडलाइन है, उसके अन्तर्गत हो सकता है, उसको निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: रामलाल शर्मा।

सामोद से वीर हनुमान मंदिर तक प्रस्तावित सड़क की वन विभाग द्वारा एन.ओ.सी. जारी नहीं किया जाना

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 2015 के अन्दर सामोद की पहाड़ियों को ईको ट्यूरिज्म के रूप में डवलप करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने 36 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की। उस स्वीकृति के साथ ही एक करोड़ रुपये फोरेस्ट को भी ट्रांसफर करने की सहमति दी गयी, ई. एंड एफ. निकाली गयी कि लैंड डायर्वजन के लिए एक करोड़ रुपये की राशि फोरेस्ट को हैंडआवर की जाए। 2015 से 7.1 किलोमीटर की डी.पी.आर. बनायी गयी कि सामोद के अन्दर पहाड़ियों के ऊपर 7.1 किलोमीटर की सड़क बनायी जाएगी और उस 7.1 किलोमीटर सड़क के लिए साढ़े नौ हैक्टेयर जमीन जो कि वन विभाग की थी, उस वन विभाग की साढ़े नौ हेक्टेयर जमीन का डायवर्जन कराने के लिए सिवाय चक जमीन के जिला कलेक्टर के यहां प्रस्ताव बनाकर भेजे गये। उसी समय जिला कलेक्टर ने साढ़े नौ हैक्टेयर जमीन, जो कि फोरेस्ट की जमीन थी, उस फोरेस्ट की

(श्री रामलाल शर्मा)

जमीन को सिवाय चक के रूप में और सिवाय चक जमीन को फोरेस्ट के रूप में डायवर्जन करने का काम कमप्लीट किया गया। 2015 से लगातार वन विभाग के अन्दर यह पत्रावली लम्बित है। 2015 के बाद चार या पांच बार उन्होंने आब्जेक्शन लगाये और उन आब्जेक्शनों की पूर्ति जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा की गयी। 2015 से लेकर 2017-18 तक चार आब्जेक्शनों को दुरुस्त करने के बावजूद भी अभी तक वन विभाग ने उस डायवर्जन की एन.ओ.सी. नहीं दी है, उसकी वजह से जयपुर विकास प्राधिकरण 36 करोड़ रुपये की राशि व्यय नहीं कर पा रहा। माननीय मंत्री जी यहां विराजमान हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस विषय को गम्भीरता से लें। सरकार ने भी अभी बजट में एक लग्जरी बस चलाने की घोषणा की है। जब आप सड़क ही नहीं बनाएंगे, आप एन.ओ.सी. नहीं देंगे तो लग्जरी बस को चलाने का काम कहां करेंगे? मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि सांभर झील की त्रासदी का पाप सरकार को लगने वाला है। मैं चाहूंगा कि वीर हनुमान जी की इस सड़क की एन.ओ.सी. जारी करके थोड़ा-बहुत पुण्य तो कमा लें। बहुतबहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुभाष पूनिया।

सूरजगढ़ में ओलावृष्टि से फसलों को हुई क्षति से किसानों को राहत

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल शाम को साढ़े पांच बजे हमारे झुंझुनूं जिले के मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में भयंकर ओलावृष्टि हुई, उससे दर्जनों गांव सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के और दर्जनों गांव पिलानी विधान सभा क्षेत्र के, जिनमें किसानों की पकी-पकाई फसल, गेहूं, चने, सरसों की पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। किसान के पास अपनी नष्ट होती फसल को देखने के सिवाय कोई चारा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि आप तुरन्त प्रभाव से गिरदावरी करके किसानों को राहत दिलाने का काम करें और जो किसानों का फसली ऋण था, उसको पूरी तरह से माफ करें। मैं बिजली मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूंगा कि किसानों के जो बिल हैं वे पूरी तरह से माफ किये जाएं। यह भी मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा। 12-13 गांव तो ऐसे हैं, जिनमें आंशिक नहीं, पूरी तरह से नुकसान हुआ है। बीकानेर जिले से आने वाले, नोखा विधान सभा क्षेत्र से मेरे साथी ने भी बताया कि उनके यहां भी दर्जनों गांव इससे प्रभावित हुए हैं। चन्देलिया जी भी मुझे आज कह रहे थे कि इनके विधान सभा क्षेत्र में भी दर्जनों गांव प्रभावित हैं।

श्री अध्यक्ष: सब माननीय सदस्यों के नाम मान लिए, इसमें।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): ठीक, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सभी माननीय सदस्य, जहां-जहां भी इसमें हुआ है, उन सबके नाम भी इसमें सम्मिलित करके सरकार का ध्यान आकर्षित करें। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, दरीबा द्वारा कारित प्रदूषण से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आभार। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, दरीबा रेलमगरा पंचायत समिति के दरीबा गांव और हमारी भोपालसागर पंचायत समिति के गांव अनोपपुरा की सीमा पर स्थित है। सरकार ने इसको जमीन भी आबंटित की है। जमीन के अलावा अवैध कब्जा कर रखा है, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। कारखाना लगा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। इस कारखाने से निकलने वाली एसिड युक्त जहरीली गैस हवा में मिलकर वातावरण को खराब कर रही है, प्रदूषण को फैला रही है। इससे पेड़-पौधे और किसानों की फसल खराब हो रही है। इसके कारण वहां के लोगों के स्वास्थ्य पर भी उलटा प्रभाव पड़ रहा है। जिन किसानों की फसल खराब हो जाती है, उसके लिए कृषि विभाग, एस.डी.ओ. के द्वारा कहा जाता है तो भी उनके मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं है। जिंक कारखाने से निकलने वाली जो जहरीली मिट्टी है, उस मिट्टी के ढेर भी वहां आस-पास पहाड़नुमा लगा दिये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा, आप तो वहां आते-जाते रहते हैं। बड़े-बड़े पहाड़नुमा मिट्टी के ढेर वहां लगे हुए हैं, वह भी हवा के साथ उड़ती है, उससे भी फसलें खराब होती हैं। एसिड युक्त पानी भी वहां से निकलता है और वह पानी भी आस-पास के नदी-नालों के अन्दर और बड़े-बड़े बोरिंग करके वहां पर डाला जाता है। उन बोरिंग में डालने से धरती के गर्भ का पानी भी खराब हो रहा है।

(12.29 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

यह पानी खराब होने के कारण वहां नीचे का जो पानी है, हैंडपम्प हो, चाहे नदी-नाले का हो, चाहे कुएं का हो, चाहे ट्यूबवैल का हो, वह पानी पीने योग्य नहीं रहा है। सभापति महोदय, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अगर उस पानी की गलती से चाय बना ली जाए या दूध में डाल दिया जाए तो वह चाय

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

और दूध फट जाएगा। ऐसी हालत मेरे यहां हो रही है। वहां कभी-कभी चिकित्सकीय जांच भी होती है। चिकित्सक आते हैं, लोगों के स्वास्थ्य की जांच करते हैं। उस जांच में पाया जाता है कि ब्लड के अन्दर लेड अधिक हो गया है। सभापति महोदय, शरीर के अन्दर लेड की नार्मल मात्रा 150 होनी चाहिए, जो डाक्टर बताते हैं। लोकेश कुमार की जांच में 668, माधवलाल गुर्जर की जांच में 427, लादूलाल गाडरी की जांच में 509, नाथूसिंह की जांच में 634 आयी है। कुल मिलाकर मेरे पास सारी रिपोर्ट्स हैं। इस प्रकार से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। फेफड़े खराब हो रहे हैं।

लेड जिंक में काम करने वाले लोगों की तो हालत बड़ी खराब है, साथ ही बाहर रहने वाले लोगों का भी जीवन खराब हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस जिंक से निकलने वाली जहरीली गैस और जहरीला जो पानी हो रहा है, इसकी रोकथाम के लिए कोई न कोई कार्यवाही की जाए। एक आग्रह और करूंगा कि जहरीली गैस, जहरीला धुंआ, इतना जहर हम खाते हैं, इतना जहर हम पीते हैं और वहां के लोगों को रोजगार भी नहीं देते हैं। रोजगार तो करेंगे बाहर वाले और हमारे लोग इस जहर को खाने के लिए तैयार हैं। मेरी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि हिन्दुस्तान जिंक को पाबंद किया जाए कि वह एसिडयुक्त जहरीली गैस और जहरीला पानी इस क्षेत्र के अन्दर नहीं छोड़े और उसको कंट्रोल करने का काम करे। पर्यावरण मंत्री जी, वन विभाग के मंत्री जी हैं, वे चाहें तो इस पर रोकथाम कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय श्री नारायण सिंह देवल।

जालौर में क्षतिग्रस्त रबी की फसल

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में सबसे ज्यादा जीरा और ईसबग़ोल की खेती जालौर जिले के अन्दर होती है। जालौर जिले के रानीवाड़ा, चितलवाना, भीनमाल, सांचौर, जसवंतपुरा, जालौर, बागौड़ा और आहोर में इसकी खेती सबसे ज्यादा होती है। जीरा, ईसबगोल, सरसों और गेहूं फसल जालौर ज़िले के किसानों की आय का मुख्य जरिया है। अब की बार रबी की फसल पूरे जिले में 3 लाख हैक्टेयर में जीरा, 2 लाख 80 हजार हैक्टेयर में ईसबगोल और एक लाख 80 हजार हैक्टेयर में रायड़ा और एक लाख हैक्टेयर में गेहूं की फसल को बोया गया। परन्तु अब की बार मार्च में ही हमारे यहां चरमा रोग के कारण, धौलिया हो जाने के कारण जीरा और ईसबगोल की फसल जलकर नष्ट हो गयी है। जीरे

(श्री नारायण सिंह देवल)

की फसल में करीब 50 से 70 परसेंट का नुकसान हुआ है। किसान फसल खराबे के सर्वे के लिए जगह-जगह ज्ञापन देकर मांग भी कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल के कारण यह सर्वे नहीं हो रहा है। समय पर सर्वे और फसल कटाई प्रयोग नहीं होने के कारण बीमा कम्पनी मुआवजा देने के लिए आनाकानी करेगी। किसानों को फसल बीमा क्लैम का लाभ नहीं मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, कई किसानों ने तो फसल का बीमा भी नहीं कराया है। मैं आपके माध्यम से सदन में मांग करता हूं कि जो यह फसल खराब हुई है, उसका फसली ऋण और बिजली के बिल माफ करें। ऐसी स्थिति में गरीब किसान मौसम की मार की वजह से आर्थिक परेशानियों से घिर गया है। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री से निवेदन करूंगा कि आप मुख्य मंत्री जी से बात कर इन पटवारियों की हड़ताल को समाप्त करें। हमारे राजस्व मंत्री जी के जिले में भी जीरा और ईसबगोल की फसल काफी मात्रा में होती है। बाड़मेर में भी यह नुकसान हुआ है। मेरा आपसे आग्रह है कि इसकी गम्भीरता को देखते हुए तुरन्त प्रभाव से फसलों की गिरदावरी कराई जाए और किसानों को फौरी तौर पर राहत देने के लिए आपदा राहत कोष से मुआवजा दिलाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। माननीय श्री बिहारीलाल। माननीय श्री कन्हैया लाल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

राजस्व रिकार्ड में रावणा राजपूत जाति के लिए प्रयोग किये जाने वाले असम्मानजनक शब्दों को हटाने सम्बन्धी अधिसूचना

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, मैं बोल रहा हूं।

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचना, निवेदन है कि प्रदेश में रियासतकालीन समय से रावणा राजपूत समाज को दरोगा, हजूरी, वजीर जैसे शब्दों से सम्बोधित किया जाता रहा है और राजस्थान की अन्य पिछड़ा वर्ग सूची 11 में भी इस समाज के लिए दरोगा, हजूरी एवं वजीर जैसे शब्द राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं जबकि रावणा राजपूत जाति सदियों से एक मेहनतकश, खेतिहर एवं कुशल दस्तकार जाति रही है। चूंकि उक्त सभी शब्द सामन्तवादी विचारों वाले वर्ग से ओतप्रोत एवं वर्तमान आधुनिक समय में इस सभ्य समाज

(श्री बिहारीलाल)

को आहत करने वाले शब्द हैं, जिसके लिए गत कुछ वर्षों से रावणा राजपूत समाज के लोगों द्वारा इस सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड के शुद्धिकरण की मांग भी की जाती रही है।

अत: श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रदेश के राजस्व रिकॉर्ड में रावणा राजपूत जाति के लिए उपयोग में लिए जाने वाले दरोगा, हजूरी एवं वजीर जैसे शब्दों को हटाकर केवल रावणा राजपूत शब्द ही प्रयुक्त किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन गजट नोटिफिकेशन में जारी कराने की कृपा करें, ताकि उक्त सभ्य समाज के विकास को समुचित गति मिल सके। अत: उपरोक्त लोक महत्व के विषय को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री महोदय जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री कन्हैया लाल।

मालपुरा में 108 एम्बुलेंस सेवा

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत प्रदेश एवं मेरे क्षेत्र में एम्बुलेंस (108) की उपलब्धता एवं संचालन के सम्बन्ध में सूचना। महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा निरोगी राजस्थान की अवधारणा को साकार करने के लिए प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने और सर्वजन को अच्छी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए गत और वर्तमान बजट में कई लोक लुभावनी घोषणाएं तो कर दीं, परन्तु उनके सफल क्रियान्वयन में हर बार सरकार को मुंह की खानी पड़ी है।

राज्य सरकार ने प्रदेश के हर नागरिक को समय पर आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रदेश में एम्बुलेंस (108) के संचालन हेतु GVKEMRI नाम की कम्पनी के साथ अनुबंध किया है। उपरोक्त कम्पनी पिछले लगभग 8-10 महीनों से एम्बुलेंस (108) वाहनों, नर्सिंग एवं अन्य स्टाफ का फर्जी भुगतान उठा रही है। प्रदेश में उक्त कम्पनी के अधीन लगभग 70 ऐसी एम्बुलेंस (108) संचालित हैं जिनमें नर्सिंग स्टाफ नहीं है। नर्सिंग स्टाफ के अभाव में मरीजों को दी जाने वाली आपातकालीन चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता होने के बावजूद भी नहीं मिल पा रही है।

मेरे क्षेत्र के उप खण्ड मालपुरा में करीब 2 साल से एक भी एम्बुलेंस (108) संचालित नहीं की जा रही है तथा उप खण्ड टोडारायसिंह में मात्र एक

(श्री कन्हैया लाल)

ही एम्बुलेंस (108) वाहन संचालित है, जिसमें भी समय पर मेंटिनेंस नहीं किये जाने से बार-बार धक्के लगाने पड़ते हैं। क्या सरकार ने मालपुरा व टोडारायसिंह की आम जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है? क्या आपातकालीन चिकित्सा सुविधा प्राप्त करना उनका अधिकार नहीं है, जबकि मेरे क्षेत्र के उप खण्ड मालपुरा व टोडारायसिंह में विस्तृत नगरपालिका क्षेत्र एवं काफी बड़े ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ दो स्टेट हाईवे एस.एच. 37-ए (दूदू-छाण वाया मालपुरा) एवं एस.एच. 12 (जयपुर-भीलवाड़ा वाया मालपुरा) गुजरते हैं। इन पर आये दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है, जिनमें त्वरित आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और प्राथमिक उपचार नहीं मिलने के कारण घायलों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है।

अत: माननीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रदेश में संचालित एम्बुलेंसों (108) पर नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति करवा कर मेरे क्षेत्र के मालपुरा व टोडारायसिंह उप खण्ड में नवीन एम्बुलेंस (108) संचालित करवाने की कृपा करें।

श्री सभापति: माननीय श्री मदन प्रजापत।

मरुस्थलीय जिलों में क्षेत्रफल के आधार पर योजनाओं का क्रियान्वयन

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि 30 मार्च, 1949 को प्रदेश का गठन हुआ और 31 मार्च, 1952 को प्रथम विधान सभा का गठन हुआ। इसके बाद कमोबेश सभी सरकारों ने प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य किया। हमारा प्रदेश देश के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा प्रदेश है। आज तक केन्द्र एवं राज्य सरकार ने सभी योजनाओं को लागू करने में जनसंख्या को आधार रखा है, जो तार्किक नहीं है। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर एवं बाड़मेर क्षेत्रफल में बहुत बड़े जिले हैं। इनका विकास मरुस्थलीय व विकट भौगोलिक विषमता, सीमावर्ती क्षेत्र, शिक्षा में पिछड़ा होने से प्राकृतिक असमानता के साथ ही सरकारों ने क्षेत्रफल को ध्यान में रखकर योजनाओं को लागू नहीं किया। इससे क्षेत्रफल में छोटे एवं विकसित जिले धौलपुर, जयपुर, दौसा, डूंगरपुर, करौली, सिरोही आदि की तुलना में आधारभूत आवश्यकताएं, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली और मुख्यत: सड़कों का आधारभूत ढांचा एवं संसाधन यहां नहीं

(श्री मदन प्रजापत)

बन पाए व नागरिकों का जीवन स्तर 72-73 साल बीतने पर भी नहीं सुधर पाया। इस क्षेत्र के निवासियों पर प्रकृति ने दया दृष्टि नहीं रखी तो कोई बात नहीं, परन्तु राज ने भी हमें अनदेखा किया। जिस प्रकार केन्द्र की सरकार ने राजस्थान के विकास हेतु योजनाओं में पैसा देने हेतु क्षेत्रफल एवं विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर विकास में अवसर देने हेतु मापदंडों में शिथिलता प्रदान नहीं की, ठीक उसी प्रकार राज्य सरकारों ने भी इन मरुस्थलीय क्षेत्रों के जिलों के साथ व्यवहार किया है। धौलपुर, जैसलमेर, करौली, बाड़मेर, जयपुर, बीकानेर में तुलनात्मक सड़कों हेतु समान राशि देना, विधायकों के क्षेत्रों में समान विद्यालय, चिकित्सालय, पशु केन्द्र आदि खोलना कहां तक तार्किक एवं न्यायसंगत है?

मेरा राज्य सरकार से विनम्र आग्रह है कि संविधान की मूल भावना के अनुसार प्रगति के समान अवसर प्रदान करने हेतु अब मरुस्थलीय क्षेत्र के जिलों के निवासियों के विकास एवं जीवन स्तर को सुधारने हेतु विशेषकर आधारभूत सुविधाएं, जैसे पानी, शिक्षा, चिकित्सा, पशु, पानी एवं बिजली के साथ ही सड़क वाले विभागों में बजट आबंटन के समय क्षेत्रफल और व्यावहारिकता को मद्देनजर रखते हुए निर्धारित मानदंडों में शिथिलता प्रदान करने की आवश्यकता है। अत: बजट आबंटन करने के दिशा-निर्देशों में आवश्यक संशोधन एवं शिथिलन प्रदान कर बरसों से पिछड़े इन जिलों के निवासियों को न्याय प्रदान कराएं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय श्री संदीप कुमार।

तिजारा के राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय की स्थापना

श्री संदीप कुमार (तिजारा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र तिजारा में ग्रामीण मेवात क्षेत्र पड़ता है। शिक्षा का कम स्तर रहा है। मेरा निवेदन है कि तिजारा में राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय की आवश्यकता है। अभी तक सिर्फ कला संकाय ही संचालित है। तिजारा से अलवर की दूरी भी लगभग 50 किमी. है जहां ग्रामीण क्षेत्र के लोग, छात्राओं को दूर भेजना उचित नहीं समझते हैं।

मेरा उच्च शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि तिजारा कालेज में विज्ञान संकाय खोला जाए। साथ ही स्नातकोत्तर में एक मात्र राजनीतिक विज्ञान

(श्री संदीप कुमार)

विषय ही है। वहां पर अन्य विषय के संकायों को भी प्रारम्भ किया जाए। साथ ही महाविद्यालय में शिक्षकों का भी अभाव है, जिन्हें तुरन्त भरा जाए, जिससे कि कक्षाएं सुचारु रूप से चल सकें। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री अशोक लाहोटी।

सांगानेर में अवैध रूप से संचालित मांस/मछली की दुकानें

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में मालपुरा गेट, डिग्गी रोड, सुभाष कालोनी, मोक्षधाम के सामने शिकारपुरा रोड, सैक्टर-35, हाउसिंग बोर्ड, प्रताप नगर, रामपुरा रोड व त्रिवेणी नगर पुलिया के नीचे गोपालपुरा बाईपास पर सैकड़ों की तादाद में अवैध मांस-मछली की दुकानों का संचालन हो रहा है। इन दुकानों में अवैध रूप से पशु-पक्षियों सहित अन्य जानवरों की कटाई-छंटाई मौक़े पर की जा रही है, जो कि पूर्णतया प्रतिबंधित है। इन अवैध दुकानों को लेकर स्थानीय निवासियों के द्वारा स्थानीय प्रशासन व नगर निगम में कई बार ज्ञापन व शिकायतें करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं होने से दुकान संचालकों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और शिकायतकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। दुकान संचालकों के द्वारा जानवरों के कचरे-मलबे को सड़क सहित आस-पास के क्षेत्रों में फेंक दिया जाता है जिसके कारण स्थानीय निवासियों को आने-जाने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है एवं असामाजिक तत्वों के द्वारा धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाता है। अवैध मांस-मछली की दुकानों से आमजन का जीना दूभर हो गया है, जिससे आस-पास के लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं।

अत: स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन अवैध मांस-मछली की दुकानों को बंद कराएं व मांस की अवैध बिक्री पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगवाई जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री नरेन्द्र नागर।

खानपुर में फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए वन क्षेत्र में तारबंदी

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत

(श्री नरेन्द्र नागर)

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खानपुर में परवन वृहद सिंचाई परियोजना क्षेत्र में वन विभाग की भूमि डूब में आने की वजह से वन विभाग को खानपुर तहसील में आने वाली लगभग सभी गांवों की चरागाह भूमि के बदले में दिया गया। पूर्व में भी खानपुर, बकानी/झालरापाटन वन क्षेत्र के पास आने वाले किसानों की फ़सलों को जंगली जानवरों से बहुत नुकसान होता रहा है। अभी पूरे खानपुर तहसील में वन विभाग द्वारा जो भूमि डूब क्षेत्र की भूमि के बदले मिली है, उस पर विभाग द्वारा वन को विकसित किया जा रहा है जिसकी वजह से वन क्षेत्र में जंगली सूअर, नीलगाय, हिरण की संख्या बहुत ही तादाद में बढ़ चुकी है। इस वजह से किसानों को अपनी फसल बचा पाना मुश्किल हो गया है और किसानों की रातों की नींद खराब हो चुकी है। चूंकि कृषि विभाग द्वारा फ़सलों की सुरक्षा के लिए तार फैंसिंग हेतु जो बजट दिया जाता है, वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान होता है, जिससे वन क्षेत्र के आने वाले किसान अपनी फ़सलों की सुरक्षा के लिए तार फैंसिंग नहीं करवा पाते हैं।

अत: मेरा आपसे निवेदन है कि वन क्षेत्र में चारों तरफ तारों की तार फैंसिंग की जाए, ताकि जंगली जानवर बाहर नहीं आ सकें एवं किसानों को जंगली जानवरों से फसल बचाने में राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री कालूराम।

डग में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत सड़कों का निर्माण

श्री कालूराम (डग): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र डग में 2018-19 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो कार्य स्वीकृत हुए थे, उनकी कार्यावधि पूर्ण हो जाने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं हुए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारी पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी द्वारा जो कार्य स्वीकृत हुए थे, उनमें से कुछ कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं, कुछ के टेंडर भी नहीं लगे हैं। अधूरे पड़े कार्य, बजट के अभाव में ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया, जो निम्न प्रकार है:-

1. सुसनेर से सुवासरा सड़क 29 किमी. (अनुमानित लागत 32 करोड़) 2019-20 में पूर्ण होना था, परन्तु अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

श्री सभापति: लिखा हुआ ही पढ़ें।

श्री कालूराम (डग): हां।

2. रेलवे ROB चौमहला 2018-19 में स्वीकृत थी, जिसका कार्य 2019-20 में पूर्ण होना था, अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है।
3. उच्च स्तरीय पुल सरवर 2018-19 में स्वीकृत थी (अनुमानित लागत 20 करोड़) जिसका कार्य 2019-20 में पूर्ण होना था, पर अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है।

2018-19 में जिन कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी हो गयी थी, परन्तु टेंडर अभी तक जारी नहीं हो पाए हैं, उनकी सूची निम्न है:-

1. कुण्डी खेड़ा से सेमली जस्सा सड़क-लागत 166 लाख।
2. नल खेडी से मोगरा-लागत 251 लाख।
3. भवानी मंडी बाईपास से गुराडिया जोगा तक-लागत 414 लाख।
4. उन्हेल कस्बे में सी.सी. सड़क-लागत 160 लाख।

अत: मेरा आपसे निवेदन है कि उपरोक्त कार्यों को बजट आबंटन व टेंडर जारी कर कार्य पूर्ण करवाने की कृपा करें, जिससे आमजन को राहत मिल सके और उनका आवागमन सुलभ हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी।

सैट परीक्षा का पुन: आयोजन

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए पहले सैट (SET) परीक्षा का आयोजन किया जाता था, परन्तु पिछले कुछ वर्षों से इस सैट परीक्षा को बंद कर दिया गया है। अंतिम बार सैट परीक्षा का आयोजन 2013 में किया गया था। चूंकि सैट भर्ती परीक्षा में सहायक आचार्य भर्ती की योग्यता शामिल है, इसलिए सहायक आचार्य परीक्षा से पहले सैट परीक्षा का आयोजन किया जाना आवश्यक है। सैट परीक्षा देश के हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना व अन्य राज्यों में सहायक आचार्य परीक्षा से पहले आयोजित करवाई जाती है।

अत: मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान में सैट परीक्षा का आयोजन पुन: शुरू करवाकर सहायक आचार्य बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों को राहत प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर में वाहनों के अवैध प्रवेश से बिगड़ती यातायात व्यवस्था

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत अजमेर शहर में वाहनों के अवैध प्रवेश से बिगड़ी यातायात व्यवस्था व उससे आमजन को होने वाली असुविधाओं के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख।

महोदय, अजमेर शहर में प्राइवेट बसों व बजरी के डम्पर, ट्रैक्टर-ट्रोलियों के अवैध रूप से दिन के समय प्रवेश करने से यातायात व्यवस्था के बिगड़ने के साथ ही गम्भीर दुर्घटनाएं भी घटित हो रही हैं, जिससे आमजन को बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

परिवहन विभाग व यातायात पुलिस की ढिलाई के चलते प्राइवेट बसें निर्धारित स्टैण्ड पर रुकने के बजाय शहर में विभिन्न स्थानों पर मुख्य मार्गों पर खड़ी रहती हैं। रोडवेज़ बस स्टैण्ड के समीप आर.पी.एस.सी. के पुराने भवन के बाहर, आजाद पार्क, सावित्री स्कूल चौराहा, जवाहर रंगमंच, आनासागर चौपाटी, शास्त्री नगर चुंगी चौकी सहित कई स्थानों पर बसें अनधिकृत रूप से खड़ी रहती हैं तथा वहीं से सवारियों को बैठाती व उतारती हैं, जबकि पुष्कर रोड स्थित नौसर में इनके लिए निर्धारित बस स्टैण्ड निर्मित है।

इनके अतिरिक्त बजरी, पत्थर, ईंटें आदि निर्माण सामग्री लेकर डम्पर, ट्रैक्टर आदि भी दिन के समय में शहर में प्रवेश कर आवासीय क्षेत्रों में बेरोकटोक पहुंच रहे हैं। डम्परों व ट्रैक्टर के अवैध व अनियंत्रित प्रवेश के कारण कई दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिनमें जनहानि तक हुई है।

पूर्व में भी यह विषय विधान सभा व अन्य स्तरों पर भी उठाया गया, परन्तु अजमेर की यातायात पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा कुछ वाहनों के चालान काटकर खानापूर्ति कर दी जाती है, जबकि प्राइवेट बसों, डम्परों, ट्रैक्टर-टोलियों का शहर में अवैध प्रवेश लगातार जारी है।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि अजमेर शहर की यातायात व्यवस्था के सुधार व दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए शहर में अवैध रूप से प्रवेश करने वाली निजी बसों, डम्परों व ट्रैक्टर-टोलियों पर स्थाई रोक लगाने के लिए प्रभावी व सख्त कार्यवाही कराकर अनुग्रहीत कराएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री कान्ति प्रसाद।

थानागाजी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों व स्टाफ सहित अन्य सुविधाओं की स्वीकृति

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत सरकार से आग्रह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र एवं आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 80 से 90 हजार आबादी के लिए एक मात्र सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थानागाजी है। यहां प्रतिदिन औसतन 600 से अधिक की ओ.पी.डी. है और औसतन यहां 100 से 125 मासिक डिलीवरी केस हैं, किन्तु महिला चिकित्सक नहीं होने की वजह से उनको अन्यत्र भेजना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले बुजुर्ग, बालक एवं महिला रोगियों के बैठने, भर्ती कर इलाज करने हेतु मेडिकल स्टाफ एवं चिकित्सकों के लिए पर्याप्त भवन की सुविधा नहीं होने से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, थानागाजी में आपरेशन थियेटर, ब्लड बैंक, सोनोग्राफी आदि आवश्यक मशीनरी उपलब्ध नहीं है। महोदय, संस्थान पर फार्मासिस्ट, एल.एच.वी. तथा ए.एन.एम. के पद स्वीकृत नहीं हैं। विभिन्न बीमारियों से ग्रसित रोगियों के स्थानीय इलाज हेतु आर्थोपैडिक, ई.एन.टी. एवं नेत्र रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद स्वीकृत नहीं होने की वजह से सम्बन्धित रोगियों को तथा विशेषकर आकस्मिक दुर्घटनाग्रस्त होने वाले लोगों को गम्भीर हालात में जयपुर या अलवर रैफर करने को बाध्य होना पड़ रहा है।

महोदय, संस्था पर सर्जन, निश्चेतन, गायनी का पद स्वीकृत है, किन्तु इन पर राज्य सरकार ने पदस्थापन नहीं कर रखा है, जिसकी वजह से आमजन को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

महोदय, हाल ही माह दिसम्बर, 2020 में राज्य सरकार द्वारा सी.एच.सी., थानागाजी को एम्बुलेंस दी गयी थी, किन्तु पूर्व में सृजित एम्बुलेंस चालक पद को विलोपित कर दिया गया है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस का लाभ आमजन को नहीं मिल पा रहा है।

महोदय, उपरोक्त संस्था पर तीन दवा वितरण केन्द्र स्वीकृत हैं, लेकिन इनके लिए सिर्फ एक पद स्वीकृत है, जिसकी वजह से दवा वितरण केन्द्र का कार्य भी प्रभावित है।

अत: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़ी गम्भीर समस्याओं के समाधान हेतु मेरा सरकार से आग्रह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, थानागाजी में आवश्यकतानुसार भवन निर्माण की स्वीकृति, आर्थोपैडिक, ई.एन.टी. एवं नेत्र

(श्री कान्ति प्रसाद)

रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदों की स्वीकृति, 6 ए.एन.एम., एक एल.एच.वी. के पद एवं अन्य सुविधाओं के साथ मेडिकल व पैरा मेडिकल स्टाफ के चाहे गये पद स्वीकृत करवाकर आमजन को सस्ती एवं सुलभ नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री संदीप शर्मा।

कोटा में एयरपोर्ट निर्माण हेतु जमीन आबंटन में विलम्ब

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख कर सरकार का ध्यान आकर्षित कर ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, शून्य काल में एक भी मंत्री लिख रहा हो तो बता दें। एक मंत्री, सिवाय इन्होंने, जिस प्रकार आपस में गप्पे मारने के अलावा कोई काम कर रहे ...(व्यवधान) क्यों बिना मतलब हमारा समय जाया हो।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): मैं लिख रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया, कृपया मेरा आग्रह है, मेरा आग्रह है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आसन से व्यवस्था के बाद भी अगर इस तरह की व्यवस्था रहेगी तो कैसे काम चलेगा।

श्री सभापति: मेरा आग्रह है, माननीय मंत्री ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप उधर आफिसर्स गैलेरी में देख लो, एक आदमी लिख रहा हो, किस माननीय सदस्य ने क्या कहा, क्या मुद्दा उठाया। शून्य काल के अन्दर अगर यह स्थिति बनी रहेगी, मंत्रियों ने तो इस पूरे मामले को देख लिया, इनसे बातें, शायद आपके घरों में जगह नहीं होगी।

श्री सभापति: माननीय, मैं निर्देशित कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यहां गप्पे मार रहे हैं जब से। कुछ तो गम्भीरता रहे न। या तो हम चले जाएं उठकर, सभापति महोदय।

श्री सभापति: नहीं, नहीं। ऐसा नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कुछ तो गम्भीरता रखें न, इनको कहो।

श्री सभापति: मेरा सभी माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सभापति महोदय, इसमें न्यूज बनाने के लिए बेवजह माहौल गरम करना राठौड़ साहब की आदत है। (व्यवधान) आराम से चल रही है, दिक्कत कहां है, कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आराम ही है, पर थोड़ी-सी ...(व्यवधान)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान) 295 बहुत महत्वपूर्ण ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): आप इधर देखो, संख्या देखो आप। सारे मंत्री बैठे हैं, कोई मंत्री यहां अनुपस्थित नहीं है, सारे मंत्री हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय, माननीय। मेरा आग्रह है सभी मंत्री महोदय से कि गम्भीरता के साथ, जो भी डिस्कशन हो रहा है हाउस में, उस पर गौर फरमाएं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, विपक्ष को गम्भीर होना चाहिए। विपक्ष गम्भीर नहीं है। मैंने यह देखा, विपक्ष आता ही नहीं है। देखो आप। विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष को राजस्थान की चिंता ही नहीं है।

श्री सभापति: ये गम्भीर रहेंगे। (व्यवधान) विपक्ष गम्भीर रहेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): लॉबी क्लीयर कराओ, सभापति महोदय। ये आरोप लगा रहे हैं, पता लग जाये। लॉबी क्लीयर कराओ। सत्तापक्ष के कितने हैं, यह पता लग जाएगा। कराओ, लॉबी क्लीयर। (व्यवधान)

श्री सभापति: विपक्ष गम्भीर है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): बैठे रहेंगे। चिल्लाने से, आप मुझे यह बताइये, सभापति महोदय, सबको खड़ा करके हंगामा करना ...(व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): सदस्य अपनी बात रख रहा है, ये उसको बीच में टोककर बोलने नहीं दे रहे। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): खड़े होकर लगातार बोलना, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: हाउस को आर्डर में लेकर आइये, प्लीज। माननीय मंत्री महोदय, प्लीज, मंत्री महोदय, प्लीज। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आगमन)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): इस तरह से सदन चलाना चाहते हैं। बार-बार ...(व्यवधान) आ जाते हैं, यह देखिये आप। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मेरा आग्रह है आपसे, मेरा आग्रह है आपसे। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हमारे पर ही आरोप लगा रहे हैं।

श्री सभापति: आप तो अनेकों बार मंत्री रहे हैं ...(व्यवधान) डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन, मेरा आग्रह है कि सब डिसिप्लीन में रहें। सब डिसीप्लीन में रहेंगे। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सदन के अन्दर मंत्री, सदन के प्रति मंत्री गम्भीर नहीं, आरोप हमारे पर लगा रहे हो आप। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सब डिसिप्लीन में रहेंगे। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): वापस लीजिये अपने आरोप को। ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): मेरी आदत नहीं है +++ बोलने की।

श्री सभापति: माननीय, माननीय, मेरा आग्रह है आप सब वैल से निकलें। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सभापति महोदय, मैं +++ नहीं बोल रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं जो हो रहा है यहां पर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इसका मतलब मैं असत्य बोल रहा हूं। (व्यवधान) मैं +++ बोल रहा हूं? मैं और +++ ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): हां, हां। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं और +++। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया इस शब्द को निकाल लीजिये।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सबसे ज्यादा +++ राठौड़ साहब बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: कार्यवाही से निकाल दीजिये इस शब्द को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): विलोम, किस बात का विलोम। (व्यवधान)

श्री सभापति: मेरा आग्रह है आपसे, हाउस को आर्डर में चलने दें, प्लीज। हाउस को आर्डर में चलने दें। प्लीज, आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं। प्लीज, प्लीज। संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295, विशेष उल्लेख के तहत सरकार का ध्यान आकर्षित कर यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा में केन्द्र सरकार के सहयोग से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण होना प्रस्तावित है। एयरपोर्ट अथोरिटी, कोटा में भविष्य की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए ही एयरपोर्ट का निर्माण करवाना चाहती थी। शम्भूपुरा, जहां यह एयरपोर्ट प्रस्तावित है, वह कोटा और बूंदी जिले से लगा हुआ है तथा रावतभाटा भी यहां से केवल 36 किलोमीटर की दूरी पर है। कोटा एक औद्योगिक और शैक्षणिक नगरी है, इसलिए भविष्य में यात्रियों की बढ़ती संख्या और सुविधाओं के लिए केन्द्र सरकार ने नये एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार से 876 हैक्टेयर भूमि आवंटन करने की मांग की थी लेकिन सरकार ने इसे नजरअंदाज करते हुए केवल 500 हैक्टेयर भूमि आबंटन करने पर ही सहमति जताई। लेकिन अभी तक यह 500 हैक्टेयर भूमि भी राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथोरिटी को हस्तांतरित नहीं की है। केन्द्र सरकार कई बार राज्य सरकार को पत्र भेजकर एयरपोर्ट के लिए भूमि उपलब्ध करवाने की मांग कर चुकी है लेकिन राज्य सरकार भूमि आबंटन के कार्य को अटकाए हुए है। एयरपोर्ट के बन जाने के बाद कोटा शहर विकास की ओर अग्रसर होगा। आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि राज्य सरकार कोटा शहर में नये एयरपोर्ट के लिए जल्द से जल्द भूमि आबंटन करके एयरपोर्ट अथोरिटी को हस्तांतरित करे तथा एयरपोर्ट निर्माण के लिए राज्य सरकार के स्तर पर भी हर सम्भव सहयोग मिले। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (अनुपस्थित)।

माननीय श्री शंकर सिंह रावत।

जवाजा पंचायत समिति में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि पंचायत समिति जवाजा, जिला अजमेर में काफी समय से अधिकारियों/

(श्री शंकर सिंह रावत)

कर्मचारियों के पद रिक्त चल रहे हैं, जिसके कारण सरकारी योजनाओं सहित आम जनता के व्यक्तिगत कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। पंचायत समिति कार्यालय में सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता व जे.टी.ओ. सहित ग्राम विकास अधिकारियों के पद रिक्त चलने के कारण ग्राम पंचायतों में भी विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं तथा पंचायत समिति जवाजा विकास के मामले में अजमेर जिले में पिछड़ती जा रही है। आम जनता को अपने कार्य करवाने के लिए पंचायत समिति कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिसके कारण आम जनता को आर्थिक और मानसिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत पुनर्गठन के दौरान पंचायत समिति जवाजा में 10 ग्राम पंचायतों के नवीन गठन से 46 ग्राम पंचायतें हो गयी हैं, जिसके कारण एक ग्राम विकास अधिकारी के पास तीन-तीन ग्राम पंचायतों का कार्यभार दिया गया है।

अत: माननीय सभापति महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि पंचायत समिति जवाजा में काफी समय से रिक्त चल रहे विभिन्न संवर्ग के पदों पर शीघ्र कर्मचारी/अधिकारी लगाने की कृपा कराएं, ताकि आम जनता को हो रही परेशानियों से निजात मिल सके।

श्री सभापति: श्री पानाचन्द मेघवाल।

आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत भर्ती मरीजों के निजी अंगों की फोटोग्राफी की बाध्यता की समाप्ति

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू.): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 में विशेष उल्लेख के तहत सरकार का ध्यान आकर्षित कर यह निवेदन करना चाहूंगा कि जनवरी, 2021 से राजस्थान में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना आरम्भ हो गयी है। यह योजना आम आदमी के लिए बीमा कम्पनी के द्वारा संचालित हो रही है। बीमा कम्पनी द्वारा अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दस्तावेजों का मापदण्ड निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत आपरेशन से पूर्व, आपरेशन के दौरान और आपरेशन के पश्चात् मरीज के उस अंग का फोटो लिया जाता है, जिस अंग का आपरेशन होता है। महिला और पुरुषों के किसी भी अंग का ऑपरेशन होने पर फोटो खींचा जाना आवश्यक है। इससे रोगियों की निजता भंग होती है तथा महिला रोगी अवसाद में आ जाती है। इस नियम

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

के प्रावधान से अस्पताल में रोगियों और अस्पताल प्रबंधन के बीच झगड़े की नौबत आ जाती है। महिला और पुरुषों के अंगों की फोटो, खासकर गुप्त अंगों की फोटो बिना उसकी अनुमति के खींचा जाना न्याय संगत नहीं है। सरकार ने यह योजना आम आदमी और सस्ते उपचार के लिए संचालित की है, लेकिन ऐसे अमानवीय नियम जो शर्मसार करने वाले हैं, इन्हें तुरन्त हटाये जाने की आवश्यकता है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत भर्ती मरीजों के निजी अंगों की फोटो खींचने की बाध्यता को समाप्त किया जाए। जय हिन्द, जय भारत।

(13.00 बजे)

श्री सभापति: श्री चेतन सिंह चौधरी।

नागौर में निजी खातेदारी लीज से अवैध बजरी खनन

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि माननीय न्यायालय द्वारा बजरी खनन पर रोक लगाने के बावजूद भी प्रदेश में इसका धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके समक्ष नागौर जिले में हो रहे अवैध बजरी खनन की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें नागौर जिले में निजी खातेदारी लीज से अवैध खनन के मामले रियांबड़ी, आलनियावास, झिंटिया, बडालयी, कोडिया, टहेला, सैसड़ा, सथाना सहित कई गांव शामिल हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को लीज दे रखी है वे भी उस लीज के अलावा साइड के प्लाट से अवैध बजरी खनन कर रहे हैं। बजरी के लीजधारक को ई-रवन्ना देना होता है जो कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 35 रुपये प्रति टन के हिसाब में चुकाया जाता है और एक गाड़ी की 1,200 से 1,400 रुपये तक ई-रवन्ना की पर्ची कटती है। ऐसे में बजरी भरकर ले जाने वाले ट्रक से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपनी मनमर्जी से 5 से 7 जगहों पर नाके लगाकर ट्रक मालिक से 200 रुपये या इससे अधिक राशि अवैध रूप से वसूली जा रही है। यानी एक ट्रक मालिक को

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

1,000 से 1,800 रुपये तक अवैध वसूली देनी पड़ती है। इस लिहाज से अवैध वसूली की राशि कई बार सरकारी ई-रवन्ना के बराबर हो जाती है और वहीं इस अवैध वसूली की रसीद तक दी जाती है, लेकिन प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं करता है। ट्रक मालिकों से इस तरह लाखों रुपये की अवैध वसूली का खेल चल रहा है और फिर ट्रक सड़क पर निकलते ही पुलिस विभाग, खनन विभाग व परिवहन विभाग गाड़ी का भारी भरकम चालान बना देते हैं।

माननीय सभापति महोदय, प्रतिबंध के उपरांत सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी, पुलिस व बजरी माफिया के संरक्षण में खुलेआम बजरी निकालकर बेची जा रही है, जिससे पर्यावरण व राजस्व का नुकसान हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अवैध भरे गये बजरी ट्रकों को सड़क पर पकड़कर कार्यवाही करने के बजाय अवैध खनन को रोकना सुनिश्चित कराएं तथा इस अवैध वसूली में लिप्त सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। धन्यवाद।

(13:02 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी।

मावली में तालाबों व पहाड़ों में अवैध खुदाई व कटाई

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मावली विधान सभा क्षेत्र में गडेला तालाब सहित अन्य तालाबों के सूखे पड़े पेटे में अवैध खुदाई का काम जारी है। वहीं विधान सभा क्षेत्र में हाईवे से जुड़ी पहाड़ियों की कटाई व खुदाई कर वहां व्यावसायिक व आवासीय निर्माण किये जा रहे हैं। पहाड़ों की कटाई व खुदाई के लिए सरकार ने कुछ मानक मापदण्ड निर्धारित किये हैं, उनकी खुलकर अवहेलना हो रही है। तालाबों की अवैध खुदाई में बड़ी संख्या में डम्पर लगे हैं। इन डम्परों के बस्ती क्षेत्रों में अंधाधुंध प्रवेश से सड़क हादसे भी हुए हैं और जनता में रोष व्याप्त है।

माननीय सभापति महोदय, यह अत्यन्त क्षोभ का विषय है कि जिम्मेदार अधिकारी हाथ पर हाथ धरे आंखें मूंदकर क्यों बैठे हैं? मेरा निवेदन है कि सरकार पर्यावरण से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर तुरन्त संज्ञान लेकर कार्यवाही करे।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), माउंट आबू का सिरोही जिला मुख्यालय पर स्थानान्तरण

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, डाइट, माउंट आबू को सिरोही जिला मुख्यालय पर स्थानान्तरित किया जाए।

सिरोही जिले के आबू पर्वत में 1966 से एस.टी.सी. प्रारम्भ हुई। इसके बाद जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, डाइट आबू पर्वत 1989-90 से प्रारम्भ हुई। फर्स्ट फेज की डाइट जून 1991 में प्रारम्भ हुई। डाइट में एसटी.सी. कर रहे छात्र-छात्राओं के लिए पिछले 30 वर्षों से कोई हॉस्टल की सुविधा नहीं है। केवल सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए ही हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है। राज्य की एक मात्र डाइट ऐसी है जो पर्वतीय पर्यटक स्थल पर मौजूद है।

डाइट जिला मुख्यालय पर स्थानान्तरित की जाए तो सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं एस.टी.सी. छात्रा-अध्यापकों को भी महंगाई की मार से निजात मिल सकेगी। विशाल क्षेत्रफल में स्थित डाइट आबू पर्वत प्रशिक्षण स्थल की बजाय यदि पर्यटकों के ठहरने के लिए आर.टी.डी.सी. द्वारा उपयोग में लिया जाए तो राज्य सरकार को सालाना करोड़ों रुपये की आय भी हो सकती है। साथ ही आबू पर्वत पर पर्यटकों को भी रुकने के लिए सरकारी आवास सही रेट में उपलब्ध हो सकता है। कई वर्षों से विभिन्न संगठनों की मांग के बावजूद आज तक इसे अमलीजामा नहीं पहनाया है।

आबू पर्वत देश-विदेश में विख्यात राज्य का सर्वाधिक राजस्व आय का पर्वतीय पर्यटक स्थल है। यहां पर आम जरूरत की चीजें महंगी हैं। जिन छात्रों को एस.टी.सी. हेतु यहां किराये के मकान में रुकना पड़ता है, उनको हजारों रुपयों में किराया ही सालाना भुगतान करना पड़ता है। डाइट में होने वाले विभिन्न तरह के सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में सुविधाओं एवं महंगाई के अभाव में शिक्षकों की उपस्थिति न्यून रहती है, जिससे मजबूरन शिक्षा प्रशासन को सेवारत प्रशिक्षण के स्थान को परिवर्तन कर उन्हें आबू पर्वत से अन्यत्र आयोजित करवाने पड़ते हैं। आठवीं एवं पांचवीं बोर्ड की अंकतालिकाओं में किसी भी प्रकार के संशोधनों के लिए भी डाइट आबू पर्वत जाना पड़ता है।

अभिभावकों एवं छात्रों के लिए समय एवं आर्थिक दृष्टि से असुविधाजनक होता है। डाइट में खेल मैदान का पूर्णतया अभाव है। डाइट आबू

(श्री संयम लोढ़ा)

पर्वत होने से शिक्षा प्रशासन द्वारा निरन्तर मानिटरिंग का अभाव रहता है। कर्मचारियों के लिए आबू पर्वत बहुत महंगा होने से डाइट में कर्मचारियों के ज्यादातर पद कई वर्षों से खाली रहते हैं, जिससे एस.टी.सी. में अध्ययनरत छात्रा-अध्यापकों में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण का अभाव देखा जा सकता है।

अत: आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि डाइट आबू पर्वत को सिरोही जिला मुख्यालय पर स्थानान्तरित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री आलोक बेनीवाल।

शाहपुरा में बाईपास निर्माण

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा, जिला जयपुर में नगरपालिका शाहपुरा में भारी वाहनों, ट्रक, ट्रोला व बस के गुजरने के कारण अक्सर दुर्घटनाएं तथा यातायात जाम की स्थिति रहती है। इस परेशानी से कई बार मुझे भी गुजरना पड़ता है।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इनके लिए भी नियम है कि नहीं? आपके लिए भी नियम है कि नहीं? केवल इधर के लोगों के लिए ही है? (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, विराजिये। माननीय मंत्री महोदय, मैंने एक आदमी का नाम पुकार रखा है।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): बार-बार टोकते हैं।

श्री सभापति: प्लीज, विराजिये। डिस्टर्ब नहीं करें, वे बोल रहे हैं। श्री आलोक बेनीवाल।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): यह क्षेत्र व्यावसायिक गतिविधियों का केन्द्र है। कई बार व्यापारियों व आम नागरिकों ने मुझे अवगत कराया कि नगरपालिका में आये दिन यातायात व्यवस्था खराब रहती है, जिसके कारण स्थानीय निवासियों, व्यापारियों एवं आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दिल्ली-हरियाणा से आने वाले खाटूश्यामजी, सालासर बालाजी के दर्शनार्थी भी कस्बे के अन्दर से होकर गुजरते हैं। अक्सर होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए एवं अत्यधिक प्रदूषण होने के कारण स्थानीय निवासियों को होने वाली समस्याओं से निजात दिलाने के लिए मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि

(श्री आलोक बेनीवाल)

नगरपालिका शाहपुरा में एक बाईपास निकालने की कृपा करें, जिससे अक्सर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी हो और आम आदमी को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्रीमती अनिता भदेल।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अजमेर अरबन कोआपरेटिव बैंक में नियत राशि से अधिक भुगतान पर रोक

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत अजमेर अरबन कोआपरेटिव बैंक में नियत राशि से अधिक के जमाकर्ताओं को भुगतान पर रोक लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सहकारिता मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करती हूं।

श्री सभापति: मंत्री महोदय।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2011 में अजमेर अरबन कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, अजमेर के जमाकर्ताओं को राशि निकाले जाने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रोक लगायी गयी थी, जिसका मुख्य कारण बैंक की नैट-वर्थ नेगेटिव थी, ऐसी स्थिति में भुगतान होना सम्भव नहीं था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक का लाइसेंस दिनांक 18.09.2014 को समाप्त कर दिया गया था। दिनांक 24.09.2014 को विभाग द्वारा बैंक को परिसमापन में लाया जाकर अवसायक की नियुक्ति की गयी। अवसायक द्वारा परिसमापन की कार्यवाही अमल में लायी गयी। बैंक में कुल जमाकर्ताओं की राशि का क्लैम भारतीय निक्षेप एवं प्रत्यय गारंटी निगम को दिया गया। चूंकि बैंक के पास आवश्यक क्लैम राशि उपलब्ध थी, अत: बैंक द्वारा डी.आई.सी.जी.सी. मुम्बई से वार्ता कर क्लैम अनुसार एक लाख तक की राशि हेतु जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि जल्द दिलाने हेतु नो क्लैम कर बैंक में उपलब्ध फण्ड भुगतान किया गया, जो आज दिनांक तक जारी है।

बैंक द्वारा एक लाख से अधिक राशि के खाताधारकों को राहत प्रदान करने हेतु अधिकतम पांच लाख रुपये तक की राशि का भुगतान द्वितीय चरण के माध्यम से आज दिनांक तक किया गया है।

(श्री अंजना उदयलाल)

भुगतान स्थिति दिनांक 11.02.2021			
क्र. सं.	**विवरण**	**संख्या**	**राशि**
1.	डी.आई.सी.जी.सी. मुंबई के निर्देशानुसार खाताधारकों को भुगतान (एक लाख अधिकतम)	5,994	29,03,77,393.83
2.	बैंक द्वारा स्वयं के निर्णयानुसार किया गया भुगतान (पांच लाख अधिकतम)	1,833	33,45,88,562.54

बैंक द्वारा डी.आई.सी.जी.सी. मुम्बई से भुगतान हेतु राशि (क्लैम) नहीं लिया गया था। कुल भुगतान प्रत्येक खाताधारक को उसकी जमानुसार अधिकतम 6 लाख दिया जा चुका है एवं आज दिनांक तक भी आवेदन करने पर भुगतान किया जा रहा है।

उपरोक्त भुगतान के पश्चात् भी 6 लाख कुल से अधिक के खाताधारक तथा जिनके द्वारा क्लैम प्रस्तुत नहीं किया, जो निम्नानुसार है:-

बकाया खाताधारक दिनांक 23.09.2020			
क्र.सं.	**विवरण**	**संख्या**	**राशि**
1.	आज दिनांक तक भुगतान के लिए आवेदन अप्राप्त	5,856	2,94,40,813.35
2.	कुल 6 लाख का भुगतान प्राप्त करने के पश्चात् बकाया	269	21,32,71,923.65

अर्थात् अधिकतम छह लाख तक की राशि के समस्त खाताधारकों को शत प्रतिशत राशि का भुगतान किया गया है तथा आज दिनांक तक भी प्रथम चरण व द्वितीय चरण के शेष रहे खाताधारकों को भुगतान किया जा रहा है, जिनकी राशि अलग से सुरक्षित की हुई है।

प्रथम व द्वितीय चरण के भुगतान के पश्चात् भुगतान से शेष केवल 269 खाताधारक हैं, जिनकी राशि 21 करोड़ 32 लाख 71 हजार 923 रुपये है।

ऋण वसूली में बैंक का लाइसेंस रद्द होने के पश्चात् बैंक कर्मचारियों

(श्री अंजना उदयलाल)

व विभाग के अधिकारियों के सहयोग से की गयी। बकाया ऋण वसूली के प्रयास भी जारी हैं।

अवसायन के समय बैंक की देनदारियां लगभग 86.5 करोड़ थीं, जो वर्तमान में 24.27 करोड़ के लगभग रह गयी हैं। बैंक के पास इस राशि के भुगतान हेतु सरकारी प्रतिभूतियां, बॉण्ड, म्युचुअल फण्ड उपलब्ध हैं।

बैंक द्वारा कुल बकाया ऋण अवसायन के समय मूल 16.94 करोड़ थे, जिन पर 99-100 की कार्यवाही अमल में लायी गयी, जिसके माध्यम से कुल 7.64 करोड़ मूल की वसूली की गयी। वर्तमान में बकाया ऋण 9.30 करोड़ के हैं, जिसमें अधिकांश में 99-100 की कार्यवाही संधारित है, जिसमें से 4.00 करोड़ लगभग के ऋण वसूली प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। 5 करोड़ के ऋण, जिनमें गारंटी के रूप में किसी भी प्रकार की सम्पत्ति बैंक में रहन नहीं है व ऋण टी.वी., फ्रिज व अन्य घरेलू सामान व सामाजिक कार्य, छोटे दुकानदारों, दोपहिया वाहन आदि पर दिये हुए हैं। यह ऋण लगभग 14 वर्ष से 34 वर्ष पूर्व के हैं एवं रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2006 के आडिट में इन्हें अशोध्य व डूबत श्रेणी में डाल दिया गया था। राशि लगभग 42 लाख रुपये के प्रकरण, जिनमें बैंक द्वारा एडवोकेट के माध्यम से नोटिस तामील कराये गये हैं। यह ऐसे ऋणी हैं, जिनके ऋण से अर्जित आस्तियां खुद-बुर्द कर दी हैं। इनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर प्रकरण दर्ज करवाये जा रहे हैं।

बैंक द्वारा निरन्तर वसूली के प्रयास हेतु 99 व 100 के तहत अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

बैंक के पास तरलता उपलब्ध होते ही जमाकर्ताओं को पूर्व की भांति भुगतान कर दिया जाएगा। बैंक इन जमाकर्ताओं को भुगतान करने हेतु पूर्ण रूप से कृतसंकल्प एवं गम्भीर है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उसमें बताया है कि बैंक का लाइसेंस समाप्त किया था 18.09.2014 को और बैंक को अवसायक की नियुक्ति और परिसमापन में लाया गया 24.09.2014 को, उसके बाद से जो बैंक के पास तरल राशि उपलब्ध थी, उसमें मुम्बई में बात करके उन्होंने प्रथम चरण में एक लाख रुपये की राशि और द्वितीय चरण में पांच लाख रुपये की राशि का भुगतान कर दिया। अब मेरा इतना निवेदन है कि जो प्रथम चरण

(श्रीमती अनिता भदेल)

और द्वितीय चरण में जिस राशि का भुगतान किया है, वह राशि है 62 करोड़ 49 लाख 65 हजार 956 रुपये 37 पैसे। अब जो शेष जो खाताधारक बचे हैं, जिनकी राशि का भुगतान होना है, वह शेष खाताधारक बचे हैं 269 और इनकी जो बकाया राशि है, वह बकाया राशि है 21 करोड़ 32 लाख 71 हजार 923 रुपये 65 पैसे और आपने यह उल्लेख किया है कि बैंक की जो देनदारियां हैं, अब जो शेष बची हैं, वे बैंक की देनदारियां 24 करोड़ 27 लाख रुपये हैं। 5,856 लोग तो ऐसे हैं जो क्लैम लेने आये ही नहीं और उनकी राशि लगभग 2 करोड़ के आसपास है। ये जो बकाया लोग हैं 269, उनकी राशि है 21 करोड़ के लगभग, तो ऐसे करके कुल टोटल जो बकाया हैं, वे 24 करोड़ 27 लाख के आसपास हैं। अब यह 24 करोड़ 27 लाख के लिए माननीय मंत्री महोदय ने जवाब में लिखा है कि हमारे बैंक के पास सरकारी प्रतिभूतियां, बॉण्ड हैं, म्युचुअल फण्ड उपलबध हैं, जिससे हम भुगतान कर देंगे, पर माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि ये जो लोग हैं, जिन्होंने बैंक में अपना पैसा जमा कराया, ये लोग आज की स्थिति में वृद्धावस्था में हैं, कोई 95 साल का है, कोई 80 साल का है, कोई 75 साल का है। ऐसी स्थिति में इनको यदि अब पैसा, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गयी है, अब कई लोग ऐसी अवस्था में हैं कि उनको पैसा नहीं मिलेगा तो वे भी मृत्यु के कगार पर ही जाने वाले हैं। पूरे जीवन भर की गाढ़ी कमाई का पैसा उन्होंने इसमें जमा कराया। अब जो बॉण्ड्स हैं, वह बॉण्ड्स की जो म्युचुअल डेट है, वह म्युचुअल डेट भी, किसी की 2023 है, किसी की 2028 है और किसी की 2034 है। इतनी लम्बी म्युचुअल डेट में ये लोग तो सब खतम हो जाएंगे, इनको पैसा नहीं मिलने वाला है।

मेरा निवेदन माननीय मंत्री महोदय से यह है कि आज इस म्युचुअल फण्ड के अलावा भी 16 करोड़ रुपये की ऋण की वसूली आपकी बाकी है। उस 16 करोड़ की ऋण वसूली में आपने 7 करोड़ 64 लाख रुपये की ऋण वसूली कर ली, 9 करोड़ 30 लाख की शेष है। इस 9 करोड़ 30 लाख में से भी 4 करोड़ के प्रकरण आपके राजस्थान हाई कोर्ट में लम्बित हैं और शेष जो 5 करोड़ हैं, उसको आपने डूबत खाते में मान लिया। 42 लाख की वसूली वह आपके प्रक्रियाधीन है, वह आपने प्रकरण दर्ज कर दिया। कुल मिलाकर यह बात है। अब जिन लोगों को राशि मिलनी है 24 करोड़ के आसपास, तो वे क्या करें। मेरा माननीय मंत्री महोदय को सुझाव है कि बैंक की जो अचल सम्पत्तियां हैं, जिसमें बैंक के पास में अजमेर में प्राइम लोकेशन पर 2,200

(श्रीमती अनिता भदेल)

वर्ग गज का एक पूरा भूखण्ड है, जो मेरी जानकारी में है, यदि उस 2,200 वर्ग गज भूखण्ड को बैंक में रजिस्ट्रार यदि आक्शन करके नीलाम कर दे और वह राशि आपके पास आ जाए तो शायद यह 24 करोड़ का, क्योंकि उस भूखण्ड की वैल्यू मैं समझती हूं कि आज की तारीख में कम से कम 75 करोड़ के आसपास की होगी, क्योंकि बैंक तो अवसायन में चला गया। यदि आप बैंक को वापस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वह आपके लिए सम्भव नहीं है और ये जो बॉण्ड्स हैं, ये बॉण्ड्स के केसेज, कुछ केसेज में तो सी.बी.आई. जांच कर रही है, तो मेरा निवेदन है कि यह जो लोगों का पैसा था, जो ईमानदारी से कमाई हुई गाढ़ी कमाई का पैसा था, जो बैंक के अधिकारी रहे हुए हैं, जो एम.डी. रहे हुए हैं, जो व्यवस्थापक रहे हुए हैं, उन लोगों ने गलत जगह उस पैसे को इन्वेस्टमेंट किया और गलत जगह इन्वेस्टमेंट करने के कारण से आज यह स्थिति आयी है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से दो बातों का निवेदन है, एक तो जो गलत इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसकी सी.बी.आई. जांच कर रही है, वह सी.बी.आई. को क्या हम राज्य सरकार के स्तर पर, क्या मंत्री महोदय, आप अपने स्तर पर, क्या मुख्य मंत्री के स्तर पर हम कोई पत्र-व्यवहार करके यह पैसा हमें जल्दी मिल जाये, हमें रिलीज हो जाये, जो भी जांच करनी है, वह जांच हो जाये, एक विषय तो यह है। दूसरा विषय यह है कि जो 269 लोग हैं, जिनकी 21 करोड़ के लगभग राशि बकाया है, जिनको देना है, वह 21 करोड़ की बकाया राशि, क्या आप उस प्लाट का निस्तारण करके किसी भी प्रकार से उनको देने की तैयारी में हैं क्या?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, उन जमाकर्ताओं के साथ सबकी हमदर्दी है, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा डुबोया है।

जहां तक सी.बी.आई. में प्रकरण चल रहा है तो वहां से निर्णय होने के बाद आएगा, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी से रिक्वेस्ट करके सी.बी.आई. को पत्र भी लिखवा दिया जाएगा कि उसका जल्दी निपटारा करें ताकि वह केस भी समाप्त हो सके और वे पैसे भी आ सकें। जो यह प्लाट पड़ा हुआ है, जिसका कोई डिस्प्यूट चल रहा है, अगर नियम में वह आता है तो उधर उसको फ्री कराएं, क्योंकि वह बैंक द्वारा खरीदा हुआ ही प्लाट है, ऐसा मेरी जानकारी में लाया गया है। अगर उस प्लाट को बेच करके भी इन खातेदारों को पैसे दिये जा सकते हैं तो पूरा-पूरा प्रयास करेंगे, नियम में आएंगे तो यह

(श्री अंजना उदयलाल)

पैसे उनको प्लाट बेचकर दिलवा दिये जाएंगे, लेकिन जो प्रकरण चल रहे हैं, उनका निपटारा होगा तब ही यह सम्भव हो पाएगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, प्रकरण सिर्फ इतना है कि जब बैंक...(व्यवधान)

श्री सभापति: स्पष्ट यह कहना है कि आपने जो सजेशन दिया उनको प्लाट के बारे में...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, मैं बस एक लास्ट निवेदन, एक अंतिम निवेदन कर रही हूं।

इस प्रकरण का निपटारा हो सकता है, इसलिए हो सकता है, क्योंकि अजमेर विकास प्राधिकरण की आक्शन की व्यवस्था में बैंक ने यह प्लाट आक्शन में खरीदा, उसकी सारी डिमाण्ड राशि जमा करा दी, बैंक ने रजिस्ट्री करा ली, बैंक ने उस प्लाट पर चारदीवारी बना रखी है, कमरा बना करके कब्जा कर रखा है।

श्री सभापति: प्लाट तो आलरेडी अभी किसी उसमें फंसा हुआ है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): तो बैंक के पक्ष में रजिस्ट्री है, बैंक के पक्ष में कब्जा है, माननीय सभापति महोदय, सिर्फ जो अजमेर विकास प्राधिकरण है, चूंकि बैंक ने 30 साल पहले वह प्लाट लिया था, आज उसकी वैल्यू 75 करोड़ के आसपास है तो अजमेर विकास प्राधिकरण की नीयत खराब होने की वजह से उन्होंने यह कहा कि आपने बैंक की एक्टिविटी शुरू नहीं की, इसलिए हम यह प्लाट आपसे वापस ले रहे हैं। हमने जो आबंटन किया था, नीलामी की थी वह हम आपको नहीं देंगे। इतना-सा ही प्रकरण है तो यह तो सरकारी प्रक्रिया के तहत यदि, माननीय मंत्री महोदय, अजमेर विकास प्राधिकरण से बात करके बैंक के अधिकारियों को वहां पीछे करेंगे तो निश्चित रूप से यह समाधान हो जाएगा और इस प्लाट की नीलामी होने के बाद में हमें राशि उपलब्ध होगी ताकि इस राशि से हम इन बकायादारों का भुगतान कर पाएंगे। इतना मेरा निवेदन है।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): आप पूर्व में भी नियम 131 में इस मुद्दे को लायी थीं। इस मामले में अधिकारियों से चर्चा की है। वह प्रकरण चल रहा है और अभी सम्भागीय आयुक्त, अजमेर के पास विचाराधीन

(श्री अंजना उदयलाल)

है तो उसका जल्दी निपटारा करके नियमानुसार उसकी नीलामी करके इनको, जो 269 आदमी हैं, उनको भुगतान कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा।

श्री सभापति: श्रीमती मंजु देवी।

जायल की ढाणियों में वंचित ग्रामवासियों को विद्‌युत कनेक्शन

श्रीमती मंजु देवी (जायल): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जायल की अधिकांश ढाणियों में विद्‌युत कनेक्शन से वंचित ग्रामवासियों को शीघ्र विद्‌युत कनेक्शन जारी करवाये जाकर राहत दिलवाये जाने के सम्बन्ध में ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करती हूं।

श्री सभापति: श्री बुलाकी दास कल्ला।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र जायल में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्‌युत तंत्र का विस्तार कार्य कर योजना अनुसार सभी पात्र आवेदकों को घरेलू विद्‌युत कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त उक्त विधान सभा क्षेत्र में सौभाग्य योजनान्तर्गत भी योजना अनुसार सभी पात्र आवेदकों को घरेलू विद्‌युत कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं।

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र जायल में ढाणियों में समूह को विद्‌युतीकृत करने हेतु पत्रावलियां लम्बित नहीं हैं।

उक्त विधान सभा क्षेत्र में आवेदकों द्‌वारा विद्‌युत कनेक्शन हेतु आवेदन करने पर निगम द्‌वारा नियमानुसार मांग पत्र जारी कर वरीयता अनुसार जमा मांग पत्र के अनुरूप विद्‌युत कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं।

श्रीमती मंजु देवी (जायल): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगी कि अभी तक इसका मेरे पास आपका उत्तर भी नहीं आया है। मैं आपसे इतना जानना चाहूंगी कि जो अभी आपने बोला है, यह तथ्य आपके पास में दिये, यह बहुत +++ दिये हैं। मेरे पास में लिस्ट भी है, मेरे हाथ में लिस्ट है, कम से कम 40 ढाणियां तो जो बी.पी.एल., ए.पी.एल. की हैं और ठेकेदारों की मनमर्जी की वजह से ये लोग वंचित रह गये हैं। मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि क्या शेष

(श्रीमती मंजु देवी)

रही ढाणियों में विद्युत कनेक्शन कराने का विचार रखते हैं? अगर हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, जायल से आने वाली माननीय सदस्या ने जैसा पूछा है, उस अनुसार जायल विधान सभा क्षेत्र में 139 गांव, नागौर के 33 गांव इनके विधान सभा क्षेत्र में आते हैं, उनमें 5,777 हाउसहोल्ड को इलेक्ट्रिफाई किया जा चुका है और इसमें खासतौर से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के अन्तर्गत 2,289, दीनदयाल योजना के अन्तर्गत 1,094 और सौभाग्य योजना के अन्तर्गत 2,394, इस प्रकार 5,777 गांवों को इलेक्ट्रिफाई किया जा चुका है।

इनके जो एक तरह से हैबिटेशंस हैं, वे 495 तो जायल पंचायत समिति के हैं और नागौर पंचायत समिति के हैबिटेशंस 155 हैं, कुल मिला करके 650 रिकार्डेड हैबिटेशंस, जिनको ढाणियां कहते हैं वे हैं, उनमें विभाग की जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है।

आपने कहा कि अभी तक 40 ढाणियां ऐसी हैं जो वंचित रह गयी हैं, तो मैं इनसे सूची ले लूंगा और यदि रिकार्डेड ढाणियां वंचित रही हैं तो मैं निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही कराऊंगा।

जहां तक मेरी जानकारी है, जो गैर आबादी वाले खेत हैं, वहां के 1,142 घर हैं, जो कोई पांच किलोमीटर, कोई सात किलोमीटर, जहां गैर आबादी है, वे जरूर वंचित रहे हैं, लेकिन रिकार्डेड ढाणियां वंचित नहीं हैं।

श्रीमती मंजु देवी (जायल): माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि जिन ठेकेदारों की वजह से यह लापरवाही हुई है क्या आप उनके प्रति कार्यवाही करेंगे?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): रिकार्डेड ढाणियां और जहां 31.03.2019 से पूर्व में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत जो आवेदन आने थे, उसके अन्तर्गत तमाम पात्र लोगों को हमने कनेक्शन कर दिये हैं। यदि निर्धारित तारीख तक, जैसा माननीय सदस्या ने बताया है कि आवेदन आ चुके हैं और उनके ढाणियों में कनेक्शन नहीं हुए, तो मैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री सभापति: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

समिति प्रतिवेदन

जन लेखा समिति के प्रतिवेदन (क्र.सं. 93 से 100)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति 2020-21 के निम्नांकित 8 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

(1) भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2017-18 का अनुच्छेद 3.6 महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2020-21 का 93वां प्रतिवेदन।

(2) भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2016-17 का अनुच्छेद 3.9 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2020-21 का 94वां प्रतिवेदन।

(3) भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2016-17 का अनुच्छेद 2.3 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2020-21 का 95वां प्रतिवेदन।

(4) जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 के 227वें प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा) में समाविष्ट वित्त (आबकारी) विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति 2020-21 का 96वां प्रतिवेदन।

(5) जन लेखा समिति वर्ष 2016-17 के 181वें प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा) में समाविष्ट वित्त वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति 2020-21 का 97वां प्रतिवेदन।

(6) जन लेखा समिति वर्ष 2011-12 के 133वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट नगरीय विकास विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति 2020-21 का 98वां प्रतिवेदन।

(7) जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 के 223वें प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा) में समाविष्ट वित्त वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति 2020-21 का 99वां प्रतिवेदन।

(8) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2016-17 में समाविष्ट वित्त (आबकारी) विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2020-21 का 100वां प्रतिवेदन।

श्री सभापति: अनुदान की मांग। श्री रघु शर्मा।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26 - चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई की प्रस्तुति

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 121,19,26,35,000/- (एक सौ इक्कीस अरब उन्नीस करोड़ छब्बीस लाख पैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

श्री सभापति: श्री कालीचरण सराफ।

(मांग संख्या 26 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई, बजट मद 2210 चिकित्सा शिक्षा पर चर्चा हो रही है, मैं इस पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, देश की आजादी के बाद 1947 से 2013 तक 65 साल में प्रदेश में 50 साल तक कांग्रेस का राज रहा, प्रदेश में केवल 7 मेडिकल कालेज, एक जयपुर में, एक अजमेर में, एक जोधपुर में, एक उदयपुर में, एक बीकानेर में, एक कोटा में और एक झालावाड़ में, यानी सात मेडिकल कालेज कांग्रेस के राज में 50 साल में खुले।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि उनकी पहल पर प्रदेश की भा.ज.पा. सरकार

(श्री कालीचरण सराफ)

के दौरान सात नये मेडिकल कालेज खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी और सभी सात नये मेडिकल कालेज शुरू भी हो गये। भा.ज.पा. सरकार के दौरान धौलपुर में मेडिकल कालेज स्वीकृत हुआ था, उसका क्या स्टेटस है? कृपया यह बताने की कृपा करें। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद केन्द्रीय सरकार की पहल पर 15 नये मेडिकल कालेज और स्वीकृत किये गये। इसमें टोटल पांच हजार करोड़ का खर्चा होगा, उसमें तीन हजार करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार देगी और दो हजार करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा खर्च किये जाएंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट भाषण पढ़ा, उसमें कहा कि हम 15 नए मेडिकल कालेज खोल रहे हैं। कम से कम यह कह देते कि केन्द्रीय सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि मोदी जी ने पहल करके 15 नए मेडिकल कालेज और स्वीकृत किये, 3 हजार करोड़ का बजट उसके लिए आबंटित किया। एक शब्द आप लोगों ने इसका नहीं बोला।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में आपकी सरकार को आए 27 महीने हो गये, लेकिन दुर्भाग्य है कि 15 नए मेडिकल कालेजेज में से एक भी कालेज के भवन निर्माण का काम अभी तक चालू नहीं हुआ। यहां तक कि 4 स्थानों बारां, जैसलमेर, करौली और सवाई माधोपुर में तो अभी तक मेडिकल कालेज के लिए जमीन भी आप लोगों ने चिह्नित नहीं की। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इन 15 मेडिकल कालेज का क्या स्टेटस है? ये कब तक शुरू हो जाएंगे? अपने जवाब में यह निश्चित रूप से बताएं।

जो 7 नए मेडिकल कालेज हमारे समय में शुरू हुए थे, उनमें चिकित्सकों के कुल 609 पद स्वीकृत हैं। उनमें से 319 कार्यरत हैं और 290 पद अभी तक रिक्त हैं। मेडिकल शिक्षा में यदि आधे से ज्यादा पद खाली रहेंगे तो किस प्रकार से मेडिकल की शिक्षा होगी? इसके बारे में भी आप निश्चित रूप से बताएं कि ये 290 पद आप कब तक भर देंगे?

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से जयपुर में केन्द्रीय सरकार के सहयोग से जो 120 करोड़ की लागत से कैंसर हास्पिटल बना, उसमें ओ.पी.डी. तो चालू हो गयी, परन्तु अभी तक उपकरण नहीं खरीदे गये। जिन संसाधनों की आवश्यकता थी, उनकी व्यवस्था नहीं की गयी। स्टाफ की व्यवस्था नहीं की गयी। मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा, आप अपने जवाब में बताएं कि इसके लिए आप लोगों ने क्या व्यवस्था की है? कब तक उपकरण

(श्री कालीचरण सराफ)

खरीद लिये जाएंगे? संसाधनों की व्यवस्था कब तक हो जाएगी, कब तक स्टाफ की नियुक्ति हम वहां पर कर देंगे?

माननीय सभापति महोदय, एस.एम.एस. हास्पिटल हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा हास्पिटल है। लगभग 8-9 हजार की ओ.पी.डी. यहां पर प्रतिदिन है। मरीजों का दबाव कम करने के लिए हमने बिना भेदभाव के, जब हमारी सरकार थी, दक्षिण में जयपुरिया हास्पिटल, कांवटिया हास्पिटल पश्चिम में, गणगौरी हास्पिटल उत्तर में और सेठी कालोनी हास्पिटल पूर्व में, हमने वहां सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करायीं।

जयपुरिया में सीटी स्कैन, एम.आर.आई., 2डी इको, टी.एम.टी. व अन्य सुविधाओं के साथ सुपर स्पेशलिटी का उपचार भी प्रारम्भ किया। जहां पहले 300 का आउटडोर था, हमारे समय में यह बढ़कर 2,500-3,000 तक हो गया लेकिन सरकार बदलते ही सुपर स्पेशलिटी की जो सुविधा वहां पर थी, वह इस सरकार ने समाप्त कर दी। जयपुरिया में ई.एच.सी.सी. हास्पिटल से एम.ओ.यू. हुआ था कि एमआर.आई. और सी.टी. स्कैन की मशीनें उन्होंने जो लगाई, बी.पी.एल. और वरिष्ठ नागरिकों की जांच नि:शुल्क की जाएगी लेकिन 3-3 महीने की वेटिंग हो गयी और अब उनकी जांच नहीं की जा रही है। किसी को अगर एम.आर.आई. करानी है और उसकी 3 महीने की वेटिंग होगी तो वह कैसे इंतजार करेगा? बी.पी.एल. परिवार और वरिष्ठ नागरिकों की जो नि:शुल्क एम.आर.आई. होनी थी, वह वहां पर लगभग ठप पड़ी है। मैं यह चाहूंगा कि ई.एच.सी.सी. और जयपुरिया हास्पिटल में जो एम.ओ.यू. हुआ था, उसकी पालना सुनिश्चित की जाए।

इसी प्रकार से कांवटिया अस्पताल में ब्लड बैंक, ईको कार्डियोग्राफी सेंटर, आई.वी.एफ. सेंटर सहित अनेक सुविधाएं हम लोगों ने प्रदान की थीं। ओ.पी.डी. 2 हजार से बढ़कर के 4 हजार हो गयी थी। सेठी कालोनी में भी मेडिसिन, सर्जरी, शिशु रोग, कार्डियोलॉजी की ओ.पी.डी., सोनोग्राफी की सुविधा हमने उपलब्ध करायी थी। गणगौरी हास्पिटल में भी सुविधाएं बढ़ाई गयी थीं। लेकिन मुझे अफसोस है कि मुख्य मंत्री जी ने जो अपना बजट भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा कि 50 करोड़ रुपये गणगौरी हास्पिटल के लिए मैं स्वीकृत करता हूं। फिर जब बजट का रिप्लाई दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि किशनपोल में एक नया हास्पिटल बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये की स्वीकृति मैं जारी करता हूं। अच्छी बात है लेकिन जयपुरिया, कांवटिया, सेठी कालोनी के

(श्री कालीचरण सराफ)

हास्पिटल का क्या हुआ? हमने जब बिना राजनीतिक भेदभाव के सारी सुविधाएं सब अस्पतालों में मुहैया करायीं तो केवल किशनपोल में एक हास्पिटल खोल देंगे, गणगौरी हास्पिटल को 50 करोड़ रुपये दे देंगे तो क्या होगा? ठीक है, वहां कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन जयपुरिया हास्पिटल में मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र, सांगानेर विधान सभा क्षेत्र और बगरू विधान सभा क्षेत्र, इन 3 विधान सभा क्षेत्र के लोगों का वहां इलाज होता है।

इसी प्रकार से कांवटिया अस्पताल में विद्याधर नगर, सिविल लाइन क्षेत्र के लोगों का इलाज होता है। उनके लिए भी यदि कोई राशि स्वीकृत करते और सुविधा बढ़ाए जाने की बात करते तो अच्छा लगता लेकिन आपने केवल हवामहल क्षेत्र में, क्योंकि वहां आपके विधायक हैं, गणगौरी हास्पिटल में पैसा दे दिया, किशनपोल में, क्योंकि आपके विधायक हैं। वहां आपने 50 करोड़ रुपया दे दिया। मैं पूछना चाहूंगा कि बाकी हास्पिटल्स ने क्या अन्याय किया है? वहां क्या सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जब बी.जे.पी. का राज था तो हमने एस.एम.एस. हास्पिटल और ट्रोमा सेंटर के बीच में अंडरपास बनाए जाने का काम किया था। आज उसकी अच्छी वाहवाही हो रही है और वहां सुविधाएं भी मिल रही हैं। उस समय हम लोगों ने यह तय किया था कि मेडिकल कालेज और एस.एम.एस. हास्पिटल के बीच में भी अंडरपास का निर्माण करवाया जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मेडिकल कालेज और एस.एम.एस. हास्पिटल के अन्दर अंडरपास बनाए जाने की क्या आपकी योजना है? अगर योजना है तो यह कब तक पूरा करेंगे? यह अंडरपास बहुत आवश्यक है। वहां डाक्टर्स भी आते हैं। स्टूडेंट्स भी आते हैं। रेजिडेंट डाक्टर्स भी आते हैं। निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, आपको पता है कि एस.एम.एस. सबसे बड़ा हास्पिटल है। जिस प्रकार से जयपुर शहर की जनसंख्या बढ़ रही है, उसके हिसाब से अब वहां जमीन नहीं है। उसका विस्तार नहीं हो सकता। मेरा एक सुझाव है कि एस.एम.एस. हास्पिटल के पास में ही सी.एस. का बंगला है और डी.जी. का बंगला है, इनको अगर सिविल लाइंस में मुख्य मंत्रीजी के आसपास शिफ्ट कर दें तो उनको भी बुलाने में सुविधा रहेगी। ये दोनों बंगले और उसकी जमीन यदि एस.एम.एस. हास्पिटल को मुहैया करा दी जाए तो वहां उसका विस्तार होने में सुविधा होगी।

(श्री कालीचरण सराफ)

माननीय सभापति महोदय, एस.एम.एस. हास्पिटल हो या जितने भी हास्पिटल्स हैं, वहां आपने देखा होगा कि हम करोड़ों रुपयों की मशीनें खरीदते हैं और वे काम नहीं आती हैं। खराब पड़ी रहती हैं। वहां के जो डाक्टर्स हैं, वे भी इसमें इंट्रेस्ट नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते? अगर वहां जांचें होंगी तो उनको कमीशन नहीं मिलेगा। वे बाहर के जो निजी जांच केन्द्र हैं, वहां पर जांच लिखते हैं। मैं यह चाहूंगा कि जो इस प्रकार की मशीनें हैं जिनके लिए करोड़ों रुपये खर्च किये हैं, वे दुरुस्त हों। उनका सही उपयोग हो सके, इसके लिए इनको प्राथमिकता के आधार पर सही करवाया जाए।

अब आप यह देख रहे होंगे जे.के. लोन हास्पिटल, जो बच्चों का सबसे बड़ा हास्पिटल है, वहां पर एलर्जी, थैलेसीमिया और विटामिन-डी जांच की मशीनें मौजूद हैं। फिर भी वहां टैस्ट नहीं हो रहे हैं। आप जरा पता करें कि आपने यहां इतनी मशीनें खरीद रखी हैं तो इनसे जांचें क्यों नहीं कर रहे हो? वह सीधा एस.एम.एस. में रैफर कर देते हैं। वहां पर एक-एक महीने की वेटिंग है। जब वहां एलर्जी जांच की मशीनें उपलब्ध हैं, थैलेसीमिया जांच की मशीनें उपलब्ध हैं, विटामिन-डी की जांच की मशीनें उपलब्ध हैं तो फिर यह जांचें क्यों नहीं हो रही हैं?

इसी प्रकार से जो एस.एम.एस. हास्पिटल की बिल्डिंग है, वह लगभग 80 साल पुरानी है। वहां कई बार तो छतों से प्लास्टर गिर जाता है। कई बार शार्ट सर्किट के कारण आग लग जाती है। हम उसकी मेंटीनेंस के लिए 2 करोड़ रुपये देते हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो इसकी परमानेंट मानिटरिंग की एक व्यवस्था आप बनाएं। यह जो 2 करोड़ रुपये की राशि है, यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मैं चाहूंगा कि मेंटीनेंस की राशि बढ़ाएं और परमानेंट व्यवस्था किसी एजेंसी के सुपुर्द कर दें, वह लगातार इसकी मानिटरिंग करे और कहीं पर भी यदि किसी प्रकार की प्रोब्लम हो तो उसको दूर किया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा कि हम देखते हैं कि मेडिकल कालेज में चिकित्सा शिक्षकों के आधे से अधिक पद रिक्त रहते हैं। वे क्यों रहते हैं कि जो भी रिक्त पद होते हैं, हम उसके लिए आर.पी.एस.सी. को अभ्यर्थना भेज देते हैं। उसमें बहुत समय लगता है। जिस प्रकार अपन ने नए 7 मेडिकल कालेज खोले, उसमें डाइरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर हम डाक्टर्स की नियुक्ति करते हैं, इसी प्रकार से यदि

(श्री कालीचरण सराफ)

पुराने मेडिकल कालेज हैं, उनमें भी यदि आर.पी.एस.सी. के माध्यम से हम भर्तियां करें तो यह कोई ब्रह्माजी का वाक्य नहीं है, इसमें हमें निश्चित रूप से सुधार करना चाहिए। डाक्टर्स की नियुक्ति यदि डाइरेक्ट इंटरव्यू से हो तो जो पद रिक्त रहते हैं और मेडिकल एजुकेशन जैसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट में भी यदि इस प्रकार से पद रिक्त रहते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम 25-25, 30-30 लाख रुपये एक बच्चे पर खर्च करते हैं डाक्टर बनाने में और यदि उसको प्रोपर शिक्षा नहीं मिलेगी तो वह मरीजों का क्या इलाज कर पाएगा। इसलिए मेरा यह कहना है कि डाइरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर यदि आप शिक्षकों की वहां नियुक्त करेंगे तो यह एक अच्छा निर्णय होगा।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से मरीजों और डाक्टर्स के बीच में आए दिन अपन अखबारों में पढ़ते हैं कि मारपीट की घटनाएं होती हैं। हमने हमारे समय में, जब मैं चिकित्सा मंत्री था, सी.सी.टीवी. कैमरे लगाए जाने का प्रयास किया था और कई जगह सी.सी.टीवी. कैमरे भी हम लोगों ने लगाये। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जितने भी हास्पिटल्स हैं, कम से कम जो बड़े हास्पिटल्स हैं, अजमेर का है, उदयपुर का है, चाहे जोधपुर का है, चाहे एस.एम.एस. हास्पिटल है जयपुर का, इनमें यदि हम सी.सी.टीवी. कैमरे प्रोपर मात्रा में लगाएं और बड़े हास्पिटल्स में पुलिस चौकियों का भी इंतजाम करें तो निश्चित रूप से आये दिन जो झगड़े होते हैं, उन पर हम सख्ती से रोक लगा पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपने तो चुनाव घोषणा पत्र में यह घोषणा भी की थी कि हम क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लागू करेंगे। आपका जब जवाब हो तो बताएं कि आप कब तक क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लागू करेंगे। इसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक निजी अस्पतालों का सवाल है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि रियायती दर पर सरकार से ये जमीन लेते हैं, जमीन लेकर अस्पताल बनाते हैं, जिस प्रकार से निजी अस्पतालों में लूट खसोट की जाती है, आपने भी देखा होगा कि सरकार ने कोरोना काल में कई निर्देश जारी किये, लेकिन निजी अस्पतालों के जूं भी नहीं रेंगी। एक-एक लाख रुपये, दो-दो लाख रुपये, पांच-पांच लाख रुपये, मैं हास्पिटल का नाम नहीं लूंगा, पांच-पांच लाख रुपये उन्होंने मरीजों से वसूल किये। इतना ही नहीं, यदि कोई मरीज मर गया तो उसकी लाश भी तब तक

(श्री कालीचरण सराफ)

वहां से नहीं उठाई जा सकती जब तक कि उसका पूरा पेमेंट नहीं हो। कम से कम निजी अस्पतालों की जो लूट खसोट है, उसको दूर करने के लिए आपने रैगुलेटरी बोर्ड बनाने की बात की थी, निजी अस्पतालों के लिए तो यह रैगुलेटरी बोर्ड आप कब तक बनाएंगे आप यह भी बताएं।

माननीय सभापति महोदय, राइट टू हैल्थ, बात तो आप हर बार करते हो, अब की बार भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है बजट में कि राइट टू हैल्थ का बिल लेकर आएंगे, ढाई साल से हम सुन रहे हैं। कब लाओगे, क्या इसी सत्र में लाओगे? यह भी बताने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, कितनी जोरदार बात है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 75 करोड़ रुपये एस.एम.एस. हास्पिटल को देना चाहता है कि आप इस हास्पिटल को और मेडिकल कालेज को स्मार्ट बनाइए, पर अभी तक तो कोई इसका प्रस्ताव ही नहीं है। छह महीने पहले आप और शान्ती धारीवालजी वहां पधारे थे, वहां पर निर्देश देकर आये थे कि तुरन्त प्रस्ताव भेजो, क्या हुआ? अभी तक तो प्रस्ताव ही नहीं आये। अच्छी बात है कि यदि प्रस्ताव आ जाएं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि बजट नहीं है, इसलिए काम नहीं हो पा रहा और यहां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पैसा देने को तैयार है और अपन उस पैसे का उपयोग नहीं करना चाहते। मंत्रीजी, जरा सख्ती से, जो भी लापरवाह हैं, उनके खिलाफ आप एक्शन करो कि अभी तक उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं की। यह व्यवस्था करके जल्दी से जल्दी प्रस्ताव आए, जिससे कि वहां 15 मंजिल का आई.पी.डी. का टावर भी बनाना चाहते हो, वहां पर काटेज भी बनाना चाहते हो, वहां पर कार्डियक सर्जरी का अलग से एक वार्ड 50 करोड़ रुपये की लागत से बनाना चाहते हो तो यदि ये सारे काम हों तो उसमें 75 करोड़ रुपये का योगदान बहुत बड़ा योगदान है। कुछ पैसे सरकार खर्च करे, कुछ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से मिले तो कम से कम हमारा जो सपना है, उसको हम निश्चित रूप से लागू कर पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कोरोना काल में जिस तरीके से दवाइयों की खरीद में, उपकरणों की खरीद में, मशीनों की खरीद में लूट-खसोट की गयी, आप कल्पना नहीं कर सकते कि जान की परवाह किये बिना, मरीज की जान भी जा सकती है, अब आप देखिए, जे.के. लोन अस्पताल में एलर्जी टैस्ट की चार

(श्री कालीचरण सराफ)

मशीनें लगाई गयीं और जब यह पूछा गया कि ये आपने बिना परमिशन के कैसे लगा दीं, सरकार से परमिशन ही नहीं ली, जबकि 25 लाख से ज्यादा की कोई मशीन खरीदता है तो उसकी हमें परमिशन लेनी पड़ती है तो कहा कि यह दान में आयी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दान में मशीन तो 25 लाख की दे दी, पर उसमें जो रिएजेंट लगता है, करोड़ों रुपयों का, उसमें वे मनमानी रेट वसूल करते हैं। एम.ओ.यू. जो हुआ है जेके. लोन हास्पिटल के प्रशासन से, कि उसका रिएजेंट उसी कम्पनी से खरीदा जाएगा, जिसने यह मशीन लगाई है। आप यह देखिए कि उस मशीन की कीमत तो निकल ही गयी, उसके अलावा वहां बंदरबांट हो रही है। जिन्होंने यह मशीन खरीदने का कांट्रेक्ट किया, एम.ओ.यू. किया, ऐसे लोगों का पता करके उनके खिलाफ निश्चित रूप से आपको कार्यवाही करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से आर.टी.पी.सी.आर. जांच किट बाजार में 55 से 100 रुपये, 265 रुपये में उसकी खरीद हो रही है, कोई टेंडर नहीं, कोई कुछ नहीं। आप यह देखिए कि कोरोना काल में एस.एम.एस. हास्पिटल में पांच हजार जांचें रोज हो रही हैं, यानी एक लाख से ज्यादा जांच एक महीने में, यानी 35 लाख रुपये का नुकसान। आप इसको देखो कि किस प्रकार से कोरोना काल का फायदा उठाकर इस प्रकार की जांचें की गयीं, निश्चित रूप से इसके लिए कौन जिम्मेदार अधिकारी है, उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि ये देखिए, यह आक्सीमीटर की मशीन है, जिससे आक्सीजन नापते हैं, आप इसमें पेन डालोगे तो पेन का भी आक्सीजन लेवल बताएगा। यानी आप देखिये और इसमें क्या हुआ ...(व्यवधान) इसमें आप पेन डालेंगे तो यह मशीन इसका भी लेवल 95-96 बताएगी। (व्यवधान) इसके लिए मैंने मुख्य मंत्रीजी को बताया कि एन.आई.बी. 499/4299 इसमें सात कम्पनियों ने भाग लिया, आक्सीमीटर की मशीन खरीदने के लिए जो टेंडर हुए, उसमें से 6 कम्पनियों को कोई न कोई कारण बताकर डीबार कर दिया, एक बी.पी.एल. कम्पनी, उसको उन्होंने इसके लिए अधिकृत किया। उसकी भी आप यह देखिए, मजे की बात, कम्पनी के कागजात सी.ई. सर्टिफिकेट भी फर्जी थे, टेंडर मैन्युफैक्चरर से मांग, लेकिन कम्पनी बनाती नहीं और चाइना का माल सप्लाई किया। यूरोपियन सी माडल होना चाहिए जो कि कम्पनी के पास था ही नहीं। टेण्डर शर्तों के अनुसार मीटर की सप्लाई परफार्मेंस होनी चाहिए, वह भी नहीं थी। बी.पी.एल. कम्पनी ने दिल्ली की किसी फर्म की परफार्मेंस उसमें लगायी। सबसे बड़ी बात यह है कि

(श्री कालीचरण सराफ)

1,200 रुपये में रेटें तय की गयीं, जबकि बाजार में आज जाएं तो 500-600 रुपये में यह आक्सीमीटर मिल जाता है। इस तरह से 15 हजार आक्सीमीटर खरीदे गये। आर.यू.एच.एस. में भी सप्लाई हुए, सरकारी अस्पतालों में भी सप्लाई हुए। आप कल्पना कीजिए कि जो निर्जीव वस्तुओं का भी आक्सीजन लेवल बताता है, कितना घिनौना मजाक मरीजों के साथ हुआ होगा। मैं इसे टेबल करूंगा, इसकी आप जरा जांच कराएं कि आखिर यह क्या है? आप कहें तो मैं इसमें पैन डालकर बता सकता हूं। यानी यह हद है।

इसी प्रकार से आपने आर.एम.एस.सी.एल. एन.आई.बी. 110 13.10.2020 को कैथ मशीनें खरीदीं। इसमें एक मशीन की लागत, 3 करोड़ रुपये में इसका टेण्डर पारित हुआ, 6 मशीनों का आर्डर दिया गया जबकि मार्केट में एक करोड़ 75 लाख में जयपुर के जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं, उनमें देख लीजिए, वहां यह मशीन लगी हुई है, पर हमने उसे 3 करोड़ रुपये में खरीदा। यह बात सही है कि आर.एम.एस.सी.एल. में मंत्री जी का हस्तक्षेप नहीं होता, पर आप कम से कम जांच तो करें कि यह घोटाला आपकी नाक के नीचे क्यों हो रहा है। फाइलें मंगवाएं, जांच करें।

इसी प्रकार से आक्सीजन कान्सन्ट्रेटर, इसमें आप देखिए पांच कम्पनियों ने भाग लिया, चार कम्पनियों को बाहर कर दिया और वही बी.पी.एल. कम्पनी जो हमारे आर.एम.एस.सी.एल. के कर्ता-धर्ताओं की चहेती है, उसको फिर आर्डर दे दिया। इसमें 17 करोड़ की खरीद में 8 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया। जरा इसे भी दिखवाएं कि आखिर यह क्या है। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा।

श्री सभापति: उनसे संवाद पूरा हो गया क्या आपका, अब तक तो मुझ से बोले नहीं आप।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज लिमिट है कि केवल मेडिकल एजुकेशन पर ही बोलना है। बाकी पी.एच.सी., सी.एच.सी. और राजस्थान में क्या-क्या हो रहा है, इस पर तो आपने अलाउ ही नहीं किया तो इस पर तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा, पर ये जो मैंने मामले बताये हैं, इनकी निश्चित रूप से आप जांच कराएं। कोरोनाकाल में मरीजों के साथ हमारे हैल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने खिलवाड़ किया। ऐसे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके खिलाफ आप निश्चित रूप से कार्यवाही करें। यह मेरा आपसे अनुरोध है।

(श्री कालीचरण सराफ)

सभापति महोदय, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति, यह हंसने की बात नहीं है, मंत्री महोदय, आप यह देखिए कि बजट में सरकार ने राजस्थान आयुष नीति, 2021 लागू करने की बात कही थी। जहां सरकार के इस सराहनीय कदम से राज्य की जनता को अनेक अवसर मिलेंगे, वहीं मेडिकल टूरिज्म को भी लाभ मिलेगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि 2018 में हमारे राज्य में एक और नयी चिकित्सा पद्धति इलेक्ट्रोपैथी, जिसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी कहते हैं, का एक्ट 'राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन एक्ट, 2018' सर्वसम्मति से विधान सभा में पारित हो गया। गजट नोटिफाई हो जाने के बाद अब राजस्थान में आयुष के अन्तर्गत आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा के साथ-साथ इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति भी आती है। चौदहवीं विधान सभा के दसवें सत्र में प्रश्न संख्या 4322 के माध्यम से पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने यह जानकारी दी। सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि यह 100 परसेंट हर्बल पद्धति है। यह सरल, सस्ती चिकित्सा पद्धति राज्य की जनता के रोगोपचार के लिए एक नये विकल्प के रूप में सामने आ रही है। अब हमारे राज्य में इस पद्धति के तेज गति से विकास की आवश्यकता है, लेकिन इस पद्धति के बोर्ड के गठन का मामला अभी भी विचारणीय है। बजट घोषणाओं में बोर्ड के गठन सहित इस पद्धति के विकास का प्रावधान भी किया जाता है तो राजस्थान की जनता के लिए यह बहुत ही उपयोगी होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 2007 से 2017 के बीच में हमारे राज्य में इस पद्धति के गुणावगुण एवं विधिक पहलुओं की जांच के लिए उच्च स्तरीय समितियों का गठन हुआ। सितम्बर, 2017 में कमेटी की दृढ़ अभिशंसा आने के बाद मार्च, 2018 में राजस्थान विधान सभा में इस पद्धति के लिए एक्ट बनाया गया। सितम्बर, 2018 में बोर्ड का रजिस्ट्रार नियुक्त करके आयुष भवन, प्रताप नगर में इसका कार्यालय भी खोला गया। पिछले तीन वर्षों में अनेक माननीय सदस्यों ने इस पद्धति के विकास के लिए राज्य सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया।

महोदय, राजस्थान पहला राज्य है जहां पर इस पद्धति के लिए एक्ट बना है। केन्द्र सरकार की समिति आई.डी.सी. ने भी अपनी पांचवीं मीटिंग में राजस्थान सरकार की नयी चिकित्सा पद्धति के लिए एक्ट बनाने की इच्छा

(श्री कालीचरण सराफ)

शक्ति प्रकट करने एवं उसे लागू करने के प्रयासों की सराहना करते हुए राज्य में इस कार्य की प्रगति से अवगत कराने के लिए कहा है। मैं समझता हूं कि इस पद्धति के बोर्ड की घोषणा पर शीघ्र कार्यवाही की जाए और इस पद्धति के विकास हेतु बजट में प्रावधान किया जाए तो राज्य के गरीब लोगों को इस पद्धति का बहुत लाभ मिलेगा।

चूंकि राजस्थान इस पद्धति को मान्यता देने वाला प्रथम प्रदेश है, इस कारण इलेक्ट्रोपैथी, मेडिकल शिक्षा और चिकित्सा में राज्य को बड़े अवसर और लाभ मिलेंगे। साथ ही इससे रोजगार के अनेक अवसर भी खड़े होंगे। इसकी औषधियों की खपत बढ़ने से औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपने जवाब में निश्चित रूप से यह बताएं कि यह पद्धति आप कब तक लागू करना चाहते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि आपने अभी मेडिकल डाक्टर्स की भर्ती की। 2,000 की भर्ती निकाली आपने, 6 बार परीक्षाएं रद्द कीं, फिर सातवीं बार में बड़ी मेहरबानी करके सलेक्शन कर दिया। 2,000 में से 1,900 लोगों को आपने ज्वाइनिंग दे दी। आज भी उसमें से मेरी सूचना के हिसाब से 400-450 डाक्टर्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। मैं यह कहना चाहूंगा कि वेटिंग लिस्ट है अब वे जो ज्वाइन नहीं करना चाहते, उन्हें बार-बार आप क्यों टाइम देना चाहते हैं? 6-6, 7-7 बार उन्हें टाइम दे दिया। मेरा यह कहना है कि इसकी वेटिंग लिस्ट जारी करें और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्हें अलग करके बेरोजगार डाक्टर्स को रोजगार दिया जाए। इसके साथ-साथ जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, सरकार का इतना पैसा खर्च करवाया, ऐसे लोगों को परमानेंट डीबार करें। उन्हें अपाइंटमेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर बार एग्जाम में बैठ जाते हैं, पास हो जाते हैं, उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है, मनचाहा स्थान मिला तो ज्वाइन किया, नहीं तो नहीं किया। आखिर पूरे प्रदेश में यह तो आवश्यक नहीं है कि हर डाक्टर जयपुर में ही लगे, उदयपुर में लगे, अजमेर में लगे, जोधपुर में लगे। हमारे जो ट्राइबल क्षेत्र हैं, जो इंटीरियर्स हैं, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, यहां भी डाक्टर्स की आवश्यकता है। माननीय मंत्री महोदय, हमें सख्ती से इस बात का प्रयास करना होगा और इस प्रकार के डाक्टर्स को डीबार

(श्री कालीचरण सराफ)

करना होगा। ज्वाइनिंग नहीं करते, हम उन्हें टाइम पर टाइम दिये जा रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। टाइम लिमिट में बैठ गया हूं साहब, मैं।

श्री सभापति: डा. जितेन्द्र सिंह।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): साहब, मैं यह आक्सीमीटर टेबल कर देता हूं।

श्री सभापति: क्या चीज है? टेबल नहीं हो रहा है कुछ भी। कुछ भी टेबल नहीं होगा। यह वापस दे दें उन्हें।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, यह तो परम्परा ही गलत है।

श्री सभापति: अलाउ नहीं किया मैंने।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): इसे वापस दें इन्हें।

(14.00 बजे)

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, जीसस क्राइस्ट ने चिकित्सक के लिए कहा है, 'doctor is a half God and half pagan', लेकिन मेरी प्रार्थना है आधुनिक डाक्टरों से भी कि जो जीसस क्राइस्ट ने कहा था उनके नियमों पर चलें। माननीय सभापति महोदय, नास्त्रेदमस फ्रांस के भविष्यवक्ता थे, उन्होंने आज से हजारों साल पहले कहा था, that there'll be a Third World War. The Third World War maybe a nuclear war, maybe a bacterial war or maybe a viral war. लोगों को अच्छी तरह से याद है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जब अमेरिका में 1945 में परमाणु बम गिराया तो लाखों लोग हलाक हो गये लेकिन जो वुहान से कोरोना बम आया, परमाणु बम ने तो जापान के दो शहर तबाह किये थे, लेकिन वुहान से आये हुए बम ने पूरी दुनिया को तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। सभापति महोदय, हर सौ साल बाद दुनिया में ये परिस्थितियां पैदा होती हैं। सौ साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था, जिसमें करोड़ों लोग मर गये थे। पांच करोड़ लोग मरे थे स्पेनिश फ्लू में। 5 करोड़ मरे थे, तब 100 साल पहले क्या आबादी होगी। आज वर्तमान में जो वुहान से कोरोना बम शुरू हुआ, उसके आफ्टर इफेक्ट अब तक हैं। जैसे कि जापान में न्यूक्लियर अटैक हुआ था, उसके अब तक जनरेशन भुगत रही है। मैं नहीं जानता, being a doctor मैं

(श्री जितेन्द्र सिंह)

कह सकता हूं कि इसका कितने लोगों को भुगतना पड़ेगा। एक बार कोरोना होने के बाद पिण्ड नहीं छूटता। सभापति महोदय, आपके लंग्स खराब हो सकते हैं, आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपको कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। एस.एम.एस. हास्पिटल का चपरासी बैठे-बैठे ही चेयर पर गिर गया, सडन कार्डियक अरैस्ट।

नास्त्रेदमस ने आगे कहा था कि वर्ल्ड में जो वार होगा, a man in Central Asia with blue turban will appear and he'll spread peace in the World. मैं समझता हूं, विश्व की तो बात नहीं जनता लेकिन राजस्थान में, a man with a white kurta and a black jacket; and served like a pagan. माननीय अशोक गहलोत ने जिस तरह से कोरोना मैनेजमेंट किया, आफ कोर्स हमारे मंत्री रघु शर्मा जी बैठे हैं and he played a great role, being the lieutenant. कोरोना ने कितनी तबाही की दुनिया के अन्दर। We lost our four legislatives, माननीय भंवर लाल जी मेघवाल, माननीय कैलाश त्रिवेदी जी, माननीय गजेन्द्र सिंह जी शक्तावत, माननीय किरण माहेश्वरी जी, we lost them. अब तक भी विश्वास नहीं होता, जैसे सामने किरण माहेश्वरी बैठी हैं, पीछे मेरे मामा त्रिवेदी बैठे हैं। My mother is from the village of Kailash Trivedi Ji. यह विश्वास नहीं होता, राजेन्द्र जी बहुत सीनियर हैं, कटारिया साहब बहुत सीनियर हैं हाउस में बैठे हैं। 70 साल की हमारी डेमोक्रेसी में एक साथ चार साथी हमें छोड़कर चले गये हों। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी को कि उनकी याद को चिरस्थायी रखने के लिए उन्होंने गर्ल्स कालेज खोले और उनका नामकरण किया। विस्तार से तो माननीय मंत्री जी कोरोना के लिए बताएंगे, लेकिन राजस्थान में 20 लाख वैक्सीनेशन हुआ, 50 हजार आप जांचें कर रहे हैं। आपने विधायकों के लिए स्पेशल फैसेलिटी दी कि स्वयं आपने और मैंने भी और मैं समझता हूं कि आप सबको लगाना चाहिए। यह जो फोबिया फैला रखा है कि वैक्सीनेशन के अन्दर यह प्रोब्लम होगी, वह प्रोब्लम होगी, प्रोब्लम तो नहीं होगी, लेकिन अगर कुछ हो गया तो वाकई में प्राब्लम हो जाएगी। अपना सारा संदेह निकालकर उसमें हमें जो करना चाहिए, जिस तरह से वैक्सीनेशन की बात हुई है। राजस्थान माडल पूरे वर्ल्ड में चर्चित है। मेरे दामाद यू.एस.ए. के ह्यूस्टन में डिप्टी एम्बेसेडर हैं। Rajasthan model was discussed there and 5 लाख इण्डियंस हैं ह्यूस्टन के अन्दर और सबसे कम कोरोना रेट ह्यूस्टन में रही, क्योंकि उन्होंने आइसोलेशन शुरू कर दिया था। मैं

(श्री जितेन्द्र सिंह)

मुख्य मंत्री जी की सिर्फ इसलिए बड़ाई नहीं कर रहा कि वे राजस्थान गवर्नमेंट के मुख्य मंत्री हैं, लेकिन एक शायर ने कहा है -

"हजारों साल नर्गिस अपनी बे-नूरी पे रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।"

अशोक गहलोत, जिनके दिल में दर्द था। मैं धन्यवाद दूंगा सभी विधायकों को कि वे एक-एक करोड़ रुपया कोरोना कोष में प्रतिवर्ष दे रहे हैं और यह जनता की आवश्यकता है।

महोदय, मैं एस.एम.एस. हास्पिटल से शुरू करता हूं क्योंकि यह नार्थ इण्डिया का सबसे बड़ा और कंट्री में सबसे बड़ा आउटडोर एस.एम.एस. हास्पिटल का है। दस हजार प्रतिदिन पेशेंट आते हैं, 50 हजार at a time पूरा एक कस्बा रहता है उस पूरे एरिया में। 30 लाख लोग प्रतिवर्ष ट्रीट होते हैं, जिनमें 8 परसेंट मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, सब स्टेट्स के पेशेंट आते हैं, रेपुटेशन है। इस समय, जो हमारे लेजेंडरी डाक्टर्स थे, they're no more. हमारे डाक्टर नारायणन ई.एन.टी. की अथोरिटी थे, डाक्टर पी.के. सेठी, जिनको मैग्सेसे अवार्ड मिला, जिन्होंने रबर फुट बनाया। मुझे सौभाग्य मिला है, मैं उनकी आर्थोपेडिक्स की टीम में था और जो दुनिया में आज सब जगह रबर फुट आता है, अमेरिका जैसे डवलप्ड कंट्री में रबर फुट नहीं था, स्टील के उनके पांव होते थे। डाक्टर हैलिक, डाक्टर गिरधारी शर्मा, डाक्टर बी.के. गोयल, जो बाम्बे के शेरिफ रहे हैं। प्रजेंट में एस.एम.एस. हास्पिटल की जो एण्डोक्राइन लैब है, वह राजस्थान ही नहीं, भारत की सर्वश्रेष्ठ लेबोरेट्री है। मैं धन्यवाद दूंगा मंत्री जी आपको, वे रिसर्च कर रहे हैं। अगर हम सब लोग हाउस के 200 मैम्बर बैठे हैं, 6.5 per cent of the Indian population is suffering from diabetes. Diabetes is the mother of all diseases. खान-पान के माध्यम से और सारी सुविधाएं करके एस.एम.एस. में आज एण्डोक्राइन लैब डवलप हुआ है। महोदय, छोटे-छोटे बच्चों में डायबिटीज हो रही है। खान-पान का व्यवहार बदलना पड़ेगा। एस.एम.एस. की अपने आप में बहुत बड़ी रेपुटेशन है, जिस तरह से पूरी कंट्री के अन्दर अपना स्थान बना रखा है। आज यू.एस.ए. और यूके में, माननीय लेट चीफ मिनिस्टर भैरोंसिंह जी शेखावत साहब, उनकी बड़ी मेहरबानी थी, वे बाईपास कराकर आये तो मैं उनसे मिलने के लिए गया, पिताजी से उनके गहन सम्बन्ध रहे थे। मैंने कहा, कैसे रहा सर,

(श्री जितेन्द्र सिंह)

आपका? बोले डाक्टर साहब, मैं जब वहां गया, एनेस्थीसिया की टीम आई तो मुझे कुछ चेहरे जाने-पहचाने से नजर आए। मैंने कहा कि आप कहां के हो तो, साहब, जयपुर के हैं, डाक्टर डेंटन कुली। डाक्टर डेंटन कुली, जो विश्व के माने हुए हार्ट स्पेशलिस्ट थे, probably he operated him. 1993 में मैं तीसरी बार हाउस में आया था। माननीय लेट परसराम मदेरणा साहब उस हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन थे। उन्होंने कहा कि डाक्टर साहब आप बोलिए, आप डाक्टर हैं। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को कि 1993 में मेरे बहुत से साथी आते थे, महोदय, उस समय सारे डिपार्टमेंट, बात तो करते हैं कि एस.एम.एस. हास्पिटल को एम्स बना दो। एम्स कहां से बना दो, मेडिसिन डिपार्टमेंट में कार्डियोलाजी भी घुस रहा था, न्यूरोलाजी भी घुस रहा था, गेस्ट्रोएंट्रोलाजी भी घुस रहा था। मैं उस समय हाउस में बोला और मैंने शुरुआत की, 1993 में माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन, हैल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने डवलप किया, बहुत अच्छा, इमरजेंसी की हालत ठीक नहीं थी उस समय, मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने being a doctor and a legislative कि आपने शुरुआत की और जब cardiology department अलग हुआ, CIC unit अलग हुई, neurology, cardio neuro centre बना एस.एम.एस. हास्पिटल का, जो आज बांगड़ कहलाता है। Doctor Denton Cooley ने विश्व में सबसे ज्यादा cardiothoracic operations किये हैं और आज अकेले एस.एम.एस. हास्पिटल में कई गुना ज्यादा हमारी जो टीम है, डाक्टर्स की, उन्होंने कर दिये कार्डियोलाजी में, उन्होंने angioplasties कर दीं। मैं धन्यवाद दूंगा डा. करण सिंह यादव को, जिन्होंने डा. त्रेहान को बुलाया, डा. त्रेहान को बुलाकर यहां रखा, उन्होंने कहा, हमारे पास पैसा नहीं है देने को, हम आपकी टीम को बुला लेते हैं, हमारे डाक्टर्स को ट्रेंड करिए। डा. करण सिंह यादव ने यहां स्टार्ट किया, बाईपास सर्जरी स्टार्ट हुई। डा. क्रिश्चियन बनार्ड, उन्होंने वर्ल्ड में पहला हार्ट प्लांट किया था और वह हार्ट प्लांट तीन दिन जीया था, सिर्फ तीन दिन, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हमारे एस.एम.एस. हास्पिटल के cardiothoracic surgeons को और प्राइवेट हास्पिटल के डाक्टर को कि उनके द्वारा बाईपास सर्जरी जो, heart transplant operations किये गये हैं, वे अभी तक जिंदा हैं। यह निश्चित रूप से, this is a caliber of our doctors.

माननीय सभापति महोदय, कैंसर सबसे ज्यादा खतरनाक, जो जिंदगियां लेता है, जिसके बारे में मैंने बताया कि आज बहुत अच्छी स्टेट में

(श्री जितेन्द्र सिंह)

है, एस.एम.एस., and then next is Cancer. कैंसर में, सभापति महोदय, मेरी राय है मंत्री महोदय से कि पूरा haphazard हो रहा है। कैंसर, सबसे ज्यादा ब्लड कैंसर, then second number पर आता prostate cancer, ये आपने अलग से भवन बना दिया है, यहां से करीब पांच किलोमीटर दूर और सारा कैंसर का haphazard, इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि एस.एम.एस. विभाग को, सबको सैन्ट्रलाइज्ड करें। आपका यूरोलॉजी का एक यूनिट इधर है, दूसरा यूनिट उधर है, तीसरा यूनिट उधर है और हां, of course, आर्थोपैडिक में डा. पी.के. सेठी ने एक पूरा का पूरा यूनिट बना दिया था और आर्थोपैडिक का अलग है। बाकी के सारे के सारे haphazard में हैं।

उसको हमें सिस्टम से करना पड़ेगा और जो आपकी कैंसर यूनिट है, जो आपने बना रखा है यहां पर, मैं समझता हूं सोनी हास्पिटल के इधर कहीं है और वहां पर आलरेडी भवन बन चुका है कैंसर का और कैंसर के बारे में, सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कैंसर में जब पेशेंट पहुंचता है डाक्टर्स के पास, it's already too late. माननीय मंत्री महोदय, कैंसर की initial stage diagnosis, शुरू-शुरू डायग्नोसिस एस.एम.एस. में सम्भव नहीं है। महिलाएं शर्म के मारे बताती नहीं हैं, गायनी प्रोब्लम्स, हमारे cervical cancer बहुत कामन है, नैपकिन्स वगैरह सब बंट रहे हैं, लेकिन, cervical cancer बहुत कामन है, शर्म से नहीं बतातीं। ब्रेस्ट में जरा सी गांठ हो गयी, नहीं बतातीं शर्म के मारे, तो हमें इसकी शुरुआत हमारे सी.एच.सी. और जिला अस्पताल लेवल पर करना पड़ा, जहां एटलिस्ट या यह इतनी माइनर चीज है कि आपके सब-सेन्टर की ए.एन.एम., जी.एन.एम., and they can detect it. कोई gland हो रहा है ब्रेस्ट के अन्दर, she'll just ask, हां, साहब यह डर है, इस गांठ की जांच करा लीजिए।

महोदय, कैंसर का पेशेंट जब आता है इलाज के लिए, डाक्टर्स के हाथ में, डाक्टरों को नीचा देखना पड़ता है कि this is the third stage of the cancer तो इसलिए initially जो कैंसर की शुरुआत है, उसकी जांच हमें, हमारे हास्पिटल्स हैं, सी.एच.सी., पी.एच.सी., वहां से or even advisory हो वहां, आपकी साढ़े छह सौ तो सी.एच.सी. हैं, करीब ढाई हजार पी.एच.सी. हैं आपके पास, आपके पास 15 हजार सब-सेन्टर्स हैं, आपका बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है, उनको आप, इस बारे में अलग से ट्रैनिंग दिलानी हो, दिलाइये, क्योंकि सबसे ज्यादा मृत्यु का कारण कैंसर होता है।

(श्री जितेन्द्र सिंह)

बच्चों के pediatrics के बारे में बताना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, जे.के. लोन हास्पिटल, कन्ट्री का सबसे बड़ा बच्चों का हास्पिटल है। मेरे रिलेटिव हैं, मैं गया सीकर में, आप भी जानते होंगे, डाक्टर हैं वहां पर, उनका लड़का mentally retarded था, अभी मैं गया तो मिले नहीं, मैंने कहा बच्चा कहां गया, बोले डाक्टर साहब, मैंने उसको आश्रम में रख दिया, भगवान की पूजा करेगा। जिसके घर में कोई मानसिक रूप से विकलांग बच्चा पैदा हो रहा है, उनकी जिंदगी गुजारना hell हो जाती है, माताओं की जिन्दगी गुजारना hell हो जाती है, but it can diagnosed before time, समय के पहले इसका डायग्नोसिस हो सकता है, हम सोनोग्राफी करते हैं, उसमें डिटेक्ट हो जाता है या फिर उसका paracentesis कर लेते हैं, amniotic fluid, बच्चे दानी का पानी निकालकर जांच कर लेते हैं तो पता लग जाता है कि इसके अन्दर ये बच्चा विकलांग होने की सम्भावना है। माननीय मंत्री महोदय, उसमें थोड़ा रिलेक्सेशन करें, जो सोनोग्राफी चलाते हैं, सारे के सारे भयभीत हो गये, क्योंकि हर चीज में टारगेटिंग होता है कि ये मेल-फीमेल रेशो निकाल रहे होंगे।

मैं बताना चाहूंगा कि फीमेल रेशो में झुंझनूं जिला नम्बर वन रहा है राजस्थान के अन्दर, 1 हजार में से 955 गर्ल्स पैदा हुई हैं। उसमें इतनी सी फैसिलिटी उनको देनी चाहिए कि वे उसके अन्दर amniotic fluid निकालकर जांच कर लें। बच्चों की immediate death होती है, डाक्टरों के सिर पर चढ़ आते हैं कि बच्चा तो मर गया, doctor is not responsible. It's a genetic problem. मुझे पता है मेरे पिताजी ने R.G Kar Medical College से 1937 में एम.बी.बी.एस. किया था। एस.एम.एस. भी नहीं बना था, मेयो हास्पिटल था और जब एस.एम.एस. में आये तो मेरे ताऊजी मैसूर हाई कोर्ट के जज थे। उन्होंने मिर्जा इस्माइल से कहा कि मेरा भाई डाक्टर है, इसको कोई प्लाट देना। मिर्जा इस्माइल काली टोपी, डंडा हाथ में रखते थे। बोले कौन है डा. छोगालाल, उन्होंने कहा कि, सर, मैं हूं। बोले, आपको सामने ये प्लाट दे दें, कौनसा प्लाट लेना है, वे हक्के-बक्के रहे गये, कौन प्लाट दे रहा है, तीन-तीन हजार गज के। सर, सामने वाले प्लाट तो आप जानते होंगे, उन्होंने कहा जो पसंद हो, ले लो, तीन हजार रुपये थे, तनख्वाह मिलती थी पिताजी को 80 रुपये, नहीं खरीद सकते थे और जब ताऊजी दुबारा आए, यहां क्या कर रहा है छोगालाल, यहां तो बहुतेरे डाक्टर हैं, आप जाओ खेतड़ी, सर्व कर, पिताजी ने छोड़ा, कर्नल नेल्सन उनके हैड थे, उन्होंने कहा, why are

(श्री जितेन्द्र सिंह)

you leaving Jaipur and going to the Sand Dunes? साहब, बड़े भाई साहब ने मुझे पढ़ाया लिखाया है, मुझे जाना पड़ेगा, मेरे पिताजी खेतड़ी चले गये।

माननीय सभापति महोदय, आज के डाक्टर्स के पास तो सी.टी. स्कैन, एम.आर.आई. सब कुछ हैं। उस वक्त कुछ नहीं होता था। एक ऊंट पर तो पिताजी चलते थे, एक पर sterilizer बंधा रहता था। राजेन्द्र गुढ़ा जी के गांव में और इनमें पिताजी जाया करते थे। 0.5 ग्राम हीमोग्लोबिन, जिसमें आज डाक्टर हाथ नहीं लगाए पेशेंट को, उनकी उसके घर में सर्जरी किया करते थे। कितनी विषम परिस्थितियां थीं। आज सब कुछ फैसिलिटी हैं हमारे पास। आज डाक्टर पर चढ़ जाते हैं, कोई मर गया तो, आर.एच. नेगेटिव, महिला अगर आर.एच. नेगेटिव है तो उसका बच्चा मर जाएगा, होते ही तीसरे दिन। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के समय में प्रश्न उठाया था, उन्होंने आलरेडी उसका इंजेक्शन देना शुरू कर दिया कि डिलीवरी के एक दिन पहले तुरन्त आर.एच. नेगेटिव का टीका दिया जाए, वरना मैंने देखा है, एक महिला के 6-6 बच्चे मर गये थे।

माननीय सभापति महोदय, diabetes is the first cause of blindness. गांव के अन्दर डायबिटीज, वे समझते हैं मीठा खा लो, मैं तो बहुत समझाता हूं कि मत खाया करो। मैं भी कई बार गलती करता हूं लेकिन this is very dangerous. किडनी गयी आपकी, पांव amputation हो जाएगा, ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, ब्लाइंड हो जाओगे। बहुत serious affair है कि आंखों के लिए, हमें डायबिटीज के लिए हमको स्कूल टाइम से चेतना करनी पड़ेगी, diabetes is such a common disease now. बच्चों में हो रही है, newborn में हो रही है। Psychiatrist, मनोचिकित्सालय, महोदय, कोरोना के आने के बाद बड़ा खतरा पैदा हो गया 25 per cent of the population in the world is suffering from psychiatry problems तो इस वजह से सभापति महोदय, मेरा यह कहना है, ईवन इसके बाद में, कोरोना के बाद में सायकेट्री प्रोब्लम हो जाती है। बच्चों में एजुकेशन का पढ़ाई का प्रेशर इतना है तो उनकी काउंसलिंग समय-समय पर होती रहे स्कूल में, मैं यह कहना चाहूंगा। मेडिकल एजुकेशन में महोदय आज राजस्थान बहुत लीडिंग है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी को, माननीय हैल्थ मिनिस्टर साहब को, प्रधान मंत्री जी ने किया, अच्छी बात है। प्रधान मंत्री हैं देश के, उनको करना चाहिए। आज हर जिले में मेडिकल कालेज खोलने की उन्होंने जो घोषणा की है और इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। हम पढ़ते थे तब, सभापति महोदय,

(श्री जितेन्द्र सिंह)

3 मेडिकल कालेज थे एस.एम.एस., बीकानेर और उदयपुर। आज 7-8 मेडिकल कालेज हैं तथा और जुड़ रहे हैं। इस तरह से हर जिले में स्टार्ट हो रहा है। सीकर में करीब-करीब बन चुका है। हर जिले में स्टार्ट हो रहा है तो निश्चित रूप से जो डाक्टर्स की कमी है, लेकिन उनको यह भी सोचना पड़ेगा कि एक साथ अगर बम की तरह डाक्टरों को फैला देंगे तो डाक्टरों की हालत इंजीनियरों की जैसी हो जाएगी। We want quality education, डाक्टर तो बनें, लेकिन हमें क्वालिटी डाक्टर्स मिलने चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, सभापति महोदय, कि उन्होंने डाक्टर्स के प्रमोशन में, मैं मौजूद था आपके घर पर, आपके घर पर रात को निर्णय हुआ था कि डाक्टर्स का प्रमोशन किया जाए। आपको ध्यान होगा सभापति महोदय, आप और मैं बैठे थे। उस समय मुख्य मंत्री जी ने कहा था। सेक्रेटरी बैठे थे वहीं पर। जब मैंने उनसे कहा कि डाक्टर्स का टाइम बाउंड प्रमोशन होना चाहिए तो चीफ सेक्रेटरी साहब, मैथ्यू साहब, अब नहीं हैं, रिटायर होकर चले गये, उन्होंने कहा why to doctors? Why not to engineers? मैं सुनता रहा। मेरे बगल में बैठे थे, सभापति महोदय, आप तो सामने विराजे हुए थे, मैंने कहा, well, my father was a great sufferer. He passed MBBS from R.G Kar Medical College, Calcutta, क्योंकि मैगरेकर और टाप डाक्टर्स थे, उनके डा. मेगरेकर, डा. के. दास जिनके नाम से किताबें चलती हैं, वे तो उनके टीचर थे। He joined as a Medical Officer in 1937. He retired as a Medical Officer in 1971. प्रमोशन का कोई नाम नहीं, दंड था कि खेतड़ी में जाकर डाक्टरी कर रहे हो, तुम्हें इसका दंड दिया जाता है जबकि कर्नल नेल्सन ने कहा था कि छोगालाल जयपुर में रहो पी.जी. यहां खुल रहा है, तुम प्रिंसिपल बनोगे लेकिन वे चले गये। मैं जाने लगा विदेश, मैं जब एम.बी.बी.एस. करके आया था तो मैं चुपचाप, मेरी छोटी बहन रहती है, मैंने कहा पैसे नहीं हैं तो उसने टिकट भेज दिया। उसने मेरा मेलबर्न यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया। मैं जाने लगा तो पिताजी ने कहा कि क्या कर रहा है? मैं मदर से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जाओ, पर याद रखना वहां तेरे जैसे हजारों डाक्टर होंगे, तू भीड़ में गुम हो जाएगा और अगर खेतड़ी, नीमकाथाना में रहेगा तो छोगालाल का बेटा कहलाएगा। आज पिताजी नहीं हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं एक साधारण डाक्टर से राजस्थान में पांच-छह बार जीता, 10 साल वजीर रहा राजस्थान की सरकार में। राजेन्द्र जी, मैं नाम ले रहा हूं आपका सम्मान के साथ, आज डाक्टर डरते हैं आखिरी टाइम पेशेंट के लिए लड़ाई लड़ते हुए। वे जानते है कि नहीं बचेगा तो सारे घर वाले चढ़ जाएंगे। मेरे

(श्री जितेन्द्र सिंह)

पिताजी अंतिम समय तक, एक हमारे मेनिनजाइटिस का पेशेंट आया, उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे रहे थे। उसकी सांस बंद हो गयी थी, छोटा-सा बच्चा था। वह बच्चा बच गया, लेकिन मेरे पिताजी मेनिनजाइटिस से बच नहीं सके। वह बच्चा आज 30 साल का है, लेकिन मेरे फादर को उससे इंफेक्शन हुआ and he developed meningitis of the brain, एस.एम.एस. हास्पिटल के आई.सी.यू. में देहान्त हो गया। इतनी लड़ाई कौन लड़ता है। एस.एम.एस. को जरूरत है कि यहां पर पुलिस की एक चौकी होनी चाहिए और यह बनाइए आप।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हो गयी।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): क्योंकि डाक्टर को अगर फैसिलिटी नहीं होगी, अंत में सब कहते हैं, डाक्टर जी क्या करें, उसने तो लिखकर भेज दिया, जयपुर रैफर कर दिया। अगर जयपुर रैफर नहीं करेगा तो तुम जान ले लोगे इसकी। धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट को कि एटलिस्ट डाक्टर्स को उन्होंने डिफेंड किया कि डाइरेक्टली उन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। एक-दो परसेंट लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन कोई किसी को मारना नहीं चाहता है।

मुफ्त जांच की मुख्य मंत्री जी ने शुरुआत की। माननीय सभापति महोदय, अंत में, मैं बताना चाहूंगा कि भगवान गरीबी किसी को नहीं दे। मेरे चिकित्सक के रूप में पिताजी से शर्त हुई थी कि तू नेतागीरी तो करेगा लेकिन तू 12:00 बजे तक हास्पिटल में बैठेगा, उसके बाद तू तेरी कांस्टीट्यूएंसी सम्भाल लेना। मैंने सभापति महोदय, 1968 में एम.बी.बी.एस. किया था, 1964 में ज्वाइन किया था। एस.एम.एस. मेडिकल कालेज में मैंने बहुत से नजारे देखे हैं। मैंने बुड्ढे बाप के कंधे पर जवान बेटे की लाश को जाते हुए देखा है। मैंने मां की गोद में तड़प-तड़पकर बच्चों को दम तोड़ते देखा है। सभापति महोदय, एक बार तो मैं सिहर गया। एक नव वधू आई थी। उसकी मांग में सिंदूर था, गोद में बीमार पति था कि डाक्टर साहब, इनको देखो इनको बुखार है, उसकी शादी को 3 दिन ही हुए थे। मैंने जब नब्ज देखी तो नब्ज गायब थी। मैंने कहा बेटा, I'm sorry, I can't do anything और जब पिताजी पूछते थे, चौधरी, इलाज क्यों नहीं कराते हैं? ठाकुर साहब, इलाज क्यों नहीं कराते तो उनकी आंख में आंसू आ जाते थे कि डाक्टर जी पैसे नहीं हैं। चौधरी का जवान बेटा, ठाकुर साहब का जवान बेटा इसलिए मर गया कि इलाज के लिए पैसा नहीं था।

(श्री जितेन्द्र सिंह)

माननीय मुख्य मंत्री जी ने शुरुआत की मुफ्त दवा योजना, 5 लाख रुपये तक का बीमा सभापति महोदय, मुझे पता है मेरे फ्रेंड डाक्टर सेठी थे, उनकी वाइफ की किडनी फैल्योर हो गयी। हम लोगों ने चंदा करके दिया। पैसा नहीं मिलता था। वह तो डाक्टर था, मेरा साथी था। आज भी कालेज के लड़के आते हैं, छोटे भाई को क्लीनिक के ऊपर दिखाने आते हैं, फिर जेब से रेजगारी निकालने लगते हैं, तो मैं कहता हूं कि ऐसा मत करो। अब इनके लिए सोचना पड़ेगा, कहां से लाएंगे ये पैसे। इनके मां-बाप मुश्किल से दे पाते हैं। ये कालेज में पढ़ने वाले हैं। मुझे पता है कि महाराजा कालेज में हम लोग, हमारा एक साथी बीमार हो गया था, तो आज तक मुझे याद है 5 रुपये मुझे देने पड़े, 5 रुपये हर्षवर्धन गुप्ता ने दिये और 5 रुपये सुमेर सिंह राठौड़ ने दिये। ऐसे करके बाजार से 15 रुपये की दवा लेकर आये। ये कालेज के बच्चे कहां से पैसे लाएंगे। सीनियर सिटीजन नहीं हैं ये। यह सब सोचना पड़ेगा वाइडर स्केल पर, मंत्री महोदय, स्टूडेंट्स हैं, वह किस कैटेगरी में आते हैं, I don't know.

सभापति महोदय, बहुत लम्बी बात नहीं करनी है। एक भ्रमणशील इकाई ने बहुत बड़ा काम किया है हमारे ट्राइबल एरिया में। डाक्टर एस.सी. मेहता ने चालू किया था भ्रमणशील इकाई का और उसमें करीब 10,000 आपरेशन प्रतिवर्ष हो जाते हैं, जगह-जगह उनके कैम्प्स वगैरह लगते हैं। यह जो शुरुआत की थी, पूरे भारतवर्ष में सिर्फ राजस्थान में भ्रमणशील इकाई है, सभापति महोदय, और कहीं नहीं है। माननीय सभापति महोदय, बहुत कुछ है कहने को, मैं डाक्टर हूं बहुत कुछ बोल सकता हूं लेकिन मैं मेरी तरफ से जो मैंने लेकुनाज देखे, विभिन्न विभागों में जो डवलपमेंट्स होने चाहिए थे, उसमें कहा और मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं।

लास्ट में, मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक पीड़ा बता देता हूं कि हिन्दुस्तान कापर कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। वह घाटे में जाने के कारण उनका एक रैफरल हास्पिटल था, वह बंद कर दिया। वहां गोठड़ा पंचायत हैं, जहां 13,000 वोटर हैं, 20-25 हजार की आबादी है, एक भी हास्पिटल नहीं है। मुझे थोड़ा जल्दी बोलना चाहिए था। मुख्य मंत्री जी के पास में गया, तो बोले कि डाक्टर साहब थोड़ा लेट हो गये, यहीं बोल देता, घोषणा कर देता तो मंत्री महोदय, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गोठड़ा मेरे विधान सभा क्षेत्र में, जिसमें एशिया का सबसे बड़ा कापर प्रोजेक्ट का कारखाना है, वहां कोई हास्पिटल नहीं है। आप एक पी.एच.सी. देने की कृपा करें। आपने सभापति महोदय, मुझे समय दिया, मैं आभारी हूं। आपका धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अविनाश गहलोत।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे आज मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा हमारे हिन्दुस्तान में प्राय: यह माना जाता है कि चिकित्सकों को भगवान का दर्जा दिया जाता है और इस हिन्दुस्तान की एक परिकल्पना रही है और मैं इन शब्दों के साथ में व्यक्त करना चाहता हूं कि 'भारत हमारी मां है, माता का रूप है प्यारा, करना इसकी रक्षा, कर्तव्य है हमारा' इस भारत देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करना, उनको उचित चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराना यह हमारा फर्ज बनता है। मैं आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर सर्वप्रथम श्रद्धांजलि देना चाहूंगा इस हिन्दुस्तान की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्री बाई फूले को जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, महान समाज सुधारिका और नारी मुक्ति आंदोलन की परिणीता के रूप में मानी जाती हैं। आज उनकी 124वीं पुण्य तिथि है। मैं इस अवसर पर पूरे सदन की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं जिस विषय पर आज इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उससे पहले माननीय चिकित्सा मंत्री जी यहां विराजमान हैं, मुझे मालूम है कि यह जनरल हैल्थ की डिबेट नहीं है, पर माननीय मंत्री महोदय, दो दिन पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में, यह अख़बार की एक फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यह अख़बार की न्यूज है और उसके साथ एक महिला व उसकी दो साल की लड़की की फोटो है। यह महिला रास चिकित्सालय में जाती है, मेरी विधान सभा क्षेत्र का बहुत बड़ा ग्रामीण इलाका है, रास सी.एच.सी.। वहां यह महिला अपने प्रसव के लिए जाती है, परन्तु वहां महिला गायनिक नहीं होने के कारण और चिकित्सकों की कार्यशैली के कारण उस महिला को दो घंटे उस हास्पिटल में बैठाये रखा जाता है। पहले उसको बोला जाता है कि नार्मल डिलीवरी होगी। उसके दो घंटे बाद उसको निकटवर्ती ब्यावर चिकित्सालय में रैफर किया जाता है। वहां अत्यधिक सीरियस होने के बाद उसको अजमेर रैफर किया जाता है। माननीय मंत्री महोदय, दूसरे दिन उस महिला की डैथ हो जाती है। जिस महिला की मैं फोटो दिखा रहा हूं, वह देवासी समाज की महिला है। 26 साल की महिला है, जिसके दो साल की लड़की है। इंसानियत तब शर्मसार हो जाती है कि जब इलाज के अभाव में यह महिला दम तोड़ देती है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूं। बहुत बड़ी विनम्रता के साथ आपसे निवेदन

(श्री अविनाश)

करना चाहता हूं कि इस महिला के कंधों पर दो साल की बिटिया का बोझ था, उसके भविष्य को देखते हुए आज उसकी चिंता कौन करेगा? क्या इस राजस्थान प्रदेश की सरकार को यह चिंता जाहिर करने का अधिकार नहीं है? क्या इस प्रदेश के संवेदनशील मंत्री होने के नाते आपकी जवाबदेही नहीं बनती है कि प्रदेश के चिकित्सालयों में, दूर दराज की आबादी में जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर महिला चिकित्सकों की नियुक्ति करें, ताकि दुबारा भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं हो और इलाज के अभाव में कोई माता, बहन डिलीवरी में दम नहीं तोड़े। मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की जैतारण, निमाज और रास, तीन सी.एच.सी. हैं, बाकी सारे डाक्टर्स आपने लगाए, आपको बहुत धन्यवाद दूंगा, पर यह तीन जगह हैं, यहां पर तीन महिला चिकित्सक लगा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी।

इसके अलावा मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में नर्सिंग कालेज की आवश्यकता है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि छात्र भी साइंस में बहुत पढ़े लिखे हैं, योग्यता भी रखते हैं, नर्सिंग कालेज की स्वीकृति अगर आपके माध्यम से मिल जाएगी तो इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाएंगे और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। इसके साथ विधान सभा क्षेत्र जैतारण में ए.एन.एम. और जी.एन.एम. के लिए प्रशिक्षण केन्द्र के लिए भी मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप आने वाले समय में जैतारण क्षेत्र के लिए ए.एन.एम. और जी.एन.एम. के प्रशिक्षण केन्द्र की स्वीकृति भी प्रदान करें। हालांकि अधिकांश जगह पर ए.एन.एम. और जी.एन.एम. के पद रिक्त हैं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि ग्रामीण इलाकों में जहां सब सेंटर है, जहां पी.एच.सी. हैं, वहां पर ए.एन.एम. और जी.एन.एम. की नियुक्ति भी आप प्रदान करें।

मेरे जैतारण मुख्यालय पर जो बहुत बड़ा कस्बा है सभापति महोदय, मेरा जैतारण इलाके में, दूरी अगर ए से बी पाइंट की काउंट की जाए तो लगभग 125 किलोमीटर की दूरी तय होती है और उसके बीच में किसी प्रकार का कोई चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है, कोई नर्सिंग कालेज नहीं है और कोई दूसरा इस प्रकार का बड़ा हास्पिटल नहीं है जहां इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए। मेरा निवेदन रहेगा कि जैतारण मुख्यालय पर चिकित्सा महाविद्यालय की स्वीकृति के बारे में भी आप लोग जरूर विचार-विमर्श करें। इसके साथ

(श्री अविनाश)

वेटेरिनरी प्रशिक्षण केन्द्र की भी आवश्यकता है। मेरा निवेदन रहेगा कि इस पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इलेक्ट्रोपैथी की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। कुछ महीनों पहले राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा परिषद्, जिसके अध्यक्ष डाक्टर हेमंत सेठिया जी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक सेमिनार का आयोजन हुआ। उस सेमिनार में इस राजस्थान के महामहिम राज्यपाल आदरणीय कलराज मिश्र साहब उपस्थित हुए। उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन भी किया। इस इलेक्ट्रोपैथी परिषद् के द्वारा कोरोना में इलेक्ट्रोपैथी दवाओं का नि:शुल्क दवा वितरण पूरे राजस्थान में किया गया, उसके बारे में उसकी प्रभावशीलता को नकारा नहीं जा सकता। इस एक साल से इस देश में, इस प्रदेश में कोरोना ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। उसमें भी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए और हमारी इम्युनिटी पावर को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से इलेक्ट्रोपैथी दवाओं ने असर किया, उसके लिए भी उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इलेक्ट्रोपैथी दवाओं के सेवन से हमारी बाडी में किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। यह भी इसकी खासियत है। मैं निवेदन इसलिए करना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से यह कहा कि हर भारतीय को एक हैल्थ आई.डी. दी जाएगी, जो स्वास्थ्य खाते की तरह होगी। आपके हर टैस्ट, हर बीमारी का इसमें जिक्र होगा। किस डाक्टर ने कौनसी दवा दी और उसका डाइग्नोसिस क्या था, यह भी पता चलेगा और उसको ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने अभी आयुष्मान योजना लागू की। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इस आयुष्मान योजना के कारण 5 लाख तक का इलाज इस ग्रामीण आबादी के क्षेत्र की जनता को, जो गरीब है, जो निर्धन है, जो खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए नाम हैं उनको मुफ्त में इलाज मिलता है। अभी पिछले 7-8 महीनों से खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने का राजस्थान सरकार का जो पोर्टल है, वह बंद हो गया। आज मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि हिन्दुस्तान में न्याय के अभाव में, जानकारी के अभाव में कोई न्याय से वंचित न रहे, उसके लिए भी कानून बना हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, यह खाद्य सुरक्षा इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, एक गरीब व्यक्ति जिसका खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ा जाता है और जो हमारी पिछली भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार में नि:शुल्क दवा योजना

(श्री अविनाश)

लागू थी, आज 5 लाख का इलाज मुफ्त दिया जाता है, लेकिन खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ने के कारण जो गांवों के गरीब लोग हैं, वे इस योजना का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। मेरा बार-बार सरकार से निवेदन रहेगा, हालांकि इस विषय से हटकर हो सकता है, पर सदन में ध्यान आकर्षित कराना मैं जरूरी समझता हूं कि खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने के पोर्टल को तुरन्त प्रभाव से खुलवाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र का एक उदाहरण देना चाहूंगा कि बी.पी.एल. परिवार के जो लोग हैं, गम्भीर बीमारियों का इलाज जो इस योजना के अन्तर्गत आता है, उनको भी इलाज कराना पड़ता है, लेकिन चूंकि कुछ समस्याओं के कारण इस योजना से लाभ नहीं मिल पाता है।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री अविनाश (जैतारण): उनको मजबूरी में इलाज के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। छोटे-छोटे बच्चों का इलाज कराने के लिए कई अहमदाबाद जाते हैं, कई दिल्ली जाते हैं। इलाज तो करवा लेते हैं, लेकिन इस योजना में नाम नहीं जुड़ने के कारण लाखों रुपये उनको देने पड़ते हैं। मजबूरी में वे कर्ज लेकर अपने बच्चों का, अपनी औरतों का, अपने परिवार का इलाज करवाते हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस ओर ध्यान दें। मैंने जो इस इलेक्ट्रोपैथी परिषद् के बारे में कहा, उसमें यह लिखा हुआ है कि हमारी वसुन्धरा जी की सरकार के समय इसका गठन हुआ और उसके बाद आचार संहिता लगने के कारण, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले समय आप लोग इलेक्ट्रोपैथी के लिए, राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन एक्ट, 2018 सर्वसम्मति से इसी विधान सभा के सदन में पारित हुआ, गजट नोटिफिकेशन हुआ। उसके बाद यह मामला लम्बित है, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इसको भी स्वीकृति प्रदान करें तो यह राजस्थान प्रदेश की इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने में बहुत-बहुत सहयोग करेंगे। एक बार पुन: मैंने जो आपका ध्यान आकर्षित किया, उस पर आप लोग ध्यान करेंगे और निश्चित रूप से माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, इस बी.पी.एल. परिवार की महिला को न्याय दिलाएंगे और यहां चिकित्सकों की नियुक्ति करेंगे। आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: सुश्री रीटा चौधरी।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): चिकित्सा एक विज्ञान है और केवल

(सुश्री रीटा चौधरी)

मजबूत चिकित्सा शिक्षा की नींव पर ही सफल चिकित्सा की जा सकती है। सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर बोलने का मुझे मौका दिया।

सभापति महोदय, कोरोना महामारी से हम सब लोग वाकिफ हैं। कोरोना महामारी ने दुनिया की दिशा और दशा बदलने का काम किया। हम लोग सब अपने घरों में कैद होकर, एक कमरे में हमारी जिंदगी चलने लगी और सब लोग स्वास्थ्य के प्रति सजग और सचेत हो गये। मैंने खुद ने भी यह महसूस किया। मैं समझती थी कि जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे विधायक साथी से या हम गांव में जाकर लोगों से मिलेंगे तो काफी उनका वज़न बढ़ा हुआ मिलेगा लेकिन मैंने महसूस किया कि लॉकडाउन के दौरान लोग कोरोना से इतने चिंतित थे और उन्होंने अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होकर व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा, जो भी करने की उन्होंने चेष्टा की, अपने खान-पान में बदलाव किया। इसको देखते हुए लॉकडाउन जो हुआ और जो कोरोना महामारी आयी, एक तरह से हमें स्वास्थ्य के प्रति एक चेतना देकर गयी।

भारत को विश्व गुरू का दर्जा दिया जाता है, लेकिन अफसोस है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री, मैं कहना चाहूंगी कि वे अपने आपको प्रधान सेवक कहते हैं, वह मौका उन्होंने खो दिया। जब विश्व और हमारे देश के अन्दर कोरोना महामारी आ रही थी तो हमारे प्रधान मंत्री वैलकम ट्रम्प और सरकार गिराने की गतिविधियों में शामिल थे लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जागरूक थे और उन्होंने राजस्थान में ही नहीं, बल्कि देश-विदेश के अन्दर भी अग्रणी भूमिका निभायी और सबसे पहले लॉकडाउन किया।

सभापति महोदय, जब कोरोना का एक दौर चला गया तो हम सोच रहे थे कि हमारी केन्द्र की सरकार एक स्वस्थ और स्वास्थ्य से सम्बन्धित बजट लेकर आएंगी। जब केन्द्र की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट का पिटारा खोला तो हम लोग ढूंढते रहे गये कि उन्होंने स्वास्थ्य के लिए क्या दिया। उसमें हमें केवल और केवल यह देखने को मिला कि बेचो, बेचो और खाओ, बेचो और राज चलाओ। सभापति महोदय, गौरतलब है कि नेशनल हैल्थ प्रोफाइल के मुताबिक भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में जी.डी.पी. का महज 1.08 परसेंट ही खर्च करता है। हमारे देश के नजदीक के जो देश हैं, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे भूटान हो, वे भी स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं और हम लोगों से ज्यादा वे स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं।

(सुश्री रीटा चौधरी)

देश में पौने पांच सौ के करीब मेडिकल कालेज हैं। आधे प्राइवेट हैं, आधे सरकारी हैं। भारत के अन्दर न तो पर्याप्त अस्पताल हैं, न पर्याप्त डाक्टर हैं, न पर्याप्त नर्सें हैं। हम लोगों को इस बारे में विचार करना होगा, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी अब हम लोगों को तय करनी पड़ेगी और हैल्थ को लेकर चलना पड़ेगा। मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में राजस्थान अन्य राज्य, महाराष्ट्र हो, केरल हो, कर्नाटक हो, चाहे गुजरात हो, उनसे पिछड़ा हुआ रहा है, लेकिन पिछले एक दशक में राज्य ने इस दिशा में रिमार्केबल तरक्की की है। हमारे मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी का जो पिछला कार्यकाल था, उसमें बहुत इनिशिएटिव स्टेप्स लिये गये। उन्होंने ही राज्य में नये मेडिकल कालेज खोलने की प्लानिंग की थी। उस समय केन्द्र के अन्दर कांग्रेस की सरकार थी, यू.पी.ए. सरकार थी। उन्होंने ही स्वास्थ्य को देखते हुए यहां से प्रस्ताव भिजवाया था कि प्रत्येक जिले के अन्दर जिला हैडक्वार्टर के ऊपर मेडिकल कालेज खोला जाए। उसी के परिणामस्वरूप राज्य में एम.बी.बी.एस. और पी.जी. की सीटें बढ़ीं, लेकिन फिर भी हम लोग काफी पीछे हैं। हमारे राजस्थान में जो डाक्टर-पेशेंट रेशो है वह 1/2500 है। जो राष्ट्रीय रेशो है, वह 1/1700 है, उससे काफी कम है। जो ग्लोबल मानक है, वह 1/1000 है, उससे तो हम बहुत पीछे हैं। राजस्थान में अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है, जहां चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। इस प्रकार गांवों के अन्दर यह रेशो बहुत बढ़ जाता है।

सभापति महोदय, हमारा यह जो 2021-22 का बजट है। पहला सुख निरोगी काया की अवधारणा को कायम करते हुए हमारी सरकार ने पिछले और वर्तमान कार्यकाल में चिकित्सा व स्वास्थ्य पर बहुत फोकस रखा है। मैं समझती हूं कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसमें प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मेडिकल कालेज होने जा रहे हैं। वर्तमान बजट के अन्दर चिकित्सा शिक्षा को लेकर हमारे मुख्य मंत्री जी ने अनेकों घोषणाएं की हैं। नर्सिंग कालेज खोलने की घोषणा की, पब्लिक हैल्थ कालेज खोलने की घोषणा की। जो एक सबसे बड़ी विशेष बात मुझे लगी, मैं समझती हूं, वह है, आठ विशेषताओं में पोस्ट एम.बी.बी.एस. डिप्लोमा कोर्स आरम्भ करने की बात की, जिससे हमारे यहां पर 400 एडिशनल विशेषज्ञ और चिकित्सक उपलब्ध हो जाएंगे।

सभापति महोदय, हमने इस बजट में मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर काफी

(सुश्री रीटा चौधरी)

बजट अलोकेट किया। लगभग हर जिले में मेडिकल कालेज खोलने की बात हम लोगों ने रखी, लेकिन मुझे लगता है कि संस्थाओं में क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए और इन संस्थाओं को डवलप करने में कहीं न कहीं फैकल्टी की कमी रहेगी, उसके लिए आप और हम सब लोग चिंतित हैं। जब पहले एम.आई.सी. था, अब एन.एम.सी. हो गया, इनके जब इंस्पेक्शन होते हैं हमारे मेडिकल कालेजों को मान्यता देने के लिए, तो हमारे पास फैकल्टी नहीं होती। अगर इंस्पेक्शन करने वाली टीम झालावाड़ जाती है तो हम लोग जयपुर से डाक्टर्स वहां भेजते हैं। चूरू जाती है तो बीकानेर से वहां फैकल्टी दिखाने के लिए डाक्टर्स भेजते हैं। एक बहुत ही चिंता का यह विषय रहा है। मेरा सब्मिशन है, चिकित्सा स्टेट मिनिस्टर यहां बैठे हैं। जिला मुख्यालयों पर कई विशेषज्ञ डाक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। हम लोगों को उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनकी सेवाएं हमें अपने मेडिकल कालेजों में लेनी चाहिए। रेवेन्यू का सोर्स राजस्थान सरकार के पास ज्यादा नहीं है। मैं समझती हूं कि जो मेडिकल कालेज जिला मुख्यालयों पर हैं जहां पर हमारे पास कमी लगती है, उनको हम भूमि आबंटित कर दें, इसको पी.पी.पी. मोड पर दे दें। भामाशाहों से मिलकर इसकी बिल्डिंग बनाएं और इसमें जो इक्विपमेंट्स चाहिए, वे दें। हम लोग इस तरह से हमारे मेडिकल कालेजों को और बेहतर बना सकते हैं।

सभापति महोदय, सरकारी कालेजों में हम लोगों को सीटें बढ़ाने की जरूरत है। हमें पी.जी. की सीटें बढ़ानी चाहिए, हमें एम.बी.बी.एस. की सीटें बढ़ानी चाहिए, उसके अलावा डी.एन.बी. के कोर्सेज भी हमें मंजूर करने चाहिए। केन्द्र सरकार पिछली बार जब एम.आई.सी. को बदलकर एन.एम.सी. विधेयक लेकर आयी थी तो उसमें उन्होंने ब्रिज कोर्सेज की बात की थी। मैं समझती हूं कि वह इसके लिए एक बेहतर विकल्प था, क्योंकि बी.डी.एस. किये हुए जो डाक्टर्स होते हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और एम.बी.बी.एस. करके जाते हैं, हर कोई पी.जी. क्लियर नहीं करता है। उनके अन्दर स्पेशलिटी नहीं आती। इसके अन्दर हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, पता नहीं ये क्यों बंद कर दिये। उस समय हमने सुना था कि बहुत बड़ेबड़े डाक्टर्स ने ब्रिज कोर्सेज का विरोध किया था तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ने उनके विरोध को देखते हुए इस पर रोक लगा दी। मैं समझती हूं कि डाक्टर्स अच्छे पैसे वाले होते हैं रुतबे वाले होते हैं, लेकिन किसान इतने टाइम से दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं,

(सुश्री रीटा चौधरी)

उनकी भावनाओं को देखते हुए बिल वापस नहीं लिया, लेकिन जो ब्रिज कोर्स देश के हित के अन्दर था, जो हमारे मेडिकल कालेज और मेडिकल यूनिवर्सिटीज में काम आता है, इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर डाक्टर्स उपलब्ध हो पाते, तो उन्होंने इसे वापस लेने का काम किया।

सभापति महोदय, मैं अभी रिसर्च पर कहना चाहूंगी। पूर्व वक्ता डाक्टर जितेन्द्र जी, जो बहुत सीनियर हैं, उनका उद्बोधन बहुत ही मार्मिक था। मैं अपने पास बैठे सदस्य से कह रही थी कि अब बोलने को कुछ नहीं बचा है। रिसर्च का विषय, मेडिकल में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें हमें ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर को मजबूती देने की जरूरत है। सभापति महोदय, अब कैंसर पर, शुरू में सिर्फ हार्ट अटैक होते थे, दिल के दौरे आते थे, उनके बारे में सुना करते थे। लेकिन गांव में जाते हैं तो किसी गमी के अन्दर, कहीं बैठने जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि इस व्यक्ति को क्या हुआ? तो सुनने में आता है कि कैंसर से पीड़ित था और खतम हो गया। यह एक शोध का विषय है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मेरा स्वयं का गांव है, उसके पास एक गांव है, उसका नाम गाड़ जी बास गांव है। उसके अन्दर एक परिवार, दूसरा परिवार, तीसरा परिवार, सबके अन्दर एक या दो कैंसर से पीड़ित होकर मृत्यु हुई है। मैं जब वहां गयी तो मैंने वहां पर अपनी बात रखी कि आपको यहां पर रिसर्च करने का माध्यम हो सकता है। हो सकता है कि उस सोइल के अन्दर, उस पानी के अन्दर ऐसे कोई एलीमेंट्स हों, जिनकी वजह से कैंसर बढ़ रहा है। इसलिए रिसर्च सेंटर को मजबूत करने की आवश्यकता है। एक बात और कहना चाहूंगी, जैसा खेतड़ी से आने वाले हमारे माननीय वरिष्ठ साथी ने कहा कि एस.एम.एस. में भारत के किसी भी अस्पताल से सबसे ज्यादा ओ.पी.डी. आती है, लगभग दस हजार के करीब। यह बात सही है। हम लोगों को रैफरल केसेज को ही एस.एम.एस. को देना चाहिए और उसके अन्दर पैरीफेरी एरिया में और जो रिलेटेड हास्पिटल्स हैं, उनके अन्दर ओ.पी.डी. बढ़ा देनी चाहिए। यह कुछ मुद्दे हैं, जो मैं बोलना चाह रही थी।

सभापति महोदय, राजस्थान में अभी सुपर स्पेशिलिटी डी.एम. और एम.सी.एच. की जो सीटें हैं, वे अधिकतर एस.एम.एस. के अन्दर हैं और शायद 90 परसेंट सीटें एस.एम.एस. में रखी हैं। मेरा यह सब्मिशन है, मैं कहना चाहूंगी कि उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर में भी सुपर स्पेशिलिटी ब्लाक्स बनाकर इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, ताकि एस.एम.एस. हास्पिटल पर दबाव कम हो। जब बात आती है, मेडिकल कालेज की, तो मैं अपनी बात

(सुश्री रीटा चौधरी)

रखना चाहूंगी कि हमारे झुंझुनूं जिले में मेडिकल कालेज की मंजूरी आयी है। काफी टाइम से वह मामला पैंडिंग पड़ा है। उसका कारण है कि मेडिकल कालेज के लिए जो जमीन अलाट हुई है, वह पहले आई.टी.आई. सेंटर को भी दी गयी थी, लेकिन उस जमीन के अन्दर झुंझुनूं शहर को पानी देने के लिए कम से कम 7-8 ट्यूबवैल बने हुए हैं और हाइटेंशन लाइन 440 की और 132 की वहां गयी हुई है। बारिश के अन्दर जितना पानी पूरे झुंझुनूं शहर का होता है, वह सारा का सारा जो जगह अलाट हुई है, वहां पर जाता है। वहां पर आने जाने का साधन नहीं है। अगर वहां पर बिल्डिंग बन जाएगी तो जमीन भी वह पूरी नहीं है और वहां पर जाने के लिए जो स्टूडेंट्स होंगे, जो बच्चे वहां पर पढ़ेंगे, उनके लिए भी सुविधा का विषय है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री महोदय और हमारे चिकित्सा मंत्री से भी आग्रह किया था। अख़बारों में भी बहुत ज्यादा इस बारे में आया था। कृपा करके मेरा यह निवेदन है कि उसका स्थान परिवर्तन किया जाए। जिला मुख्यालय के दस किलोमीटर के अन्दर बहुत अच्छी-अच्छी जगहें हैं। नेशनल हाईवे से जुड़ी हुई हैं, स्टेट हाईवे से जुड़ी हुई हैं। आप उस जगह को चिह्नित करके, कृपा करके, हमारे जो स्टेट मिनिस्टर हैं, वह हमारे जिले के प्रभारी भी हैं, तो उनसे निवेदन है कि इस पर विशेष रुचि लें, क्योंकि लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। वहां पर मेडिकल कालेज खुलेगा। अच्छी जगह पर खुलेगा तो उसका अलग इम्पेक्ट लोगों पर जाएगा और उसकी सुविधा को सब लोग लेना चाहेंगे।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): बहुत-बहुत धन्यवाद, सभापति महोदय। अभी सभी माननीय सदस्यों ने बात की और सभी ने चिंता जाहिर की। सबने इस बात की भी चिंता की कि किस प्रकार से हम, जो मुख्य मंत्री जी का सपना है 'निरोगी राजस्थान' और प्रधान मंत्री जी का 'आयुष्मान भारत' इन सबको हम किस प्रकार से मिलकर पूरा करें। आज राजस्थान की 7 करोड़ जनता इस सदन की तरफ देख रही है कि किस प्रकार राजस्थान का आम अवाम और हर व्यक्ति सुरक्षित भी रहे और स्वस्थ भी रहे। यह तब ही सम्भव है कि जब केवल एलोपैथी पर निर्भर नहीं होकर हम वैकल्पिक

(श्री अशोक लाहोटी)

चिकित्सा पर जाएं। आज के दिन तो इस बात को हम प्रमाणिक रूप से सिद्ध कर चुके हैं कि किस प्रकार से कोरोना काल में हमारे आयुर्वेद ने, होम्योपैथी ने, किस प्रकार से वैकल्पिक चिकित्सा ने पूरे देश भर में, पूरे विश्व में अपनी एक धूम मचाई। इसी वैकल्पिक चिकित्सा के साथ-साथ जैसे प्राकृतिक चिकित्सा है, अन्य हमारे जो घरेलू नुस्खे हैं, जैसे नाक में तेल डालने का नुस्खा था, यह इस कोरोना काल में सिद्ध हुआ। इसके साथ-साथ नीम गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी घनवटी, इसके लिए लोग शहरों से छोड़कर गांव-गांव तक घूम रहे थे कि कहीं पर यह मिल जाए, जिससे कोरोना से हमारा बचाव हो जाए।

सभापति महोदय, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे माननीय सदस्यों ने इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा की बात की थी, उस इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा के बारे में मैं यह कहूंगा कि यही तो वह इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा है। मैं कल मंत्री जी से बात कर रहा था तो वह भी कन्फ्यूज हो रहे थे कि इलेक्ट्रोपैथिक चिकित्सा है क्या? बेसिकली हम यह मानते हैं कि हमारे शरीर में जो शक्तियां होती हैं, जो ऊर्जा होती है, वह धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जा होती है, उनका बैलेंसिंग इलेक्ट्रोपैथी है। मैं इसलिए इस बात को वापस रख रहा हूं कि ये 100 वर्ष पुरानी प्रचलित विधियां हैं। आज यदि हम यह बात करें, जो माननीय मंत्री जी ने अभी जवाब में 5 तारीख को कहा था, इलेक्ट्रोपैथी पद्धति के बारे में इन्होंने कहा कि 2018 में जो एक्ट बना उसको लागू करने के बारे में एक कमेटी बनायी और कमेटी के बारे में अभी तक निर्णय नहीं हुआ।

सभापति महोदय, मैं आपके सामने यह बात रखना चाहता हूं कि जो 5 कमेटियां बनीं, राजस्थान में उन पांचों कमेटियों ने, तीन कमेटियों ने गुणावगुण जांच की, एक कमेटी ने लीगल जांच की और एक कमेटी ने साइंटिफिकली वैज्ञानिक और विधिक विश्लेषण, लीगल ओपिनियन पर सारी राय दी। यानी उन्होंने history of electropathy, principle & merits, literature, pharmacy, pharmacia, lab testing, medicines, effects and efficiencies, inspections, clinical and institution. इन सब विषयों पर उन्होंने जांच की। ये जांच करने के बाद में, जब यह कमेटी, आपने मेडिकल एक्ट बनाया तो उसके बाद जो कमेटी राज्य सरकार ने बनायी, इस सदन का एक्ट बनाने के बाद, उस कमेटी का काम था कि किस प्रकार से यहां कोर्सेज को लागू किया जाए, किस प्रकार से यहां जो हजारों चिकित्सक

(श्री अशोक लाहोटी)

राजस्थान में हैं, उनको इसका एम्प्लायमेंट मिले। इन चीजों को आगे बढ़ाने की बजाय हमने उस कमेटी को वे सारे अधिकार दे दिये कि इस हाउस ने जो कमेटी बनायी, जो एक्ट बनाया, उसके भी जांच के अधिकार हमने उस कमेटी को दे दिये। मुझे लगता है कि इस हाउस की महत्ता हम खतम कर रहे हैं। सरकार किसी की भी हो, आज आप जो एक्ट बना रहे हैं, उस एक्ट की जांच क्या कोई कमेटी कर सकती है? एक्ट बनने के बाद है कि हम उस एक्ट को आगे लागू करें। उसको लागू करने की बजाय, आगे बढ़ाने की बजाय, हम उलटा उस कमेटी को बनाने की बजाय जांच में ले गये।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात, जिसमें मंत्री जी ने आई.डी.सी. की चर्चा की, उस आई.डी.सी. की बैठक में क्या था क्योंकि यह विषय आई.डी.सी. का नहीं है। मंत्री महोदय, मैं आपसे आसन के माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह कॉन्करेंट लिस्ट का, समवर्ती सूची का विषय है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने और सुप्रीम कोर्ट ने, दोनों ने ये कहा है कि कोई भी राज्य सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने, जो शिवराज पाटिल साहब जज थे, उन्होंने तो अपनी टिप्प्णी में भी लिखा है कि - Electropathy medicines are quicker, cheaper and safer. यह उन्होंने टिप्पणी में लिखा है। मैं इसलिए सारी बात रख रहा हूं कि जब कॉन्करेंट सूची में है तो इसमें राज्य भी अपना कर सकता है। हम इसलिए कर सकते हैं कि हमको गर्व है कि आयुर्वेद एक्ट राजस्थान ने 1953 में बना दिया था और इंडियन सिस्टम आफ मेडिसिंस एक्ट 1970 में बना। 70 साल पहले हमने आयुर्वेद एक्ट राजस्थान में बना दिया था। उस समय राजस्थान नम्बर वन था। इसी तरह होम्योपैथी, राजस्थान होम्योपैथी एक्ट, 1969, हमने चार साल पहले बना दिया था और सैन्ट्रल का होम्योपैथी एक्ट, 1973 में बना था। फिर आज हम डर क्यों रहे हैं? हमको आज किस बात का डर है। राजस्थान किसी चीज में लीड करे, इस चीज से हमें डरने की कहां आवश्यकता है। आज नये-नये हमारे यहां कालेज चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है कि इस इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा को बंद नहीं किया जा सकता तो जो हजारों छात्र पढ़ रहे हैं, जो हजारों शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उन सबका भविष्य अंधकार में है। मैं यह चाहता हूं कि आज यह सदन इस बात का निर्णय करे कि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा हमारे यहां एक मेडिकल टूरिज्म के माध्यम से, वैलनेस सैंटर के माध्यम से, इस तरह के टूरिज्म हम यहां पर विकसित करें, जिससे राजस्थान इसमें एक अग्रणी स्टेट बने। एक पहल करे।

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ ही आई.डी.सी. के चेयरपर्सन ने जो एप्रिशिएट किया मैं वह लाइन पढ़ना चाहता हूं - "Chairperson appreciated the will-power and the efforts of the State Government to establish a new system, and requested." यदि हम बना भी देते हैं एक्ट और उसको यदि हम यहां लागू कर देते हैं, यदि सैंट्रल कोई उसमें एक्ट बनाता भी है तो उस एक्ट में बाद में, जो भी चीजें कामन होंगी, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। जैसे अभी कृषि कानून में आपने एक्ट बनाया, केन्द्र सरकार ने बनाया। कई विषयों पर हम भी एक्ट बनाते हैं। पहले हुक्के पर बनाया था। इस तरह से हम बना सकते हैं। मुझे लगता है कि इसकी लीड लेने की आवश्यकता है। जैसा माननीय पूर्व सदस्यों ने कहा कि ये वही आयुर्वेद सिस्टम है, वही होम्योपैथिक सिस्टम है, उसी का एडवांस वर्जन है। इससे राजस्थान को न केवल कई क्षेत्रों में फायदा मिलेगा, हमको रेवेन्यू भी मिलेगी, हमारे किसानों का भी फायदा होगा, हमारे यहां मेडिकल सेंटर्स भी बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात जो 'निरोगी राजस्थान' की कल्पना हमारे मुख्य मंत्री जी ने की है, वह केवल एलोपैथी से पूरी नहीं हो सकती, वह केवल एस.एम.एस. हास्पिटल, जयपुरिया हास्पिटल से पूरा नहीं हो सकता, वह केवल पी.बी.एम. से पूरा नहीं हो सकता, वह आयुर्वेद, होम्योपैथिक, इन सभी चीजों को मिलाकर 'निरोगी राजस्थान' हम बनाएंगे, इस वैकल्पिक चिकित्सा की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए।

(15.00 बजे)

सभापति महोदय, आज मंत्री जी ने सुबह हाउस में कहा और पहले भी चर्चा हुई, तो कहीं यह भ्रांति थी कि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा में जो पौधे काम में आते हैं, वह अफ्रीकन पौधे हैं। मैं यह सूची लेकर आया हूं। मैं यहां टेबल भी करवा रहा हूं। 95 परसेंट पौधे, जो इनकी औषधियों में काम आते है वह पौधे राजस्थान और भारत में ही पाये जाते हैं। उन्हीं से यह औषधियां बनती हैं। मैं यह टेबल भी करवा रहा हूं।

सभापति महोदय, सुबह मंत्री जी ने विषय रखा कि इतना बजट पारित करने के लिए आज की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। चूंकि बजट का विषय है, मैं सदन का ध्यान बजट की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। 2019-20 के बजट में 13 हजार 34.63 करोड़ रुपये का यहां पर बजट रखा गया। मैं उस बजट में से मूल बात पर आता हूं, 793.6 करोड़ रुपये हमने राजस्थान के विकास के लिए, नये मेडिकल कालेज

(श्री अशोक लाहोटी)

खोलने के लिए, नये हास्पिटल बनाने के लिए, इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, इस डवपलमेंट के लिए रखे थे पर मुझे कहते हुए बड़ा दु:ख है, क्योंकि यह 2019-20 का है, हमने खर्च किया केवल 482.22 करोड़ रुपये। यह हमारे कुल बजट का 0.06 परसेंट है। यदि मेडिकल बजट की बात करूं तो जो आपने खुद ने माना, उससे 39 परसेंट कम खर्चा हुआ है। यह डवलपमेंट की स्थिति है। आज आपने बड़ेबडे आंकड़े दिये। मैं 2020-21 की बात करता हूं, 14 हजार 700 करोड़ रुपये आपने रखे। आपने इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर 1,400 करोड़ रुपये रखा। मुझे आज आंकड़ा बताते हुए शर्म आ रही है, दिसम्बर, 2021 तक, अभी जो 2020 गया उस तक, हमारा केवल 164 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, यानी 12 परसेंट खर्चा हुआ है। इसका मतलब कोरोना काल में आपके पास जितना भी पैसा आया, वह पैसा केन्द्र सरकार ने दिया है। यह आपकी टेबल बोल रही है कि आपने केवल 12 परसेंट पैसा राज्य सरकार मद से खर्च किया है।

सभापति महोदय, इस साल आपने बजट 16 हजार 269 करोड़ रुपये रखा, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर मात्र 1,804 करोड़ रुपये है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको इतनी शक्ति और संसाधन दे, राजस्थान के विकास का भले ही यह 11 परसेंट ही हो, आपके बजट का, पर विकास में 1,804 करोड़ रुपये खर्च करने की आपको शक्ति प्रदान करे, ताकि राजस्थान की जनता का भला हो सके। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं।

सभापति महोदय, अभी मेडिकल कालेज की बात हुई। मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहता हूं। हमारे यहां 14 हजार 712 पद चिकित्सा विभाग में खाली पड़े हैं। उनमें से भी एस.एम.एस. कालेज में 2,941 पद खाली पड़े हैं। मेडिकल आफिसर 6 हजार 224 स्वीकृत हैं, 1,944 रिक्त पद हैं। एम.ओ., डेंटल 398 स्वीकृत हैं, 96 खाली हैं। जूनियर स्पेशलिस्ट 3,150 स्वीकृत हैं, 1,284 खाली हैं। सीनियर स्पेशलिस्ट 385 स्वीकृत हैं, 103 खाली हैं। एस.एम.ओ. 1,142 स्वीकृत हैं, 368 खाली हैं। अंडर ए.एस.आई. 356 स्वीकृत हैं, 96 खाली हैं।

मंत्री महोदय, आप पधार ही गये। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एमसी.आई. के नियमों के अनुसार हमारी हर चीज का मापदण्ड तय है। मेडिकल कालेज तो आप खोलेंगे, पर मेडिकल कालेज का कांग्रेस को 50 साल तक राज करते हुए कभी ध्यान नहीं आया। अचानक इसी बार कैसे ध्यान आया कि हर ज़िले में मेडिकल कालेज खोलेंगे। आपने यह नहीं बताया कि 2019-20 के बजट में माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि

(श्री अशोक लाहोटी)

भारत के हर ज़िले में मेडिकल कालेज खुलेगा और उसी में 3 हजार करोड़ रुपये राजस्थान को दिये, लेकिन आपकी धीमी चाल से न तो जमीनें स्वीकृत हुईं, न मेडिकल कालेज बने। मैं मेरी बात को टेबल करवा रहा हूं, आप लिखकर रख लो, आपके इस कार्यकाल में आप मेडिकल कालेज का उद्घाटन नहीं कर पाओगे। यह हम ही वापस आकर मेडिकल कालेज का उद्घाटन करेंगे। मैं यह आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं। तीन बजट निकल गये, आपकी चाल तो दिख गयी। हमारे राजस्थान में कहावत है कि पूत के पग पालने में में ही दिख जाते हैं तो आपके तो अभी मुझे दिख नहीं रहे।

इसके साथ-साथ एम.सी.आई. के मानदण्ड में एसोसिएट प्रोफेसर, नर्सिंग स्टाफ की भर्ती के लिए आप शुरू करें, तो कुछ काम हो पाएगा। एम.सी.आई. के नियमानुसार एक मरीज पर 3 नर्सिंग स्टाफ का मापदण्ड है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि एस.एम.एस. मेडिकल कालेज सहित राजस्थान के सारे मेडिकल कालेजेज के हास्पिटल्स का आंकड़ा निकलवा लो, 13 मरीज पर भी यदि एक नर्सिंग स्टाफ निकल जाए, तो मंत्री जी, आज आप इस बात का जरूर जवाब दें। 13 मरीजों पर भी एक स्टाफ नहीं है जबकि एक मरीज पर 3 स्टाफ की आपकी गाइड लाइन है।

सभापति महोदय, यदि हम दुर्घटना की बात करते हैं, तो प्रतिवर्ष दस हजार लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा, सड़क दुर्घटनाएं हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए कहां पर ट्रोमा हास्पिटल की जरूरत है, कहां पर किस प्रकार के हास्पिटल की जरूरत है। आप नये मेडिकल कालेज जहां-जहां ला रहे हैं, उसके साथ-साथ नये हास्पिटल अगर अभी से खोलना शुरू करेंगे, जैसा कि अभी झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थीं कि झुंझुनूं में मेडिकल कालेज की घोषणा हुए बहुत समय हो गया, चाल बहुत धीमी है, लग नहीं रहा कि खुलेगा। यह तो आपकी पार्टी की हैं, इनकी ही बात मान लो।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज यदि हम मेडिकल ग्राफ देखते हैं तो सबसे बड़ी चिंता का कारण मेडिकल ग्राफ है। जिस प्रकार से हार्ट की बीमारी बढ़ी थी, जो यू.एन.ओ. का ग्राफ है, आल इंडिया, वर्ल्ड लेवल की जो रिसर्च है कि 2025 में 60 परसेंट मरीज कैंसर के होने वाले हैं। आज राजस्थान में 33 में से 25 से ज्यादा ज़िलों में कैंसर परामर्श के लिए सरकारी स्तर पर कोई विशेषज्ञ नहीं है। 90 परसेंट कैंसर के बड़े उपचार की कोई

(श्री अशोक लाहोटी)

सुविधा नहीं है। एस.एम.एस. हास्पिटल में 12 करोड़ की लागत से आई.सी.यू. तो बन गया, लेकिन आज भी समुचित इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विषय पर ध्यान दें।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात, इस सदन में कई बार उठाई, माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा नकली दवाओं के बारे में। मैं एक आंकड़ा आपके सामने बता रहा हूं कि राज्य में दवा जांच पैंडेंसी, 9 साल में 600 केस पैंडिंग थे, आज 6 हजार से ज्यादा मेडिकल दवाओं की जांचें पैंडिंग पड़ी हैं। कई केसों में यह देखने में आया कि आज सैम्पल लिया, दो साल तक जांच रिपोर्ट ही नहीं आती है और जब तक एक्सपायरी डेट में वह सारी दवाएं दुकानों से बिक जाती हैं। मुझे लगता है, इसमें कोई बहुत बड़ा गिरोह काम करता है। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं कोई आज नहीं कह रहा हूं यह शुरू से ऐसा ही चलता आ रहा है। चाहे सरकार कोई भी रही, इस गिरोह को पहचानने की आवश्यकता है कि जो गिरोह राजस्थान के सात करोड़ लोगों को नकली दवाइयां बेच रहा हो, एक्सपायरी डेट की दवाइयां बेच रहा हो और हम उनकी जांच तक नहीं कर पा रहे हैं। हम मुख्य मंत्री जी के सपने को पूरा करने की बात कर रहे हैं। यह सबसे गम्भीर मुद्दा है। मिलावट के लिए, शुद्ध के लिए युद्ध चलाना पड़ता है, उसके बाद भी आज तक सैम्पल नहीं आते। इसी प्रकार से इसके सैम्पल नहीं आते, तो लैबोरेटरी कब खुलेगी, कब जांचें शुरू होंगी, कब लोगों को न्याय मिलेगा?

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा की मैंने बात की। मंत्री महोदय, मैं आपकी जानकारी में एक बात और लाकर अपनी बात पूरी करूंगा। इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा आप जल्दी से जल्दी लागू कर दें, नहीं तो मुझे बड़ा संकट नजर आ रहा है, क्योंकि यह चिकित्सा पद्धति इटली की है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): यह काउंट सीजर मैटी द्वारा 150 वर्ष पूर्व खोजी गयी थी। अब मैं, नहीं तो, आपकी शिकायत सोनिया गांधी जी से करूंगा, मंत्री महोदय। आप इसको जल्दी से जल्दी लागू कर दें।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पहले शिकायत कर लो आप।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): यह इलेक्ट्रोपैथी पद्धति आप लागू करें,

(श्री अशोक लाहोटी)

यह बहुत बड़ा विषय है। यह इटली का है, इटली का। राहुल गांधी जी के ननिहाल का मामला है। सोनिया गांधी जी के वहां का मामला है, आपको इसे लागू करना पड़ेगा, मंत्री महोदय। यही मेरा निवेदन है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री खिलाड़ी लाल बैरवा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपने कहा, कर दो। नहीं मानते न आप उनको ...(व्यवधान) रिकार्ड पर कही है। आपने कहा न, कर दो शिकायत।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप लीड कर रहे हो क्या मेरे को। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपने यह कहा, कर दो शिकायत सोनिया को, तो हम शिकायत निश्चित तौर पर करेंगे।।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बिलकुल।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): सभापति महोदय, मांग संख्या 26 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं मुख्य मंत्री जी को व चिकित्सा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे साल केवल और केवल कोरोना से ही पूरा प्रदेश जूझता रहा। इसके बावजूद भी यह तय था और मुख्य मंत्री जी का विजन था, कि कोई आदमी भूखा नहीं सोए। कोरोना पूर्णतया कंट्रोल में रहे, उन सब बातों को देखते हुए जो प्रबंधन हुए वे प्रबंधन तारीफ के काबिल हैं। प्रबंधन इस तरह के हुए कि राजस्थान के भीलवाड़ा माडल को हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी सराहा। पूरे साल जो मेहनत की, जो कार्य किये, उसका फल मिला कि आज हम बहुत अच्छी पोजिशन में कोरोना से लड़ते हुए यहां तक पहुंचे हैं।

पिछले बजट में मुख्य मंत्री जी ने घोषणाएं कीं, वह घोषणाएं आज जमीन पर हैं। इस बजट में भी मुख्य मंत्री जी ने 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले हैं, वह काबिले तारीफ है। पांच लाख का बीमा किया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं।

सभापति महोदय, एक सिलिकोसिस बीमारी होती है जो केवल और केवल उस जगह पाई जाती है, जहां पर ग्रामीण, गरीब और मजदूर लोग पत्थर का काम करते हैं। डस्ट से सिलिकोसिस बीमारी होती है। यह मेरा पूरा एरिया, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं बसेड़ी, तो उसमें सरमथुरा का एरिया, करौली का एरिया, वहां पूरा डस्ट और पत्थर का काम है। उस सिलिकोसिस बीमारी से

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

लोगों को इतनी तकलीफ होती है कि आज एवरेज भी अगर चैक करें तो कम से कम नहीं तो 50 परसेंट से ज्यादा महिलाएं विधवा हो जाती हैं, लेकिन सिलिकोसिस बीमारी के लिए जो स्पेशल पैकेज इस सरकार ने दिया और एक-एक व्यक्ति को, जिसे सिलिकोसिस की बीमारी हो, उसमें 5 करोड़ रुपये का अनुदान देने की जो बात की है, उससे इस गरीब और क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिला है।

अभी बात बीच में ही आ रही थी, हर जिले में मेडिकल कालेज खोलने की बात आयी, यह बहुत बड़ी बात है। हमारे साथी कुछ बता रहे थे, उसमें केन्द्र का भी सहयोग है। बिना सहयोग के कोई भी काम पूरा नहीं होता। अभी साथी बोल रहे थे कि इतने पद खाली हैं कि हास्पिटल चलाना मुश्किल हो रहा है तो आज दो-ढाई साल से सरकार है, केवल इसी टाइम पर तो यह नहीं हुआ है। इससे पहले आपकी सरकार भी थी, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसके बावजूद भी मंत्रीजी ने और मुख्य मंत्रीजी ने 2,000 डाक्टरों की भर्ती की, जिससे काफी सहयोग मिला और आज हर हास्पिटल में हमको डाक्टर्स मिले हैं।

मुख्य मंत्रीजी की एक सबसे बड़ी और अच्छी सोच का जो नमूना है कि पहले होता था कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो लोग दूर हो जाते थे। एक्सीडेंट करने वाला ही भाग जाता था। कोई देखने वाला भी उनको टच नहीं करता था। पता नहीं, जाएंगे, पुलिस केस बनेगा, कितनी-कितनी बीमारियां झेलनी पड़ेंगी। आज यह क्लियर कट में ऐसी घोषणा हुई कि चिकित्सा क्षेत्र में कोई भी एक्सीडेंटल केस या घायल व्यक्ति को आप हास्पिटल पहुंचाएंगे तो वहां प्रशस्ति पत्र के साथ पांच हजार रुपये इनाम मिलेगा तो यह बहुत बड़ी बात है। यह इतनी अच्छी बात है, जिससे कि आम आदमी को, आम गरीब को और उस एक्सीडेंटल व्यक्ति को सहायता का प्रावधान किया है। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

दूसरा, नर्सिंग महाविद्यालय खोले गये। उन नर्सिंग महाविद्यालयों में मेरा जिला, जो धौलपुर से हम आते हैं, उसको भी शामिल किया है। उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं।

2-3 बातें हैं, एक मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से मेडिकल कालेज हर जिले में खोले गये हैं, यह एक बहुत बड़ी जरूरत है। मंत्रीजी भी विराजमान हैं, अगर पी.एच.सी. हर पंचायत मुख्यालय पर यह तय

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

कर दी जाए तो यह बहुत बड़ा काम होगा, यह सबके लिए फायदेमंद होगा क्योंकि कहीं स्थितियां यह हैं कि पोलिटिकली होता है कि कहीं ग्राम पंचायत नहीं है, छोटा गांव होता है वहां भी पोलिटिकल आधार पर ले जाते हैं कि पी.एच.सी. यहां खुल गयी, लेकिन वह पी.एच.सी. अगर कोई छोटे कस्बे में, कोई गांव में खुली है, कोई ढाणी में खुल गयी, तो उसका नतीजा यह निकलता है कि वह पूरी ग्राम पंचायत वंचित रह जाती है तो मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस मुद्दे को अवश्य लें। मेडिकल के क्षेत्र में जिस तरह की भावनाएं, और जिस तरह का यह सराहनीय कार्य सरकार कर रही है, तो निश्चित रूप से इस बात को अवश्य लें कि जहां खुल गया, कोई बात नहीं, एक छोटे गांव में खुल गया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वह ग्राम पंचायत हैड क्वार्टर, मुख्यालय अवश्य उसमें आना चाहिए, जिससे पी.एच.सी. वहां पर, हर पंचायत में खुल जाए।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक महू गुलाबली है, जो बहुत ही जरूरी है, ग्राम पंचायत में अगर मुख्यालय पर स्थिति बनेगी तो काफी फायदा होगा, लेकिन वहां महू गुलाबली में बहुत आवश्यक, जरूरी है।

मेरे यहां दो सी.एच.सी. हैं, एक बसेड़ी और एक सरमथुरा, जिसमें मैं निवेदन करूंगा कि मेरे यहां काफी डाक्टरों को आपने लगाया है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट हैं, जो अगर आप लगाएंगे तो मुझे और मेरी जनता को बहुत खुशी मिलेगी। सी.एच.सी., बसेड़ी में डिजिटल एक्स-रे मशीन है और सोनोग्राफी मशीन है, इन दो मशीनों की हमें जरूरत है। डाक्टर्स में एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, एक फिजिशियन है, एक एम.एस. सर्जन है और एक एनेस्थीसिया वाला है, सी.एच.सी. बसेड़ी में इनकी आवश्यकता है। साथ ही सी.एच.सी. सरमथुरा भी है, वहां ब्लड स्टोरेज यूनिट और सोनोग्राफी मशीन है, साथ में एक डाक्टर फिजिशियन और एम.एस. सर्जन की आवश्यकता है। बाकी सब तरह की हमारे इलाके में आज की डेट में जो पहले महामारी, और जो माथाफोड़ी और तकलीफें होती थीं, फिर लोगों को लम्बी लाइन लगानी पड़ती थी, लोग बहुत परेशान थे, उससे आज काफी सुकून है। प्रोपर डाक्टर्स हैं और तरीके से आउटडोर का पूरा काम ठीक हो रहा है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने मांग संख्या 26 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कोरोना काल में डाक्टर, नर्सिंग कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सबको इस सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोरोना काल में पूरा एक साल हो गया। बिना छुट्टियों, बिना कुछ किये 24 घंटे ही ड्यूटी कर उन्होंने इतनी बड़ी महामारी को रोकने की कोशिश की। उनकी सेवाएं काफी अच्छी रहीं, उसके लिए तो उनको धन्यवाद। प्रधान मंत्रीजी को भी धन्यवाद दूं कि उन्होंने टाइम पर देश में लॉकडाउन भी किया, चिकित्सा सेवाओं में भी उनकी तरफ से बजट की काफी घोषणाएं भी हुईं, बजट भी दिया। उसके अलावा प्रधान मंत्री मोदीजी ने एक घोषणा की थी कि प्रत्येक जिले पर मेडिकल कालेज होना चाहिए। उसी के अन्तर्गत चित्तौड़गढ़ जिले में भी मेडिकल कालेज की घोषणा हुई। घोषणा होने के बाद, 2019-20 में घोषणा हुई है, जमीन भी अलॉट हुई है। काफी टाइम से, केन्द्र सरकार ने 60 परसेंट बजट देना था वह दे दिया है, पर राजस्थान सरकार की तरफ से इस बजट में भी कोई प्रावधान नहीं था, गये वाले बजट में भी कोई प्रावधान नहीं था और अभी तक जो मेडिकल कालेज का काम चलना चाहिए था, वह मेडिकल कालेज का काम चला नहीं है। चित्तौड़गढ़ जिला हैडक्वार्टर पर मेडिकल कालेज जल्दी बने, पर मेरे को लग रहा है, सभापति महोदय, इस राज में मेडिकल कालेज नहीं बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल शुरू होते ही उसका उद्घाटन भी होगा और वह मेडिकल कालेज बनकर तैयार होगा पर मैं मांग करता हूं, चिकित्सा मंत्रीजी, चिकित्सा मंत्रीजी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप अपनी बात रखें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): साहब, वे बातें कर रहे हैं, सुन भी नहीं रहे हैं मेरी बात। यह कंडीशन है।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, आप अपना काम करिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): चिकित्सा मंत्रीजी, चित्तौड़गढ़ में मेडिकल कालेज जल्दी बने, जल्दी उसका काम चले। वह कैसे चल सकता है, उसके लिए बजट का प्रावधान भी करें और हमारे चित्तौड़गढ़ मेडिकल कालेज का काम भी चले। उसका आपके हाथों से, हम सब खड़े रहकर उसका उद्घाटन करवाएंगे। हम आपसे ऐसी कामना करते हैं।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

(15.17 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

मेडिकल कालेज खुलने के बाद राजस्थान में जो फैकल्टी खुलनी चाहिए थी, वह फैकल्टी भी नहीं खुल पाई। मेडिकल कालेजों में जो शिक्षकों की भर्ती है, काफी कमी है, सभी मेडिकल कालेजों में 3,000 डाक्टर्स की कमी है। माननीय सभापति महोदय, इन मेडिकल कालेजों को चलाने के लिए, भले प्राइवेट हो, गवर्नमेंट का हो, उनमें शिक्षकों की जो कमी है, उनकी पूर्ति करें। उससे आने वाले दिनों में अच्छे चिकित्सक निकलेंगे, अच्छे डाक्टर्स निकलेंगे और राजस्थान का और देश का भला होगा।

इन मेडिकल कालेजों में और हास्पिटलों में जिस प्रकार डॉक्टरों की कमी है, काफी सी.एच.सी., पी.एच.सी. खाली हैं, महिला चिकित्सक के पद खाली हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी काफी सी.एच.सी., चाहे भदेसर हो, घोसुंडा हो, साहवा हो, बस्सी हो, इन सब में और जिला हैड क्वार्टर पर भी काफी पोस्टें खाली हैं। नर्सिंग कर्मचारी की पोस्टें खाली हैं। जो मेडिकल कालेज बन रहा है, उसी में हमारे जिला मेडिकल कालेज का हास्पिटल भी आता है तो उसमें भी आप लोग कर्मचारियों की भर्ती करें, चिकित्साधिकारियों की पूर्ति करें। उनकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आप सोच कर इसकी जल्दी वहां पूर्ति करवाएं। चिकित्सालय में उपकरणों की काफी कमी है, उन उपकरणों की पूर्ति भी आप लोग करवाएं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की भामाशाह योजना, जो श्रीमती वसुन्धराजी ने चालू की थी, बी.जे.पी. सरकार में यह चालू हुई थी, पिछले एक साल से बीमा कम्पनियों को पैसा नहीं देने के कारण प्राइवेट हास्पिटल्स और मेडिकल कालेजेज में भी इलाज होना बंद हो गया और उसके कारण काफी किसान, काफी गरीब लोग परेशान हो गये। मेरा यह निवेदन है कि नाम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग भामाशाह योजना को वापस कैसे चालू कर सकते हैं, उसको चालू कराएं और खाद्य सुरक्षा में क्योंकि भामाशाह में वह ही नाम जुड़ सकता है, जिसका खाद्य सुरक्षा में नाम होता है, खाद्य सुरक्षा का पोर्टल पिछले एक साल से बंद है। उसमें भी कैसे नाम जुड़ सकते हैं, उसके बारे में भी आप सोचें और चर्चा करें।

माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजेज की राजस्थान में काफी कमी है। उसमें आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग कैसे कर सकते हैं, कैसे यह हास्पिटल खोल सकते हैं और मेरे चित्तौड़गढ़ हैडक्वार्टर में

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

भी आयुर्वेदिक का काफी अच्छा इलाज होता है, उसमें आप आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज भी खोलें, ऐसी मैं मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, दुर्घटना में गम्भीर बीमारी से मेडिकल कालेज में आने वाले मरीजों को रेजिडेंट डाक्टर, जूनियर डाक्टर देखते हैं, जो गलत है। उनको उच्च चिकित्सक देखने चाहिए और उनका इलाज होना चाहिए। इलाज नहीं होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बिना अनुभव के वह उसका इलाज नहीं कर पाते हैं तो इसका भी आप ध्यान रखें।

इमरजेंसी सेवाओं के लिए ट्रोमा अस्पताल से अलग से कैडर होना चाहिए, अलग से यूनिट होनी चाहिए। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर जो मरीजों को देख सकें, इस प्रकार की व्यवस्था करें। आर्गन ट्रांसप्लांट को भी बढ़ावा देना चाहिए। आर्गन ट्रांसप्लांट कैसे कर सकते हैं मेडिकल कालेजों में, इसकी व्यवस्था के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। उसके कारण से भी काफी मृत्यु हो जाती हैं, उसके बारे में चिंता करें।

कोविड-19 में ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाने पर क्लैम 50 लाख रुपये का मिलता है, सरकार उसको भी एक करोड़ रुपये करे। सरकारी अस्पतालों में जांच का जो दायरा है, उसको बढ़ाकर पर्याप्त मात्रा में रेडियोग्राफर एवं टेक्निशियन के पदों को भरा जाना चाहिए। सरकार द्वारा बजट में नि:शुल्क दवाइयों की संख्या में बढ़ोतरी की गयी है, जिनकी उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि इन हास्पिटल्स में नि:शुल्क दवाइयां काफी मात्रा में मिल नहीं पाती हैं, सी.एच.सी. और पी.एच.सी. तक पहुंच नहीं पाती हैं तो माननीय मंत्री महोदय, इन तक कैसे पहुंचा सकते हैं, आपने यह घोषणा कर रखी है और यह व्यवस्थाएं पिछले दो साल से काफी बिगड़ी हुई हैं, उस व्यवस्था को कैसे सुधार सकते हैं, उसके बारे में भी आप चर्चा करें।

माननीय सभापति महोदय, चित्तौड़गढ़ शहर में जो मेडिकल कालेज बन रहा है, उसके लिए वहां पर एक सैटेलाइट हास्पिटल की भी जरूरत है। सैटेलाइट हास्पिटल की व्यवस्था कराएं। जिला अस्पताल में कैथ लैब की स्थापना की जाए। माननीय सभापति महोदय, सरकारी अस्पतालों का जांच का दायरा बढ़ाकर पर्याप्त मात्रा में रेडियोग्राफर और टेक्निशियन के पदों को भरा जाए। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इस प्रकार सी.एच.सी., पी.एच.सी. को क्रमोन्नत कैसे कर सकते हैं, उनकी बिल्डिंग्स की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, यह व्यवस्था भी कराएं।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

मेरी तो काफी टाइम से चित्तौड़गढ़ की मेडिकल कालेज की मांग रही है, काफी धरना-प्रदर्शन, ज्ञापन हुए हैं। पिछली कांग्रेस सरकार में भी घोषणा की थी, पर उसकी बजट की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। केवल लास्ट टाइम में, चुनाव के लिए ही उन्होंने घोषणा की थी। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी भी हम लोगों को यह लग रहा है कि यह मेडिकल कालेज की जो घोषणा हुई है केन्द्र ने 60 परसेंट पैसा दिया है, केवल आप वाहवाही लूटने के चक्कर में हैं, पर आप वाहवाही नहीं लूटें। इसी बजट में आप बजट भी दें, वहां पर मेडिकल कालेज बनाएं और केन्द्र से और भी कोई व्यवस्था करवानी पड़ेगी तो हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री गुलाब चन्दजी कटारिया, श्री राजेन्द्र राठौड़ साहब और हम सब लोग मिलकर उसमें पूरे राजस्थान में हम सहयोग करेंगे, पर इस प्रकार की व्यवस्था आप कराएं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो चिकित्सा व्यवस्था पूरे चित्तौड़गढ़ में बिगड़ी हुई है, उसको सुधारने की आप कोशिश करें, चाहे यह सफाई व्यवस्था है या चाहे दूसरी व्यवस्थाएं हैं, वह काफी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं क्योंकि मनमाफिक लोगों को टेंडर देकर वहां की व्यवस्था की है। (व्यवधान) (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, जो जिला हैडक्वार्टर का हास्पिटल है, जो मेडिकल कालेज में आने वाले दिनों में काम आएगा, वहां की यह व्यवस्था बिलकुल चरमरा रही है। मैं चिकित्सा मंत्रीजी से यह निवेदन करता हूं और सभापतिजी को भी यह कहता हूं कि उसकी व्यवस्था कैसे सुधर सकती है, उसको आप सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का पूरा जिला, उसका जिला हैडक्वार्टर होने के कारण उसी चिकित्सालय पर आधारित है, उसकी व्यवस्था को आप सुधारें और उसकी व्यवस्था अच्छी करें।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री रूपाराम।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 26 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इस मौके पर मैं यह कहना चाहूंगा कि चिकित्सा विज्ञान में बहुत ही द्रुत गति से प्रगति हुई है, आगे बढ़े हैं, लेकिन बीमारियां जो फैल रही हैं वह भी कम स्पीड से नहीं चल रही हैं। जैसे-जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे बीमारी उससे भी दो कदम आगे चल रही है, तो अपन जो भी संस्थान, इन्फ्रास्ट्रक्चर,

(श्री रूपाराम)

डाक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ ज्यों-ज्यों तैयार करते हैं जिस स्पीड से, लेकिन बीमारियों की स्पीड को देखते हुए, लोगों के खान-पान और फिजिकल एक्सरसाइज कम है, उसको देखते हुए जो बीमारियां बढ़ रही हैं, उससे यह सब चीजें बहुत कुछ करते हुए भी डब्ल्यूएच.ओ. के नोर्म्स के हिसाब से दिनों दिन कम पड़ती जा रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहले दो टाइम के मुख्य मंत्री काल का और अभी सवा दो वर्ष में लगातार जो मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, उसमें सुदृढ़ीकरण, उपकरणों की आवश्यकता, स्टाफ की भर्ती जिस स्पीड से की है, वह अनुकरणीय है। विशेषकर, पिछले एक वर्ष में कोविड-19 से जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसमें राजस्थान में विशेषकर भीलवाड़ा और रामगंज माडल पूरे देश में, विश्व में इसकी प्रशंसा की गयी और उसके कोविड-19 के भय से, डर से और उससे लड़ने के लिए राज्य में एक वर्ष में मेडिकल क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं की गयीं, अपने यहां पर शुरुआती दौर में जब यह जैसलमेर से शुरू हुआ था, कोविड-19 का मार्च में तो उससे लेकर आज तक, उस वक्त सैम्पल टैस्ट होने के लिए भी पुणे भेजा करते थे और आज अपने राज्य में 70 हजार सैम्पल टैस्ट करने की कैपेसिटी डवलप की है और लगभग हर जिले पर ये व्यवस्थाएं हो गयी हैं तो यह सब कुछ बातों से नहीं होता है, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ा है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का, माननीय हैल्थ मिनिस्टर महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद।

राजस्थान राज्य, जिसका लगभग 3 लाख 42 हजार वर्ग किलोमीटर का एरिया है जो करीब-करीब 11 परसेंट देश का भाग है और हमारी सात करोड़ की आबादी है। लगभग 43 हजार गांव और 4 लाख ढाणियों में यह बसा हुआ है। इतने बड़े क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं देना कोई ईजी काम नहीं है काफी कठिन है। इसके लिए वर्तमान में जो अभी घोषित हुए हैं उसके अलावा जो चल रहे हैं, जिला अस्पताल 34 हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 571 हैं, पी.एच.सी. 2 हजार 80 हैं और उप स्वास्थ्य केन्द्र 14 हजार 400 के आस-पास हैं और मेडिकल कालेजेज निजी और राजकीय मिलाकर 23 हैं और दंत महाविद्यालय 16 हैं। इनके तहत लगभग 7 हजार के आस-पास प्रतिवर्ष पी.जी., ग्रेजुएशन, डी.एम., एम.एस.सी., पैरामेडिकल के अलग-अलग कोर्सेज कराये जा रहे हैं परन्तु फिर भी आज यह बीमारी जिस स्पीड से बढ़ रही है, उसकी तुलना में साधन काफी कम हैं। इस मौके पर मैं कहना चाहूंगा कि यह

(श्री रूपाराम)

कोरोना जब से आया, उससे पहले पब्लिक और डाक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ इसमें सम्बन्ध कुछ ऐसे होने जा रहे थे, जैसे बीमारी वही फैलाते हों या उनकी वजह से ही लोग मर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, जब बोल रहे थे तो कह रहे थे, लेकिन इस फील्ड में जो डाक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और अन्य विभागों ने जो काम किया, तो आज जनता की दृष्टि बदल गयी है। वास्तव में जब किसी को कोरोना होता था तो उसके घरवाले भी उसके नजदीक नहीं जाना चाहते थे। उस समय के अन्दर पैरामेडिकल स्टाफ और डाक्टर्स ने माननीय मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय के निर्देशों में राज्य में जो काम किया तो वास्तव में लोगों ने उनको भगवान के रूप में देखना शुरू कर दिया, लोगों की सोच बदली और लोग वास्तव में कहने लग गये कि डाक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भगवान हैं। उन विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी सेवा करने के लिए उनमें उत्साह आया और राज्य ने वह करके दिखाया।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो चिकित्सा शिक्षा है, इसमें जो अभी अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर है और जो विभिन्न संस्थान चालू हैं, उनमें 23 मेडिकल कालेज हैं, 16 दंत महाविद्यालय हैं निजी और सरकारी मिलाकर और 15 जिला मुख्यालयों पर मेडिकल कालेज और खोले जाएंगे, जिसकी घोषणा बजट में की गयी थी और वह प्रक्रिया चालू है। पैसा भारत सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, भारत सरकार भी कोई वहां बैठकर तगारियां डालकर पैसे इकट्ठे नहीं करते हैं। पैसे का जो कलेक्शन होता है, चाहे भारत सरकार के पास हो, राज्य सरकार के पास हो, टैक्सेज और भारतवासियों की जो गाढ़ी कमाई है, उससे पैसा आता है। कोई मंत्री बने, प्रधान मंत्री बने, वह कमाकर लाकर पैसे नहीं बांटते हैं। पैसा कहीं का भी हो, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस सोच से पीने के पानी के बाद में जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता है, या यूं कहें कि पहले नम्बर पर अभी स्वास्थ्य सेवाएं देना है, 15 मेडिकल कालेज बनाने की घोषणा की, जिसमें मेरा जैसलमेर भी सम्मिलित है। कई कह रहे थे कि जमीन का अलाटमेंट हुआ नहीं। जमीन अलाट हो गयी है और काफी प्रक्रियाएं आगे बढ़ गयी हैं। आज कोई भी प्रोजेक्ट होता है, अभी कई विभागों के प्रोजेक्ट पर चर्चा हो रही थी, 325 करोड़ का प्रोजेक्ट, एक मेडिकल कालेज वह सिर्फ चुटकी बजाने से चालू

(श्री रूपाराम)

नहीं हो सकता। उसके बनने में ढाई से तीन वर्ष लगते हैं और उसके अन्दर डाक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की प्रक्रिया है, फिर छोटी-मोटी कोर्ट-कचहरियों की कई बाधाएं आती हैं, तो उसमें समय लगता है।

अभी माननीय मंत्रीजी ने सात सम्भागों में पब्लिक हैल्थ कालेज खोलने की घोषणा की। यह भी अपने लिए बहुत अच्छा होगा और जिन जिलों में नर्सिंग कालेज नहीं है, वहां पर 25 जिलों में नर्सिंग कालेज भी खोलने की घोषणा की। इसके अलावा, राजस्थान में जितने भी संस्थान स्वास्थ्य के चलते हैं, उनमें उपकरणों, इन्फ्रास्ट्रक्चर का डवलपमेंट और पिछले दो वर्षों में बताऊं कि मेरे यहां जैसलमेर में 400 नर्सेज के पद सैंक्शन थे, वहां सिर्फ 85 नर्सेज काम करती थीं और गांवों की दूरियां बहुत ज्यादा हैं। डेढ़ सौ किलोमीटर से एक नर्स के पास डिलिवरी करवाने महिला आती थी, कई बार तो बीच में डिलिवरी हो जाती थी। पिछले वर्ष में हमारे यहां करीब चार या पांच नर्सेज मैंने मंत्रीजी से, मुख्य मंत्रीजी से रिक्वेस्ट की कि मेरे यहां तकलीफ है, तो लगातार लिस्ट निकालकर चार डाक्टर और पांच-छह नर्सेज अधिशेष लग गयी हैं, एक्स्ट्रा लग गयीं तो यह चीजें जो हुई हैं वह एक जगह नहीं होकर पूरे राज्य में हुई है और जो कमी-बेशी होती है, उसको पूरा करने में टाइम भी लगता है।

माननीय सभापति महोदय, इस मौके पर माननीय मंत्री महोदयजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब हम लोग गांवों में जाते हैं देखते हैं कि यह जो अपने भगवान हैं, पैरामेडिकल स्टाफ और डाक्टर्स भगवान के रूप में हैं। इनको कुछ सुविधाएं, जैसे गांवों के अन्दर पी.एच.सी. खुल गयी, सी.एच.सी. खुल गयी, स्टाफ बढ़ गया। गांवों के अन्दर साधारणतया किसी को किराया देने के लिए अलग से मकान वगैरह होता नहीं है। गांव वाले उस प्रकार से निर्मित नहीं करते हैं। अपना संयुक्त परिवार या जैसे रहते हैं, उतना ही निर्माण करते हैं। इसलिए अपने बजट में अलग जो-जो भी फण्ड हो, हम लोकल भी कोशिश करते हैं, जो हमारे जिला स्तरीय फण्ड्स होते हैं, अपने डाक्टर्स और नर्सेज को वहां पर आवासीय सुविधा निश्चित रूप से मिल जाये। यह काम धीरे-धीरे आने वाले टाइम में होना चाहिए ताकि वह लोग 24 घंटे सेवाएं दे सकें। किसी के घर पर अगर डाक्टर या नर्स रहती है तो उस घर के लोग भी नहीं चाहते कि रात को मेरे यहां कोई पेशेंट आये, जबकि इसकी सेवाएं 24 घंटे के लिए रहती हैं। कई डाक्टर्स और नर्सेज जहां रहते हैं, उनका जो कार्य क्षेत्र है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, उनको 70-70, 80-80

(श्री रूपाराम)

किलोमीटर जाना पड़ता है तो उनके लिए पर्याप्त वाहन की सुविधाएं होनी चाहिए। जैसी जहां स्थिति हो, उस ढंग से उनको वाहन की सुविधा दी जानी चाहिए। अपने जो भी नये संस्थान खुले, विधान सभावाइज जो अपन एकमुश्त करते हैं, वह नहीं करते हुए, विधान सभा क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, गांव और ढाणियों का कितना बिखराव है, जैसलमेर में आज भी राजस्थान के अन्दर किसी भी संस्थान पर पेशेंट को जाने के लिए दो से तीन किलोमीटर या पांच किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है और हमारे जैसलमेर में, विशेषकर मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक पेशेंट को मूवमेंट करना पड़ता है किसी भी संस्थान पर जाने के लिए, तो लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, क्योंकि भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में जो व्यक्ति रहते हैं, वह 400 हैं, राजस्थान में 200 हैं, जैसलमेर जिले में 52 हैं और जैसलमेर विधान सभा क्षेत्र, मेरे विधान सभा क्षेत्र का वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल 28 हजार वर्ग किलोमीटर है तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अपन जो संस्थान खोलें, उसमें एरिये का ध्यान रखना चाहिए, उसको वेटेज देना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा पेशेंट के मूवमेंट के लिए राज्य में अभी जो एम्बुलेंस उपलब्ध करायी जा रही है या उपलब्ध है, वह पर्याप्त नहीं है। एरिये के हिसाब से आवश्यकतानुसार एम्बुलेंस की संख्या भी बढ़ायी जाये। एक बार फिर इस विकट परिस्थितियों में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, स्वास्थ्य मंत्रीजी ने जनता का ध्यान रखते हुए जो काम किया है, उनकी बहुत-बहुत प्रशंसा करता हूं धन्यवाद देता हूं। मुझे इस मौके पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद, सभापति महोदय। आपने मुझे मांग संख्या 26-चिकित्सा शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण डिमांड पर बोलने का अवसर दिया और मैं धन्यवाद करती हूं सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय नेताओं को कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण डिमांड पर आज चर्चा रखी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसके लिए अवसर प्रदान किया। माननीय सभापति महोदय, जब हम एलोपैथी चिकित्सा पद्धति की बात करते हैं, तब एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में डाक्टर्स की आवश्यकता, क्योंकि सर्जरी के बारे में यह कहा जाता है कि एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में सर्जरी बहुत अच्छे से होती है। हमारी पुरातन जो पद्धति रही है आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति, वह धीरे-धीरे करके विलुप्त होती

(श्रीमती अनिता भदेल)

गयी और जो एलोपैथी चिकित्सा पद्धति है, वह धीरे-धीरे विकसित होती गयी।

हमारी ओर से जिन्होंने इस डिमाण्ड पर चर्चा शुरू की, मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने और सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में निवेदन किया।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगी कि जितने अधिक लोगों के पास चिकित्सा पद्धति के विकल्प होंगे, उतना ज्यादा एलोपैथी के ऊपर दबाव कम होगा। इसलिए यह जो एक्ट पारित किया गया था, बहुत सोच समझ करके पिछली विधान सभा में और बहुत रिसर्च के बाद में, कमेटी की बहुत सारी सिफारिशों के बाद में हर पक्ष को, 'ना पक्ष' और 'हां पक्ष' को देखते हुए इसको पारित किया गया था। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको लागू किया जाना चाहिए, ताकि जिन रोगों में हमको सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है, उन रोगों में उपचार के लिए यह सुविधा मिल सके और राजस्थान में यह रिकाग्नाइज हो सके कि यह चिकित्सा पद्धति अब स्थापित हो गयी है।

माननीय सभापति महोदय, आगे निवेदन करना चाहूंगी कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी। उस रिपोर्ट के आधार पर भारत में लगभग 6 लाख डाक्टर्स और 20 लाख नर्सों की कमी है। हर 10 हजार लोगों पर एक सरकारी डाक्टर है, जबकि होना यह चाहिए था कि एक हजार लोगों पर एक सरकारी डाक्टर हो। इसी तरह से 20 लाख नर्सिंग कर्मियों की आवश्यकता है और ये 20 लाख नर्सिंग कर्मी कहां से आएंगे, ये डाक्टर्स आएंगे कहां से क्योंकि मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगी कि जब यह राजस्थान बना, उस समय मेडिकल कालेज, अजमेर, शायद मैं सही हूं तो एकमात्र मेडिकल कालेज था और उसके बाद में एस.एम.एस. मेडिकल कालेज बना, लेकिन आज क्या स्थिति है कि एस.एम.एस. मेडिकल कालेज तो कहां से कहां पहुंच गया और अजमेर जे.एल.एन. मेडिकल कालेज कहां है?

चिकित्सा शिक्षा का विस्तार हमको जिस ढंग से करना चाहिए था, उस ढंग से हम नहीं कर पाये और उस कारण से आज हमारे सामने इतना बड़ा गेप खड़ा है। इसी गेप को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने वर्ष 2019-20 के बजट में यह नीतिगत फैसला लिया, माननीय सभापति महोदय कि हर जिला मुख्यालय पर एक मेडिकल कालेज होना चाहिए और उसकी उन्होंने बजट में व्यवस्था की, न केवल बजट में व्यवस्था की

(श्रीमती अनिता भदेल)

बल्कि बाकी फंड्स भी ट्रांसफर किये। अब जिसको काम में लेना है, जिसको अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है, जिसको अपने नागरिकों को सुविधाएं देनी हैं, वह प्रदेश काम कर लेगा और आज सुबह जब क्वेश्चन आवर में चर्चा हो रही थी, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनकी योजना कब शुरू हुई और आज उस योजना की लागत चार गुना आ गयी है, तो इस तरह से यह मेडिकल कालेजों की जो लागत है, यदि समय पर जमीन आबंटन नहीं होगा, समय पर काम नहीं होगा तो यह लागत कहां से कहां पहुंचेगी और माननीय सभापति महोदय, यह सरकार के पैसे का दुरुपयोग होगा। इसलिए निवेदन करना चाहती हूं, प्रार्थना करना चाहती हूं कि जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, उनके पास आप बैठिए और बैठ करके जिला कलेक्टर को खुद बात करिए कि राजस्थान के लिए जो 15 नये मेडिकल कालेज मिले हैं, उन 15 नये मेडिकल कालेजों की जमीन का तुरन्त आबंटन हो। एक और निवेदन करना चाहती हूं कि यह मेडिकल कालेज जिला मुख्यालयों पर ही स्थापित होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिला मुख्यालयों पर हमारा विधायक नहीं है, कांग्रेस का विधायक नहीं है इसलिए उस मेडिकल कालेज को जिला मुख्यालय से हटा करके आप दूसरे विधान सभा क्षेत्रों में लेकर जाओ। यह जनता के साथ नाइंसाफी होगी और आने वाला भविष्य फिर आपको माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं निवेदन कर रही हूं कि यह मेडिकल कालेज तुरन्त बनने चाहिए, उनकी आवश्यकताएं, जो भी आपको पूर्ति करनी चाहिए, उनको तुरन्त होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरा निवेदन करना चाहती हूं कि जो मेडिकल कालेज भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में बनना प्रारम्भ हो गये, जिनकी बिल्डिंग्स बन रही हैं, भरतपुर और चूरू मेडिकल कालेज हैं, इन मेडिकल कालेज के जो भवन बनने वाले हैं, वे कोई दस-पन्द्रह साल के लिए नहीं बनने वाले हैं, ये 25 से 50 वर्षों के लिए बनने वाले हैं, इसलिए इनकी गुणवत्ता ठीक रहे, ठीक टेक्निक से बनें, क्योंकि आजकल जिस तरह से भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें जमाई हैं न, ऐसा नहीं हो कि 10 साल बाद ही उनकी छतें नीचे आ जाएं और फिर हम जांच कराते रहें तो जो सरकार का इतना अरबों-खरबों रुपया लगने वाला है वह व्यर्थ में बहने वाला है। एस.एम.एस. मेडिकल कालेज कितना पुराना है, लेकिन उसके बावजूद भी आज सिर्फ उसकी समय-समय पर मरम्मत हो जाए। माननीय सभापति महोदय, जे.एल.एन. मेडिकल कालेज की बिल्डिंग है, कभी भी ऊपर से छत नीचे आकर के गिर

(श्रीमती अनिता भदेल)

जाती है, पूरा प्लास्टर नीचे आकर गिर जाता है, चाहे इमरजेंसी वार्ड हो, चाहे और कोई वार्ड हों, ऐसी स्थिति में कई बार जहां मरीज खुद अपने आपको ठीक करने के लिए आता है, वहां यदि दुर्घटनाग्रस्त होता है तो सरकारी हास्पिटल्स की इमेज अच्छी नहीं जाती। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन मेडिकल कालेज की गुणवत्ता ठीक रहे, एक कमेटी बनाई जानी चाहिए और उस कमेटी की देखरेख में इसका निर्माण हो, इससे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इसकी गुणवत्ता से किसी हद तक कोई समझौता नहीं हो, इतना मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, जैसा मैं निवेदन कर रही थी कि मेडिकल कालेज में हर माननीय सदस्य सब चीजों के लिए डिमाण्ड करता है कि डाक्टर्स चाहिए, डाक्टर्स चाहिए। अब डाक्टर्स तो, जितने मेडिकल कालेज होंगे, उतने ही डाक्टर्स बन करके बाहर निकलेंगे। अब वे मेडिकल कालेज माननीय प्रधान मंत्री जी की इच्छा से, उनकी भावना है कि हर जिला मुख्यालय पर मेडिकल कालेज हो, इसलिए आने वाले समय में 10 साल, 15 साल के बाद में हमको डाक्टर्स मिलना शुरू होंगे। माननीय सभापति महोदय, आपको पता है कि डाक्टर को बनने में कितना समय लगता है। चार से पांच साल तो उसको एम.बी.बी.एस. की डिग्री लेने में ही लगते हैं और पांच साल के बाद में यदि वह पी.जी. करना चाहता है तो एंट्रेंस एग्जाम देता है, फिर पी.जी. करता है, दो-तीन साल उसमें लग जाते हैं, तो आज हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसका सात साल बाद में, आठ साल बाद में हमको रिजल्ट आने वाला है कि कोई डाक्टर हमको फील्ड के लिए उपलब्ध होगा। ऐसी स्थिति में हमें आवश्यकता इस बात की है कि ये जो डाक्टर्स बन करके निकल रहे हैं उनमें हम सीटें कैसे बढ़ा सकते हैं। जो आज का वर्तमान का हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर है, उस इन्फ्रास्ट्रक्चर के तहत हम कितनी सीटों को बढ़ा सकते हैं, पी.जी. की कितनी सीटें बढ़ा सकते हैं। जब डाक्टर बनकर तैयार हो जाएं तो हमें चाहिए कि हमको एक बोंड भराना चाहिए कि तुमको इतने सालों तक सरकारी हास्पिटल्स में सेवाएं देनी पड़ेंगी।

माननीय सभापति महोदय, अभी हुआ क्या है कि दो हजार डाक्टर्स की भर्ती हुई, दो हजार डाक्टर्स की भर्ती में 1,500 डाक्टर्स ने ही जोइन किया है, 500 डाक्टर्स ने जोइन नहीं किया और उसकी वजह से जो नैक्स्ट भर्ती होनी थी, वह भर्ती भी उसकी वजह से अटक गयी है। मेरा निवेदन है कि ऐसे जो लोग आते हैं एग्जाम देने के लिए और जिनका सलेक्शन हो जाता है, ऐसे

(श्रीमती अनिता भदेल)

डाक्टर्स का और वह फिर भी जोइन नहीं करते तो आप कोई रास्ता निकालो। एक रास्ता तो यह हो सकता है कि जो आएगा, आवेदन करेगा, जो एग्जाम देगा, यदि उसका सलेक्शन होता है तो अनिवार्य रूप से उसको जोइन करना ही करना है। जो आता है और जोइन नहीं करता है तो क्यों नहीं जोइन कर रहा है? दो ही कारण हैं, या तो उसको मनचाही जगह पोस्ट नहीं मिल रही है या उसको किसी निजी हास्पिटल में और अच्छा पैकेज मिल गया, इसलिए वह वहां चला गया। मान लो, जयपुर के किसी बहुत बड़े निजी हास्पिटल में उसको अच्छा पैकेज मिल जाए तो वह जयपुर ज्यादा रहना पसंद करेगा बशर्ते कि किसी गांव में जाना पसंद करेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो डाक्टर्स की सैलरी है, यह मेडिकल शिक्षा का जो कैडर है, उसको एकदम अलग कर देना चाहिए और उनकी जो सैलरी है, उनके जो अलाउंसेज हैं वे बढ़ाये जाने चाहिए और इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे कारण बताती हूं, क्योंकि जब कोई लड़का या लड़की प्राइवेट निजी कालेज से पढ़कर निकलता है तो हम सब यह बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कालेज में दो-दो करोड़ रुपये की फीस देकर के, लड़का-लड़की डाक्टर बनते हैं और वे सोचते हैं कि हम यह फीस वापस कैसे हासिल करें तो जब परिवार दो करोड़ रुपये भर करके डाक्टर बनाएगा तो निश्चित रूप से उसको अच्छी सैलरी चाहिए ही चाहिए और हम अच्छी सैलरी नहीं दे पाते हैं। या तो यह हो कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कालेज हैं उन प्राइवेट मेडिकल कालेजों में फीस का निर्धारण स्वयं करें, हम उस पर बहुत अच्छे से निगरानी रखें और जो मैनेजमेंट की सीटें हैं जो दो-दो, तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच करोड़ रुपये में बिकती हैं न, उनको बिकवाना बंद करें तब जाकर के हम अच्छे डाक्टर्स निकाल पाएंगे और जब अच्छे डाक्टर निकलेंगे तो वे बिना इस बात के कि मुझे कहां ज्यादा अच्छा पैकेज मिल रहा है, वह सरकार की सेवा में आएगा और आपको डाक्टर्स उपलब्ध होंगे।

माननीय सभापति महोदय, आगे मैं एक निवेदन करना चाहूंगी जी.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए। यह जो जी.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इनमें चूंकि नर्सिंग स्टाफ की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मेरे मेडिकल कालेज अजमेर में इतने नर्सिंग स्टाफ की जरूरत है, माननीय सभापति महोदय, 1:8 का रेशो है। ऐसी स्थिति में मेडिकल कालेज में रोज लड़ाइयां होती हैं। मरीज को कोई अटैंड नहीं करता है। नर्स ने नहीं देखा, उसने ड्रिप बंद नहीं की, ब्लड बाहर निकल गया। उस बात पर लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद में

(श्रीमती अनिता भदेल)

रेजिडेंट्स हड़ताल पर चले जाते हैं। वह हड़ताल पर चले जाते हैं तो 3 दिन मेडिकल कालेज ठप हो जाता है फिर पूरा प्रशासन उस हड़ताल को खतम करने में लगता है। इससे प्रशासन का समय व्यर्थ गया और दूसरी तरफ हास्पिटल का माहौल खराब हुआ, वह अलग।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अभी मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि एस.एम.एस. हास्पिटल के भार को कम करना चाहिए। एस.एम.एस. हास्पिटल का भार कब कम होगा, जब प्रत्येक जिला हैड क्वार्टर पर उस मरीज को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं मिल पाएंगी। आजकल सभी लोग पढ़े-लिखे हैं। कोई भी एम.बी.बी.एस. डाक्टर के पास सीधा नहीं जाना चाहता। वह एक्सपर्ट, विशेषज्ञ प्रोफेसर को सीधा दिखाना चाहता है। जब वह उपलब्ध नहीं होता है तो फिर वह सीधे ही एस.एम.एस. हास्पिटल की ओर रुख करता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि अजमेर मेडिकल कालेज में बाईपास सर्जरी प्रारम्भ होनी चाहिए, क्योंकि डाक्टर्स भी उपलब्ध हैं और बाकी की चीजें भी उपलब्ध हैं। हार्ट की बाईपास सर्जरी अभी तक अजमेर के मेडिकल कालेज में प्रारम्भ नहीं हुई है। हार्ट की बाईपास सर्जरी की व्यवस्था आप अजमेर के जे.एल.एन. कालेज में करें। अभी शिक्षा की रिप्लाई में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बीकानेर इंजीनियरिंग कालेज और कोटा इंजीनियरिंग कालेज से, जो हमारे इंजीनियरिंग कालेज थे, उनकी सम्बद्धता की। अजमेर बिलकुल राजस्थान के बीचों-बीच है। मैंने पिछली बार भी यह बात कही थी। अजमेर राजधानी का हक रखता था लेकिन पानी की कमी की वजह से अजमेर को राजधानी का हक नहीं मिला।

आज अजमेर की क्या स्थिति है? अजमेर में सिर्फ एक ही एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी है। बीकानेर में 3-3, 4-4 यूनिवर्सिटीज, जयपुर में 4-4, 5-5 यूनिवर्सिटीज, कोटा में 3-3 सरकारी यूनिवर्सिटीज, जोधपुर में 4-4, 5-5 यूनिवर्सिटीज, तो अजमेर में हैल्थ यूनिवर्सिटी की मैं डिमांड करती हूं। यदि अजमेर में हैल्थ यूनिवर्सिटी बनती है तो एक आपकी जयपुर की हैल्थ यूनिवर्सिटी, एक अजमेर की हैल्थ यूनिवर्सिटी, जितने जिला मुख्यालय हैं हमारे इतने मेडिकल कालेज बन रहे हैं, इन मेडिकल कालेजों को 2 यूनिवर्सिटीज के बीच में आप बांट सकते हैं ताकि काम आसानी से हो जाए। आज ही हमें यह सोच आगे रखकर के इसको बढ़ाना चाहिए ताकि आने वाले समय में हमें सुविधा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से मैंने अभी बताया कि पूरे

(श्रीमती अनिता भदेल)

राजस्थान में 16 डेंटल कालेज हैं सरकारी और निजी। मैं माननीय मंत्री महोदय से डिमांड करती हूं कि अजमेर में भी एक डेंटल कालेज की स्थापना आपको करनी चाहिए, ताकि मरीजों को राहत मिल सके।

इसी तरह से पुष्कर और दरगाह में अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेले आयोजित होते हैं। लाखों की फ्लोटिंग पापुलेशन यहां आती और जाती है। ऐसी स्थिति में पुष्कर और दरगाह के जायरीनों को देखते हुए हम चाहते हैं कि ट्रोमा सेंटर एक अलग से यहां पर स्थापित होना चाहिए जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। सम्भागीय चिकित्सालय यहां पर है।

इसी तरह से इमरजेंसी विभाग के सुदृढ़ीकरण हेतु इमरजेंसी मेडिसिन विभाग की स्थापना और इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में स्नातकोत्तर, पी.जी. की सीट्स को प्रारम्भ किया जाना चाहिए। सुपर स्पेशलिटी विभागों की स्थापना और सुपर स्पेशलिस्ट डाक्टर्स की नियुक्ति होनी चाहिए। अजमेर में न्यूरो सर्जरी के एक ही डाक्टर हुआ करते थे। पिछले दिनों उनकी डैथ हो गयी। अब न्यूरो सर्जरी के मामले में अजमेर ब्लैंक हो गया है। अब आपरेशंस वहां नहीं हो सकते। न्यूरो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी, इनके विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति वहां नितान्त आवश्यक है। नेफ्रोलॉजी की बहुत लम्बे समय से मांग चलती रही है। नेफ्रोलॉजी के अभाव में जो डायलिसिस के मरीज हैं, जो किडनी के मरीज हैं उनको ठीक राहत नहीं मिल पाती है।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ मैं निवेदन करती हूं कि एंडोक्रोनोलॉजी के विशेषज्ञ चिकित्सक की आवश्यकता है। कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, गेस्ट्रोलॉजी, पिडियाट्रिक सर्जरी में एक-एक विशेषज्ञ चिकित्सक है जबकि अजमेर मेडिकल कालेज है। जो यूरोलॉजी में एक विशेषज्ञ चिकित्सक है, उनकी तो इतनी भयंकर दादागीरी है कि यदि आपने गलती से सिफारिश कर दी तो उस मरीज का तो चीरफाड़ ही सम्भव है। उसका वहां से कहीं ट्रांसफर कर नहीं सकते। हमारी मजबूरी है, क्योंकि वह चला जाएगा तो यूरोलॉजी में कोई बचेगा ही नहीं। यह यूरोलॉजी में जो आपका एक ही विशेषज्ञ चिकित्सक है, उसको बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि अजमेर में मैंने डायलिसिस की बात की, यूरोलॉजी की बात की। आप यह देखिए कि अजमेर जैसे सम्भाग मुख्यालय पर जो मेडिकल कालेज है, वहां पर डायलिसिस की सुविधा ही नहीं है। जे.एल.एन. मेडिकल कालेज के लोगों को

(श्रीमती अनिता भदेल)

प्राइवेट कालेज में रैफर करना पड़ता है। अब मान लो कोई व्यक्ति नागौर से चलकर आ रहा है, उसको डायलिसिस कराना है, बीमार है। वह जब मेडिकल कालेज जाता है तो कहते हैं कि पहले आप जांच कराओ। डाक्टर से जांच कराने के बाद उसको कहा जाता है कि आप पागारानी हास्पिटल जाओ। अब नागौर से आने वाले को क्या मालूम कि पागारानी हास्पिटल कहां है? वह दर-दर की ठोकर खाने पर मजबूर होता है। यह पागारानी हास्पिटल निजी हास्पिटल है। हालांकि वह आपको सुविधा दे रहा है। उस हास्पिटल को धन्यवाद है कि वह सरकार को सुविधा दे रहा है, लेकिन मरीजों को इससे राहत कम ही मिल रही है, ज्यादा राहत नहीं मिल रही है। वहां डायलिसिस कराने वालों की एक लम्बी लिस्ट पहले से ही रहती है। किसी का 7 दिन बाद में नम्बर है, किसी का 5 दिन बाद में नम्बर है। अब 5 दिन, 7 दिन तक वह डायलिसिस नहीं कराएगा तो वह मर ही जाएगा। ऐसा मरीज बचेगा कैसे? कई बार जो भर्ती मरीज हैं, उनको भी डायलिसिस की जरूरत होती है तो जो भर्ती मरीज हैं, वे डायलिसिस कराने कहां जाएं? सभापति महोदय, मेरा इसलिए निवेदन है कि जो पी.पी.पी. मोड पर संजीवनी सोसाइटी आयी थी डायलिसिस की स्थापना के लिए, वह एक साल पहले ही चली गयी। डाक्टर्स और प्रशासन में जो झगड़ा हुआ, उसको लेकर के कि बिजली का बिल वह जमा कराएगा, हमको यह जगह दो, फलां जगह दो, फिर वह अपने ताम-तूमड़े उठाकर के भाग गयी।

माननीय सभापति महोदय, डाक्टर्स को डाक्टर्स का काम करने दो। मेरा सुझाव है आपको कि कोई ऐसी प्रशासनिक पोस्ट मेडिकल कालेजेज में सृजित करनी चाहिए ताकि वह व्यक्ति बाकी चीजों को कोआर्डिनेट करने का काम करे। डाक्टर्स सिर्फ मेडिकल एजुकेशन और मरीजों के उपचार का ही काम करें।

माननीय मंत्री महोदय, मेरा सुझाव है कि गायनिक के डाक्टर्स की बहुत अधिक आवश्यकता है। किसी माननीय सदस्य से पूछ लो, हमारे यहां गायनिक का डाक्टर चाहिए, हमारे यहां चाहिए, सब यह मांग करेंगे। कोई भी महिला, पुरुष गायनिक डाक्टर के पास दिखाने जाना नहीं चाहती। महिलाओं के लिए गायनिक की सीट्स को बढ़ाने की आवश्यकता है। गायनिक की सीट्स बढ़ेंगी तो आप गांव-गांव में गायनिक के डाक्टर्स को उपलब्ध करा पाओगे। मेरा आपको यह सुझाव है, निवेदन है और मेरी सोच है कि आप मेरे इन

(श्रीमती अनिता भदेल)

निवेदनों को स्वीकार करते हुए अपनी जो बात रखेंगे, उसमें यह बात कहेंगे।

माननीय सभापति महोदय, यूरोलॉजी विभाग में आचार्य का एक पद और सह आचार्य के 2 पद स्वीकृत हैं लेकिन आचार्य का ही पद भरा हुआ है सह आचार्य नहीं हैं। रेजिडेंट चिकित्सक रोटेशन से वहां लगाए जाते हैं, क्योंकि यूरोलॉजी के स्नातकोत्तर की सीट्स वहां नहीं हैं। वह सीट्स आप दें। वहां जो डाक्टर हैं, वह नहीं चाहते हैं कि यहां यह सीट्स हों, क्योंकि इससे उनकी दादागीरी खतम हो जाएगी। सी.टी.वी.टी. में यह पोस्ट आपको सृजित करनी पड़ेगी ताकि नए डाक्टर्स वहां पर आएं और ट्रेनिंग करके रेजिडेंट वहां पर उपलब्ध हो सकें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कन्क्लूड करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अंत में, मैं अपनी बात को पूरा करते हुए बैठती हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि अंग प्रत्यारोपण की बात पिछली बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कही थी। अंग प्रत्यारोपण की सुविधा नहीं होने से लाखों मरीजों की मौत हो जाती है। इन लाखों जानों को बचाने के लिए यदि हम यह सुविधा हर मेडिकल कालेज में बढ़ाते हैं तो हम उनकी जानों को बचा पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, अंग प्रत्यारोपण में तमिलनाडु नम्बर वन है और हम सबसे लास्ट में हैं। राजस्थान सबसे पीछे है। राजस्थान को कैसे आगे लाया जा सकता है, उसकी बात मैंने की है। मैंने जो बात सदन के सामने रखी है, मुझे लगता है कि माननीय मंत्री महोदय अजमेर के होने के कारण से अजमेर पर कुछ मेहरबानी करेंगे और आने वाले समय में देंगे। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री लाखन सिंह।

श्री लाखन सिंह (करौली): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, सफाई पर बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं राजस्थान सरकार के आदरणीय मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जो कोरोना का टाइम था, उस समय भी बहुत अच्छे प्रबन्ध किये। राजस्थान में जो बाहर से प्रवासी आये, उनको अपने स्थान पर पहुंचाया। हर एक से, चाहे कोई राजनीतिज्ञ हो, चाहे समाज गुरु हो, सबसे सलाह-मशविरा

(श्री लाखन सिंह)

करके जो कोरोना का प्रबन्ध किया, वह बहुत ही सराहनीय है। वह पूरे देश और विदेश में भी मॉडल रहा।

(16.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि करौली विधान सभा क्षेत्र में मुझे आदरणीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी ने पी.एच.सी. दी। दो पी.एच.सी. दीं, दो सी.एच.सी. दीं, एक मेडिकल कालेज दिया, एक नर्सिंग कालेज दिया, उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले। इन सबके लिए मैं बारम्बार धन्यवाद देता हूं। मेरा करौली विधान सभा क्षेत्र डांग क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां पर एक मात्र मेडिकल कालेज है और हास्पिटल है। उस सरकारी अस्पताल में डाक्टर की बहुत कमी है। जिला हैडक्वार्टर पर कोई भी प्राइवेट हास्पिटल नहीं है, इसलिए सभी शहरी एवं ग्रामीण लोग इसी अस्पताल पर निर्भर हैं। करौली अस्पताल में केवल करौली जिले के ही नहीं, दूरदराज एवं दूसरे जिलों एवं क्षेत्रों, जैसे धौलपुर जिला, सरमथुरा, बाड़ी, बसेड़ी क्षेत्र, इसी अस्पताल में दिखाने के लिए आते हैं। इसी अस्पताल में करणपुर, मासलपुर, मण्डरायल, सपोटरा एवं चम्बल पार मध्य प्रदेश के सभी मरीज करौली आते हैं। यहां पर डाक्टरों के पद खाली हैं। नर्स प्रथम, फार्मासिस्ट एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, लैब टैक्नीशियन, इन सबके काफी पद खाली हैं। इन सबको शीघ्र भरने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, करौली में एक नवीन चिकित्सालय बनाया है जो करौली में मैन शहर से करीब दस किलोमीटर दूर है, वह मण्डरायल रोड पर है और उसकी रोड भी बड़ी जर्जर है, वहां पर कुछ वार्ड शिफ्ट हो गए हैं और जो पुराना अस्पताल है, वहां से बाकी के वार्ड भी शिफ्ट होने हैं। ऐसी स्थिति में अगर इमरजेंसी में कोई मरीज बीमार होता है तो वहां तक पहुंचने के लिए, 10 किलोमीटर दूर जाने के लिए कोई साधन भी नहीं है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि पुराना जो हास्पिटल है, उसको सैटेलाइट हास्पिटल के रूप में तब्दील किया जाए। यह मेरा विनम्र आग्रह है।

माननीय सभापति महोदय, रोगियों की संख्या को देखते हुए चिकित्सालय को 300 बैड में क्रमोन्नत किया जाए। वर्तमान में अभी 225 बैड हैं। नवीन चिकित्सालय में अभी पिछले कुछ दिनों से किसी प्रकार के आपातकालीन आपरेशन नहीं हो रहे हैं, इनको तुरन्त चालू कराया जाए।

(16.03 बजे)

(श्री लाखन सिंह)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, करौली जिले में पत्थर खनन मजदूरों की रोजी रोटी का प्रमुख जरिया है जिससे इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में सिलिकोसिस, ट्यूबरक्लोसिस रोग से लोग पीड़ित हो जाते हैं, लेकिन जिला हैडक्वार्टर पर सिलिकोसिस एवं ट्यूबरक्लोसिस के गम्भीर मरीजों के इलाज के लिए अलग से भर्ती वार्ड की व्यवस्था नहीं है, गम्भीर मरीजों को सामान्य मरीजों के साथ ही भर्ती कर इलाज किया जाता है, जिससे सामान्य मरीजों में भी संक्रमण का खतरा रहता है, इसलिए माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि करौली जिला मुख्यालय पर टीबी. अस्पताल को क्रमोन्नत किया जाए एवं इसमें अलग से टीबी. और सिलिकोसिस के गम्भीर मरीजों के इलाज के लिए भर्ती वार्ड की व्यवस्था सुचारु की जाए, जिससे टीबी. एवं सिलिकोसिस के मरीजों का जीवन बचाया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेडिकल कालेज की जमीन स्वीकृत हो गयी है लेकिन अभी तक वहां पर काम चालू नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि उस काम को जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। डांग क्षेत्र में मासलपुर क्षेत्र है। वहां पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, वहां पर 30 बैड हैं। वहां पर 50 बैड स्वीकृत किये जाएं। वहां पर डाक्टरों की बड़ी कमी है। सर्जरी, मेडिसन, शिशु रोग, एनेस्थीसिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टरों के पद रिक्त चल रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परीता में भी मेडिसन और सर्जरी के विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद रिक्त हैं। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे यहां जो पद खाली हैं, उनको भरा जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि धौलपुर में एक कुख्यात डकैत को जिस तरह से बहन वसुन्धरा चौहान और कमर सिंह मीणा, आर.ए.सी. का जवान था, इन्होंने, डकैत लुक्का को उसके साथी छुड़ाकर ले जा रहे थे, मिर्ची आंखों में डाल दी, उसके बावजूद भी इन्होंने अपना साहस दिखाकर उसको छुड़ाया। माननीय सभापति महोदय, मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि जिस तरह से बहन वसुन्धरा चौहान को सब इंस्पेक्टर बनाया, उसी तरह से कमर सिंह मीणा को भी सब इंस्पेक्टर बनाया जाए। यह मेरा विशेष आग्रह है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आज

मांग संख्या 26 पर चर्चा हो रही है। हर सरकार अपने जन को स्वस्थ बनाना चाहती है। उसके लिए योजनाएं भी बनती हैं, लेकिन जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, बीमारियों का प्रकार बढ़ रहा है, उस अनुरूप योग्य प्रशिक्षित डाक्टर, विशेषज्ञ स्टाफ, उनके लिए आधुनिकतम उपकरण और कार्य का वातावरण होने की आवश्यकता है, लेकिन यह कहीं भी अनुभूति नहीं होती है। इसकी लगातार कमी होती जा रही है। मेडिकल कालेज अच्छे होंगे तब जाकर पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे। मेडिकल कालेज तो माननीय मोदीजी के स्वप्न के आधार पर हर जिले के अन्दर बन रहे हैं। उस आधार पर राजस्थान में भी बनने की घोषणा हुई। भले ही वाहवाही हमारे चिकित्सा मंत्रीजी ने ली हो, लेकिन वास्तव में बधाई के पात्र तो माननीय मोदीजी हैं। उनमें अच्छे डाक्टर तब तैयार होंगे, जब वहां आधुनिकतम उपकरण भी उपलब्ध हों। वर्तमान में राज्य में 6 मेडिकल कालेज एवं एक दंत विज्ञान महाविद्यालय संचालित हैं। कुल मिलाकर 5,367 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा 8 मेडिकल कालेज भी हैं, 1,300 यू.जी. और 1,500 डेंटल कालेज हैं उनमें से 1,410 यू.जी. में अध्ययन कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस समय जिस प्रकार से केन्द्र ने स्वीकृति दी और आपको प्रत्येक मेडिकल कालेज के लिए 325 करोड़ रुपये भी उपलब्ध कराये, पर आप उसका पूरी तरह से उपयोग नहीं कर रहे हैं। अभी भी कई मेडिकल कालेजों को जमीन तक उपलब्ध नहीं करवा पाये। जैसा मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे, आपके कार्यकाल में तो शायद ये पूरे नहीं होंगे, यह सामने दिखाई दे रहा है। आप जब रिप्लाई करेंगे तो बड़ी-बड़ी बातें तो करेंगे कि हमने मेडिकल कालेज में सीटें बढ़ा दीं, हमने शय्याएं बढ़ा दीं, लेकिन इस प्रकार यदि शय्याएं बढ़ेंगी तो उनको सम्भालेगा कौन? विद्यार्थी बढ़ेंगे तो उनको पढ़ाएगा कौन? इसके लिए आज भी जो स्वीकृत पद हैं, वे उतनी ही संख्या में, जितने पहले थे, बढ़ते हुए के अनुरूप न तो आपने पद बढ़ाए और न ही आपने उनके लिए कोई व्यवस्था की। इसके लिए आज जो वर्तमान में स्थिति है, एस.एम.एस. हास्पिटल, जयपुर में 2,900 के स्टाफ की कमी है। मैं अजमेर की बात करूं तो अजमेर में 46 आचार्य के पद हैं, उनमें 31 रिक्त हैं। सहायक आचार्य के लिए 147 पद हैं। केवल नियमित रूप से 45 कार्यरत हैं, 41 आपने अस्थायी लगाए हैं, फिर भी 61 पद आज भी खाली हैं। सह आचार्य के 73 पद स्वीकृत हैं। उनमें से केवल 34 नियमित रूप से काम कर रहे हैं। सीनियर रेजिडेंट, 92 पद स्वीकृत हैं, उनमें से 43 लोग नियमित रूप से काम कर रहे

(श्री वासुदेव देवनानी)

हैं। नर्सिंग अधीक्षक 28 पद स्वीकृत हैं, उनमें से 27 रिक्त हैं। यह है इनकी स्थिति और फिर कह रहे हैं कि इस प्रकार से हम राजस्थान की जनता को स्वस्थ बनाएंगे। आप किस आधार पर, किस प्रकार के विद्यार्थी तैयार करके, डाक्टर्स तैयार करके फील्ड पर ला रहे हैं? ऐसी स्थिति लगभग सभी मेडिकल कालेजों की है। थोड़ी-बहुत ठीक होगी तो एस.एम.एस. की होगी, लेकिन वहां भी चूंकि राज्य के सभी जिलों से मरीज आते हैं, इसलिए वहां स्टाफ की कमी है। सवाल यह है कि आखिर स्टाफ मिलता क्यों नहीं है? इसमें गहराई से जाने की जरूरत है।

माननीय चिकित्सा मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि इसके चार कारण हैं। एक तो निजी चिकित्सालयों की तुलना में इन्हें कम वेतन मिलता है। दूसरा, समयबद्ध पदोन्नति नहीं होती। पदोन्नति के लिए अभी कई लोग प्रतीक्षा में हैं। अस्पतालों में काम का वातावरण नहीं है और आधुनिक उपकरण नहीं हैं। एक स्पेशलिस्ट जो तैयारी करके आता है, उसके पास यदि उपकरण नहीं मिलेंगे तो वह कैसे काम करेगा? एक तो वेतन कम, दूसरा, उसे मैंटल सैटिस्फैक्शन नहीं होगा तो फिर वह प्राइवेट की तरफ भागता है जहां उसे लाखों का पैकेज मिलता है। ऐसी स्थिति में राजस्थान में इन डाक्टर्स के लिए एक विशेष वर्ग तैयार करना पड़ेगा, जिसमें अलग से सैलेरीज हों, तब जाकर आपके यहां डाक्टर्स टिकेंगे।

हमारे यहां जो उपकरण आते हैं, वे साधारणतया जर्मनी, जापान, अमेरिका में दस साल पहले आ चुके होते हैं। उनकी खरीद आज भारत में आपके राजस्थान में हो रही है। उन्हें जब तक आधुनिकतम नहीं किया जाएगा, तब तक इस प्रकार के वातावरण का कोई हल नहीं होगा। पैसों की आपके यहां कोई कमी नहीं है। मैं अजमेर की आयोजना मद की चर्चा करूं तो 2020-21 में आपके पास 148.55 करोड़ रुपये का प्रावधान है और आपने 31 दिसम्बर तक खर्चा कितना किया है, 70.6 करोड़, अर्थात् आधा भी नहीं किया। जब आप खर्चा नहीं करेंगे तो फिर आपकी व्यवस्थाएं कैसे होंगी? इसी प्रकार केन्द्र प्रदत्त जो योजनाएं हैं, उनका तो हाल और बेहाल है। आपके पास 2018 में केन्द्र से पैसा आया था 57 करोड़ 5 लाख रुपये। आपकी शेष राशि 31 दिसम्बर तक 55 करोड़ बाकी है। यह सब आपकी किताब में लिखा हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार 2019 में आपके टोटल बजट 58.45

(श्री वासुदेव देवनानी)

करोड़ में से 55 करोड़ बाकी हैं। 2020 में आपके यहां 125 करोड़ की स्वीकृति हुई थी, उसमें से 122 करोड़ 95 लाख रुपये आपके यहां अभी तक पड़े हुए हैं। हमेशा आप दोष देते हैं कि केन्द्र प्रदत्त योजनाओं से पैसे नहीं आते, लेकिन केन्द्र प्रदत्त जो योजनाएं हैं, उनका पैसा आप खर्च ही नहीं कर पाते हैं। इसी कारण राजस्थान में मेडिकल सुविधाएं बढ़ नहीं पा रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, ट्रोमा सैंटर्स की बात होती है। आज एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं इसलिए ट्रोमा सैंटर्स निश्चित रूप से आवश्यक हैं। ट्रोमा सैंटर्स बनाने हेतु कुछ केन्द्रों के लिए आपने बजट में 25 करोड़ रुपये रखे भी हैं, लेकिन आपके पुराने ट्रोमा सैंटर्स के हाल क्या हैं? देखा जाए तो मरीज के पास आर्थोपैडिक के बाद एक न्यूरोसर्जरी भी होती है, लेकिन राजस्थान में न्यूरोसर्जंस के पद कितने हैं, 8 तो केवल प्रोफेसर्स के स्वीकृत हैं, 11 एसोसिएट प्रोफेसर्स के हैं और 22 असिस्टेंट प्रोफेसर्स के हैं। इनमें भी कई पद खाली हैं। लोगों को न्यूरो की कोई व्यवस्था नहीं मिल पाती, इलाज नहीं मिल पाता। यही हाल कार्डियो सर्जरी का है। उसमें प्रोफेसर्स के 77 पद स्वीकृत हैं और असिस्टेंट के 19, उनमें भी खाली पड़े हुए हैं।

आज कैंसर की चर्चा चल रही थी। कैंसर के इलाज में आन्कोलाजी की आवश्यकता होती है। आन्कोलाजी के लिए आवश्यक विभाग भी हो गया है, लेकिन मेडिकल आन्कोलाजी के केवल 6 पद स्वीकृत हैं और सर्जिकल के केवल 5, इसलिए मरीजों को प्राइवेट हास्पिटल की ओर जाना पड़ता है, जहां पर उनसे काफी मात्रा में धन वसूला जाता है। गरीब आदमी तो वहां जा ही नहीं सकता। सिर्फ रेडियोथैरेपी के भरोसे प्रदेश की सरकार मेडिकल कालेजों में कैंसर का इलाज करवा रही है। आज यह स्थिति है।

नैफ्रोलॉजी की तो हालत और खराब है। गुर्दे की बीमारियां बढ़ रही हैं। राजस्थान में केवल 19 पद सृजित हैं। उनमें से भी आधे खाली हैं। इस प्रकार की दुर्दशा से हम कैसे डाक्टर्स तैयार करेंगे और वे आगे क्या इलाज करेंगे? और तो और जो सम्बन्धित हास्पिटल हैं, वहां मेडिकल कालेजों की स्थिति तो देखें। आप तो एस.एम.एस. में एक बार भर्ती भी रहे। एस.एम.एस. की हालत यह है, आज बैड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मरीज जमीन पर लेटे हुए हैं। यह स्थिति है आज। इसी प्रकार सारी जगह है।

आई.सी.यू. और क्रिटिकल केयर में तो जरूरी बैड ही नहीं हैं। जिन वार्डों में केवल 40 बैड हैं, वहां 100 से 125 तक आज मरीज भर्ती हैं। जब

(श्री वासुदेव देवनानी)

उन्हें बैड ही नहीं मिल पा रहे हैं, आपके यहां व्यवस्था ही नहीं है तो उन मरीजों का इलाज कैसे होगा? केवल सीटें बढ़ाने, बैड्स बढ़ाने की घोषणा करके कुछ नहीं होगा, जब तक धरातल पर इनकी व्यवस्था नहीं होती। इन चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और तो और, इन मेडिकल कालेजों में बीमारी तो एक पक्ष है, लेकिन यदि गंदगी होगी तो उससे तो बीमारियां और बढ़ेंगी।

आज प्राइवेट हास्पिटल में अच्छी स्वच्छता मिल जाती है। सरकारी में क्यों नहीं मिलती? सरकार में भी स्वच्छता की व्यवस्था सम्पूर्ण रूप से ठेके पर दी जाती है, लेकिन आज अस्पताल प्रशासन की मिलीभगत के कारण वहां व्यवस्थाएं नहीं हैं। आधे लगते हैं, पूरे का वेतन उठा ले जाते हैं। यदि सफाई व्यवस्था नहीं होगी, कोरोना के दौरान तो कई वीडियो भी आये, जब अन्दर मरीज भर्ती है, नहाने का बाथरूम कैसा है और बाकी किस प्रकार की हालत है। बड़ी दयनीय स्थिति में लोग थे। बाहर बीमार इतने नहीं होंगे जितने वहां अन्दर जाकर भगवान को प्यारे होने लग गये। इस प्रकार की स्थिति है।

गार्डों की व्यवस्था है, लेकिन उसमें भी मिलीभगत, यानी यह जो हालत है, इसके कारण मरीज मजबूर होकर प्राइवेट हास्पिटल की ओर लौट जाते हैं, जहां उन्हें लूटा जाता है जबकि कई प्राइवेट हास्पिटल को रियायती दरों पर जमीन दी जाती है। सरकार बराबर उन पर नियंत्रण रखे। यदि कोई प्राइवेट हास्पिटल सरकार की बात को नहीं मानता तो उन्हें टेक-ओवर करने में भी कहीं संकोच नहीं करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अजमेर के जे.एल.एन. अस्पताल की सबसे बुरी हालत है। इमरजेंसी यूनिट है। बड़े प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पौने तीन करोड़ रुपये से हमने इमरजेंसी यूनिट बनायी, लेकिन दिन के दो बजे बाद कोई सीनियर डाक्टर नहीं, चाहे कितना ही गम्भीर मरीज आ जाए। सब-कुछ केवल रेजिडेंट के भरोसे है। इसलिए मेरी मांग है कि दोपहर दो बजे से सुबह आठ बजे तक रोटेशन पर सीनियर डाक्टर्स की भी ड्यूटी लगायी जाए तो उस मरीज को राहत मिल पाएगी। हमारे चिकित्सा मंत्री अजमेर जिले के बने। हमें बड़ी आशाएं थीं। हमें लग रहा था कि यहां सुविधाएं बढ़ेंगी, लेकिन मुझे बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ता है कि अजमेर के न होकर आपने स्वयं को केवल केकड़ी तक सीमित कर लिया।

माननीय सभापति महोदय, हमने आपात यूनिट के बारे में आपको बताया। नया भवन भी बन गया, अच्छी टाइल्स भी लग गयीं, लेकिन उसमें

(श्री वासुदेव देवनानी)

एक्स-रे मशीन और सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां मशीनें नहीं हैं, लेकिन आज हम प्रशासन की अकर्मण्यता और लापरवाही के शिकार हो रहे हैं। हास्पिटल के स्टोर में चार बैड-साइड एक्स-रे मशीन्स पड़ी हैं, चार बैड-साइड सोनोग्राफी मशीन्स पड़ी हैं, लेकिन वे अपनी आपातकालीन यूनिट के लिए नहीं, बल्कि केवल स्टोर में धूल खाने के लिए हैं। यह है आपके प्रशासन की स्थिति। किसे कहें, कह-कहकर हम थक गये, लेकिन वहां कोई सुनवाई ही नहीं होती। मैं आपसे मांग करता हूं कि जरा इस ओर भी आप ध्यान दें।

वहां पर एक लाइफलाइन मेडिकल स्टोर है, जहां सस्ती एवं किफायती दवाएं मिलती हैं। आज चार महीने से वह बंद पड़ा है। उसकी ओर आप ध्यान दें। हमारा नेत्र रोग विभाग है, आप एक बार जाकर उसकी विजिट तो करें। पलंग टूटे हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि पलंग हैं नहीं, पलंग स्टोर में भरे पड़े हैं। उनकी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे बड़ा तरस आता है। कैथ लैब, जो हमने जन सहयोग और अपने प्रयासों से माननीय वसुन्धरा जी के समय बनवायी थी, क्षमता से अधिक उपयोग होने के कारण आज एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी प्रभावित हो रही है। अत: मैं आपसे नयी कैथ लैब खोलने की मांग करता हूं, क्योंकि आपने घोषणाएं तो कई बार कीं, लेकिन आज तक वहां कैथ लैब लगी नहीं। जितनी जल्दी लगाएंगे, उतनी जल्दी वहां मरीजों को लाभ मिलेगा।

इसी तरह सी.टी.वी.एफ., बाईपास सर्जरी की बात चली, वहां पर पूरे उपकरण धूल चाट रहे हैं, यानी उपकरणों का उपयोग नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है वहां सर्जरी करने वाला कोई डाक्टर है ही नहीं। उसकी तो कम से कम नियुक्ति करें ताकि करोड़ों रुपये के उपकरणों का तो किसी तरह से उपयोग हो। सी.टी. स्कैन मशीन आये दिन खराब होती है। लोग वहां प्राइवेट की ओर बाहर भेज देते हैं। या तो वह नयी मंगवाएं या उसे ठीक करें या चलाने वाला वहां ठीक नहीं है। मैं यह सब बड़ी पीड़ा से मंत्री महोदय के सामने कहता हूं। ट्रोमा सैन्टर में भी गम्भीर घायल किस तरह से रहते हैं?

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): एम.आर.आई., वहां पी.पी.पी. मोड पर चल रही है। सरकारी स्तर पर नहीं है। अभी बात चली कि सुपर स्पेशलिटी हमारे यहां प्रारम्भ हो और कम से कम कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, इनमें तो कहीं से आप काम शुरू करें। मैं केवल एक-दो मिनट लेकर

(श्री वासुदेव देवनानी)

अपनी बात पूरी करता हूं। आज जो आपने फीस रखी है, आपने मेडिकल कालेज में 50 परसेंट की तो यह फीस रखी, बाकी 35 परसेंट की साढ़े सात लाख रुपये की फीस रखी है। यह कौन गरीब देगा? इस प्रकार वहां पर आप उनकी फीस कम करो। स्टाफ तो वहां पर है ही नहीं, 609 में से केवल 319 हैं। उसमें भी केन्द्रीय बजट 240 करोड़ था और केवल 100 करोड़ रुपये खर्च हुए। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का 2020 में 1,693 करोड़ रुपये स्वीकृत होकर आपके पास पैसा आ चुका है, पर आपने खर्चा केवल 169 करोड़ खर्च किया है। वहां पर स्टाफ, जैसे चूरू में कितना है, तो आचार्य के 14 में से केवल 4 भरे हैं, जहां से हमारे उप नेता आते हैं। यह स्थिति बनी हुई है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेडिकल के लिए अच्छी व्यवस्थाएं हों। उसमें मेरा एक सुझाव है कि आप मेडिकल एक्सपर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटर और जो पब्लिक रिप्रजेंटेटिव्ज हैं, इनकी एक कमेटी बनाकर करें। माननीय सभापति महोदय, संवेदनशील मुख्य मंत्री जी, संवेदनशील चिकित्सा मंत्री जी, इन डाक्टर्स की पूर्ति करें। इनको नये वेतनमान दिलाएं, तब जाकर गरीबों को राहत मिलेगी। बाकी आपने अजमेर में घोषणा तो कर दी कि कायड़ में नया मेडिकल कालेज बनाकर स्थानान्तरित करेंगे, पर कब करेंगे? न तो कोई जमीन का पता है, न कहीं किसी चीज का पता है। मैं केवल अजमेर की दो मांगें रखते हुए कहूंगा कि अजमेर के अन्दर डेंटल हास्पिटल और कैंसर हास्पिटल की आवश्यकता है, क्योंकि अजमेर में ही केवल एक प्रकार का मेडिकल कालेज ऐसा है, जिससे सम्बद्ध अस्पताल तीन ही हैं। इसलिए वहां पर आपके रहते हुए डेंटल हास्पिटल, कैंसर हास्पिटल खुल जाए। मेडिकल यूनिवर्सिटी खुले तो बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं आपसे कहूंगा, लेकिन बीमारी कम हो, इसके लिए मेरी मांग है कि आप योग विश्वविद्यालय अजमेर में खोलें, राजस्थान में भी खोलें, जिससे योग करेंगे तो बीमारियां कम होंगी और आपके चिकित्सा विभाग पर वज़न भी कम पड़ेगा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि हमारे अजमेर के चिकित्सा मंत्री इस पर पूरा ध्यान देंगे।

श्री सभापति: सुश्री दिव्या मदेरणा।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): सभापति महोदय, मैं मेडिकल

एजुकेशन के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। जैसे सबको ज्ञात होगा कि यह ग्रुप-वन है और ग्रुप-वन में मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन बहुत सारी सर्विसेज को रेंडर करता है जैसे पेशेंट केयर, उसके अन्दर डायग्नोस्टिक सर्विसेज आती हैं।

मैं सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण काम मेडिकल एजुकेशन का है, टीचिंग एण्ड लर्निंग, उस पर फोकस करूंगी। फिर रिसर्च, पेशेंट केयर और तीन-चार पर जल्दी से फोकस करूंगी।

सबसे ऐतिहासिक कदम एजुकेशन के अन्दर हमने लिया और वह यह है कि प्रत्येक मुख्यालय पर मेडिकल कालेज हम खोलेंगे। हमने इसका एक्सपांशन किया व्यापक रूप से, उसकी सराहना तो आप करेंगे नहीं और कब खोलेंगे, कैसे करेंगे। जब हमने यह विजन रखा है, हम लेकर आये हैं तो निश्चित रूप से उसके सारे संसाधन हम उपलब्ध करवाएंगे। मेडिकल शिक्षा का हमने एक्सपांशन किया है और आज तक हम सुनते हैं कि डाक्टर्स की बहुत कमी हो रही है। जब इतने सारे इंस्टीट्यूशंस एजुकेशन देंगे तो बहुत क्वांटिटी के अन्दर हम डाक्टर्स को प्रोड्यूस करेंगे, जिससे बेहतरीन पेशेंट केयर हम मुहैया करा पाएंगे। आज एस.एम.एस. जयपुर में चलाकर आते हैं, जहां पर हमारे छह मेडिकल कालेजेज हैं। वहां पर दूर-दूर से चलाकर आते हैं। जब हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कालेज होगा और चरणबद्ध तरीके से समय से डिस्ट्रिक्ट्स में पेशेंट केयर भी डवलप होगी तो दूर-दराज से आने की जो तकलीफें हैं, ये नहीं होंगी। लेकिन अब जो हमारी भूमिका बन जाती है वह बन जाती है, क्वालिटी एजुकेशन की। क्वांटिटी तो अपने दे दी है, लेकिन हमें क्वालिटी सुनिश्चित करनी पड़ेगी और इसका एक बहुत सिम्पल फार्मूला है कि हम किस तरीके के डाक्टर्स इन इंस्टीट्यूशंस से प्रोड्यूस करेंगे। क्वालिटी टीचिंग इज इक्वल टू क्वालिटी डाक्टर्स और उसके लिए हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा, हमें मापदण्ड और कार्यक्रम इस तरीके से तय करने पड़ेंगे कि हम वर्ल्ड क्लास टीचिंग के ऊपर आएं। हम सारे जिलों को तो गवर्नमेंट एजुकेशन के मापदण्ड पर नहीं कर पाते, लेकिन मैं चाहती हूं कि कम से कम जयपुर वाले एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड रिनाउंड वर्ल्ड क्लास हार्वर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशन की तरह उसको एस्टेब्लिश करके आगे बढ़ने की कोशिश करें।

मैंने माना कि शार्टेज आफ फैकल्टी है और कालीचरण जी सराफ यह कह रहे थे कि हमें डायरेक्ट इंटरव्यू से इसके अन्दर रिक्रूट करना चाहिए। निश्चित रूप से जब स्टूडेंट सफर करता है, मैं इस बात से एग्री करती हूं कि

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

डायरेक्ट इंटरव्यू से हमें रिक्रूट करके इस बाडी को आटोनोमस भी बनाना चाहिए कि 15 या 20 साल की सर्विस करते हैं और आपके पास में कोई सिस्टम नहीं है, आप कहीं पर भी उसको करते हैं और एक बड़ी अनिश्चितता उसके अन्दर होती है। आप इस तरीके से रिक्रूट करें, जिस तरह से सोसायटी-रन कालेजेज भी डायरेक्ट रिक्रूट कर रहे हैं। जहां पर जो जाना चाहता है, जो जिस जगह सेवा देना चाहता है, वह उसी जगह पर इंटरव्यू देगा, तो चीजें आसान होंगी और क्वालिटी टीचर्स को अट्रैक्ट करने के लिए निश्चित रूप से हमें सैलेरी स्ट्रक्चर भी बदलना पड़ेगा, सर्विस स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, एम्स और पी.जी.आई. के स्तर पर हमें करना पड़ेगा, अगर उस क्वालिटी के प्रोफेसर हम चाहते हैं। हमें उस तरीके का इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करना पड़ेगा, हमें उस तरीके का एनवायर्नमेंट डवलप करना पड़ेगा और मैं चाहती हूं कि आजकल तो ई-क्लास रूम्स हो गये हैं, वह पूरा मैकेनिज्म हमारे यहां पर डिजिटल सब कुछ इन कालेजेज में आलरेडी डवलप्ड है। उसके लिए हमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है तो वर्ल्ड क्लास फैकल्टी से कोलैबोरेशन करके मेडिकल इंस्टीट्यूशंस..... (व्यवधान) बातें बाद में करना आप। (व्यवधान) इतना ही टाइम देंगे मुझे और बोलना ज्यादा है। गवर्नमेंट पर कोई कोस्ट नहीं आएगी, इसलिए रेगुलर लैक्चरर्स हम इन-कोलैबोरेशन विथ वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस अगर हम एस्टेब्लिश करें तो हमारी गुणवत्ता बढेगी।

दूसरी चीजें, हमें काडर भी अलग-अलग करने की आवश्यकता है। पी.एच.सी., सी.एच.सी. का काडर हम अलग कर दें, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का काडर अलग कर दें तो उससे गुणवत्ता भरी शिक्षा भी देंगे और पेशेंट केयर में भी हमारी वृद्धि होगी। (व्यवधान) सर, बात कर रहे हैं।

श्री सभापति: आप आवाज नहीं करें। प्लीज, बोलने दें इन्हें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): दूसरी चीज जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की फैकल्टी के बाद में है, वह है स्टूडेंट्स। जो हमारे गवर्नमेंट कालेज रन कर रहे हैं, वे तो ठीक हैं। सोसायटी रूल्स से जो कालेजेज चल रहे हैं, उनके अन्दर हमारा 50 प्रतिशत रिजर्व है और 50 प्रतिशत हमारा पेड है, जिसमें लो-पेड सीट्स हैं और कुछ एन.आर.आई. सीट्स हैं, लेकिन प्राइवेट कालेजेज हैं, वे कभी 80 लाख, कभी 90 लाख, कभी एक करोड़ की फीस तय करते हैं। हमें लगता है कि हमें एक स्टेट फीस रेगुलेटरी लॉ लाने की जरूरत है और उसके

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

अन्दर 5 हजार से नीचे वाली रैंक पर जो बच्चा आता है, जिसे कोई इंस्टीट्यूशन लेना नहीं चाहता है, उसे वह एक करोड़ रुपये की फीस लेकर ले लेते हैं तो मुझे लगता है कि इसको सुधारने की जरूरत है।

दूसरी बात, जो बाण्ड हम भरवाते हैं, बाण्ड तो हम भरवा लेते हैं, ताकि वह छोड़कर नहीं जाए, बीच में नहीं जाए, लेकिन जॉब की हमारी कोई एश्योरेंस नहीं है। हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इन बच्चों को पास-आउट होते ही तुरन्त मेडिकल कालेजेज इनको जाब दे सकें, तो ऐसे मैकेनिज्म को डवलप करने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश का माडल है, जिसके अन्दर विदिन वन मंथ हिमाचल में उसको जाब देते हैं। दूसरी चीज, वे यह कहते हैं कि अगर आप स्टाईपेंड लोगे तो बाण्ड भरो, स्टाईपेंड नहीं लोगे तो बाण्ड मत भरो। हमें भी इस तरीके से सोचने की जरूरत है। कर्नाटक का माडल है, वह बाण्ड में कहते हैं कि अगर आप एम.बी.बी.एस. की पढ़ाई करते हैं तो आपको पी.एच.सी. में लगाएंगे, पी.जी. की करते हैं तो आपको सब-डिस्ट्रिक्ट के अन्दर लगाएंगे, डी.एम. की करते हैं तो आपको मेडिकल कालेज या डिस्ट्रिक्ट के हास्पिटल पर लगाएंगे। अब आपको पता है कि जो पी.जी. से पास-आउट होते हैं, उनमें कोई रूरल में नहीं लगना चाहता। अभी ऐतिहासिक भर्ती दो हजार की मंत्री महोदय ने की। मुझे लगता है कि 1,500 की जोइनिंग आ गयी और सबसे ज्यादा नम्बर में अगर कोई भर्ती हुई तो हमारे कार्यकाल में मंत्री जी की लीडरशिप में हुई, इसलिए इसको सुनिश्चित करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा।

दूसरी बात यह है कि हमारे पास में 50 प्रतिशत कोटा स्टूडेंट्स का हमें फिक्स करना पड़ेगा। जो इन-सर्विस कैंडिडेट्स हैं, यह कहते हैं कि आप रूरल में जाएंगे तो आपको एक साल पर दस प्रतिशत का बैनेफिट मिलेगा, दो साल पर 20 परसेंट मिलेगा और तीसरे साल पर तीस परसेंट मिलेगा, तो जो बैक-बेंचर्स हैं वे फ्रंट पर आ जाते हैं और जो पी.जी. का टापर होता है, वह नीचे चला जाता है, तो 50 प्रतिशत तो जो टापर्स हैं, उनके लिए रिजर्व करें और बाकी इन-सर्विस के लिए करें, ताकि जो स्टूडेंट टापर्स हैं, वे डिमोरलाइज नहीं हों।

मैं रिक्रूटमेंट के पार्ट पर कहना चाहती हूं कि जब स्टूडेंट अपनी बी.एससी., बी.ए., बी.कॉम. या एम.बी.बी.एस., एम.एस., एम.डी., इनके जो डिफरेंट काम्बिनेशन हैं, उसमें हमारे यहां अलग-अलग हैं, कहीं पर 45, कहीं

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

पर 40 है। जब हमने रिटायरमेंट की एज 60 से 65 बढ़ा दी तो हमें रिक्रूटमेंट की एज भी 45 से 50 करनी चाहिए। बहुत सारे राज्य, मैं आपको बताती हूं कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बंगाल, एम्स, पी.जी.आई., इन सबमें रिक्रूटमेंट की एज 50 है। अगर वह रिक्रूट नहीं होता है, किसी कारण से देरी हो जाती है और वह 45 क्रास कर जाता है तो या तो वह एम.ओ. रहता है या प्राइवेट में जाता है तो हम किस तरीके से इसको रोकेंगे कि हम क्वालिटी वाले डाक्टर्स को अपने पास लाएं तो हमें यह भी बदलने की जरूरत है।

एक तो बहुत आवश्यक चीज है टीचिंग के साथ रिसर्च और उस पर भी हमें फोकस करने की जरूरत है। मोलेक्यूलर जेनेटिक्स लैब हमारे पास एस.एम.एस. में है, स्टेम सेल हमारे पास एस.एम.एस. में है, हिमेटोलॉजी, एच.एल.ए. जो ह्यूमन ल्युकोसाइट एंटीजन है वह भी हमारे पास एस.एम.एस. में है, लेकिन हमें इनको और आगे दूसरी जगह भी डवलप करने की जरूरत है। डायबिटिक्स के अन्दर जैसे कि एक स्टेम सेल रिसर्च हो रही है और उसके अन्दर जीन एडिटिंग टैक्नोलोजी से जीन्स को ठीक करके क्लिनिकल प्रैक्टिस में लाने के लिए काम किया जा रहा है। इसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग मिले, इसके लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हों, इस तरह का मैकेनिज्म हो कि हम वर्ल्ड स्तर की रिसर्च कर सकें। घर बैठे तो उसके पास आइडिया आया, फैसिलेटेट हुआ तो घर पर सोचकर तो नोबेल पुरस्कार आएगा नहीं अनटिल, अनलैस वह क्रोस करे, उसके आइडियाज वर्ल्ड साइंटिस्ट के साथ बैठें तो कुछ निकलेगा। रिसर्च पर अब हमें जोर देना पड़ेगा। कोविड के इस दौर से जब हम निकलकर आये हैं तो हमने देखा कि रिसर्च कितनी महत्वपूर्ण हुई। अब एक साल बाद हम वह टीका लगाते हैं और हम प्रधान मंत्री जी की फोटो का कागज लेकर आते हैं। यूरोपियन यूनियन के अन्दर एक कंसोर्टियम के माध्यम से world renowned हर देश से रिसर्चेस बनाते हैं, वे प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से प्लानिंग होगी, क्या उसका विजन होगा, फिर वह ब्रेक थ्रू रिसर्चेस लाते हैं, इस तरह से एग्जीक्यूट होती हैं या तो आप प्रिंसिपल को एम्पावर्ड करें, इंडस्ट्री वगैरह, इन तीनों के collaborations से रिसर्च को एक प्लेटफार्म दिया जाए।

गवर्नमेंट आफ इंडिया बहुत सारी स्कीम्स इसके लिए रन करती हैं, पर हमें स्टेट लेवल पर भी इसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। जो सामने दिख रहा है, उसके पीछे क्या है, इसी को तो रिसर्च कहते हैं। इसलिए इसमें

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

गहराई और शोध आगे लाने की और उसके संसाधन हमें स्टेट लेवल पर प्रोवाइड करने की जरूरत है।

दूसरी सर्विसेज, जो मेडिकल एजुकेशन render करती है, वह है, quality patient care provide करना। एस.एम.एस. में, मैं पिछली बार जब पब्लिक हैल्थ पर बोल रही थी तो मैंने बहुत विस्तार में सारे पाइन्ट्स को छुआ था, किस तरीके से footfalls of SMS बहुत ज्यादा है। इसलिए patient refer करना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। खांसी, जुकाम का पेशेंट भी वहीं आ रहा है, secondary or tertiary care का पेशेंट भी आ रहा है तो उसको वह सुविधा मुहैया नहीं हो पाती। पी.एच.सी., सी.एच.सी. की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी मेडिकल एजुकेशन में क्वालिटी केयर देनी है तो आपको अपने पी.एच.सी. के ढांचे को ही सही करना पड़ेगा। Preventive care उसको वहीं मिल जाएगी तो वह एस.एम.एस. जैसी जगहों पर आकर ओवरलोड नहीं करेगा, हमें हमारी कैपेसिटी भी बिल्ड करनी पड़ेगी। एक ए.एन.एम. है, जो बहुत अच्छा करती है, डाक्टर के तरीके का कर देती है। एक हमारी ए.एन.एम. है, जिसको बी.पी. लेना भी नहीं आता। हमें लगता है कि हमारे हैल्थ वर्कर्स की क्षमतावर्द्धन भी करने की आवश्यकता है।

एक फूड सेफ्टी डायरेक्ट्रेट की घोषणा भी मुख्य मंत्री जी ने बजट में की थी। मुझे लगता है कि a directorate of rational ethics की जरूरत भी हमें पड़ेगी, who keeps a watch on hospitals कि किस तरह की दवाई ये डाक्टर्स prescribed कर रहे हैं। अनावश्यक दवाई और इंजेक्शन तो नहीं दे रहे हैं, इनके ऊपर चैक रखने की जरूरत है। Universal health coverage की घोषणा मुख्य मंत्री जी ने की। हमारी मंशा बहुत अच्छी है लेकिन मैं कभी भी प्राइवेट सैक्टर के हैल्थ में इन्वाल्वमेंट की पक्षधर नहीं रही हूं। मैंने सदन के अन्दर भामाशाह योजना की भी आलोचना की थी कि आप जब प्राइवेट को इन्वाल्व करते हैं तो किस तरीके से exploitation हमारे साथ में होता है। मुझे लगता है कि प्राइवेट की dependency को इन्वाल्व नहीं करना चाहिए, अगर हम पैसा इसके अन्दर खर्च कर रहे हैं तो हमारी जो फ्री जांच और फ्री diagnostics, दवाई है, उसको सुदृढ़ करिए। आज कितने लोग सरकारी में आते हैं, जो थोड़ा भी कुछ अफोर्ड कर सकता है, वह सरकारी अस्पताल में आना नहीं चाहता, 100 में से 30 जन आते हैं। जो भी सरकारी अस्पताल में

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

आता है, उसका सब कुछ फ्री कर दीजिए। उसकी हर जांच, उसकी हर दवाई फ्री कर दीजिए, आप देखिए किस तरीके के चेंजेज आपके यहां पर आएंगे।

दूसरी चीज, इस ओ.पी.डी. के अन्दर जो व्यक्ति आता है, उसको इस योजना का, इस universal health coverage और भामाशाह टाइप जो ये कार्ड हैं, इनका कोई भी बेनिफिट उस धारक को नहीं मिलता है। मान लीजिए, tertiary or secondary layer बेनिफिट लिया भी था, आपरेशन कराया और फालो-अप के लिए अगर कोई आता है, एम.आर.आई. कराता है तो उसको नि:शुल्क नहीं मिलती, तो मुझे लगता है कि ओ.पी.डी. में आए, चाहे कहीं भी आए whoever comes at the doorstep's of the government public health care system, उसको हम हर चीज फ्री करें। ये अभी बोल रहे थे कि 'राइट टू हैल्थ केयर' कब आएगा? 'राइट टू हैल्थ' केयर इसी सदन में आएगा और हम इसी सदन में उस बिल के ऊपर टेबल थपथपाएंगे और देखेंगे कि क्या ऐतिहासिक काम मुख्य मंत्री जी और हैल्थ मिनिस्टर इस हैल्थ के अन्दर जो मेजर रिफार्म्स होंगे, उसको हम आगे देखेंगे।

A rational distribution of transfer policy की भी आवश्यकता है। कहीं पर जीरो डाक्टर हैं, कहीं पर चार डाक्टर, अनावश्यक जगह पर, जहां पर जरूरत नहीं है। उसको देखते हुए एक ट्रांसफर पालिसी भी होनी चाहिए।

आर.यू.एच.एस. के अन्दर बहुत जबर्दस्त super-specialty faculty की मांग है, क्योंकि एस.एम.एस. के अन्दर प्रतिदिन 10 हजार मरीज ओ.पी.डी. में आते हैं, 800 करीबन भर्ती होते हैं। बहुत ज्यादा है और बाकी आपरेशन की सूची कम से कम तीन से छह महीने के लिए आगे लम्बित रहती है। जो इसका दूसरा पार्ट है, diagnostic services जो मेडिकल एजुकेशन render करता है, PET/CT में विशेषकर मैं, माननीय मंत्री जी, आपसे कहूंगी कि कैंसर के अन्दर आजकल विशेष रूप से PET/CT की आवश्यकता है, यह मशीन हमारे government institutions में होनी चाहिए।

दूसरी बात ये अभी कह रहे थे कालीचरण सराफ जी कि ये सारी मशीनें बंद पड़ी हैं, ठप पड़ी हैं। मुझे लगता है यह आउटसोर्स का सिस्टम हमें बंद करना चाहिए। जहां पर प्राइवेट व्यक्ति आता है, अपनी मशीन लगाता है और कमाकर पैसे चला जाता है। हमारे यहां पर इतनी जबर्दस्त footfalls and numbers हैं कि हमारे प्रोफिट बनता है, अगर मिनिमम सबसे कम चार्ज करेंगे तो भी वह मशीन फ्री हो जाएगी। सबसे पहले, जो एम.आर.आई. की

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

कोई मशीन लगाने गया था, वह वर्धमान 75 करोड़ प्रोफिट कमा कर गया। मुझे लगता है कि इतनी कोई बड़ी महंगी मशीन नहीं होती, और लगा भी देंगे तो ये फ्री करा लेंगे, ये हमें देखने की आवश्यकता है।

एक बात आयी थी, Clinical Establishment Act, यह एक्ट 2010 में कांग्रेस की सरकार लेकर आयी थी। अभी पूछ रहे थे कि इस एक्ट को कब लागू करेंगे? मेरी बिल्ली मुझ ही को म्याऊं। आप भी तो सरकार में बैठे थे। हम 2010 में एक विजन के साथ, एक सोच के साथ इसको लेकर आये थे। आपने क्यों नहीं लागू किया? आप हमें पूछ रहे हैं। निश्चित रूप से लास्ट में यह कहना चाहूंगी कि..

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): बस दो मिनट, जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, उसमें भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस कोविड के मैनेजमेंट में, मेडिकल कालेजेज का बहुत बड़ा योगदान था। वैक्सीनेशन ड्राइव में भी उनका बड़ा योगदान रहा है। लेकिन, अब आप देखिए, प्राइवेट को खड़े होकर हर वक्ता कोसता है, प्राइवेट का यह कर रहे हैं, प्राइवेट को इन्वाल्व कर रहे हैं, आप वैक्सीनेशन लगाने में प्राइवेट को क्यों इन्वाल्व कर रहे हैं, गवर्नमेंट में तो वह फ्री होगी, प्राइवेट में आप चार्ज करेंगे, आप करें तो सही, आपका खून-खून, हमारा खून पानी। आप क्यों इन्वाल्व कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट से आपका विशेष स्नेह है, 'हम दो-हमारे दो' की भूमिका पर आप हमेशा चलते रहते हैं।

ये बात कर रहे थे कि कब खोलेंगे? आपने कालेजेज की अनाउंसमेंट कर दी, इतने कालेजेज हैं, आपके पास जमीन का पता नहीं है, आपके पास संसाधनों का पता नहीं है। आपके यहां पर गवर्नमेंट आफ इंडिया में 2014 के अन्दर, जो कालेजेज खोले थे, उनके अन्दर आप सिर्फ 5 को ही आपरेशनल कर पाये थे, 2018 तक हम 15 और कालेजेज लेकर आये हैं, within this period of this Congress regime. आप देखेंगे वे full-fledged रूप से चलेंगे।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाह रही थी। देवनानी जी बजट की अभी बहुत व्याख्या कर रहे थे। आपने क्या किया, आपने एक पूरी जुमलेबाजी की और कहा कि प्रधान मंत्री जी ने 137 per cent का बजट पेश किया। क्या व्यापक रूप से इंक्रीज किया है? एक जुमला था, आपने सिर्फ 11 परसेंट का

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

हैल्थ का बजट किया और आपकी हैडलाइन्स थीं, “Covid needed special attention to health but no roadmap by Modi. Despite pandemic, health budget sees little increase.” यह तो आपकी सोच है और बताते हो कि पैनडेमिक में हम क्या करना चाहते हैं। एक वीडियो बड़ा फेमस हुआ था और उसी के आधार पर, किसी का ट्वीट आया, कोविड-19 की वैक्सीन है, यह प्राइवेट हास्पिटल से और लीजिए, इनकी 'पावरी' हो रही है, आप इनकी 'पावरी' करा दीजिए, प्राइवेट हास्पिटल की।

लास्ट में, मैं यह भी कहना चाहती हूं और मंत्री जी, आपका तवज्जोह चाहती हूं। एक ओआर.एफ. करके इन्होंने एक रिसर्च की और leadership V/s crisis and Covid-19 पर एक रिसर्च की कि कितना इम्पोर्टेंट होता है, उस लीडरशिप का और उसका biggest example of failure था अमेरिका में, जब किस तरीके से ट्रम्प ने और किस तरह की बयानबाजी की, उसको मैं कोट नहीं करूंगी और अमेरिका, deadliest numbers यहां पर आए। कोविड का सबसे बड़ा प्रबंधन अगर राजस्थान में हम कर पाये, आज हम आलमोस्ट कोविड फ्री हैं, उस वक्त भी हमने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। सारे प्रबंधन अगर हुए तो ऐसी इफैक्टिव लीडरशिप मुख्य मंत्री जी और हैल्थ मिनिस्टर जी की थी। लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि वे पूछ रहे थे कि आक्सीमीटर के अन्दर पेन डालते हैं तो वह भी आक्सीमीटर के अन्दर दिखा देता है। आप छोड़िए, अभी तो किसी नेता की धार्मिक यात्रा से पूरे बी.जे.पी. के पैरामीटर ऊपर-नीचे हो रहे हैं। पहले आप उसको सही करा लें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती इन्दिरा बावरी।

श्री इन्दिरा देवी (मेड़ता): आपने आज मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे मेड़ता विधान सभा क्षेत्र में एक नर्सिंग कालेज की जरूरत है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि नर्सिंग कालेज मेड़ता में होना चाहिए। दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पहले भी मुख्य मंत्री जी ने पिछले बजट में घोषणा की ट्रोमा सेन्टर की, डाक्टर तो आ गये, पर अभी तक ट्रोमा सेन्टर की बिल्डिंग नहीं है और मशीनें नहीं हैं। मैं सरकार को कहना चाहती हूं कि मशीन लगाए और बिल्डिंग बनवाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में सरकारी अस्पताल है। पहले भी मैंने

(श्रीमती इन्दिरा देवी)

मांग उठाई और फिर उठाना चाहूंगी कि मेरे मेड़ता विधान सभा क्षेत्र में सरकारी हास्पिटल है, पर 100 बैड की मैंने पहले भी मांग की और फिर मांग करती हूं कि 100 बैड मेड़ता अस्पताल में होने चाहिए, क्योंकि सौ-सौ किलोमीटर दूरी पर डाक्टर नहीं है, या तो अजमेर जाना पड़े, जयपुर जाना पड़े, जोधपुर जाना पड़े या नागौर जाना पड़े, तो मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में 100 बैड का हास्पिटल होना चाहिए।

अभी बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी घोषणा की मुख्य मंत्री जी ने, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। आप ट्रोमा सेन्टर खोलें, उसकी जल्दी बिल्डिंग बनवाएं और मशीन लगवाएं तो जो गरीब आदमी है उसकी मदद हो सके। मैं यही कहना चाहती हूं कि आज जो कांग्रेस की सरकार है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज जो कोई विकलांग बच्चा रहता है, कोई बहरा बच्चा रहता है तो उनके इलाज की आज ही घोषणा कर दें कि फ्री सेवा है और फ्री इलाज करें उनका, मैं आपसे यही निवेदन करती हूं। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अनुदान की मांग संख्या 26-चिकित्सा, शिक्षा एवं सफाई पर बोलने का अवसर प्रदान किया, आपका आभार। माननीय सभापति महोदय, आज हमारा देश विश्व में चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला देश है। हमारे वैज्ञानिक एवं चिकित्सक, जिन्होंने अपनी श्रेष्ठता से पूरे विश्व में यह सिद्ध कर दिया है कि भारत की प्रतिभाएं, भारत के चिकित्सक सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक एवं वैज्ञानिक हैं। ऐसा नहीं है कि पहले इनके पास प्रतिभा नहीं थी अथवा इनको अवसर नहीं मिला करते थे परन्तु वास्तव में साधन और संसाधन की अनुपलब्धता के चलते हमारे श्रेष्ठ वैज्ञानिकों और चिकित्सकों को विदेशों में जाना पड़ता था और अवसर की तलाश में विदेश जाकर हमारे भारतीय वैज्ञानिक और भारतीय चिकित्सक वहां अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करते थे, परन्तु श्रेष्ठता का लाभ हमारे भारत देश को नहीं मिलता था, अपितु वह देश, जहां यह जाकर सेवा का काम करते थे, सारा श्रेय हमारे भारत की प्रतिभाओं का उनको मिल जाया करता था।

(श्री संदीप शर्मा)

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का, जिन्होंने 2014 के बाद सत्ता सम्भालने के बाद यह संकल्प लिया कि इस देश के वैज्ञानिकों को, इस देश के चिकित्सकों को पूरी सुविधा दी जाएगी, उनको हर प्रकार से संसाधन दिये जाएंगे, उनको आत्मनिर्भरता की ओर ले जाया जाएगा, उनका मनोबल बढ़ाकर उनकी प्रतिभा का इस देश में उपयोग किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, उनको हर प्रकार से सुविधा सम्पन्न करके, संसाधन जुटाकर हमारे वैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने जब देश में काम करना प्रारम्भ किया तो उनकी श्रेष्ठता का लोहा पूरे विश्व ने माना और आज हमारा देश, जैसे कोई उदीयमान सितारा क्षितिज में चमचमाता है, उस तरीके से आज हमारी भारत भूमि इस विश्व में चमचमा रही है।

हमारे भारतीय वैज्ञानिकों और भारतीय चिकित्सकों के द्वारा, पहले यह स्थिति थी कि मास्क से लेकर वेंटिलेटर, छोटे-छोटे पी.पी.ई. किट और सैनिटाइजर तक के लिए हमको दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था और हाथ पसारने पड़ते थे दूसरे देशों के सामने कि हमें वेंटिलेटर उपलब्ध करवा दो, लेकिन आज हमारे देश में हर प्रकार के उत्पाद, चाहे वह वेंटिलेटर हो, चाहे वह मास्क हो, चाहे वह सैनिटाइजर हो, वे सारे के सारे उत्पाद प्रचुर मात्रा में, बहुतायत में हमारे देश में बनना प्रारम्भ हो गये हैं। कोरोना काल के हमारे मैनेजमेंट को सारी दुनिया ने सराहा और जिस तरीके से 130 करोड़ की जनता को हमारी केन्द्र सरकार ने सम्भाला, चाहे खाद्य सामग्री से लेकर उनकी चिकित्सा व्यवस्था की बात करें तो इस भीषण आपदा से हम ऐसी सहजता से निकल आये, जबकि वे बड़ी-बड़ी शक्तियां, वे बड़े-बड़े सम्पन्न, समृद्ध, विकसित देश आज भी उस पीड़ा से त्रस्त हैं और गम्भीरता के साथ उस त्रासदी से उबर नहीं पाये। माननीय सभापति महोदय, जब पूरा विश्व कोरोना की उस वैक्सीन की खोज में लगा हुआ था, रोजाना नई घोषणाएं होती थीं कि आज कोरोना वैक्सीन प्रारम्भ हो जाएगा, लेकिन ऐसे में वह गौरवशाली क्षण आया माननीय मंत्री जी, जब हमारे देश के वैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने पूरे विश्व को अचंभित कर दिया और एक नहीं, दो-दो वैक्सीन भारत की भूमि पर बनीं और 125 देशों ने उस वैक्सीन की मांग की। उसकी प्रामाणिकता को, उसकी सुरक्षा को कसौटी पर उतारा कि सबसे सुरक्षित न तो कोई फाइजर न अन्य कोई वैक्सीन, सबसे सुरक्षित हमारे देश हिन्दुस्तान की वैक्सीन, वह वैक्सीन है चाहे

(श्री संदीप शर्मा)

वह को-वैक्सीन हो, चाहे वह कोविशील्ड हो। आज जिस तरीके से हमारी सरकार के द्वारा 130 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है और पूर्ण व्यवस्था के साथ पूरी एक ऐसी कार्ययोजना के साथ बड़ी शीघ्रता के साथ यह कोरोना वैक्सीन हमारे देशवासियों को लगायी जा रही है। मैं हमारी राजस्थान सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि केन्द्र से सीख लेकर राजस्थान में चिकित्सकीय तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। कोरोना काल में आप झूठी वाहवाही लूटना चाहते हैं। अपनी पीठ खुद थपथपाना चाहते हैं। अपनी भूरि-भूरि प्रशंसा खुद करना चाहते हैं। आप आंकड़ों को पाकर भले ही से स्वयं खुश हो लें, लेकिन धरातल पर वास्तविक स्थिति यह है कि इस राजस्थान प्रदेश का बीमार व्यक्ति त्रस्त है, परेशान है। उसको प्रोपर-वे में इलाज नहीं मिल रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाओं को आप ढंग से क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं। राजस्थान प्रदेश की जनता के लिए आप सार्थक चिकित्सा उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): दो मिनट में?

श्री सभापति: हां।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): दस मिनट का टाइम दिया है, साहब।

नये जो मेडिकल कालेज थे और हम सौभाग्यशाली थे कि देश में 75 मेडिकल कालेज इस देश के राज्यों को दिये थे और 15 मेडिकल कालेज राजस्थान की धरती को मिले थे, लेकिन आज एक भी मेडिकल कालेज में भूमि आबंटन का कार्य तक प्रारम्भ नहीं हो पाया है। नि:शुल्क जांच और दवाइयों में 2019-20 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 104 दवाइयों को नि:शुल्क दवा योजना में उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी, पर क्या किडनी, हार्ट और कैंसर की दवाई किसी चिकित्सालय में उपलब्ध हो रही है? किसी चिकित्सालय में यह दवाइयां उपलब्ध नहीं हो रही हैं। आपने जिस तरीके से पी.पी.पी. मोड पर सी.टी. स्कैन और एम.आर.आई. की जांच सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी, यह घोषणा अभी कागज के बाहर नहीं आयी है। कोटा मेडिकल कालेज की बात करूं तो कोरोना काल में लगभग सौ वेंटिलेटर केन्द्र सरकार से आये थे, जिनमें से 75 तो आप इन्स्टाल ही नहीं कर पाये, मात्र 25 इन्स्टाल होकर, ऐसे समय में जब कोरोना के मरीज भरे हुए थे, वहां वेंटीलेटर्स की कमी थी। सुपर स्पेशलिटी विंग, जो कोटा में केन्द्र सरकार के

सहयोग से 150 करोड़ रुपये की लागत से बनकर खड़ी हुई है, वहां पर यह स्थिति है कि 2 साल उसे बने हुए हो गये हैं, न वहां पर आप सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक लगा पाये, न ट्रेंड टैक्निकल स्टाफ लगा पाये, न वहां पर नर्सिंग स्टाफ लगा हुआ है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): और जो महंगे उपकरण वहां खरीदे हुए हैं, उन महंगे उपकरणों में ताले लगे हुए हैं, लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

श्री सभापति: श्री गिर्राज सिंह। श्री हरीश चन्द्र मीना।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो पिछली सरकार ने, हमारी माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे सिंधिया जी ने 2017-18 की बजट घोषणा में 185 लाख की लागत से मेडिकल कालेज में किडनी ट्रांसप्लांट, 3 वर्षों से भी इसका कार्य नहीं हुआ।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): एक मिनट में बात समाप्त कर रहा हूं, साहब। एक मिनट लगेगा और।

रामपुरा में 50 बैड का अस्पताल, रामपुरा में 50 बैड का अस्पताल, उसको अब चालू नहीं करवा पाये। विज्ञान नगर में सी.एच.सी. 5 करोड़ रुपये की लागत से खड़ी हुई है, लेकिन उसमें अभी तक चिकित्सक, टैक्निकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ नहीं है और तमाम तरह की सोनोग्राफी और एक्स-रे मशीनें काम में नहीं आ रहीं। द्वितीय तल का 29 करोड़ रुपये का...

श्री सभापति: समाप्त करें। अंकित नहीं होगा। श्री हरीश चन्द्र मीना।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। विराजिये।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाकर 6:00 बजे कर दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): धन्यवाद सभापति महोदय, जो आपने आज मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। सर्वप्रथम तो मैं राजस्थान सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि जिस बखूबी से उन्होंने कोरोना के दौरान राजस्थान की जनता की सेवा की, उसके लिए आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय और पूरा चिकित्सा विभाग एवं अन्य जो स्वास्थ्यकर्मी थे, वे सब बधाई के पात्र हैं। राजस्थान की जो चिकित्सा सेवा थी, कोरोना के दौरान पूरे देश में इसका एक अपना उन्होंने नाम कमाया है। इसी तरह से जो नये मेडिकल कालेजेज की घोषणा हुई है, यह भी एक अच्छा, बधाई के पात्र हैं और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान की जनता को इसका पूरा-पूरा लाभ मिलेगा।

इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में जो नई सी.एच.सी., पी.एच.सी. की घोषणा की गयी है, ये भी अतिशीघ्र चालू हो जायेंगी और हमारी ग्रामीण गरीब जनता को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

महोदय, इसके साथ-साथ कुछ सुझाव भी हैं, मेरे क्षेत्र की कुछ मांगें भी हैं, जो मैं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में देवली शहर की आबादी करीब 35 हजार से ज्यादा की है। यह देवली शहर चार जिलों के मीटिंग पाइंट पर है, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक, चारों जिलों की सीमा पर है। यहां से राष्ट्रीय राजमार्ग 52 भी गुजरता है। महोदय, कहने को तो यहां के अस्पताल की क्षमता 100 बैड की है, परन्तु स्थिति यह है, न तो इस अस्पताल में कोई उपकरण है, न सोनोग्राफी की कोई मशीन है, न डिजिटल एक्स-रे की सुविधा है, न ब्लड बैंक है, न कोई आधुनिक एम्बुलेंस है तो इस 100 बैड का लाभ कैसे होगा? 100 बैड किया, इसका मैं स्वागत करता हूं, पर 100 बैड की वह सेवा प्रदान करें, तब जनता को इसका पूरा लाभ मिलेगा। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि ब्लड बैंक के अभाव में हमारे आदमी को कोटा जाना पड़ता है, टोंक जाना पड़ता है या जयपुर आना पड़ता है और सोनोग्राफी और एक्स-रे के लिए लोगों को प्राइवेट में जाना पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई माफिया काम कर रहा हो कि सरकारी क्षेत्र में तो यह सुविधा उपलब्ध

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

नहीं कराएं और लोगों को प्राइवेट डाक्टर के पास जाना पड़े। इससे जनता को निजात मिले, यह मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है।

सर, इसी तरह से उनियारा में है। उनियारा भी नेशनल हाईवे पर है। उसमें भी कोई सुविधा नहीं है। कहने को 30 बैड का हास्पिटल है, लेकिन उसमें 30 बैड की जो सुविधा होनी चाहिये, जो यंत्र होने चाहिये, वे नहीं हैं। सर, मेरा विधान सभा क्षेत्र पूर्णत: ग्रामीण है और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा कुपोषण या बीमारी के शिकार या तो बच्चे होते हैं या महिला होती हैं। किसी भी हास्पिटल में न तो महिला विशेषज्ञ है, न बच्चा विशेषज्ञ है। इन अस्पतालों के अभाव में सबसे ज्यादा विपरीत असर बच्चों और महिलाओं पर पड़ता है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि मंत्री महोदय, कम से कम पी.एच.सी. में नहीं तो सी.एच.सी. में तो आप एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट और एक महिला स्पेशलिस्ट पदस्थापित करें, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की गरीब जनता को इसका नुकसान नहीं हो। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय बहुत ही दयालु हैं अपने इसी जवाब में यह घोषणा करेंगे।

महोदय, इसके साथ-साथ नेशनल हाईवे से कोटा जाते हैं, वहां दूनी में सी.एच.सी. है। यह नेशनल हाईवे पर है, जयपुर-कोटा-जबलपुर वाला रोड है। यहां ट्रोमा सेंटर के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं। यहां इतने एक्सीडेंट होते हैं, उन लोगों को बेसिक चीज के लिए या तो टोंक जाओ, कोटा जाओ या सवाई माधोपुर जाओ, बहुत दूर जाना पड़ता है और बहुत लोगों की जान चली जाती है। कम से कम एक एलीमेंट्री चीज है, आप घोषणा करें, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी रहूंगा।

महोदय, कुछ चीजें हैं जो मेरे क्षेत्र की ही नहीं हैं, प्रदेश स्तर की हैं। यह जो मेडिकल कालेज हैं, इनमें आप प्रिंसिपल लगाते हैं, मेडिकल कालेज हास्पिटल में सुपरिन्टेन्डेंट लगाते हैं या कालेज में प्रोफेसर लगाते हैं। इनकी नियुक्ति में मुझे ऐसी सूचना भी मिली है, आप चाहें तो मैं सबूत दे सकता हूं कि पक्षपात और भेदभाव होता है। योग्य लोगों को नहीं लगाया जाता है। कालीचरणजी का सिस्टम तो पूरे राजस्थान को पता था। मैं आशा करता हूं कि वह व्यवस्था तो बी.जे.पी. जाने, उनका क्या हुआ, अपने टाइम में पारदर्शी तरीके से योग्य आदमियों को लगाया जाएगा, वरिष्ठ आदमियों को लगाया जाएगा। महोदय, मैं इसका एक उदाहरण दे सकता हूं। सर, टोंक का जो जिला अस्पताल है, सरकार के कानून यह कहते हैं, राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

के द्वारा 15.06.2016 को एक आदेश जारी हुआ था कि जो वरिष्ठतम डाक्टर हैं, वह सी.एम.एच.ओ. लगाये जाएंगे। आज भी टोंक के जिला अस्पताल में कनिष्ठतम अधिकारी को तो सी.एम.एच.ओ. लगाया गया है, उसके वरिष्ठ उसके नीचे काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि यह नियम विरुद्ध चीज है और इससे गलत संदेश जाता है। डाक्टर डिमोरलाइज होते हैं। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि कृपया इसको दूर करें।

इसी तरह दौसा में, जिला अस्पताल में पी.एम.ओ. की एक पोस्ट होती है, पी.एम.ओ. पर एक डेंटिस्ट को लगाया गया है, जो इसका पात्र नहीं है। कम से कम जो उसका पात्र हो, उसी को लगाएं, लेकिन डेंटिस्ट तो नहीं लगे उस पर, क्योंकि वह उसकी योग्यता नहीं रखता। जहां भी आप लगाएं, यह तो उदाहरण के तौर पर मैंने बताया है। डाक्टरों की सेवा ऐसी है, अनिवार्य सेवा है, लोगों के जान माल से जुड़ी हुई है। मैं आशा करता हूं कि सरकार ऐसे डाक्टर लगाएगी जो योग्य हों, जो वरिष्ठ हों और जो जनता को ज्यादा से ज्यादा सेवा दे सकें।

सर, अंत में मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में, बड़ा विधान सभा क्षेत्र है, उसमें और हास्पिटल की आवश्यकता है। मैं आग्रह करूंगा मंत्री महोदय से कि मेरे दो-तीन बहुत बड़े कस्बे हैं, नासरदा है, नगर फोर्ट है, सोप है, जिनकी आबादी 10 से 15 हजार के बीच में है। इन कस्बों में अभी तक भी पी.एच.सी. संचालित है। मंत्री महोदय, पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्र के प्रति आप कृपा करें, बड़ा हृदय दिखाएं और आप तो वैसे भी पड़ोसी हो, केकड़ी के हो, इन हास्पिटल्स को क्रमोन्नत करके सी.एच.सी. की घोषणा करें, ताकि मेरे क्षेत्र की गरीब जनता को लाभ मिलेगा। आपका बहुत-बहुत आभार, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री सुमित गोदारा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा शिक्षा पर आज आपने बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। सन् 1990 तक राजस्थान में सिर्फ 5 ही मेडिकल कालेज होते थे और मेरे पिता जी का, 1969 में जब पहली बार राजस्थान में पी.एम.टी. हुई तो एस.पी. मेडिकल कालेज, बीकानेर में सलेक्शन हुआ। मेडिकल कालेज का विषय काफी नजदीक से देखा है। पिताजी ने चंडीगढ़ से एम.डी. रेडियोथैरेपी की। पहले व्यक्ति थे राजस्थान में जो एम.डी. रेडियोथैरेपी करके आए। यहां

(श्री सुमित गोदारा)

जब चिकित्सा शिक्षा की बात चल रही है तो चिकित्सा शिक्षा में जो काम हुए, थोड़ी-सी राजनीति की बात करें, फिर अपन चिकित्सा शिक्षा की बात करेंगे। राजस्थान में पांच ही कालेज थे, छठा कालेज यदि किसी ने खोला तो वह कोटा में खोला और वह खुला ललित किशोर चतुर्वेदी व भैरोंसिंह जी के प्रयास से। राजस्थान में सातवां सरकारी मेडिकल कालेज खुला, वह झालावाड़ में प्रदेश की पूर्व यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा राजे जी के प्रयास से खुला। यह सात मेडिकल कालेज खुले। यह विषय मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि 1960-65 तक पांच ही कालेज थे। यदि राजस्थान ने प्रयास किया तो दो सरकारी मेडिकल कालेज और खुले। एम.सी.आई. के नोर्म्स सख्त थे, पर यदि मन में इच्छा हो तो सब होता है, यह भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। यह करके दिखाया देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने, वे मेडिकल कालेज खोल रहे हैं। मेडिकल कालेज में जहां 100 सीटें होती थीं, वहां कहीं डेढ़ सौ, कहीं-कहीं दो सौ और बीकानेर में ढाई सौ सीट कीं। यू.जी. की सीट बढ़ाई, पी.जी. की सीट बढ़ाई और समय की मांग को देखते हुए डी.एम., एम.सी.एस. की सीटें बढ़ा रहे हैं तो विशेषज्ञ डाक्टर निकल रहे हैं। राजस्थान में यह जो सात राजमेस के द्वारा कालेज तैयार हुए हैं और 15 अभी और तैयार होने वाले हैं, यह सब आदरणीय प्रधान मंत्री जी की सोच कि लोगों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हों। यह जो 15 राजमेस के मेडिकल कालेज खुलने वाले हैं, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी से कहूंगा कि आप सिर्फ औपचारिकता न करें, आप वहां डाक्टर तैयार कर रहे हैं और भारत के डाक्टर, जिन्होंने पूरे विश्व में डंका बजाया है। हमारे साथ के पढ़े हुए डाक्टर कोई अमरीका में है, कोई यूरोप में है, अलग-अलग देशों में जहां भी हैं, पूरे विश्व में भारत के डाक्टर की प्रसिद्धि है, पूरा विश्व विश्वास करता है। इसलिए सिर्फ औपचारिकता करने के लिए मेडिकल कालेज खोलकर ऐसे न निकाले जाएं कि हमारी जो प्रतिभा है, उसकी साख पर आंच आये।

जिस प्रकार से एम.सी.आई. के दौरे होते है तो आप एडहाक पर डाक्टर्स के ट्रांसफर करते हो, कभी उदयपुर से बीकानेर कर दिया, कोई बीकानेर से उदयपुर कर दिया। चिकित्सा मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपको ट्रांसफर की इतनी ही हिम्मत है तो जयपुर के एस.एम.एस. से डाक्टर को दूसरे मेडिकल कालेज में भेजो, यदि वे एस.एम.एस. छोड़कर जा सकते हैं तो। यहां एस.एम.एस. में जो लगता है, वह जिंदगी भर यहीं पर नौकरी करता

(श्री सुमित गोदारा)

है। उसको आप अजमेर भेजो, उसको बीकानेर भेजो। पूरे राजस्थान के लोग आते हैं तो उनको दूसरे मेडिकल कालेज में भेजकर आप अपनी इच्छा शक्ति दिखाओ। (व्यवधान) मंत्री जी क्या सुनेंगे, अभी अपने अजमेर के माननीय विधायक जी ने कहा कि यूरोलॉजी के डाक्टर वहां विधायकों की ही नहीं सुनते और वहां के मंत्री हैं तो हम क्या उम्मीद करेंगे इनसे।

(17.00 बजे)

माननीय मंत्री महोदय, सबसे पहले मेडिकल कालेज की व्यवस्था आप देखो। एस.एम.एस. हास्पिटल के बाहर जाओ, बीकानेर में एस.पी. मेडिकल कालेज है, आप हास्पिटल के बाहर जाओ तो वहां कहां से बीमार इलाज कराने के लिए जाएगा। वहां सबसे पहले तो ठेले, गाड़ियां लगी हुई हैं, वहां गंदगी, बीमारियां ऐसे ही दिखती है, कहां से बीमार आदमी इलाज के लिए जाएगा। सबसे पहले आप वहां पर ये व्यवस्थाएं सुधारें। मेडिकल कालेज, हास्पिटल के बाहर, सरकारी हास्पिटल के बाहर साफ-सफाई होनी चाहिए। जब मोदी जी स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जहां हम जाते हैं, व्यक्ति वहां स्वस्थ हो, वहां पर तो आप कम से कम स्वच्छता लेकर आएं। आप स्पेशल कियोस्क बनाएं, हास्पिटल में, वहां दो-तीन मेन दुकानें, जो बीमार को चाहिए होती हैं, चाय की, ज्यूस की या अन्य कोई छोटे-मोटे सामान की, वे आप अलग-अलग जगह खोलें, ताकि लोगों को सुविधा मिले। आप बीकानेर मेडिकल कालेज हास्पिटल के आगे देखें कि गाड़ियां ही गाड़ियां लगी हुई हैं। पता नहीं लगता, लगता है कि किसी सब्जी मंडी में आये हैं या मेडिकल कालेज हास्पिटल के बाहर आये हैं।

मैं ट्रोमा सेंटर की बात करूंगा। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मंत्री जी थोड़ा गौर फरमाएं। जब राजस्थान में डाक्टर्स को हमने विशेष सुविधा दी है कि यहां पर प्रैक्टिस अलाउ है जो कि कई दूसरे राज्यों में नहीं है तो हमारा यह भी हक बनता है कि सीनियर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफसर की भी ट्रोमा में ड्यूटी लगायी जाए। इमरजेंसी कैजुअल्टी में उनकी ड्यूटी क्यों नहीं लगायी जाती है। सीनियर डाक्टर हैं, इसलिए नहीं लगायी जाती। क्यों नहीं लगायी जाती है? जब उनको विशेष सुविधा राजस्थान दे रहा है तो उनका भी धर्म बनता है। पूर्व में एम.सी.आई., आजकल एन.एम.सी. के नोर्म्स हैं, उससे अलग होकर भी वे राजस्थान की जनता की सेवा करें। उनको पाबंद करें। ट्रोमा और इमरजेंसी में कम से कम 12 घंटे की ड्यूटी रोटेशन पर

(श्री सुमित गोदारा)

प्रत्येक एच.ओ.डी. प्रोफेसर की लगाएं ताकि वे वहां पर जाएं तो जो पी.जी. स्टूडेंट्स हैं, उनको भी लगे कि हां, हमारे सीनियर डाक्टर यहां बैठे हैं, वे सीखें और लोगों को इलाज की व्यवस्था सुलभ हो।

मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछली बार जब मैंने चिकित्सा की मांग पर बात रखी तो सी.टी. स्कैन और ट्रोमा की बात रखी थी। आपका आभार, इस बार सी.टी. स्कैन की मशीन वहां लगी है, आपका बहुत-बहुत आभार। हम ऐसी ही उम्मीद करते हैं। ऐसे ही ट्रोमा सेंटर में सोनोग्राफी की जांच नहीं होती है, उसके लिए बीमार को दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ता है और एक्सीडेंटल केस होता है, पेट में लगी हो तो वह दूसरी जगह कहां पर जाए। बहुत लोगों की मृत्यु इस वजह से हो जाती है, इसलिए सोनोग्राफी की मशीन ट्रोमा सेंटर में लगे। सरकार जो मेडिकल आफिसर्स लगाती है, जो सिफारिशों से मेडिकल कालेज में आ जाते हैं, उन्हें आप इमरजेंसी कैजुअल्टी में नहीं लगाते हो, वे कोने में बैठे रहते हैं और अपनी नौकरी पूरी करते हैं। मेरा यह निवेदन है कि ऐसे लोगों को भी इमरजेंसी और कैजुअल्टी में लगाया जाए।

साथ में, एक निवेदन और करता हूं कि इमरजेंसी में जो पोइजनिंग के केस आते हैं, वहां पर अधिकतर दवाइयां उपलब्ध नहीं होती हैं। डी.डी.सी. से लानी पड़ती हैं। वह थोड़ी देर का, दो-दो मिनट का समय बहुत ही क्रिठ्किल होता है। आपसे निवेदन है कि इमरजेंसी में पोइजनिंग के लिए किट हमेशा तैयार रहनी चाहिए, ताकि आते ही बीमार को इलाज मिल सके। एम.आर.आई. और सोनोग्राफी की सभी जगह मांग उठी है। सोनोग्राफी के लिए बीकानेर में दस-बारह-पंद्रह दिन तक की वेटिंग आती है। नतीजतन, गरीब आदमी को बाहर से करानी पड़ती है। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि सोनोग्राफी और एम.आर.आई. पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। सोनोग्राफी के लिए एक लैब 1,200 रुपये तक ले रही है। पिछली बार कोरोना के टाइम पर हमने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि यह क्या लूट मचा रखी है, पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। हर लैब अपनी मर्जी से जांच निकालता है और सरकार के द्वारा ऐसी खुली छूट है कि जो मर्जी आए, जांचों की रेट ले रहे हैं। वहां अस्पताल में जांच नहीं हो रही है। एम.आर.आई. आपने प्राइवेट को दी हुई है। हम यह कहेंगे कि हर medical college should be different. हर सम्भाग में जो मेडिकल कालेज में, राजस्थान में कितने ही मेडिकल कालेज

(श्री सुमित गोदारा)

खोलें, पर जो सात सम्भाग हैं, वहां पर मेडिकल कालेज ऐसा होना चाहिए कि पूरे सम्भाग का व्यक्ति आये, उसे इलाज मिले और उसे लगे कि मैं मेडिकल कालेज में आया हूं।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): साहब, अभी तो पांच मिनट ही हुए हैं।

मैं इन्वेस्टीगेशंस का निवेदन करूंगा कि आप सर्दियों में 12 बजे और गर्मियों में 11 बजे बंद कर देते हैं। गांव वाला बस से आता है, लाइन में लगता है, उतने में तो जांचें बंद हो जाती हैं, वह घूमता रहता है। आप किस मुंह से बात कह रहे हैं कि हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं। गरीबों की सेवा कर रहे हैं तो आप मेडिकल कालेजों में 24 घंटे के लिए जांच शुरू क्यों नहीं करते? ताकि बीमार आदमी, गरीब आदमी कभी भी आए, वह अपनी जांच करा सके।

माननीय सभापति जी, राजस्थान में चिकित्सा में जो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, वह सुपर स्पेशलिटी डाक्टर्स के द्वारा हो रही है और सरकार भी अपने आपको असहाय महसूस करती है उनके आगे, सुपर स्पेशलिटी डाक्टर्स की न तो कोई फीस निर्धारित है। बीमार जाएगा तो कोई पांच सौ ले लेगा, कोई दो सौ लेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर यदि सुपर स्पेशलिटी का, कोई डी.एम., एम.सी.एस. लगा है, उसकी फीस सौ है, कोई दो सौ ले लेगा, कोई पांच सौ ले लेगा। सरकार पाबंद करे और वहां पर बोर्ड पर लगाया जाए और जिसकी शिकायत आए, उस पर कार्यवाही की जाए।

मैं यह निवेदन और करूंगा कि इनका व्यवहार भी आप जाकर देखें कि ये तानाशाह की तरह व्यवहार करते हैं सुपर स्पेशलिटी वाले। जैसा आपने अजमेर के लिए कहा, सभी जगह यही हाल है। आप उन पर कठोर कार्यवाही करें और उनका ट्रांसफर करा दें। मंत्री जी, अब तो वह समय गया, जब अपने यहां पर ऐसे डाक्टर की कमी थी। अभी तो बहुत हैं, डी.एम., एम.सी.एस., बहार आयी हुई है। लगाने वाले चाहिए। आपमें क्षमता होनी चाहिए उनका उपयोग करने की। जो बीमार आदमी के साथ, गरीब आदमी के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसको सज़ा दो, उसका ट्रांसफर करो और नौकरी से हटाओ।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो विभाग में कर्मचारी लगाये हुए हैं, उनको ऐसे सुपर स्पेशलिटी के डाक्टर्स अपने घर में रखते हैं। ज्यादातर घर में ही रहकर वे उनकी सेवा करते हैं। इस पर भी आप कार्यवाही करें। मैं

(श्री सुमित गोदारा)

निवेदन करूंगा कि किडनी की बीमारियां ज्यादा हो रही हैं। नेफ्रोलोजी का बीकानेर में एक ही डाक्टर है, डाक्टर बढ़ाये जाएं। यूरोलोजी में हमारे प्रोफेसर एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एक यूनिट और बढ़ायी जाए, जिससे आपरेशन हो सकें और बीमारों को सुविधा मिल सके। कैंसर और सर्जरी में बताना चाहूंगा कि मेरे पिताजी वहां पर डाइरेक्टर रहे, कैंसर और सर्जरी में यह हाल है कि दो-दो महीने तक बीमार का नम्बर नहीं आता है और बाहर जाकर ये डाक्टर गरीब आदमी से डेढ़-डेढ़ लाख रुपये लेते हैं कि प्राइवेट में करेंगे। सरकार असहाय महसूस करती है, क्योंकि वह उस कैंसर सेंटर का डाइरेक्टर है। 68 साल के हैं। वर्तमान डाक्टर को आप नहीं लगाएंगे तो वह मर्जी होगी वैसा करेगा। हम यह पूछना चाह रहे हैं कि वह संस्था सरकारी या सामाजिक है। इस सामाजिक दबाव के कारण आज विभाग खराब हो रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री बलवान पूनियां।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति जी, छह मिनट ही हुए हैं। मैंने घड़ी देखी थी, एक मिनट और है। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं।

श्री सभापति: आप विराजिये। श्री बलवान पूनियां। अंकित नहीं होगा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 000

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, चिकित्सा, शिक्षा और सफाई मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश खान-पान में बहुत शुद्ध था। वक्त के साथ-साथ वातावरण बदला, नई-नई बीमारियां इलाकों में घुसती गयीं, बच्चों में, बूढ़ों में, महिलाओं में, श्रमिकों में सिलिकोसिस, टीबी., पोलियो, जिनको बाद में काबू कर लिया। कैंसर, हाइपरटेंशन, इन बीमारियों के उद्‌गम का शोध होना चाहिए। गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में जहां इंदिरा गांधी नहर का पानी है, भाखड़ा का पानी है।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 000

श्री सभापति: विराजिये आप, प्लीज सहयोग करें।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिए। प्लीज सहयोग करें। कटारिया साहब, प्लीज इस तरह से बर्दाश्त नहीं होगा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 000

श्री सभापति: एक मिनट विराजिए। प्लीज सहयोग करें, विराजिए। आसन की अवहेलना मत करिए, आप विराजिए। कटारिया साहब, इस तरह से अच्छा नहीं लगता। मैं बात कह रहा हूं, आप सुनिए। प्लीज विराजिए।

सभी माननीय सदस्यों को मैं जानकारी दूं कि सात बजे रिप्लाई होना है और सभी माननीय सदस्य आठ-आठ मिनट बोल रहे हैं। शुरुआत में जब आपके सचेतक महोदय देते हैं तो कोई बीस मिनट बोलता है, कोई तीस मिनट बोलता है, आप उस पर पाबंदी लगाइये। मेरे पास जो लिस्ट है, मुझे सात बजे रिप्लाई कराना है और सात बजे रिप्लाई कराने के लिए सभी माननीय सदस्यों को आठ-आठ मिनट बोलने दे रहे हैं। सुमित गोदारा जी ने 4 बजकर 57 मिनट पर शुरू किया और बलवान पूनियां साहब ने 5 बजकर 5 मिनट पर शुरू किया, आठ मिनट का टाइम मैं सबको दे रहा हूं। मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और इस तरह से आप आसन की अवहेलना करके पूरा हाईजैक करना चाहते हैं, मैं बिलकुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आप सबको जानकारी दे दूं कि आठ-आठ मिनट का समय दिया गया है, सात बजे रिप्लाई शुरू होगा। जितने माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, उनके हिसाब से सही सात बजे माननीय मंत्री महोदय अपना रिप्लाई देंगे। आठ-आठ मिनट सभी माननीय सदस्य बोल रहे हैं। कटारिया साहब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, हमने पहले ही इस बात को समझकर सबको दस-दस मिनट का समय देकर, कागज के ऊपर भी हमने मार्क करके दिया और हमने आज सूची भी कम दी है।

श्री सभापति: निश्चित रूप से आपने मार्क किया है। मैं इससे मना नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। शुरुआत में जो माननीय सदस्य बोलते हैं, पहले माननीय सदस्य जब बोलना शुरू करते हैं, आपने उनको तीस-तीस मिनट का समय दे रखा है। तीस मिनट के बाद दो-तीन मिनट का समय वे वैसे ही एक्स्ट्रा ले लेते हैं। आप मेरी मजबूरी समझिए, मुझे सात बजे इसको पूरा कराना है। सात बजे पूरा कराने के लिए आठ-आठ मिनट देने पड़ेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट, आज मैंने हमारी तरफ से जो भी समय अलाट किया, एकाध को तो छोड़ दें तो किसी ने भी समय का अतिक्रमण नहीं किया, पहले वक्ता को केवल तीस मिनट मिला, बाकी सबको दस-दस मिनट।

श्री सभापति: मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। बाकी लोगों को नहीं

(श्री सभापति)

बुलाएं, या तो यह हो। सात बजे मैं रिप्लाई शुरू कराऊंगा, तो बाकी लोग नहीं बोल पाएंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हमने जो सूची दी है, उसके अलावा किसी ने समय का अतिक्रमण नहीं किया।

श्री सभापति: मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। आपने मुझे दिया है आपने दस-दस मिनट का समय दिया है। लेकिन जब मैंने इसमें कैलकुलेट किया तो आठ-आठ मिनट के हिसाब से माननीय मंत्री महोदय का रिप्लाई सात बजे शुरू होगा। मुझे इसमें असुविधा नहीं है। असुविधा कहां होती है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह जो सूची दी है, वह 2 घंटे 20 मिनट की दी है।

श्री सभापति: एक मिनट आप विराजें। आपने 2 घंटे 20 मिनट का दिया है, इधर से भी दिया, लेकिन समय की तो अपनी सीमा है। समय तो बढ़ नहीं सकता। सभी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। होना तो यह चाहिए, लिमिटेड माननीय सदस्य आज बोल लें, बाकी आज की बजाय कल बोल लें, फिर परसों बोल लें। हम यह करते हैं कि रोज ही माननीय सदस्य बोलना शुरू करते हैं। आसन की मजबूरी यह है कि माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश से जब मुझे सात बजे रिप्लाई शुरू कराना है तो इस लिस्ट के हिसाब से मुझे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उधर जो आठ मिनट दे रहा हूं। हरीश जी मीना ने आठ मिनट में अपनी बात पूरी कर दी। हरीश जी मीना भी तो कांग्रेस के ही हैं, इनका भी दस मिनट का लिखा हुआ है। सबका दस-दस मिनट का लिखा हुआ है लेकिन आसन की मजबूरी है कि यदि समय पर पूरा करना है तो अपनी तरफ से दस मिनट की बजाय आठ मिनट बुला रहा हूं।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मैं शुरू हो जाऊं?

श्री सभापति: दो घंटे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अभी दो घंटे हैं और हमारे...

श्री सभापति: बोलने वाले सदस्य कितने हैं, 15. 15 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हमारे 7 लोग बोले हैं, 5 और बाकी हैं।

श्री सभापति: मैं समझ रहा हूं, 5 आपके बोल रहे हैं। इधर नारायण

(श्री सभापति)

जी और पुखराज जी बाकी हैं, बलवान जी बाकी हैं और 7 आदमी कांग्रेस के बाकी हैं। 15 आदमी बोलने बाकी हैं। या तो यह हो कि मैं दस मिनट सबको दे दूं। 7 बजे जितने पूरे हो जाएंगे, वे हो जाएंगे। यदि 15 को कैलकुलेट करके मैं सबको बुलाना चाहूंगा तो फिर मुझे व्यक्तिशः निवेदन करना पड़ेगा कि 8 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। मैं समझ रहा हूं। मैं जब यहां बैठता हूं तो मुझे बाहर सुनना पड़ता है कि आप हमें बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं कौन होता हूं? मैं किसी का मुंह बंद कर रहा हूं? आसन की मजबूरी है। समय मैं बढ़ा नहीं सकता। समय कैलकुलेट करूंगा, अभी इसमें कितना टाइम लग गया।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मैं पांच मिनट में बोल ही देता हूं।

श्री सभापति: मैंने 5 बजे बलवान जी को बुला लिया था, अब क्या समय हुआ है? अब 11 मिनट हो गया है। एक आदमी का समय तो हमने वार्तालाप में ही खतम कर दिया।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाह रहा था कि गंगानगर जिले में, हनुमानगढ़ जिले में और जहां से इंदिरा गांधी नहर का पानी जाता है, जहां भाखड़ा का पानी आता है, पानी देखने में शुद्ध लगता है, लेकिन उस पानी में कैंसर भरी पड़ी है। मैंने पहले भी सदन में यह बात उठाई है कि हमारे इलाके में कैंसर बढ़ रही है, वह किस वजह से बढ़ रही है? यह शोध का विषय है। शोध अगर नहीं होगी तो यूं ही पेशेंट बढ़ते रहेंगे। जिस तरीके से पंजाब से ट्रेन आती है बीकानेर के लिए, उसको कैंसर ट्रेन कहा जाता है। कैंसर उतनी ही तेजी के साथ हमारे जिले में प्रवेश कर रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि हमारे जिले में और मेरे विधान सभा क्षेत्र में कैंसर रिसर्च सेंटर खोला जाए।

सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण बात पर मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा। हमारे यहां गोरखपुर हरियाणा के पास लगता है, जहां से भाखड़ा का पानी आता है, उसमें परमाणु बिजली संयंत्र बन रहा है। उसमें से 40 क्यूसेक पानी उस संयंत्र को ठंडा करने के लिए वापस फिर हमारी नहर में डाल दिया जाता है। उस नहर का पानी जहां भी जा रहा है, वहां तेजी से कैंसर बढ़ रहा है। परमाणु रिएक्शन की वजह से कैंसर बढ़ रहा है। यह शोध का विषय है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर शोध कराएं। मैं एक छोटी-सी चीज निजी चिकित्सालयों पर कहना चाहूंगा जो पूरे

(श्री बलवान पूनियां)

राजस्थान में मुझे महसूस हो रही है। मैंने बहुत जगह इस बात का पता किया है। निजी चिकित्सालय में हमारी बहनें डिलीवरी के लिए जाती हैं, 80 फीसदी डिलीवरी सीजेरियन ही क्यों होती हैं? सरकारी अस्पताल में जाएंगी, वहां गायनी उपलब्ध है या ए.एन.एम. उपलब्ध हैं, जी.एन.एम. उपलब्ध हैं, वहां डिलिवरी 100 परसेंट या 90 परसेंट सामान्य होंगी और प्राइवेट हास्पिटल में जाते ही वह सीजेरियन में बदल जाएगी। मैं यह चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान दें। आने वाले समय में हमारी बहनों में बच्चादानी के रोग तेजी से न फैल जाए, इसके लिए गम्भीरता से इस मुद्दे पर ध्यान दें।

सभापति महोदय, राजस्थान में कोविड महामारी के काल में यह आवश्यकता महसूस की गयी कि स्वास्थ्यकर्मी महामारी हेतु प्रशिक्षित हों, स्कूली शिक्षा में सभी विद्यार्थियों को फर्स्ट-एड की जानकारी हो, मेडिकल अंतिम वर्ष के छात्र इस प्रकार प्रशिक्षित हो कि चिकित्सक की अनुपस्थिति में स्थिति सम्भाल सकें। आंकड़ों में टी.एस.पी. क्षेत्र में माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य को देखा जाए तो उन क्षेत्रों पर विशेष फोकस करने की जरूरत है। सरकारी अस्पतालों और दुकानों पर दवाइयां एवं निजी दुकानों पर उपलब्ध दवाइयों में जो कम्पोजिशन और प्राइस का अंतर है, यह किसलिए है? इस बात का पता भी हमारे मंत्री महोदय सदन को बताएं। जेनेरिक दवाइयां लेने पर मरीज की मूल बीमारी ठीक हो या न हो, उससे पूर्व अन्य तत्वों में इम्बैलेंस उत्पन्न होने पर अनेक बीमारियां उत्पन्न्न हो रही हैं, पैदा हो रही हैं। सरकारी अस्पतालों के डाक्टर एवं स्टाफ की निजी कार्य पर पूर्ण पाबंदी होने से सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। आज सरकारी हास्पिटल में या मेडिकल कालेज में जो भी डाक्टर हैं, वे बराबर अपनी दुकान लगाकर रखते हैं जिससे लोगों को वहां, जहां सरकार अरबों-खरबों रुपये खर्च कर रही है, उसकी बजाय बाहर जाकर वह लूटने का काम करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए सरकार के सिस्टम में सरकारी डाक्टर, जितने दिन तक काम करें, पूर्ण रूप से उस पर पाबंदी लगे कि आप बाहर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हास्पिटल में ही मरीज को देखेंगे और उसका इलाज करेंगे।

खाद्य सामग्री में जो मिलावट है, उसको बाकायदा मेडिकल विभाग की टीम समय-समय पर चैक करे ताकि लोगों में गम्भीर बीमारियां पैदा न हों। मेरी मांग है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में नर्सिंग कालेज खोला जाए और कैंसर रिसर्च सेंटर खोला जाए। 1,554 प्रयोगशाला सहायकों की भर्ती पूरी की जाए। एम.एन.जे.वाई. और एम.एन.डी.वाई. में काम कर रहे लोग, जिन्होंने

(श्री बलवान पूनियां)

कोरोना में बहुत बढ़िया साथ दिया, पूरे अस्पताल सी.एच.सी., पी.एच.सी. और तमाम रिसर्च सेंटरों में, मेडिकल कालेजों में जो लगे हुए थे, उन्होंने बढिया काम किया है, इसलिए उनका समय पर भुगतान व उनकी दूसरी व्यवस्था की जाए। राइट टू हैल्थ बिल सरकार इसी सत्र में लेकर आए। जिन निजी चिकित्सालयों ने कोरोना के समय खोला नहीं था, सरकार ने उनकी जांच भी की है, सरकार ने उनके नाम भी आइडेंटिफाई भी किये हैं, उनके खिलाफ जरूर कुछ न कुछ पनिशमेंट की कार्यवाही होनी चाहिए। पूरे देश और दुनिया का ध्यान कोरोना पर था, लेकिन निजी चिकित्सालय के लोग इतना बड़ा-बड़ा ताला लगाकर फुर्र हो गये थे। उस समय सरकार का सहयोग या जनता का सहयोग जिन निजी चिकित्सालयों ने नहीं किया, मैं आज इस पर महत्वपूर्ण रूप से यह बात कहना चाहता हूं कि कुछ न कुछ पनिशमेंट होना चाहिए। एस.एम.एस. में आपरेशन की लम्बी वेटिंग लिस्टें, जो दो-दो, तीन-तीन महीने की हैं, मंत्री महोदय का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसको आप छोटी करें और लोगों को समय पर इलाज मिले। भादरा सी.एच.सी. में ट्रोमा सेंटर मंजूर कराओ और बैडों की संख्या बढ़ाओ।

सभापति महोदय, मैं शोध के विषय पर मैं दो मिनट का समय आपका लूंगा। मान्यवर, राजस्थान में पी.जी. स्टूडेंट्स की बढ़ती सीटों के लिए पर्याप्त मेडिकल टीचर्स, नेशनल मेडिकल कमीशन के अनुसार शोर्टेज है। चूंकि आचार्य द्वारा तीन पी.जी. स्टूडेंट्स को ही प्रवेश करने की अनुमति है, अत: आपसे निवेदन है कि इसका उपाय डी.ए.सी.पी. जो कि राजस्थान में प्रमोशन का प्रावधान है, जो कि 6-4-4, सह आचार्य, सहायक आचार्य और आचार्य, उसमें कार्यानुभव अवधि नेशनल मेडिकल कमीशन के तहत की जाए। 4-3-3, वरिष्ठ सहायक आचार्य, सह आचार्य और आचार्य है, जिससे आचार्य एवं वरिष्ठ आचार्य के पर्याप्त पद भरे जा सकेंगे और पी.जी. की सीटें पर्याप्त नम्बर में हो सकेगी, जिससे प्रदेश में स्पेशलिस्ट डाक्टर्स की कमी को पूरा किया जा सकेगा। दूसरा उपाय यह है कि चिकित्सा शिक्षा में विभाग में रेगूलर आर.पी.एस.सी. रिक्रूमेंट निर्धारित समय प्रबन्धन के साथ हो जाए और सहायक आचार्य के पदों की कमी को पूरा किया जा सकेगा एवं पी.जी. स्टूडेंट्स की पढ़ाई एवं मरीज की सेवा में बाधा नहीं आएगी।

सभापति महोदय, पी.जी. में एडमिशन के दौरान कोई कोर्स को छोड़कर जाता है तो उसके लिए एक बांड प्रक्रिया है, जिसके तहत उसे एक

(श्री बलवान पूनियां)

निश्चित राशि जमा करवानी होती है तथा कोर्स कमप्लीट करने के बाद एक निश्चित समय की सेवा राज्य सरकार में देनी होती है। परन्तु यह देखा गया है कि पी.जी. कोर्स कमप्लीट होने के बाद राज्य सरकार द्वारा अभी तक उन्हें राज्य सेवा करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है। अत: निवेदन है कि पास आउट होने के बाद सीनियर रेजीडेंसी का प्रावधान है, जो कि आर.पी.एस.सी. में मेडिकल सेवा में रिक्रूमेंट के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन के अनुसार आवश्यक है। मैं निवेदन करता हूं कि सीनियर रेजीडेंसी की सीटों को बढ़ाया जाए, जिससे टीचिंग फैकल्टी एवं जूनियर रेजीडेंट के बीच की कड़ी का सीखने का रास्ता जुड़ा रहे...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): जिससे आने वाली जनता व मरीज को परेशानी न हो। पी.जी. के बाद उस डाक्टर का कांफिडेंस लेवल जनता को स्पेशलिस्ट डाक्टर के रूप में सेवा देने का मौका मिले। आपसे मेरा निवेदन है कि कम से कम 50 प्रतिशत ऐसे ज्यादा सीनियर रेजिडेंट की सीटें उसी डिपार्टमेंट में उपलब्ध करवाई जाएं जैसे किसी डिपार्टमेंट में जूनियर रेजीडेंट की सीटें अगर 50 हैं तो उसमें सीनियर रेजीडेंट की सीटें भी 25 से ज्यादा हों, जिससे संस्थान में आने वाली पीढ़ी का प्लेसमेंट कर सकें और जनता को फायदा पहुंचा सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से कोरोना में गम्भीर हुए, उसी तरीके से स्वास्थ्य को लेकर राजस्थान की सरकार गम्भीर हो और जनता के स्वास्थ्य को बहुत अच्छा करे, चुस्त-दुरुस्त करे, तभी 'निरोगी राजस्थान' का सपना पूरा होगा। आपने मुझे सुना, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।

श्री सभापति: श्री कन्हैया लाल।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। सबसे पहले मैं देश के प्रधान मंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत बड़ी कोरोना महामारी जैसी बीमारी से पूरी 130 करोड़ जनता को बचाने का काम किया। इसके साथ-साथ उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसी महामारी के लिए जो वैक्सीन बनायी कि पूरे विश्व में आज हमारे देश का नाम रोशन किया। पूरे विश्व के देश आज हमसे वैक्सीन की मांग कर रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस

(श्री कन्हैया लाल)

तरह से 130 करोड़ जनता में 10 हजार पापुलेशन पर जहां एक डाक्टर था, उस समस्या को पूरी करने के लिए हर जिले में मेडिकल कालेज खोलने का वादा पूरा किया और इसी के तहत राजस्थान में भी 15 जिलों के अन्दर मेडिकल कालेजों के लिए 3 हजार करोड़ रुपये देने का काम किया, इसके लिए भी धन्यवाद के पात्र हैं। इसके साथ-साथ जितने भी कोरोना वारियर्स थे, मेडिकल स्टाफ, पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी, सबका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस महामारी से निपटने में पूरा योगदान दिया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि टोंक में मेडिकल कालेज का काम चालू करने के लिए वहां पर जल्दी से जल्दी टेंडर लगाकर, वहां पर काम चालू करें। जो एस.एम.एस. में सबसे बड़ा लोड रहता है, टोंक जिले के सबसे ज्यादा मरीज यहां पर आते हैं। यहां का लोड भी कम करें और उस डिस्ट्रिक्ट के मरीज कम से कम वहां पर जा सकें। इसके साथ-साथ मैं यह भी चाहता हूं कि अजमेर में आप जो दूसरा मेडिकल कालेज खोल रहे हैं तो वह केकड़ी में ही खोलें, जिससे मेरे क्षेत्र की जनता पास में पड़ती है मालपुरा की, तो वहां चले जाएं, मेक्सिमम लोड है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आपातकालीन सेवाएं जो भी हैं 108, 104, इनके अन्दर भी काफी पुरानी गाड़ियां हो गयी हैं, इनको चेंज करें और इनमें स्टाफ की पूर्ति करें, जिससे लोगों को पूरी सुविधा मिल सके।

इसके साथ-साथ सी.एच.सी. और पी.एच.सी. पर मेडिकल स्टाफ की काफी कमी है, डाक्टर्स की भी कमी हैं, इसको भी पूरी करने की कोशिश करें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि डिग्गी सीएच.सी. में 5 करोड़ रुपये का आज से तीन साल पहले एन.आर.एच.एम. में बजट आया था बिल्डिंग के लिए, अभी भी काम चालू नहीं हुआ है। मालपुरा के अन्दर 70 बैड का हास्पिटल है, वहां पर वार्ड की काफी कमी है। इसमें भी वार्ड किये जाएं। वार्ड निर्माण के साथ-साथ ट्रोमा हास्पिटल, आप हमेशा वहां से जाते हो, आपने पिछले दो बजट में भी कहा था कि आप मेरे पड़ोसी हो, आपको तो मैं दूंगा। आपने दो बजट में कुछ भी नहीं दिया। मैं आपसे मांग करता हूं कि इस बजट में, दो स्टेट हाईवे, दूदू-छान और सांगानेर-जयपुर वहां से निकलते हैं। वहां आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, तो वहां ट्रोमा हास्पिटल और 100 बैड का करने की कृपा करें ताकि लोगों का सुविधा मिले। कहीं भी जाओ 100 किमी. से ज्यादा हर जगह दूरी है। टोंक जाओ तो 100 किमी. है, जयपुर आओ तो 100

(श्री कन्हैया लाल)

-125 किमी. पड़ता है तो वहां ट्रोमा हास्पिटल खोला जाए, बैड की संख्या बढ़ाई जाए।

इसके साथ-साथ टोडारायसिंह में भी 50 बैड का हास्पिटल है, उसे 70 बैड का किया जाए। वहां सिर्फ दो डाक्टर रहते हैं। वहां आज तक न तो गायनिकी आया न पीडियाट्रिक्स आया, डाक्टर की व्यवस्था की जाए। काफी पुराना हास्पिटल है, उसमें व्यवस्था करने की कृपा करें।

इसके साथ-साथ टोडा-मालपुरा के अन्दर विशेषकर ब्लड बैंक की जरूरत है। अकेले मालपुरा की 70 हजार से ज्यादा पापुलेशन है। बृजलाल नगर भी पूरा कस्बा है, वह भी उसी से सटा हुआ है, तो ब्लड बैंक खोलने की कृपा करें। डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल का अगर दर्जा दे दें, जिस तरह आपने फागी किया। फागी तो जयपुर के बिलकुल पास है। अगर इसको डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल का दर्जा, जिस तरह आपने आज से सात-आठ-दस साल पहले केकड़ी के अन्दर दिया, उसी तरह से दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि मेरे यहां कई ऐसी बड़ी पंचायतें हैं जिनके अन्दर सी.एच.सी. खोलना जरूरी है। जिनकी आबादी दस हजार से भी ज्यादा है, मेरे लावा, पचेवर, टोडी, लाम्बाहरिसिंह ऐसे कस्बे हैं, जहां सी.एच.सी. खुले काफी समय हो गया। कम से कम 20-25 साल हो गये, उनको भी पी.एच.सी. से सी.एच.सी. खोलते हैं तो आस-पास की पापुलेशन है, उनको बड़ा बेनिफिट मिलेगा।

इसके साथ-साथ मैं पी.एच.सी. की भी मांग करता हूं। मेरे पारली, उनियारा, आप रास्ते में जाते हैं तो भी उनियारा आता है, एक है मोर, इन तीनों जगह सी.एच.सी. तो खोल नहीं सकते, अगर पी.एच.सी. खोल दें तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी।

मैं आपसे मांग करता हूं कि काफी समय पहले मेरे सावरिया के अन्दर पखराज व पारली में जी.एन.एम. की पोस्ट थी, पिछले चार-पांच साल पहले पता नहीं क्यों उसको खतम कर दिया, वहां पर एडपोस्ट की बिल्डिंग भी बनी हुई है, सब कुछ सुविधा है। एडपोस्ट, जी.एन.एम. सैकण्ड ग्रेड के वापस पद सृजित हो जाएं, बहुत बड़ी पंचायत है, उनको सुविधा मिलेगी, यह आपसे कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, समय की कमी है, आपसे कहना चाहता हूं कि आपने जनता क्लिनिक खोलने की घोषणा की थी। मालपुरा के अन्दर एक

(श्री कन्हैया लाल)

पुराना हास्पिटल है, पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, 20 हजार स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है, उसको भी जनता क्लिनिक में खोला जाए। बृजलाल नगर काफी बड़ा कस्बा है, इसमें जनता क्लिनिक खोलने की कृपा करें।

इसके साथ-साथ मालपुरा हास्पिटल के अन्दर 24 घंटे इलेक्ट्रिक की व्यवस्था की जाए। वहां जनरेटर भी हमेशा खराब रहता है। कभी-कभी तो बैटरी की रोशनी में प्रसव कराया जाता है। कई दफा अख़बारों में भी खबर छपी है। पी.एच.ई.डी. के अन्दर 24 घंटे बिजली की व्यवस्था होती है, उसी तरह हास्पिटल में भी बिजली व्यवस्था हो। पूरे राजस्थान में, जहां भी तकलीफ है, वहां आप यह घोषणा करने की घोषणा करें, सबको सुविधा मिले।

उप खण्ड मान्दोलाई में आज से लगभग 30 साल पहले काफी बड़ा सी.एच.सी. हास्पिटल था। वहां पर लगभग 7-8 डाक्टर बैठते थे। धीरे-धीरे वहां की सुविधा कम हुई और अब एक डाक्टर बैठता है। उसकी भी व्यवस्था देखी जाए। इतना पुराना सी.एच.सी. था, किस कमी की वजह से ऐसा हुआ है। उसके आस-पास 5-7 ग्राम पंचायतें आती हैं उसमें भी आप थोड़ा ध्यान देंगे तो उस क्षेत्र की जनता को फायदा मिलेगा। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में, साइंस में जो सबसे प्रतिभावान छात्र होता है, उनमें मोस्टली का सपना होता है, इच्छा होती है कि वह डाक्टर बने लेकिन मेडिकल शिक्षा इतनी महंगी हो गयी है कि प्रतिभावान छात्र चाह कर भी उस फील्ड में नहीं जा पाता। हमेशा हम सब इस बात की चर्चा करते हैं, सब इस बात से परेशान हैं कि गांव में डाक्टर रुकते नहीं हैं, गांवों में डाक्टर जाते नहीं हैं। इसका कारण यह है कि गरीब का बेटा डाक्टर नहीं बन सकता। जिसके पास सुविधाएं हैं, जिसके पास पैसा है, जिसके पास संसाधन है, जो सक्षम है उसको जाब नहीं मिले तो प्राइवेट हास्पिटल भी बना सकता है, वह गांव में नहीं जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि गांव के गरीब बच्चे को मेडिकल की शिक्षा कैसे दी जाए।

सभापति महोदय, पहले भारी-भारी डोनेशन, एक-एक करोड़ का डोनेशन हुआ करता था। प्राइवेट कालेजेज की सीटें रिजर्व रहती थीं। वे डोनेशन

(श्री बलजीत यादव)

लेकर अपने हिसाब से दे सकते थे। बाद में यह किया कि डोनेशन बंद कर दिया और उनकी फीस निर्धारित कर दी। कान को एक तरफ से छोड़ा, दूसरी तरफ से पकड़ लिया। प्राइवेट मेडिकल कालेज की 17 से 20 लाख रुपये एक साल की फीस होती है। गवर्नमेंट मेडिकल कालेज इतने हैं नहीं। अब इतनी फीस वह दे नहीं सकता तो वह उसमें जा नहीं सकता। जो इतनी भारी फीस देगा, वह गांव में दूर-दराज, किसी ढाणी में नहीं रूकेगा। इसलिए वहां सुविधा नहीं मिल सकती। क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। पैसे देकर पैसे वाले लोग, ठीक है, मेडिकल में भेज दो, एम.बी.बी.एस. करा दो, पी.जी. करा दो, लेकिन क्वालिटी गिरती जा रही है। प्राइवेट मेडिकल कालेज में नाममात्र के, काग़ज़ों में डाक्टर, प्रोफेसर, वगैरह रखे जाते हैं, लेकिन वास्तव में शिक्षा देने के लिए कोई होता ही नहीं है, जहां दस की जरूरत होगी वहां दो लोग मिलेंगे। न ही प्रैक्टिकल ठीक से हो पाते हैं, न ही थ्योरी का ठीक से अध्ययन करा पाते हैं। इस हिसाब से, जब वह डाक्टर तैयार होकर निकलता है, वह भी कोई इतना अच्छा डाक्टर नहीं बनता है, जो सारी चीजों को समझ सके। जैसे-जैसे चुनौतियां बढ़ रही हैं, जैसे-जैसे बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, अलग-अलग तरह की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, उस स्तर का डाक्टर वह नहीं बन पाता है। हमारे पास कुछ लिमिटेड डाक्टर हैं, जिनको जयपुर एस.एम.एस. में रख दिया। एस.एम.एस. के ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है। जो गम्भीर बीमारी है, उसका और कहीं दूसरी जगह इलाज नहीं है। हमें जरूरत है कि एस.एम.एस. के जैसे ही राजस्थान के अलग-अलग एरिया में करीब 5-7 ऐसे हास्पिटल खोले जाएं। गवर्नमेंट मेडिकल कालेज की घोषणा की, वह जल्द से जल्दी खुले ताकि गरीब का बच्चा भी गवर्नमेंट मेडिकल कालेज से शिक्षा लेकर डाक्टर बन सके।

सभापति महोदय, बहुत से डाक्टर गवर्नमेंट जाब में नहीं जाते, अच्छे डाक्टर भी नहीं जाते। सवाल है, माहौल ठीक करने का। माहौल ठीक नहीं है, हमारे सिस्टम के अन्दर बहुत-सी खामियां हैं। डाक्टर्स को हम कहते हैं कि आपको 24 घंटे रहना है, वह 24 घंटे रहेगा, लेकिन उसके क्वार्टर नहीं है। शिशु-प्रसूता रोग विशेषज्ञ हैं, उसको कहें कि आपको नाइट में रहना है, लेकिन उसको हास्पिटल में क्वार्टर नहीं मिलेगा। शिशु-प्रसूता रोग विशेषज्ञ हैं तो कहीं एनेस्थीसिया का डाक्टर नहीं है। कहीं एनेस्थीसिया का है तो शिशु-प्रसूता रोग विशेषज्ञ नहीं हैं। एक जगह आपने डाक्टर रख दिया, लेकिन दूसरा डाक्टर नहीं होने से वहां डिलिवरी नहीं हो पाती, आपरेशन नहीं हो पाते। इस कारण वह

(श्री बलजीत यादव)

डाक्टर होकर भी, किसी काम का नहीं रहता। इसलिए सिस्टम को सुधारने की जरूरत है कि यदि आप सी.एच.सी. पर लगाएं तो सी.एच.सी. के ऊपर उस हिसाब से डाक्टर लगे, जिससे पब्लिक को लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि डाक्टर के अलावा नर्सिंग, मेडिकल स्टाफ है, इन सब के क्वार्टर भी सी.एच.सी. के ऊपर हों तो मेरे ख्याल में ज्यादा लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरे बहरोड़ में जिला हास्पिटल की बहुत पुरानी मांग चली आ रही है। छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट में दो-दो जिला अस्पताल हैं। अलवर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा जिला होने के बावजूद उसके अन्दर मात्र एक जिला अस्पताल है। मैं मांग करता हूं कि मेरे वहां जिला अस्पताल खोला जाए। मेरे वहां माजरी को सी.एच.सी. बनाया जाए। झखराना पर सी.एच.सी. खोली जाए, मैं यह आपसे मांग करता हूं।

सभापति महोदय, हम इतना सब बजट दे रहे हैं, लेकिन कैंसर जैसी भयंकर बीमारी के लिए भी पेट सी.टी. स्कैन की व्यवस्था हमारे यहां सरकारी हास्पिटल में नहीं है। एक्मो की एक भी मशीन राजस्थान में नहीं है। एस.एम.एस. में भी नहीं है। इसलिए मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि एक्मो मशीन यहां मंगवाई जाए, सुविधा दी जाए। पेट सी.टी. स्कैन की सुविधा दी जाए।

डाक्टर्स की काफी लम्बे समय से मांग है कि उनका कैडर अलग से, जैसे आई.ए.एस., आई.पी.एस. का, पुलिस का होता है, उसी तरह उनका अलग से कैडर हो। उनका यह मानना है कि जो सैक्रेटरी लगाया जाता है, अगर वह डाक्टर नहीं होता है तो उसको इतनी नालेज नहीं होती है। उनका मानना है कि वह अच्छे से सारी चीजों को समझता नहीं है। सही चीज नहीं हो पाती है।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): बस खतम कर रहा हूं। सभापति महोदय, मैं तो वैसे ही घबरा रहा हूं। बोल ही नहीं पा रहा हूं।

सभापति महोदय, मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, मंत्रीजी के ध्यान में थोड़ी-सी बात लाना चाहता हूं। मैंने इनको पहले भी बताया था, महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके तहत कोई आपरेशन होता है तो उसमें यह बोला गया कि आप उसकी फोटो खींचेंगे और आपरेशन करते हुए

(श्री बलजीत यादव)

फोटो खींचेंगे, फिर मान लीजिये उसको कोई अपेंडिक्स का हुआ तो वह मेडिकल कालेज में जाएगा। मेडिकल कालेज में वह चैक होगा कि हां यह चीज, अपेंडिक्स का आपरेशन हुआ, उसकी रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आने में जनरली उसको 10 से 15 दिन लगते हैं। जब रिपोर्ट आएगी, तब जो पेशेंट है, उसको छुट्टी दी जाएगी। तब तक उसका कोई काम नहीं है, आपरेशन हो चुका है, आप उसको छुट्टी दे सकते हैं, लेकिन 10 से 15 दिन वह उस बैड पर रहेगा। आपका बैड रुका रहेगा, केवल इस कारण से कि वहां से रिपोर्ट आ जाए तो इस टाइप की आपकी जो खामियां हैं, इनको सुधारा जाना चाहिए कि 15 दिन आपने बेवजह उसको रोक रखा है, दूसरे किसी पेशेंट को लाभ मिलता। ये छोटी-छोटी खामियां हैं। बहुत-सी जगह कह दिया कि इसकी वीडियो रिकार्डिंग करें, वीडियो रिकार्डिंग के कैमरे ही नहीं हैं, कहां से वीडियो रिकार्डिंग करें। फिर उसको टाला जाता है, डाक्टर भी उसको टरकाता रहता है। उस गरीब को उसका कोई लाभ मिल नहीं पाता है। इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था में सुधार किया जाए।

दूसरा, मैं हमारे हैल्थ मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि देखिए सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा, अगर वास्तव में आप चिकित्सा की सेवाओं को गांव तक पहुंचाना चाहते हैं, आप बजट खूब देते हैं, खूब दिया है, इसमें कोई वह नहीं कहता, आपकी तारीफ करता हूं, खूब दिया है लेकिन रीयल में अगर अपन इस चीज को ठीक करना चाहते हैं तो जो गांव में गरीब का बच्चा है, उसको इस फील्ड में लेकर आना पड़ेगा और उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। मोटिवेट करने के लिए, मंत्री महोदय, बैठा देंगे, बस 30 सैकण्ड्स सुन लें।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सुन रहा हूं।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): इसमें करना पड़ेगा, आप हीरो हो जाओगे, अगर इसमें एक चीज आप कर जाओ। खूब काम कर रहे हो, एक चीज आप कर दो कि जो भी डाक्टर हैं, हसबेंड-वाइफ हैं, कोई भी हैं, आप यह बना दो कि कम से उसको एक जगह नहीं तो जिले में जरूर रखेंगे। अगर आप रखेंगे तो तनावमुक्त रहेंगे। तनावमुक्त रहेंगे तो ठीक से इलाज करेंगे। अब पति कहां है, पत्नी कहां है तो वह तनाव में ही रहते हैं।

दूसरा, मैंने बताया कि जैसे एनेस्थीसिया का डाक्टर है, शिशु रोग विशेषज्ञ है, स्त्री-प्रसूता रोग विशेषज्ञ है, सी.एच.सी. पर ये तीनों रहें। तीनों

(श्री बलजीत यादव)

रहेंगे तो आपरेशन भी होगा, और आपरेशन थियेटर वगैरह, बहुत-सी जगह जो बंद पड़े हैं, उनको चालू करवाएं तो जितने डाक्टर आपके हैं, उन्हीं के अन्दर ही बहुत-अच्छी सेवाएं आप दे सकते हैं। (व्यवधान) धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मांग संख्या 26-चिकित्सा और मेडिकल कालेज और बोलने वाला आर.एम.पी. है।

सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि गंगानगर जिले के अन्दर अगर सबसे ज्यादा जरूरत है तो मेडिकल कालेज की है। मैं 2014 से यह सुनता आ रहा हूं कि गंगानगर में मेडिकल कालेज, कभी कोई दानी आ जाता है, कभी कोई राज का बंदा आ जाता है, कभी कोई मेरे जैसा आ जाता है पर आज दिन तक मेडिकल कालेज देखने को नहीं मिला।

सभापति महोदय, गंगानगर जिले के अन्दर कैंसर इतना ज्यादा फैला है कि गाड़ी का नाम, ट्रैन का नाम ही कैंसर वाली ट्रैन बीकानेर जाती है। हम प्रयास भी कर रहे हैं, मेडिकल कालेज हर जिले में खोलने की बात कर रहे हैं, पर इसके साथ-साथ एक तो यह मेडिकल कालेज जो आप बनाओ, इसका एस्टीमेट देखना, उस एस्टीमेट के हिसाब से अगर आप मेडिकल कालेज का निर्माण कर दोगे तो सौ वर्ष तक उसकी एक चिटकनी नहीं उतर पाएगी पर होगा क्या, आप उद्घाटन करने जाओगे, उससे पहले ही सीमेंट गिरने लग जाएगी। इस व्यवस्था पर रोक लगाओ।

मेडिकल के अन्दर जो डाक्टर तैयार करके पढ़ाने वाले लगाते हो, इन प्राइवेट कालेजों में डिग्री लिए हुए बंदों को वहां नहीं लगाना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मैं कोई रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चिकित्सा ऐसी चीज है कि इसमें टेलेंटेड डाक्टर को ही सलेक्ट करना चाहिए। सरकार रिजर्वेशन देने वालों को पहले तैयार करे, पढ़ाये, उनकी पूरी तैयारी करवाये। यह नहीं कि मैं ओ.बी.सी. का हूं, इस नाते मेरा सलेक्शन हो गया। जब मेरी बैकग्राउंड ही कमजोर है तो आगे जाकर मैं क्या आपरेशन करूंगा तो इस चीज पर सरकार अवश्य ध्यान दे। एस.सी., एस.टी. के बच्चों को पूरी तैयारी करवाओ, चाहे कोई भी वर्ग का हो, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेडिकल कालेज के अन्दर जब तक पढ़ाने वाला टीचर पूरा योग्य नहीं होगा, डिग्री तो आजकल आपको पता है, प्राइवेट हास्पिटल में मिल जाती है कि यह एम.बी.बी.एस. डाक्टर है, बोर्ड लगाकर बैठ गया, आदमी मारने

(श्री रामप्रताप कासनियां)

का लाइसेंस मिल गया, क्योंकि वह तो डिग्रीधारी है। मेरे जैसा कोई आर.एम.पी. है, उससे अगर थोड़ी भी त्रुटि हो जाए तो सलाखों के पीछे जाएगा।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा, विषय नहीं है, फिर भी मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अभी तक, चाहे सरकार कोई रही हो, न तो पी.एच.सी., न सामुदायिक केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्रों में तो हम देखरेख ही नहीं कर सकते और मेडिकल कालेजों के सपने ले रहे हैं। पर यह मान लिया, अच्छी सोच है, अब केन्द्र सरकार ने कर दिया, मोदीजी ने कर दिया, राजस्थान ने कर दिया, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप असलियत में अगर सुधार करना चाहते हो तो नींव से लगो, आप सीधे ही आकाश में उठने की बात कर रहे हैं न, मेडिकल कालेज की, मेडिकल कालेज बनाओगे, इतने में आपके नीचे धराशायी हो जाएगा सारा मामला, नहीं सम्भलेगा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा, मैं यह भी मांग करना चाहता हूं, सभी कर रहे हैं, पहले तो मेडिकल तक ही सीमित रहेंगे, यह बात हुई थी, सूरतगढ़ के अन्दर नर्सिंग कालेज खोलने की निहायत आवश्यकता है। सूरतगढ़ गंगानगर जिले के अन्दर सबसे बड़ी सिटी है, सबसे ज्यादा पापुलेशन है। मिलिट्री, केन्द्रीय फार्म, थर्मल और श्रीसीमेंट, मेरे कहने का भावार्थ है कि वहां शिक्षा का हब है। सरकार अगर वहां एक नर्सिंग कालेज खोलेगी तो, मंत्रीजी, हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे पर मुझे चेहरे से लग नहीं रहा है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि योग के बारे में मेरे से पूर्व किसी वक्ता ने यह बात कही थी कि अगर आप खोलना चाहते हो तो यह दवाई सबसे बढ़िया है, योग वाला विश्वविद्यालय खोलो। आधी बीमारी तो वैसे ही कंट्रोल हो जाएगी। यह मजाक की बात नहीं है, प्रमाणित बात है। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैं आपके सामने हूं। अब तक राम-नाम सत्य हो जाता। योग के कारण से ही मैं आपके सामने खड़ा हूं। सभापति महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही सही, योग का एक विश्वविद्यालय खोल कर तो देखे। (व्यवधान) कालेज, विश्वविद्यालय एक ही है।

सभापति महोदय, मैं सरकार को फिर निवेदन करना चाहता हूं कि कितने ही मेडिकल कालेज बनाओ, कितने ही हास्पिटल खोलो, जब तक इस जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक सारी व्यवस्थाएं कम पड़ेंगी तो यह

(श्री रामप्रताप कासनियां)

विषय भी इससे जुड़ा हुआ है। क्यों न हम पक्ष-विपक्ष मिल करके राजस्थान के अन्दर एक बच्चे का नियम बनाएं तो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। हिम्मत है तो आगे आओ, अगर वोट की चिंता है, भय है तो फिर मेरा कुछ कहना ही नहीं है। सभापति महोदय, मैं यह बात बार-बार इसलिए कह रहा हूं कि न्याय ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपको तो यह कोई समस्या नहीं है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): क्या, जी?

श्री सभापति: आपको तो यह समस्या है नहीं।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मेरे को क्यों नहीं?

श्री सभापति: आपको और मुझे क्या समस्या है?

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मैं कोई हवाई जहाज से आता हूं? वोट लेकर ही मैं आया हूं। मैं कोई स्काईलैब से थोड़े ही आया हूं?

श्री सभापति: आप दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार को फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो प्राइवेट मेडिकल कालेज हैं, इन पर आप थोड़ी लगाम लगाओ। इनके पास कोई बढ़िया पढ़ाने वाले डिग्रीधारी डाक्टर नहीं होते हैं। थोड़ी देखरेख करने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा कि चाहे मेडिकल कालेज हो, चाहे जिले का कोई कितना ही बड़ा हास्पिटल हो, जब महंगी जांच लिखी जाती है तो सब मरीजों को सुनने को एक ही बात मिलती है कि वह मशीन खराब हो जाती है। अब इसके पीछे हर बात की दुश्मनी मैं मोल लेऊं तो यह उचित भी नहीं है। मुझे डर भी लग रहा है थोड़ा-थोड़ा। उसमें सबसे बड़ा कमीशन का चक्कर है। चाहे जिले का हास्पिटल है, चाहे तहसील का है, चाहे आपका मेडिकल कालेज है, यह बात सब जानते हुए भी छुपाने का प्रयास कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, नि:शुल्क दवा की अच्छी योजना है, यह सराहनीय कदम है, पर इस दवा पर विश्वास कायम नहीं हो रहा है। गांव से लेकर शहर तक कहीं पर भी चले जाओ, सरकारी दवा पर विश्वास कायम नहीं है। आज भी इलाज करवाने वाले चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई समृद्ध हो, वह

(श्री रामप्रताप कासनियां)

डाक्टर की सलाह से बाहर की दवाइयां, गरीब से गरीब आदमी भी खरीदता है कि यह दवा तो काम ही नहीं करेगी। यह ऐसी व्यवस्था क्यों हो गयी?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): आप विश्वास कायम करने में नाकाम रहे हैं तो मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस तरफ भी ध्यान दें और लाखों-करोड़ों रुपये का यह बजट व्यर्थ में बह जाता है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री मदन प्रजापत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 26-चिकित्सा शिक्षा, हैल्थ एजुकेशन के ऊपर काफी सुझाव आये और अभी हमारे पहले वाले वक्ता यह कह रहे थे तो आज से कई साल पहले श्रीमती इंदिरा गांधीजी की बात अगर आप सबने मान ली होती तो यह जनसंख्या वाली प्राब्लम नहीं होती।

माननीय सभापति महोदय, कई बातें हैं। पहले लिमिट के हास्पिटल थे, बीमारियां कम थीं और न मेडिकल कालेज की जरूरत पड़ती थी और न हास्पिटल इतने थे। जिले में मात्र एक-दो हास्पिटल हुआ करते थे। आज के समय में बीमारियां विकराल रूप ले रही हैं और पहले यह सुना था कि सौ साल पहले ऐसी बीमारी आयी, उस समय भी लाखों-करोड़ों लोगों ने जान गंवाई और आज आंखों से देखा कि 2020 में कोरोना के कारण लोगों में इतना भय, इतना डर, पहले तो सुना ही था और आज नजरों से जो देखा है कि आज यह महसूस हो रहा है कि आज के समय में और बीमारियां तरह-तरह की बढ़ रही हैं। पहले अलग तरह की बीमारियां थीं और सरकारों ने मेहनत करके चाहे नारू -रोग हो, चेचक हो, चाहे टी.बी. हो और आज अलग-अलग कैंसर और कई-कई और बड़ी-बड़ी बीमारियां आ रही हैं।

आज हास्पिटल और कालेजों के ऊपर जोर देना अति जरूरी है, लेकिन मुझे एक बात में, जब मैं यह करता हूं या सुनता हूं तो मुझे यह अजीब सा लगता है कि जब भैरोंसिंहजी के समय में मेडिकल कालेज खोली गयी तो वह तो भैरोंसिंहजी ने खोली, ऊपर कांग्रेस सरकार थी, उनका कोई मतलब नहीं,

(श्री मदन प्रजापत)

प्रधान मंत्रीजी का कोई मतलब नहीं? जब ललित किशोर चतुर्वेदी जी ने झालावाड़ में हो या चाहे कोटा में हो, उस समय तो भैरोंसिंह जी ने और श्रीमती वसुन्धराजी ने और अब हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री और मंत्री श्री रघु शर्माजी के समय में जो मेडिकल कालेजेज खुल रही हैं तो कह रहे हैं कि मोदीजी ने खोली हैं। वाह भाई, हमने तो हमारी सरकार के सामने, आप काम मांग रहे हो, मारवाड़ी में एक कहावत है कि 'खाना तो आदमी का और गाना भाई का', मतलब, हकीकत में आप वास्तविक गहराई से बात करें कि जिनकी सरकार होती है, आज मुख्य मंत्रीजी कोई भी घोषणा करते हैं और एम.एल.ए. अपन जाकर यह कहते, दम ठोककर कहते हैं कि मैंने यह काम करवाया है। अगर जनता कल कह दे कि वह तो सी.एम. ने घोषणा की है, मंत्रीजी ने घोषणा की है तो एम.एल.ए. क्या बताएगा? यह न्यायसंगत बात है। मैं प्रधान मंत्रीजी का कोई विरोध नहीं करता हूं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। आज अगर मुख्य मंत्रीजी और राज्य सरकार बजट देती है तो यह खून-पसीने का पैसा है, जनता की खरी कमाई का पैसा है पर केन्द्र और मोदीजी देते हैं तो कहते हैं कि यह मोदीजी ने दिया है, तो मोदीजी ने किसी घर से यह नहीं दिया है, यह फर्ज है कि जो भी प्रधान मंत्री हो या मुख्य मंत्रीजी हों, सीट पर बैठे हैं, प्रदेश की जनता का हिस्सा होता है, योजनाओं में उन पर खर्च होता है, यह सिस्टम है, यह कोई नई बात नहीं है।

यह बार-बार मेडिकल कालेज के ऊपर भाई अशोक लाहोटीजी कह रहे थे कि यह तो मोदीजी ने कर दिया। अगर अशोक गहलोतजी ने हां नहीं भर दी तो, आपके मोदीजी राजस्थान में दो कालेज और खोल दो? इसलिए वास्तव में बात में वज़न हो, आप वह बात करें।

माननीय सभापति महोदय, बीमारी का मुख्य कारण, मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं मिलेगा जो अपने बेटे को मिलावट खिलाने के लिए तैयार रहे। वह कान में बात करेंगे कि एक का दस गुना हो रहा है और करोड़ों की पैदा है, एक फैक्ट्री मिलावट की खोल दें तो लाखों लोग तैयार हो जाएंगे। अगर बेटे को खिलाने के लिए दुनिया में एक बाप भी तैयार नहीं है, मेरे बेटे को मिलावटी नहीं खिलाऊंगा और मिलावट करने के लिए लाखों तैयार हो जाते हैं, मुनाफे के लिए। इसी मिलावट के कारण ही यह बीमारियां बढ़ रही हैं। पहले इतने अस्पताल नहीं थे, इतने मेडिकल कालेज नहीं थे और आज जनसंख्या भी बढ़ रही है, इतनी व्यवस्था

(श्री मदन प्रजापत)

भी हो रही है तो भी यह कम पड़ रही है तो मिलावट के ऊपर मुख्य मंत्रीजी की यह मंशा है, मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी यह प्रयास कर रहे हैं, मैं यह धन्यवाद देता हूं, लेकिन और सख्त जरूरत है। अगर चाहे भाई भी हो, मिलावट और गलत काम करने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, ताकि आने वाला भारत का भविष्य और बीमारियां कम हो सकें। आज यही हालत रही तो आने वाले समय में जीना भी मुश्किल हो जाएगा। बाजार में अपन जो जीवन रक्षक, चाहे वह दवाई हो, चाहे खाने-पीने का सामान खरीदते हैं, उसमें एक जहर के समान अपन पैसा देकर यह लाते हैं। इनके साथ में यह समझौता नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, पुराने हास्पिटल बने आज सैकड़ों साल हो गये, इतनी इमारतें मजबूत हैं, तो क्वालिटी में समझौता नहीं हो। यह चाहे कोई भी हो, अन्य और भी कुछ होते रहें, होते हैं और होते रहेंगे, लेकिन बिल्डिंग है और मेडिकल कालेज है, इसमें समझौता, चाहे यह भवन हो, चाहे डाक्टर बनने में हो, इनके साथ में समझौता नहीं हो। अन्य और भी कई बातें हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं आभार व्यक्त करता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी का। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): मैं दो मिनट में ही समाप्त करता हूं। एक सुना था कि डाक्टर को बैंगलौर और मुम्बई जाना पड़ता है। आज हमें यह खुशी है कि हमारे बेटे डाक्टर तो बन रहे हैं लेकिन डाक्टर बाड़मेर में पैदा हो रहे हैं, बाड़मेर में मेडिकल कालेज चल रहे हैं और हिन्दुस्तान में राजस्थान अग्रणी प्रदेश है, जो मात्र तीन जिलों के अलावा हर जगह पर मेडिकल कालेज खोलने का जो इतिहास अगर किसी ने रचा है तो लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने रचा है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी की मैं तारीफ नहीं करता हूं, लेकिन वह मामूली आदमी नहीं हैं, ऊपर भगवान, ईश्वर ने फ़रिश्ते के रूप में भेजा है, उनके मन में गरीब की सेवा है। दवाई फ्री, जांच फ्री, डिलिवरी का खर्चा फ्री, क्या-क्या नहीं किया है? ऐसा फरिश्ता अपनी किस्मत वालों को राजस्थान की जनता के लिए मिला है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का और मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, बीमारी कोई जाति और पद देखकर नहीं आती है। चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति है, चाहे किसी भी जाति का है

(श्री मदन प्रजापत)

और भेदभाव भले ही हो सकता है, जब जरूरत पड़ती है तो खून किसी का किसी के काम में आता है, उस समय कौन काम आता है? वास्तव में आज यह जो घटना देखी है कि इस कोरोना महामारी के कारण अपन सभी मिलकर, राजस्थान मजबूत बने और राजस्थान में नाममात्र के जब संसाधन थे, आज पूरे प्रदेश में तीन जिलों के अलावा मेडिकल कालेज होना अपने आप में कोई मामूली बात नहीं है और मैं माननीय मंत्रीजी का धन्यवाद करता हूं और यह कहावत भी है कि 'पहला सुख निरोगी काया', आपने हमारे को दिया भी खूब है। चाहे ट्रोमा सेंटर हो, चाहे जिला अस्पताल हो, माननीय सभापति महोदय, अन्य मैं निवेदन करता हूं कि आई.सी.यू., सी.सी.यू., काफी चीजें जो आपने दी हैं, मात्र एक एम्बुलेंस जो पुरानी हो चुकी है और यह जो 104 एम्बुलेंस हमारे बाड़मेर और जैसलमेर का क्षेत्रफल बड़ा है तो उनके अनुरूप दी जाए। जनसंख्या के कारण हमारे 28 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले जिले में पांच हजार किलोमीटर के जिले के बराबर देना मैं उचित नहीं समझता हूं। बाड़मेर और जैसलमेर को रियायत दी जाये और जिला अस्पताल हो गया तो चार पी.एच.सी. चाहे कुड़ी है, चाहे कनाना है, चाहे सिन्नी है, चाहे सराणा है, चाहे बलाऊ है, मैं और लम्बी बात नहीं करते हुए माननीय सभापति महोदय, मैं पुन: आभार व्यक्त करता हूं कि एक तरफ वह मुख्य मंत्रीजी थे, जो जनता की सेवा में लगे हुए थे और दूसरी तरफ नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे। गरीब को गणेश मानकर हमेशा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गरीब के प्रति भावना व्यक्त की है।

अंत में, एक बात कहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान पत्रिका में गुलाब कोठारी जी का लेख छपा कि तिलवाड़ा में 600-700 साल पुराना पशु मेला, जो आज नहीं हो रहा है, गत बार तो कोरोना ज्यादा था और आज अखबारों में भव्य न्यूज आ रही है तो यह तुरन्त शुरू किया जाये। इस बार पत्रिका के मैन पेज में लेख है, इसको सरकार द्वारा चालू किया जाए।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई, चिकित्सा शिक्षा पर माननीय मंत्री महोदय के जवाब देने और मांग संख्या 26 पारित होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: मांग पारित होने तक समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

मांग पारित होने तक समय बढ़ाया गया।

श्री नारायण बेनीवाल।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 26 पर आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, उसके लिए आभार। आज सुबह से ही इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर विभिन्न वक्ताओं ने और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि सबसे पहले पूर्व के चिकित्सा मंत्रीजी से लेकर, डा. जितेन्द्र सिंहजी से लेकर और अनेक ऐसे लोगों ने अपने अच्छे-अच्छे विचार साझा किये, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विचार थे। मैं आपके माध्यम से जो निरोगी राजस्थान का सपना माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, माननीय प्रधान मंत्रीजी ने और हम सब, जो इस सदन में चुनकर आये हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हमारा प्रदेश एक निरोगी प्रदेश कैसे बने, इसको लेकर चिकित्सा शिक्षा में कौन-कौनसे आमूलचूल परिवर्तन हों, जिससे समाज में बैठे अंतिम व्यक्ति तक चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिले। हम प्रदेश को चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर राज्य का दर्जा दिला पाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब कोई मरीज अस्पताल में जाता है तो सबसे बड़ी कमी पैरा मेडिकल स्टाफ की, उसके बाद हम बात करें डाक्टर्स की, सुपर स्पेशलिटी डाक्टर की, प्रोफेसरों की, चूंकि ऐसा कोई चिकित्सा संस्थान नहीं, जिसके अन्दर पूरे पद भरे हुए हों। यह निश्चित रूप से कोई एक सरकार की बात करें तो उचित नहीं होगा। यह कहीं न कहीं अच्छे मैनेजमेंट की जरूर कमी रही, क्योंकि जब यहां बजट के ऊपर चर्चा होती है और पैसों का फिगर जब हम देखते हैं तो हमें यह जरूर लगता है कि आने वाला समय कहीं न कहीं इस विभाग को और बेहतर बनाएगा लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कहीं न कहीं कुशल वित्तीय प्रबन्धन के अभाव में हम लोग उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान में पीजी. स्टूडेण्ट्स की बढ़ती सीटों के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन के अनुसार पर्याप्त मेडिकल टीचर्स की शोर्टेज है।

(श्री नारायण बेनीवाल)

अभी पूर्व के माननीय वक्ताओं ने सारी बातें कहीं। इसके अन्दर हम क्या सुधार कर सकते हैं, वह करें।

मान्यवर महोदय, इसके अलावा जैसाकि हम एक तरफ यू.जी. के स्टूडेण्ट्स, जो एम.बी.बी.एस. करके आते हैं, उनको रोजगार की बात भी करते हैं। आज डाक्टर्स के रिटायरमेंट की बात है, जो राजस्थान में 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी। मेरा यह विशेष रूप से आपसे आग्रह रहेगा, क्योंकि कोरोना काल में अधिकतर जगह देखने को मिला कि 60 वर्ष से ऊपर के जो डाक्टर्स थे, उन्होंने कहीं न कहीं आकर यह अर्जियां भी दीं कि हम इसके अन्दर ढंग से काम नहीं करेंगे। हमारी 60 साल से ऊपर उम्र है तो निश्चित रूप से इनकी रिटायरमेंट की उम्र को 60 वर्ष किया जाये, ताकि नये बच्चों को, जिन्होंने कोरोना के अन्दर जो युवा डाक्टर थे, उन्होंने ईमानदारी से बहुत अच्छा काम किया और जिसके फलस्वरूप आज आप चाहे भीलवाड़ा माडल की बात कर लो या और किसी मॉडल की बात कर लो, लेकिन कोरोना के अन्दर, क्योंकि मुझे भी कोरोना का अनुभव रहा। मैं भी आर.यू.एच.एस. के अन्दर कोरोना काल में भर्ती रहा। मैंने देखा कि सीनियर डाक्टर्स की बजाय जूनियर डाक्टर्स और पैरा मेडिकल का जो स्टाफ था, उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से काम किया और उसी के फलस्वरूप हम इस कोरोना जैसी महामारी पर विजय प्राप्त कर सके। महोदय, मैं आपसे यही मांग करूंगा कि जो उनकी रिटायरमेंट की उम्र है, उसको भी कम किया जाये।

मान्यवर महोदय, आपसे एक निवेदन यह भी करना चाहूंगा कि आने वाले समय में मेडिकल एजुकेशन एवं स्किल्स को ध्यान में रखते हुए राजस्थान मेडिकल एजुकेशन का विदेश में मेडिकल संस्थान के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम में यदि मेडिकल टीचर्स, फैकल्टी को रिफ्रेश कोर्सेज के तहत बाहर भेजें या उनको यहां लायें, इसके लिए कोई ठोस नीति यदि हम बना पायें तो निश्चित रूप से एक-दूसरे के विचारों का, एक-दूसरे की योग्यताओं का हम लोग आदान-प्रदान कर पाएंगे।

मान्यवर महोदय, एक और विषय आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार की आयुष्मान महात्मा गांधी राष्ट्रीय बीमा स्वास्थ्य योजना जो चल रही है, इसमें एडमिट पेशेंट के लिए सभी सुविधाएं फ्री हैं। मरीज का इसमें एक रुपया भी खर्च नहीं हो रहा है, परन्तु वह पेशेंट जब छुट्टी लेकर चला जाएगा और फोलो-अप चैकअप के लिए जब वह वहां

(श्री नारायण बेनीवाल)

आएगा तो निश्चित रूप से उस ओ.पी.डी. में, क्योंकि कई ऐसे रोग हैं, जिनके अन्दर उसको छुट्टी देने के बाद भी निरन्तर उस अस्पताल में जाना पड़ेगा, तो उन सबका जो पैसा ओ.पी.डी. के अन्दर लगे या और कहीं जांचों में खर्च हो तो उस पैसे को भी उस क्लैम में शामिल कराने की यदि हम योजना लागू करें तो निश्चित रूप से गरीब व्यक्ति को इससे बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है।

मान्यवर महोदय, जैसा कि काफी समय से मेडिकल एजुकेशन कैडर की डिमांड हो रही है। पूर्व वक्ताओं ने भी कहा और यह बहुत अच्छी बात है कि जब आप सबसे बड़े पदों पर, जैसे चाहे कमिश्नर का पद हो, चाहे सैक्रेटरी का पद हो, उस पर जैसे मेडिकल केन्द्र के मुखिया डाक्टर हैं, तो उसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। ऐसे ही जो कमिश्नर का पद है या सैक्रेटरी का पद है, इसके ऊपर कहीं न कहीं मेडिकल से जुड़े हुए लोगों को यदि हम उस पद पर बिठाएंगे तो इसके अन्दर एक अच्छा मैसेज भी जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, एक एम.बी.बी.एस. की पढ़ाई की हम बात करें तो मेडिकल कालेज के अन्दर जो बच्चा पढ़कर जाता है, वह बहुत कम फीस के अन्दर डाक्टर बन जाता है। एक बच्चा, जो प्राइवेट कालेज से एम.बी.बी.एस. की डिग्री करके आता है, वह बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है, लेकिन उसके बाद सरकारी मेडिकल कालेज से जो पास-आउट होकर जाता है, उसको यदि आप दूरदराज क्षेत्र में कहीं नौकरी देते हो, तो वह नौकरी छोड़कर चला जाता है। उससे आप ऐसा बाण्ड भरवाइए कि कहीं न कहीं उसका दो साल, चार साल, पांच साल उसका सरकारी सेवा में रहना आवश्यक हो।

माननीय सभापति महोदय, प्रत्येक जिले में हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के नाम से बहुत बड़ी संस्थाएं खुल गयीं तो उनकी भी मानिटरिंग होनी चाहिए कि उन्होंने क्या कोई रिसर्च की? सरकारी सुविधाओं का बहुत बड़ा पैसा भी उनको मिलता है, लेकिन आज तक उसमें कोई रिसर्च हुई क्या? इन सब चीजों के लिए ठोस कार्ययोजना की मैं आपसे मांग करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, नागौर के अन्दर मेडिकल कालेज की बात, वैसे तो सब वक्ताओं ने मेडिकल कालेजों की बात कही है। नागौर के अन्दर भी मेडिकल कालेज की शुरुआत जितनी जल्दी हो सके, आप करवाने का श्रम करावें।

इसके साथ ही, नागौर में जी.एन.एम. कोर्स हेतु महाविद्यालय की घोषणा करें। आप जब भी इसका जवाब दें तो आपसे विशेष आग्रह करूंगा।

(श्री नारायण बेनीवाल)

एक सुपर स्पेशलिटी पदों पर नियुक्ति, एक नर्सिंग कालेजों और निजी मेडिकल कालेजों में अध्यापन करवा रहे लोगों का, मापदण्ड के अनुसार यह लोग इनके पास कोई डिग्रियां हैं कि नहीं, इसका भौतिक सत्यापन भी समय-समय पर करवाएं तो निश्चित रूप से इस शिक्षा में अपन और बेहतर गुणवत्ता ला पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सीय संसाधन बहुत हैं। अभी कोरोना के समय माननीय सांसदों ने, माननीय विधायकों ने कई बडी-बड़ी चीजें विधायक कोटे से या सांसद कोटे से दीं। अभी वेंटिलेटर्स की बहुत बड़ी खेपें आयीं, लेकिन उनको चलाने वाले दक्ष लोग वहां पर हैं या नहीं हैं, तो ऐसे लोगों की भर्ती के लिए भी कोई ठोस कार्ययोजना बनाएं, ताकि जो अरबों रुपये के मेडिकल इक्विपमेंट्स यहां आये हैं, उनका उपयोग हो सके। मैं एक छोटी-सी बात आपको निवेदन करूंगा कि पांचला के अन्दर मैंने विधायक मद से 20 लाख रुपये की एम्बुलैंस दी, लेकिन देने के बाद वह आज तक सी.एच.सी. के अन्दर ही खड़ी है, क्योंकि उसके संचालन के लिए उनके पास बजट नहीं है तो ऐसी जो चीजें हैं, उनके ऊपर कोई न कोई ठोस योजना का मैं आपसे आग्रह करूंगा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

(18.00 बजे)

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आज सबसे बड़ी विकट समस्या जो है, एक तो मनोचिकित्सक, कैंसर स्पेशलिस्ट और गैस्ट्रो, क्योंकि धीरे-धीरे सबसे ज्यादा ये तीनों रोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इनके अन्दर स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है तो मैं आपके माध्यम से यह मांग करूंगा।

श्री सभापति: श्री गिर्राज सिंह।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): और दूसरा अंग प्रत्यारोपण को लेकर ठोस कार्ययोजना बने, लोगों को भी अंगदान के लिए...

श्री सभापति: समाप्त करें, प्लीज विराजिए।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात खतम करूंगा।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। अंकित नहीं होगा। श्री गिर्राज सिंह।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सहयोग करिए, विराजिए आप। विराजिए, विराजिए, प्लीज सहयोग करिए।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 पर बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, कोरोना काल में सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की। मुख्य मंत्री जी ने स्वयं खुद मानिटरिंग की, चिकित्सा मंत्री जी ने खुद मानिटरिंग की और रात के बारह-बारह, एक-एक, दो-दो बजे तक हम लोगों को भी फोन आते थे कि आपके क्षेत्र में कोई समस्या तो नहीं है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है, कोरोना की क्या स्थिति है तो मुख्य मंत्री जी ने इस महामारी को इतनी गम्भीरता से लिया और हमारे विपक्ष वालों ने भी इसमें काफी सहयोग किया है। ऐसी बात नहीं है कि किसी ने इस पर कीचड़ उछाला हो।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री ने जो काम किया, राजस्थान देश में नम्बर वन पर रहा है, प्रधान मंत्री जी ने भी तारीफ की है और बहुत अच्छा काम किया है, मैं मुख्य मंत्री जी को और चिकित्सा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जैसे कि हास्पिटल में कोई समस्या है जनरेटर की, हम लोगों ने पहले भी काफी लिख करके दिया है कि हास्पिटल में जो जनरेटर है, सरकार के पास इतनी व्यवस्था नहीं होती है और इतनी व्यवस्था कर नहीं पाते हैं तो मैं चिकित्सा मंत्री जी से मांग करता हूं कि हास्पिटल में जो जनरेटर की व्यवस्था है, जनरेटर जो हम एम.एल.ए. लैड से पैसे देते हैं तो कोई न कोई ऐसी व्यवस्था आ जाती है कि हास्पिटल में जनरेटर नहीं लग पाते हैं तो हास्पिटल में लाइट नहीं आती है। वह समस्या रहती है तो, सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि कोई एक ऐसा आदेश निकलवा दें कि जनरेटर हमारे हास्पिटल में हम अपने एम.एल.ए. लैड से उपलब्ध कराएं या सरकार द्वारा हमें उपलब्ध कराएं। नीचे की व्यवस्था तो हो जाती है, पर इतना बजट नहीं होता है, कोई 10 लाख का आता है, कोई 15 लाख का आता है, कोई 20 लाख का आता है, तो ऐसा कोई अपने यहां से एक आदेश निकालें कि हमारे हास्पिटल में हम एक जनरेटर देना चाहते हैं, वह जनरेटर की व्यवस्था हो जाए।

(श्री गिर्राज सिंह)

सभापति महोदय, हमारे यहां बाड़ी में बैड की कमी रहती है, 200 बैड का हास्पिटल है, मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि वह 300 बैड का किया जाए, जनसंख्या को देखते हुए काफी कम बैड हैं। एक, सभापति महोदय, मेरे सैंपऊ के अन्दर 100 बैड का हास्पिटल किया जाए। एक बसई नवाब में 50 बैड का हास्पिटल कर दिया जाए। ये छोटी-छोटी मांगें हैं, कोई ज्यादा बड़ी मांगें नहीं हैं।

सभापति महोदय, हमने एक ट्रोमा सेन्टर की मांग की है कि वहां पर आये दिन एक्सीडेंट होते हैं तो समस्या आती है। एक ब्लड बैंक की बात है, थोड़ी सी वह भी मदद हो जाए। आये दिन रोजाना एक्सीडेंट होते हैं तो हमें ब्लड के कारण बहुत समस्या है। हमारे वहां बाड़ी में ब्लड बैंक नहीं है तो मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि आज कुछ न कुछ एकाध-दो घोषणा तो करें, जो पेपर मेरे पास है वह मैं आपको अभी उपलब्ध करा दूंगा। सभापति महोदय, नेशनल हाईवे बन गया है तो ऐसा कोई दिन नहीं है कि वहां पर बाड़ी में रोजाना दो एक्सीडेंट नहीं होते हों, तो इसके कारण वहां एक ब्लड बैंक करा दें।

एक जो कलर सोनोग्राफी मशीन है, तो कलर सोनोग्राफी की व्यवस्था करा दें। हमारे यहां अभी आपने कोई एक भिजवायी थी, वह भी पुरानी है। आपने कोई 17-18 साल पुरानी मशीन भिजवाई है। वह काम भी नहीं करती है और लोग उसको चलाना भी नहीं जानते, उस जमाने के लोग नहीं हैं, वे रिटायर हो चुके हैं। जो नये वाले हैं, वे नये वाले अभी उसको समझ नहीं पाते, वह बार-बार खराब हो जाती है, तो एक नई मशीन आप दिलवाएं। मैं पहले भी आपसे व्यक्तिगत आपके घर पर भी मिलकर आपको लिखकर देकर आया हूं, आज मुझे उम्मीद है कि आज आप घोषणा करेंगे। समय कम है तो मैं आपका ज्यादा समय भी गंवाना नहीं चाहता हूं। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोविन्द प्रसाद (अनुपस्थित)। श्री बलवीर सिंह लूथरा।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं उन सभी कोरोना वारियर्स को इस सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किये बिना अपनी अमूल्य सेवाएं दीं।

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

माननीय सभापति महोदय, श्रीगंगानगर जिले में घोषित जिला अस्पताल का उद्घाटन कांग्रेस सरकार के पिछले शासन काल में तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने किया था, मगर गंगानगर जिले के अस्पताल का निर्माण आज तक शुरू नहीं किया गया। बड़े अफसोस की बात है कि निर्माण शुरू नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिला हास्पिटल की घोषणा तो 2013 में की कर दी, लेकिन निर्माण शुरू नहीं हुआ और इसमें अभी तक मेरे ख्याल में टेंडर भी जारी नहीं हुए। आपकी इस सरकार को करीब ढाई साल हो गये हैं, निर्माण कार्य के टेंडर भी जारी नहीं हुए हैं। दूसरी बात, जिला मुख्यालय पर जी.एन.एम. हॉस्टल है, पर जी.एन.एम. हॉस्टल का भवन नहीं है और यह जी.एन.एम. की क्लासें कहां लगती हैं, हॉस्टल में लगती हैं या कहीं अन्यत्र लगती हैं, मैं आपसे मांग करता हूं कि गंगानगर मुख्यालय पर जीएन.एम. हॉस्टल बनाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, पिछले 2 वर्षों से मैं मेरे रायसिंहनगर में ट्रोमा सेंटर की मांग कर रहा हूं। अभी हमारे क्षेत्र में भारतमाला सड़क का निर्माण चल रहा है और रायसिंहनगर से वाया समेजा, अनूपगढ़, घड़साना, रावला यह भारतमाला सड़क जा रही है। भारतमाला सड़क के तहत भी ट्रोमा सेंटर का निर्माण होना प्रस्तावित है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि रायसिंहनगर में ट्रोमा सेंटर स्थापित किया जाए।

रायसिंहनगर में शहीद बीरबल स्मारक के पास दो बीघा खाली भूमि पड़ी है, उसमें मातृ एवं शिशु, मदर एण्ड चाइल्ड स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाए, क्योंकि राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अलग से प्रसूता वार्ड नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन जर्जर अवस्था में है और यहां लगे चिकित्सकीय उपकरण भी सब खराब पड़े हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन है, किन्तु उसको चलाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ डाक्टर नहीं है। चिकित्सकों के 11 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से वहां 8 कार्यरत हैं और 8 में से भी तीन जो विशेषज्ञ हैं, एक गायनिक है, एक शिशु रोग विशेषज्ञ है और एक एनेस्थीसिया विशेषज्ञ है, वह सारे के सारे उच्च शिक्षा के लिए कहीं अन्यत्र प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।

यही हाल मेरे विजयनगर सी.एच.सी. का है। वहां भी डाक्टर्स के 8 पद स्वीकृत हैं और वहां चार डाक्टर ही काम कर रहे हैं और कोई भी विशेषज्ञ

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

डाक्टर हमारे विजयनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नहीं हैं। एक्स-रे मशीन भी खराब पड़ी है।

हमारे क्षेत्र में जिला मुख्यालय के अलावा कहीं भी ए.एन.एम. नर्सिंग कालेज नहीं है, श्री विजयनगर में ए.एन.एम. नर्सिंग कालेज के आर.सी.पी. कालोनी में पर्याप्त जगह उपलब्ध है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि विजयनगर में ए.एन.एम. नर्सिंग कालेज खोला जाए।

एलोपैथी के साथ-साथ आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथी को बढ़ावा दिया जाए एवं सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इन चिकित्सकों की सीटें बढ़ाई जाएं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में समेजा एक बड़ा गांव है, यहां पूर्व में पी.एच.सी. थी। सभापति महोदय, मंत्री जी विराजमान हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी ही कांग्रेस सरकार के शासन काल में वर्ष 2013 में इसको सी.एच.सी. के लिए क्रमोन्नत किया गया था। पी.एच.सी. की जगह बहुत कम थी और उसको सिर्फ क्रमोन्नत कर दिया। आज की डेट में न तो वहां कोई सुविधा है, न कोई डाक्टर है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि समेजा जो बड़ा गांव है, उसके बीचों-बीच भारतमाला सड़क जा रही है और वहां दो बीघा नहरी भूमि पड़ी है। वहां सी.एच.सी. का बढ़िया भवन निर्माण कर वहां अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त हास्पिटल खोला जाए।

जन-जन को निरोगी रखने के लिए योग शिक्षा भी शुरू की जाए एवं प्राचीन चिकित्सा पद्धति शुरू की जाए। हमारे भारत देश में ऐसी कई जड़ी-बूटियां उपलब्ध हैं, जो कि जटिल से जटिल बीमारियों को जड़ से खतम करने की क्षमता रखती हैं, ऐसी जड़ी-बूटियों पर भी रिसर्च होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अंत में, मैं सरकार से मांग करता हूं कि रायसिंहनगर में ट्रोमा सेंटर खोला जाए। श्रीविजयनगर में ए.एन.एम. नर्सिंग खोला जाए। वहां समेजा सी.एच.सी. को अत्याधुनिक माडल हास्पिटल बनाया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती इन्द्रा।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं चिकित्सा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि वैश्विक महामारी कोविड-19 में अपने सुप्रबन्ध से राजस्थान की जनता का

(श्रीमती इन्द्रा)

ध्यान रखा। यही कारण रहा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी राजस्थान के मुख्य मंत्री के कार्यों को सराहा एवं इनकी तारीफ विश्व पटल पर की है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में बहुत अधिक संख्या में राजकीय चिकित्सालयों को पी.पी.पी. मोड पर दे रखा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुकार और गुर्जर बड़ौदा ऐसे हैं, इनको पी.पी.पी. मोड पर कर रखा है। पिछली बार भी सदन में मैंने कई बार इन मुद्दों को उठाया लेकिन हर बार टेंडर उनको ही हो जाता है। उनमें न तो डाक्टर होते हैं और न ही वहां की व्यवस्थाएं ठीक होती हैं। मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगी कि ऐसे जो केन्द्र पीपी.पी. मोड पर दे रखे हैं, इनको किसी अन्य एजेंसी को दिया जाए या सरकार इनको अपने अधीन करके इनकी व्यवस्थाएं ठीक करे।

इसके अलावा सुकार मेरे यहां एक ऐसा एरिया है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, वह भी पी.पी.पी. मोड पर है। मैं चाहूंगी कि उसको पी.एच.सी. से सी.एच.सी. में क्रमोन्नत किया जाए। उसको सरकार के अधीन करके अच्छे चिकित्सक और व्यवस्थाओं का ध्यान दिया जाए, ताकि वहां की जनता को उसका लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा कर्मियों की सबसे बड़ी समस्या निवास की भी होती है। बामनवास में जो क्वार्टर्स हैं, वे जीर्ण-शीर्ण हो चुके हैं। कई स्वास्थ्य केन्द्रों पर रहने की जगह नहीं होने के कारण से डाक्टर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनको दूर रहना पड़ता है। रात को जब विशेष परिस्थितियों में मरीज आते हैं तो उनकी ठीक से देखभाल नहीं हो पाती है और डाक्टर समय पर नहीं मिल पाते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि इसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जाए ताकि सब जगह इनके क्वार्टर्स और रहने की व्यवस्था हो सके।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में कई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं, जिनको बने हुए 20-25 वर्ष हो गये हैं। इनकी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। वह खण्डहर हो चुके हैं। इनकी मरम्मत कराई जाए या फिर इनके स्थान पर नये भवनों का निर्माण कराया जाए। यह प्रत्येक ग्राम पंचायत लेवल पर या गांवों में करें, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य की सबको अति आवश्यकता है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी यही कहा है कि 'पहला सुख निरोगी काया'। इस पहले सुख को हमें

(श्रीमती इन्द्रा)

जनता को देना है। इसके लिए हमें इन चीजों को देखना होगा। गांवों के स्तर पर जो चिकित्सा व्यवस्था है, उसको ठीक करना होगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मुफ्त जांच की व्यवस्था है। इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर जांच की मशीनों को सही करने का समस्त प्रदेश का टेंडर के.पी.टी.एल. कम्पनी को दिया गया है। जब भी कोई मशीन खराब हो जाती है तो कम्पनी वाले जाते हैं और उसको ठीक नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि यह मशीन पूरी तरह से खराब हो चुकी है, ठीक नहीं हो पाएगी। इसकी जगह दूसरी मशीन लाई जाए। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि इस प्रकरण को ठीक से दिखवाया जाए। हर मशीन को थोड़ी-सी खराब होने पर उसको बदलने के लिए कहा जाता है। बदलने में आप समझते हो कि कितना समय लगता है। इससे वहां अव्यवस्थाएं होती रहती हैं। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, कोरोना काल में चिकित्सा कर्मियों द्वारा जो कार्य किया गया, वह पूरी दुनिया ने देखा। चिकित्सा कर्मियों ने कई महीनों तक अपने परिवार से दूर रहकर के जनता की सेवा की जो कि सराहनीय कार्य रहा लेकिन कुछ खाद्य निरीक्षकों द्वारा भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय, इन पर सख्ती बरती जाए और इनकी जांच करें।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बामनवास में जितनी भी डाक्टर्स की पोस्टें खाली थीं, सारी भर दी हैं, लेकिन हमारे यहां 66 पद ए.एन.एम. के स्वीकृत हैं और उनमें से सिर्फ 20 पद खाली हैं। अगर वे भी भर दिये जाएं तो आपकी अति कृपा होगी।

माननीय सभापति महोदय, बजट घोषणा 2020-21 में स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरनाला एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नारौली, पिपलाई, झार्रा के भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत करने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगी। विधान सभा क्षेत्र बामनवास में ग्राम पीपलाई और पीलू खेड़ा में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने के लिए मैं मांग करना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि जसटाना गांव जयपुर-लालसोट-सवाई माधोपुर हाईवे पर पड़ता है जहां आए दिन भयंकर एक्सीडेंट होते रहते हैं। वहां एक ट्रोमा सेंटर की अति आवश्यकता है। यह मेरी मांग मंत्री महोदय स्वीकार करें और वहां एक ट्रोमा सेंटर की घोषणा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके समक्ष यह कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो असुविधाएं हो रही हैं, वे काफी अधिक परेशानी वाली हैं। (व्यवधान)

गोविन्द राम नहीं, गोविन्द प्रसाद बोला इसलिए बोल रहा हूं।

श्री सभापति: गोविन्द प्रसाद।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): मैंने नाम नहीं लिखाया था लेकिन हो सकता है कि नाम लिख दिया हो।

एक माननीय सदस्य: पूरी तैयारी नहीं है।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रधान मंत्री जी द्वारा कोविड-19 में सराहनीय कार्य किये गये हैं। इसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कई मेडिकल कालेज खोले हैं। राजस्थान में भी उन्होंने 7 मेडिकल कालेज खोले हैं। जो 15 नये मेडिकल कालेज खोले हैं, राज्य सरकार द्वारा आज तक उनकी क्रियान्विति नहीं की गयी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं। इस सरकार को ढाई साल हो गये हैं, लेकिन कई पी.एच.सी. ऐसी हैं, जहां रोजाना हजारों लोग आते हैं। मैं ढाई साल से मांग कर रहा हूं। यह तीसरा बजट है, लेकिन आज तक भी उन पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत नहीं किया गया है। एक भी पी.एच.सी. और एक भी उप स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत नहीं किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां जावर में 20 साल पुरानी पी.एच.सी. है। उसमें आम जनता को काफी परेशानी होती है तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जावर, बालता, सलडा और घाटोली पी.एच.सी. को क्रमोन्नत किया जाए, ताकि वहां की जनता को राहत मिल सके। ल्हास और कोली खेड़ी कलां के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जाए। पठारी क्षेत्र में एक गांव है भोजपुर, जो टोडरी जगन्नाथ ग्राम पंचायत का गांव है। वह आखिरी सीमा पर है, एम.पी. सीमा पर, वहां पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाए। मेरा स्वयं का गांव है एम.एल.ए. का, रानीपुरा, उसमें उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाए। स्वास्थ्य

(श्री गोविन्द प्रसाद)

सेवाओं के तहत मैंने आपसे मांग की है। मैं चिकित्सा मंत्रीजी से मांग करता हूं कि इन पर ध्यान दिया जाए और तुरन्त प्रभाव से स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में और उप स्वास्थ्य केन्द्र को पी.एच.सी. में क्रमोन्नत करें और नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलें, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। यही मैं आपसे निवेदन करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री संदीप कुमार।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 26 पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, पिछले कार्यकाल में राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्रीजी द्वारा अलवर में मेडिकल कालेज मंजूर हुआ था, जिसको पिछली सरकार के समय में निरस्त कर दिया गया था, उसको वापस मंजूर कर दिया गया है, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का मैं धन्यवाद करता हूं, लेकिन जमीन अलाट होने के बाद भी वहां पर कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर मेडिकल कालेज का काम जल्दी से जल्दी प्रारम्भ किया जाए, ताकि अलवर के विद्यार्थियों और बाकी लोगों को सुविधा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पूरे बजट में राजस्थान प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर मेडिकल कालेज खोलने का काम शुरू किया है। उससे प्रदेश के लोगों को राहत मिलेगी और हास्पिटल में डाक्टर और चिकित्सा कर्मचारियों की जो कमी रही है, उस कमी की पूर्ति होगी और साथ ही डाक्टर्स, प्रोफेसर्स और विशेषज्ञ प्रदेश को मिल पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, अलवर बड़ा जिला है जिसमें 11 विधान सभा क्षेत्र आते हैं। मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि अलवर जिले में जो मेडिकल कालेज खोलने की मांग है, हमारे भिवाड़ी में पुलिस जिला भी है, जिला स्तर के सभी आफिसेज हैं, करीब ढाई लाख की आबादी का शहर है, तो मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि भिवाड़ी में अलग से एक मेडिकल कालेज खोला जाए। तिजारा में अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा जो बिल्डिंग बनी हुई है, उसका उद्घाटन भी माननीय मुख्य मंत्रीजी और आपके द्वारा कर दिया

(श्री संदीप कुमार)

गया है, पर उसमें अभी तक नर्सिंग कालेज चालू नहीं हुआ है, तो मेरा निवेदन है कि जो भवन बनकर तैयार है, वहां पर नर्सिंग कालेज प्रारम्भ किया जाए। इसके अलावा, वहां पर बहुत सारी फार्मेसी कम्पनियां भी हैं, तो वहां पर फार्मेसी कालेज खोला जाए। माननीय मंत्रीजी से निवेदन है, मेरी मेडिकल डिपार्टमेंट की मांग है कि हमारे तिजारा में 2013 में माननीय मुख्य मंत्रीजी की बजट घोषणा में तिजारा के हास्पिटल को 50 बैड से 100 बैड कर दिया गया था, पर वह अभी तक 50 बैड ही चल रहा है। नर्सिंगकर्मी लगा दिये, डाक्टर अभी उसमें नहीं लगे हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि तिजारा हास्पिटल को 100 बैड का हास्पिटल किया जाए। भिवाड़ी में हमारे जिला हास्पिटल खोला जाए। भिवाड़ी की आबादी को देखते हुए वहां पर जिला हास्पिटल की आवश्यकता है। इसके अलावा वहां पर ट्रोमा सेंटर की जमीन अलाट नहीं हो पाई है। पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ट्रोमा सेंटर की घोषणा की थी। वहां पर ट्रोमा सेंटर के लिए ऐसी कोई सरकारी जमीन नहीं है। हमारे यहां सारी सरकारी जमीन Bhiwadi Integrated Development Authority (BIDA) के अंडर आती है और बीडा की ऐसी कोई जमीन नहीं है, जहां पर ट्रोमा सेंटर खोला जा सके। माननीय मंत्रीजी, आपसे निवेदन है कि हाउसिंग बोर्ड या रीको से हमारे वहां हाईवे से नजदीक कोई जमीन अलाट कराएं, ताकि हमारा ट्रोमा सेंटर चालू हो सके।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां कई संस्थाओं द्वारा अलग-अलग जगह एम्बुलैंस डोनेट की गयी हैं, भिवाड़ी में कई एम्बुलैंस हैं, लेकिन ड्राइवर नहीं होने के कारण इमर्जेंसी में दिक्कत होती है। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि एम्बुलैंस ड्राइवर नहीं है तो उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो कि जब जरूरत पड़े तो ड्राइवर की वहां पर उपलब्धता हो।

हमारे यहां पर सोनोग्राफी मशीन लगी हुई है, वह लगातार छह साल से बंद पड़ी है तो कोई सोनोलोजिस्ट वहां पर लगाया जाए या किसी और डाक्टर को ट्रैनिंग देकर वह मशीन चालू की जाए, ताकि वहां के स्थानीय लोगों को सुविधा मिले। भिवाड़ी में ब्लड बैंक की भी आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो ईएस.आई. हास्पिटल है, भिवाड़ी में बड़ी आबादी है और ओ.पी.डी. भी काफी अच्छी संख्या में है। इमर्जेंसी के समय हमें बाकी जगह, गुरुग्राम भागना पड़ता है। प्राइवेट हास्पिटल में वहां काफी

(श्री संदीप कुमार)

कॉस्टली ट्रीटमेंट है। मेरा निवेदन है कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार भेजे कि ई.एस.आई. हास्पिटल में इमर्जेंसी में तो कम से कम मरीजों को उसमें भर्ती करा दिया जाए। वहां सुविधा है तो हम दूसरे राज्यों में क्यों जाएं? ई.एस.आई. हास्पिटल में कोई इमर्जेंसी ब्लाक बने, जिसमें इमर्जेंसी के मरीजों को वहां पर लिया जाए, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, रात्रि के समय में आन काल डाक्टर की व्यवस्था की गयी है। इसमें बड़ी लापरवाही होती है, ऐसा मैंने कई बार अनुभव वहां किया है। नर्सिंगकर्मी तुरन्त देखते ही पेशेंट को रैफर कर देते हैं दूसरी जगह के लिए, जिला हास्पिटल या बाकी जगह के लिए। मेरा निवेदन है कि कम से कम रात्रि में एक डाक्टर तो वहां पर उपलब्ध हो, जो मरीज को देख सके और उसका ट्रीटमेंट हो सके।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री पुखराज।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।

माननीय सभापति महोदय, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, जिसमें सदन के अन्दर बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अच्छे-अच्छे सुझाव दिये हैं। आपने जैसी घोषणा की है, 'पहला सुख निरोगी काया', निरोगी राजस्थान की परिकल्पना करते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, जिनमें मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना, मुख्य मंत्री नि:शुल्क जांच योजना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये सारी योजनाएं, सरकार जिस अवधारणा पर काम कर रही है कि निरोगी राजस्थान और पहला सुख निरोगी काया के लिए की गयी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे भोपालगढ़ सी.एच.सी. के अन्दर 35 प्रकार की नि:शुल्क जांचें होती थीं, लेकिन अभी बजट के अभाव में सिर्फ 15 जांचें ही हो पा रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भोपालगढ़ सी.एच.सी. के लिए जो 35 जांचों के लिए जिस बजट की जरूरत है, वह तुरन्त प्रभाव से व्यवस्था करें, ताकि दूरदराज के गांव और

(श्री पुखराज)

ढाणी में बैठे लोगों को मुख्य मंत्री निःशुल्क जांच और दवा की योजना है, उसका फायदा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि भोपालगढ़ सीएच.सी. के अन्दर जैसा माननीय मंत्रीजी ने अपने जवाब में बताया था, वह 100 बैड की संचालित है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर 100 बैड के हिसाब से डाक्टर और नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति करें। साथ ही दूसरे भी संसाधन वहां उसी हिसाब से अवेलेबल करवाएं। अभी भोपालगढ़ सी.एच.सी. के अन्दर जनरेटर भी बजट के अभाव में बंद पड़ा है, मैं समझता हूं कि इस तरह की व्यवस्था का होना, जिस अवधारणा से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणाएं की हैं, वह ग्रामीण क्षेत्र में पूरी नहीं हो पा रही हैं, इन अवधारणाओं को पूरा करने के लिए या धरातल पर उतारने के लिए पी.एच.सी. और सी.एच.सी. के अन्दर खाली पदों को तुरन्त प्रभाव से भरा जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बनाड़ सीएच.सी. है, जिससे कि तीन नेशनल हाईवे जुड़ते हैं। नेशनल हाईवे पर जितनी भी कैजुअल्टीज और एक्सीडेंट्स होते हैं, वे पहले बनाड़ सी.एच.सी. में आने के बाद आगे जोधपुर और दूसरे हास्पिटल में शिफ्ट होते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, बनाड़ सी.एच.सी. को जिला अस्पताल का दर्जा दिया जाए। साथ ही सालवा कलां को पी.एच.सी. से सी.एच.सी. में क्रमोन्नत किया जाए। बुड़किया, रजलानी, गरासनी, खारिया खंगार सब-सेंटर्स को पी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करता हूं।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बावड़ी सी.एच.सी. जोधपुर-नागौर नेशनल हाईवे पर स्थित है और उस हाईवे पर मोस्टली बहुत ज्यादा कैजुअल्टीज और एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बावड़ी में ट्रोमा सेंटर खोलने की कृपा करें और साथ ही उसमें जो स्टाफ की कमी है, उसको भी भरने की घोषणा करें। भोपालगढ़ सी.एच.सी. में पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने ट्रोमा सेंटर की घोषणा की थी तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उस घोषणा को भी अमलीजामा पहनाने के लिए उसमें बजट दें और जल्द ही ट्रोमा सेंटर का काम चालू कराएं।

(श्री पुखराज)

लास्ट में मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि भोपालगढ़ कस्बा और सी.एच.सी. जोधपुर से 80-90 किलोमीटर दूर है और वहां ग्रामीण क्षेत्र के नजदीक में किसी तरह की और कोई सुविधा ग्रामीण लोगों को नहीं है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि भोपालगढ़ में एक नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा करें। यह मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): माननीय सभापति महोदय, आपने चिकित्सा शिक्षा एवं लोक स्वास्थ्य पर बोलने का मुझे अवसर दिया, मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगा, जब हम सरकारी नौकरी में थे और लोक सभा और विधान सभा की कार्यवाही टीवी पर देखते थे तो यह महसूस होता था और अधिकारियों में भी यह खौफ होता था कि विधान सभा और लोक सभा में यदि कोई भी मुद्दा उठाया जाएगा तो उस अधिकारी की शामत आ जाएगी, अगर मुद्दा सही ढंग से, प्रभावी ढंग से उठता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय, पूरे मंत्रिमण्डल के साथी, सभी विधायकगण, अध्यक्ष साहब और सभी से यह निवेदन करना चाहता हूं, जब भी कोई विधायक कोई मुद्दा उठाता है और वह प्रभावी है तथा वास्तव में जांच के काबिल है और जांच में गलत पाया जाता है तो मैं सदन के माध्यम से यह अनुरोध करूंगा कि उस पर ठोस कार्यवाही होनी चाहिए, जिससे कि विधायक का मान-सम्मान बचा रहे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस विश्व में कोई भी काम असम्भव नहीं है। यदि आदमी की इच्छा शक्ति हो, दृढ़ निश्चय हो, कर्तव्यनिष्ठा हो तो कोई भी काम असम्भव नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे जैसा अदना-सा आदमी भारत सरकार में नौकरी करने के बाद राजनीति में आये और उसके बाद बड़े से बड़े नेता को हराकर दूसरी बार विधायक बन जाए, मैं समझता हूं कोई भी काम असम्भव नहीं है। मैं राजस्थान के आदरणीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी के लिए निवेदन करना चाहता हूं, काम करने की शुरुआत और ललक व्यक्ति को शिखर तक ले जाती है। चाहे मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना हो या मुख्य

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

मंत्री नि:शुल्क जांच योजना, ये दो योजनाएं उन्होंने ऐसी चलायीं, जो गरीब के हितों को ध्यान में रखते हुए उसका इलाज मुफ्त में करने की बात करती थीं। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं।

साथ ही निवेदन करना चाहता हूं, चिकित्सा शिक्षा पर हमें ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। आज पूरे भारत के वैज्ञानिकों ने ताकत लगा दी। लगभग एक साल में हम कोरोना का टीका बना पाये हैं। यह टीका तीन महीने में बनना चाहिए था। जिस तरह से रिसर्च होनी चाहिए थी, जिस तरह से शिक्षा पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी, वह हम नहीं दे पाये। मैं भारत सरकार और राजस्थान सरकार से यह निवेदन करूंगा कि चिकित्सा की रिसर्च की बात हो या शिक्षा की बात हो, इस पर हम सबको मिल-जुलकर एक ऐसी नीति बनानी चाहिए, जिससे हमारे चिकित्सा अधिकारियों और वैज्ञानिकों के काम सफलतापूर्वक हो सकें।

साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहला लॉकडाउन 22 मार्च को राजस्थान सरकार ने किया और 24 मार्च को भारत सरकार ने किया। उस समय भारत सरकार ने आदेश जरूर दिया था, लेकिन राज्य सरकारों को उसकी पालना करनी थी और राज्य सरकारों के लिए संकट ज्यादा था। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत में काम करने की ललक और शुरुआत को शिखर तक ले जाने की चिंता थी। राजस्थान की 8 करोड़ जनता की चिकित्सा और स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाए, उसमें कंधे से कंधा मिलाकर आदरणीय रघु शर्मा जी और मंत्रिमण्डल के सभी साथियों ने जो शानदार और जानदार काम किया, उसके लिए मैं उन सभी को बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं।

साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरी सी.एच.सी. महवा में, मैं जब विधायक बना था तो वहां की ओ.पी.डी. 54 हजार थी, आज वहां की ओ.पी.डी. 2 लाख 80 हजार है। वह 30 से 50 बैड हुई, पिछले 2020-21 की बजट घोषणा में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उसके लिए 100 बैड की घोषणा की थी। आदरणीय रघु शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि उसके लिए अभी आपने 75 बैड का आदेश निकाला है, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा, उसे 100 बैड का करने के आदेश दें। साथ ही साथ, उसे उप जिला अस्पताल बनाने की घोषणा करेंगे तो लोगों को अच्छी राहत मिलेगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे जिले में ही नहीं, पूरे राजस्थान में

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

पहली सी.एच.सी. है जहां हमारे चिकित्सा अधिकारी और नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ ने मिलकर 600 कोरोना पॉजीटिव लोगों का सफलतापूर्वक इलाज करके उनकी जान बचाने का काम किया है। मैं चिकित्सा विभाग की पूरी टीम को, चाहे डाक्टर्स हों, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे ए.एन.एम्स. हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, सभी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे बहुत कुछ मिला है, चाहे पिछली सरकार हो या यह सरकार हो, हर बार मुझे बजट में मिलता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो सी.एच.सी. है, उसमें सोमवार से लेकर रविवार तक हर दिन अलग रंग की बैडशीट बिछती है। इससे जो एक बेईमानी थी, 25 रुपये प्रति चद्दर की धुलाई की, वह खतम हो गयी और मरीज अपने आप नये कलर की बैडशीट हर दिन मांग लेता है। मैं आग्रह करूंगा कि इस योजना को पूरे प्रदेश स्तर पर लागू किया जाए तो बहुत बेहतर साबित होगी।

साथ ही साथ जो पेशेंट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, होता क्या है कि विधायक की मां गयी, उसका पिता गया, उसका भाई गया, प्रधान का पिता गया, वे फ्री में इलाज कराते हैं और डाक्टर को फीस नहीं देते। फीस का मतलब 20 रुपये इमर्जेंसी में और 10 रुपये नार्मल कोर्स में। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में रजिस्टर ऑनलाइन हों। बात 10 रुपये की नहीं है, बात सिद्वांत की है। चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, उसे सरकारी फीस के आधार पर इलाज कराना चाहिए।

आज हर जिला मुख्यालय पर नर्सिंग कालेज खोलने का राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो निर्णय लिया है, वह तारीफ के काबिल है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां दो सीएच.सी. मेरे आग्रह पर बैजूपाड़ा और बालाहेड़ी आपने खोली हैं। उन दोनों के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और लोटवाड़ा में जो पीएच.सी. है, उसे सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं तथा हिंगोटा और हुड़ला गांव दोनों में आबादी के आधार पर पी.एच.सी. खोलने की मांग करता हूं। अंत में, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, जो एन.एस.एफ. एक्ट 2013 में आया था, उसमें 69 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में और 53 परसेंट शहरी क्षेत्र में, वह पोर्टल कोरोना लॉकडाउन के बाद बंद कर दिया

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

गया है। बहुत सारे लोग, चाहे कैंसर से पीड़ित हों या हार्ट अटैक से, मैं पूरे सदन के माध्यम से विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि वे गरीब लोग दस्दर भटक रहे हैं। उस पोर्टल को जल्द से जल्द चालू कराया जाए, जिससे गरीब लोगों का इलाज समय पर हो सके। साथ ही साथ मण्डावर सी.एच.सी. को 30 से 50 बैड करने की कृपा करें। आदरणीय रघु शर्मा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस लॉकडाउन में आपने शानदार और जानदार काम किया, बहुत-बहुत बधाई। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): धन्यवाद, सभापति महोदय। आज मांग संख्या 26 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

चिकित्सा व्यवस्था को लेकर सभी सदस्यों ने अपने-अपने वक्तव्य दिये। मैं मेरी ओर से डूंगरपुर जिले में जो चिकित्सा व्यवस्था बनी हुई है, उसमें हमारे पिछले दो बजटों में, 2019-20 के बजट में मेडिकल कालेज की स्थापना हुई थी और पूरे डूंगरपुर के लोगों ने खुशी जाहिर की थी कि डूंगरपुर को मेडिकल कालेज मिला है और स्वास्थ्य सम्बन्धी जो समस्या आ रही है, उसका कहीं न कहीं उससे निस्तारण होगा लेकिन मेडिकल कालेज होने के बाद डूंगरपुर का जो हरिदेव जोशी चिकित्सालय था, उसकी व्यवस्था भी सुधरने के बजाय कुछ हद तक दिनों-दिन बिगड़ती जा रही है। वहां पर जो स्टाफ है, उसके द्वारा जो राजनीति की जा रही है और वे लोग कहीं न कहीं पोलिटिकल लीडर्स के माध्यम से वहां जोइनिंग ले लेते हैं पर वे लोगों को बैनिफिट नहीं दे पाते हैं। अभी हाल ही कल न्यूजपेपर में छपा था कि वहां पर जो फ्री में जितनी जांचें की जा रही हैं और जो दवाइयां फ्री में देनी चाहिए, वे वहां पर नहीं मिल रही हैं और लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है कि प्राइवेट जो बाहर क्लिनिक हैं, उन क्लिनिकों पर जाकर पैसे देकर दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र आता है और सारे ए.पी.एल., बी.पी.एल. परिवार से आते हैं तथा कहीं न कहीं गरीब परिवार से हैं, लेकिन वहां पर ऐसा सिस्टम बना रखा है कि उस सिस्टम के तहत....

श्री सभापति: आपस में वार्ता नहीं।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): फ्री में जो दवाइयां मिलनी चाहिए, फ्री में जो जांचें होनी चाहिए, वे फ्री में नहीं हो रही हैं और कहीं न कहीं उसमें भ्रष्टाचार झलक रहा है। पिछली बार यह भी हुआ था कि कई बड़ी मशीनें थीं,

(श्री राजकुमार रोत)

वे मशीनें खराब थीं और हमारे पोलिटिकल लीडर्स द्वारा उसका उद्घाटन भी करा दिया गया था। माननीय सभापति महोदय, मेडिकल कालेज में अस्थायी कर्मचारी यू.टी.बी. लगे हुए हैं और वे लगभग सारे डूंगरपुर जिले के हैं, लेकिन उन कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वे वहां पर प्राइवेट जाब कर रहे हैं। वे छोड़ने के लिए मजबूर हैं। वहां पर 6 से 7 महीने से सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। उनकी स्थिति इतनी खराब है कि वे कहीं न कहीं गरीब परिवार से आते हैं और वहां पर प्राइवेट जाब कर रहे हैं, पर 6 से 7 महीने हो गये, पर उनका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, डूंगरपुर जिले के अधिकतर लोग अपना इलाज कराने के लिए गुजरात जाते हैं। वहां पर हीमोग्लोबिन अधिकतर महिलाओं में देखा जाए तो 7-8 है और वे लोग गुजरात जाते हैं। मतलब राजस्थान का जो सिस्टम है, हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था है, उस पर उन लोगों को कहीं न कहीं भरोसा नहीं है, क्योंकि हम लोग उसके अनुरूप सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। हमारे एक पी.एच.सी. है, डूंगरसारण, वह गुजरात बोर्डर पर है और वहां पर कुछ भी होता है तो उनको गुजरात में रैफर कर दिया जाता है। बोर्डर के आसपास जितनी पी.एच.सी., सी.एच.सी. हैं, उन सभी पी.एच.सी., सी.एच.सी. में डाक्टर, स्टाफ लगा हुआ है और गुजरात में जो प्राइवेट हास्पिटल चलते हैं, उनका कांटेक्ट रहता है और वे लोग यहां से सीधे उस हास्पिटल और वहां के डाक्टर का नाम लिखकर उनको रैफर कर देते हैं। यह जो भ्रष्टाचार चल रहा है, इसको बन्द कराया जाए।

माननीय सभापति महोदय, हमारे इलाके में फ्लोराइडयुक्त पानी रहता है और जो छोटा बच्चा होता है वह पांच-छह साल का हो जाए, तब से उसके दांतों में दिक्कत आना शुरू हो जाती है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि डूंगरपुर में डेंटल डाक्टर की व्यवस्था की जाए। आज तक वहां पर कोई भी डेंटल डाक्टर नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, निजी मेडिकल कालेजों में वर्तमान स्थिति में अभी फीस बढ़ रही है। हमारे यहां उदयपुर में गीतांजलि मेडिकल कालेज 2008 में स्टार्ट हुआ और उसकी जो स्टार्टिंग की फीस थी, वह एक लाख 95 हजार थी, पर वर्तमान में इसकी फीस 17 लाख चल रही है। 10 से 12 साल में इतनी फीस बढ़ गयी है। यही स्थिति सभी मेडिकल कालेजों में है। पेसिफिक मेडिकल कालेज की जो स्टार्टिंग फीस थी, वह 8 लाख थी और

(श्री राजकुमार रोत)

वर्तमान में 18 लाख फीस ले रहे हैं। इसमें ऐसी व्यवस्था बनाई जाए और गवर्नमेंट कहीं न कहीं इसमें इन्वाल्व हो और प्राइवेट मेडिकल कालेजों में जो फीस ली जा रही है, उस फीस पर कहीं न कहीं रोक लगाई जाए। जो गरीब परिवार से बच्चा आता है, उसको भी वहां एडमिशन लेने का अवसर प्रदान किया जाए। प्राइवेट मेडिकल कालेजों में जो एस.सी., एस.टी. के बच्चे एडमिशन के लिए जाते हैं, उनके लिए भी अलग से कोटा होना चाहिए, उनके लिए भी वहां एक व्यवस्था होनी चाहिए। डूंगरपुर में मेडिकल कालेज खुला, तो वहां पर आदिवासी बहुल क्षेत्र के जो लड़के हैं, उनको लगा था कि हमको यहां एडमिशन मिलेगा, लेकिन उन लोगों को वहां एडमिशन नहीं दिया जाता है तो मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि डूंगरपुर कालेज की जो कुल सीटें हैं, उन सीटों में से 50 परसेंट सीटें स्थानीय जो बच्चे हैं, उनसे भरी जाएं।

माननीय सभापति महोदय, हमारी जो सीमलवाड़ा पी.एच.सी. है वहां पर अभी जो बैड क्षमता है, उससे उन लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, तो मैं 20-25 बैड और बढ़ाने की मांग करूंगा। वहां हरिदेव जोशी चिकित्सालय और मेडिकल कालेज में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां एक-दो व्याख्याता ऐसे लगे हुए हैं, जो महाराष्ट्र से हैं और वहां जो अस्थायी यू.टी.बी. पर कर्मचारी लगाने के थे, तो वे लोग वहां से अपने साथ में लेकर आये और यहां पर लगा दिया। यहां पर नार्म्स बने हुए हैं कि स्थायी निवासी होना चाहिए, पर उसके बावजूद भी उन लोगों ने फर्जीवाड़ा करके उनको किसी न किसी जगह का स्थायीकरण करवाकर, उन लोगों को वहां लगा दिया गया है, तो यह कहीं न कहीं स्थानीय लोगों के साथ अन्याय हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे सीमलवाड़ा उप खण्ड पर जो पी.एच.सी. है, वहां पर एक्स-रे मशीन की व्यवस्था करायी जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं अंतिम निवेदन करूंगा कि आदिवासी बहुल क्षेत्र को देखते हुए मंत्री जी को वहां पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वहां पर जो चिकित्सा व्यवस्था बनी हुई है, उसमें गवर्नमेंट में जो डाक्टर लगे हुए हैं, वे प्राइवेट हास्पिटल में इलाज करने जाते हैं और गवर्नमेंट हास्पिटल में ध्यान नहीं देते हैं, तो इसके लिए एक विशेष कमेटी बनाकर ऐसे डाक्टर पर निगरानी रखें और ऐसे लोगों पर कार्यवाही की जाए। धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री रघु शर्मा।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के अन्तर्गत बहुत ही सार्थक बहस हुई। माननीय सदस्यों ने अपने बहुत ही बहुमूल्य और उपयोगी सुझाव दिये। मैं सभी विधायकगण का, पक्ष-विपक्ष और बीच वाले, सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इन्होंने जो उपयोगी सुझाव दिये हैं, उन सभी सुझावों पर हम प्रयास करेंगे कि अमल किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह बीच वाले आपने मेडिकल के आधार पर कहा है या वैसे ही कह दिया?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सर, आप बहुत ज्ञानी हैं, मैं आपके ज्ञान को चुनौती नहीं दे सकता, बीच का मतलब निर्दलीय। सी.पी.आई. और उनके भी हैं व ये जो बीच में बैठे हैं न, उनके लिए कहा है। आप इस तरह की व्याख्याओं में मत उलझा करिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): ये पूछ रहे हैं कि जो मैडम के साथ नहीं गये, उनको तो नहीं कहा न।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां, यह भी एक बात है, अध्यक्ष जी ने कहा है। आप कहीं धार्मिक स्थल पर नहीं जाते हैं क्या आजकल? कमाल करते हैं आप।

माननीय सभापति महोदय, 112 कटौती प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए, जिनका जवाब निर्धारित समय पर निर्धारित अवधि में माननीय सदस्यों के पास पहुंचा दिया जाएगा।

कई माननीय सदस्यों ने, जैसे हमारे पूर्व विद्वान चिकित्सा मंत्री, मैं तो आपकी तारीफ ही कर रहा हूं। विद्वान चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ जी ने बहुत सारे प्रश्न उठाये, सब का तो मैं जवाब दूंगा नहीं, लेकिन इन्होंने अपने विधान सभा क्षेत्र के जयपुरिया अस्पताल के बारे में जैसे कहा कि सुपरस्पेशलिटी की सुविधा इस सरकार ने समाप्त कर दी और सी.टी., एम.आर.आई. ई.एच.सी.सी. से एम.ओ.यू. करके चालू है, परन्तु बी.पी.एल. को नि:शुल्क में दो-तीन महीने की वेटिंग है। अब यह खबर इनको कहां से मिली यह मुझे मालूम नहीं, लेकिन वास्तविकता यह है, आपकी बात मैंने सुनी थी आप मेरी सुन लीजिए, पूर्व सरकार के कार्यकाल में सुपरस्पेशलिटी के पद एस.एम.एस. अस्पताल के लिए स्वीकृत करवाये गये थे, जयपुरिया के लिए नहीं किये थे और आप खुद ही चिकित्सा मंत्री थे। अब आपको याद ही नहीं रहा तो मैं इसका क्या करूं। वर्तमान में आर.यू.एच.एस. में कार्यरत

(श्री रघु शर्मा)

कार्डियोलॉजी तथा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की जो फैकल्टी है, वह नियमित रूप से जयपुरिया में सेवाएं दे रही हैं, क्योंकि वह आर.यू.एच.एस. का ही पार्ट है। यह आपकी जानकारी के लिए है, ताकि आप अपने क्षेत्र में बता सको। सी.टी. और एम.आर.आई. की जांच में कोई वेटिंग नहीं है। किसने आपको सूचना दे दी? जीरो वेटिंग है। आप बोल रहे हैं दो-दो, तीन-तीन महीने की वेटिंग है। इसके साथ ही आपने बोला एस.एम.एस. मेडिकल कालेज और अस्पताल के बीच में अंडरपास, यह प्रस्ताव तो आपके समय में ही आपने उपयुक्त नहीं माना था, ये आन रिकार्ड है, यह भी आप भूल गये। ये सवाल आपने उठाये हैं। इसके अलावा जो आपने कहा थैलिसीमिया की जांच नहीं हो रही है, वहां पर उसकी जांच हो रही है। इसके अलावा बड़े अस्पतालों में सी.सी.टी.वी. कैमरे, ये आप तो लगा नहीं पाये, लेकिन जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जयपुरिया अस्पताल में सी.सी.टी.वी. कैमरे अभी लगाये जाने की प्रक्रिया चल रही है। जहां तक सुरक्षा की बात है, जयपुरिया अस्पताल में पुलिस चौकी भी है।

इसके अलावा डा. जितेन्द्र सिंह जी ने कहा कि मरीजों और डाक्टर्स के बीच में कई कंफ्लिक्ट की घटनाएं होती हैं। मैंने मुख्य मंत्री जी को लिखकर दिया था, क्योंकि ये काफी समय से चल रही थीं। एस.एम.एस. अस्पताल में चौकी है और चौकी भी क्या है, वहां पर दो थाने लगते हैं। मोती डूंगरी थाना भी लगता है और सिविल लाइन सैक्रेटेरिएट के पीछे वाला थाना है तो कभी इधर से फोर्स बुलाई, कभी उधर से फोर्स बुलाई। यह कंफ्यूजन था, तो मैंने मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया, इसी बजट में उन्होंने वहां पुलिस थाना खोलने की घोषणा कर दी है, ताकि इस समस्या से भी हमको निजात मिले।

डा. जितेन्द्र सिंह जी ने कहा था, पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट में जो नोर्म्स हैं, उसमें शिथिलता, यह तो भारत सरकार ने बना रखा है, इन नोर्म्स में शिथिलता हम दे ही नहीं सकते, जो आपने बात कही थी।

इसके अलावा एक हमारी बहन इन्दिरा जी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत सारे पी.एच.सी. को पी.पी.पी. मोड पर दे दिया था। मैं शुरू से इस बात का पक्षधर हूं और मैं समझता हूं माननीय सभी सदस्य इसका स्वागत भी करेंगे कि पी.पी.पी. मोड पर हमको नहीं देना चाहिए, कल्याणकारी सरकार के रहते हुए। इन्होंने जो समयावधि निर्धारित की है, उससे पहले अगर उनका एम.ओ.यू. हम टर्मिनेट कर देते हैं, तो हो सकता है कि वे कोर्ट में चले जाएं, पर मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं

(श्री रघु शर्मा)

कि एक भी पी.पी.पी. मोड पर चलने वाले पी.एच.सी. का भविष्य में रिन्युअल हम नहीं करेंगे और उसको सरकार चलाएगी।

अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि एन.एफ.एस.ए. में नये नाम नहीं जुड़ रहे हैं। थोड़ी जानकारी कर लेनी चाहिए, एन.एफ.एस.ए. का पोर्टल भारत सरकार ने बंद कर रखा है, राज्य सरकार ने नहीं बंद कर रखा है। कहो आप दिल्ली वालों को कि उस पोर्टल को खोलें। हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम जुड़ें और वे खाद्य सुरक्षा के दायरे में आएं, लेकिन उस पोर्टल की चाबी तो 25 एम.पी. जिताकर और बहुमत से बैठी हुई केन्द्र सरकार के पास है, हमारे पास नहीं है, खुलवाओ उसको।

सभापति महोदय, इसके अलावा योजनाबद्ध तरीके से, यहां पूरा सदन सुन रहा था। हर सदस्य को डायरेक्शन था प्रतिपक्ष के, इलेक्ट्रोपैथी पर बोलो। अभी इलेक्ट्रोपैथी पर दो दिन पहले सवाल लगा था। इसी सदन में, मैंने जवाब दिया पूरा और यह जो बोर्ड गठित होता है, उसमें कम से कम दो रजिस्टर्ड इलेक्ट्रोपैथ होने चाहिए। मैं ये कहां से लाऊं, यह आप जवाब बता दो या तो, भारत सरकार ने 16 दिसम्बर को कमेटी बनाई और वह कमेटी पांच मीटिंग कर चुकी है, अब तक अपनी फाइंडिंग नहीं दे पाई।

आपने एक्ट पारित कर दिया, बहुत अच्छी बात की और आचार संहिता लगने के एक दिन पहले बैक डेट में आपने इसके बोर्ड के गठन की भी घोषणा कर दी। बैक डेट में 5 को, 6 को आचार संहिता लगी, 6 अक्टूबर को आचार संहिता लगी और आपने 5 अक्टूबर को, बैक डेट में इसके गठन की घोषणा की, तो आपका खुद का ही मन साफ नहीं था, हमसे क्या मांग कर रहे हो आप। मैं क्या गलत कह रहा हूं, मैं सदन में बोल रहा हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से इस सदन के अन्दर बोल रहा हूं, मैं आपकी तरह नहीं हूं, जो आपने आरोप लगाये, सब गैर जिम्मेदाराना आरोप।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपके एक भी आरोप में दम नहीं था। इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज का संकल्प पारित किया 23 दिसम्बर, 2019 को और उसके माध्यम से 2030 तक उन्होंने लक्ष्य रखा सस्टैनेबल डवलपमेंट गोल्स को अर्जित करने का, राजस्थान पहला राज्य है और हमारे मुख्य मंत्री पहले मुख्य मंत्री हैं, जिन्होंने 'राइट टू हैल्थ' की तरफ कदम बढ़ाये हैं। अभी

(श्री रघु शर्मा)

माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि आप पिछली बार भी बोल रहे थे, उससे पहले भी बोल रहे थे। आपको मालूम है कि एक साल से, आज 10 मार्च है, पिछली 11 मार्च को राजस्थान में कोविड आया था और 13 मार्च से विधान सभा स्थगित हो गयी थी। एक साल से हम इसमें जूझ रहे हैं। इस पर काम चल रहा है और हमारी सरकार के रहते ही हम 'राइट टू हैल्थ' लेकर आएंगे, आपको दिखा देंगे। यह 'राइट टू हैल्थ' आएगा न, ये जो डब्ल्यू.एच.ओ. कह रही है, उसके यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज का, जो सपना वे देख रहे हैं, उसको हम पूरा करने के लिए, पहल करने वाले पहला राज्य बनेंगे।

अभी आपको याद होगा, मुख्य मंत्री जी ने बजट में घोषणा की, राजस्थान मॉडल आफ पब्लिक हैल्थ (आर.एम.पी.एच.), इसको लागू करने की घोषणा उन्होंने की, इस माडल के माध्यम से प्रिवेन्टिव केयर, प्राइमरी केयर और क्यूरेटिव केयर, इसको लागू करने के लिए हमारी सरकार प्रभावी कदम उठाने जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज को लागू करने के लिए आगामी वर्ष से साढ़े 3 हजार करोड़ रुपये की लागत से राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये का हैल्थ कवरेज हमारे राजस्थान में दिया जाएगा और आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत दिया जाएगा। अब इसमें कल प्रश्न भी लगा था, मैंने कहा था कि इसमें एन.एफ.एस.ए. और सोशियो इकोनोमिक कास्ट सेंसस, जो 2011 में हुआ, इन दोनों को क्लब करके हमने इस योजना को लागू किया है। इसमें इन परिवारों के साथ-साथ संविदाकर्मियों, लघु और सीमांत कृषकों को भी नि:शुल्क सुविधा हमारी सरकार के द्वारा इस बीमा कवरेज की दी जाएगी। जो बचे हुए परिवार हैं, जो इन कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनको प्रीमियम राशि की आधी राशि, मतलब 850 रुपये, अगर राजस्थान का वह परिवार, जो एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत नहीं आता है, जो एस.ई.सी.सी. के अन्दर नहीं आता है और जो दो कैटेगरी मैंने अभी बताई, उनमें नहीं आता है तो 850 रुपये पे करे और 5 लाख के बीमा कवरेज का लाभ उठाओ। इसका मतलब राजस्थान की 7 करोड़ जनता को हमने यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज देने का काम किया है। ये लोग कैशलेस इलाज का 5 लाख तक का फायदा उठा सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार के कार्यकाल में 21 लाख

(श्री रघु शर्मा)

मरीजों को स्वास्थ्य बीमा योजना से नि:शुल्क उपचार अब तक दिया गया है और इसके लिए हमारी सरकार ने अब तक 2 हजार करोड़ रुपये खर्च किये हैं। ये आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का जो नवीन चरण 30 जनवरी से लागू किया गया है, अभी मुख्य मंत्री जी के द्वारा, प्रधान मंत्री जन आरोग्य में सामाजिक आर्थिक जनगणना, 2011 उसके जो लाभार्थी हैं, वे 59 लाख 71 हैं। यह प्रधान मंत्री जी की योजना है, ये सिर्फ उसके लाभार्थी ही हैं। सभापति महोदय, हमारे लाभार्थी हैं, 98 लाख लोग। जब हमने क्लब किया इनको, कुछ ओवर लैपिंग था और जो टोटल संख्या हो गयी अब लाभार्थियों की, वह एक करोड़ 10 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ हम देने जा रहे हैं और पैकेजेज की संख्या, जो पूर्ववर्ती सरकार के समय में 1401 थी, उसको बढ़ाकर हमने 1,576 पैकेज कर दिये, पहले जो भामाशाह योजना थी, उसमें सामान्य बीमारी में 30 हजार का कवरेज था, अब जो नई योजना है, इसमें सामान्य बीमारी में 50 हजार और गम्भीर बीमारी में 5 लाख का हैल्थ कवरेज होगा।

(19.00 बजे)

इसके अतिरिक्त हीमोडायलिसिस है और कोविड-19 है। ये दोनों इसमें कवर नहीं थे तो राजस्थान सरकार ने और हमारे संवेदनशील मुख्य मंत्री जी ने 50 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करके इन दोनों को भी इसकी कवरेज में शामिल किया है और यह पूरा का पूरा पैसा राज्य सरकार वहन करेगी। माननीय सभापति महोदय, यह जो प्रीमियम की राशि है, कल भी मैंने कहा था कि इनके समय में दुगुनी से ज्यादा बढ़ी थी। योजना 2015 से 2017 और 2017 से 2019, 2015 से 2017 में जब इनकी योजना लागू की पहली बार राजस्थान में, तब 376 रुपये के करीब प्रीमियम की राशि हुई थी, उसके बाद में वह 899 बढ़ गयी। हमने इस योजना को चाहे थोड़े दिनों तक ट्रस्ट मोड पर चलाना पड़ा, लेकिन जो हमारी राशि बढ़ी है, वह 1,622 रुपये प्रीमियम प्रति परिवार हमको देना है। यह दो-तीन बार में टेंडर किया, लेकिन उसके बाद हमने इसको कम प्रीमियम पर फाइनल किया है। अब कई माननीय सदस्यों के मन में कई तरह की भ्रांतियां हैं, उनको भी दूर करना जरूरी है। यह जो 59 लाख 71 हजार परिवार हैं, माननीय सभापति महोदय, इनका 60 और 40, 60 प्रतिशत पैसा भारत सरकार देगी और 40 प्रतिशत हमको देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसमें भी इन्होंने कैप लगा दिया। वहां प्रीमियम की

(श्री रघु शर्मा)

राशि, जो भारत सरकार ने कैप लगाकर तय की है, वह 1,052 है, जबकि हमारी मिनिमम प्रीमियम की राशि 1,662 रुपये है, यानी कि 601 रुपये जो सोशियो इकोनोमिक सर्वे के लोग हैं, लाभार्थी, उनका भी प्रीमियम 601 रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। अब और एन.एफ.एस.ए. के जो परिवार हैं, उनका तो हंड्रेड परसेंट राज्य सरकार वहन कर ही रही है। इसका टोटल जो है, अगर हम देखें 1,798.76 करोड़ रुपये उसमें से 1,421.87 करोड़ राजस्थान सरकार वहन कर रही है और वह करीब-करीब 80 प्रतिशत पैसा राजस्थान सरकार को खर्च करना होगा, सिर्फ 20 परसेंट पैसा भारत सरकार देगी। इन दोनों को हमने मर्ज करके लागू किया है।

कल अजमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने यह पूछा था कि अन्य राज्यों में भी इसके लाभार्थी चिकित्सा की सुविधा उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे? तो मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि हमने इसमें पोर्टेबिलिटी की सुविधा डवलप की है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े हुए जो भी अस्पताल हैं पूरी कंट्री में, उसके लोग इसकी योजना का लाभ उठा सकेंगे, बाहर भी और बाहर के लोग यहां भी उठा सकेंगे, इस योजना से कवर होंगे। माननीय सभापति महोदय, जब यह योजना लागू हुई थी तो कई तरह के सवाल उठे। पैकेजेज देने के टाइम में यह नहीं देखा गया कि अस्पताल की सेहत कैसी है। वहां बैड कितने हैं, यह देखकर ही तय कर दिया गया। अस्पताल में गम्भीर बीमारी के इलाज की व्यवस्था है कि नहीं, यह भी नहीं देखा गया। वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, यह भी नहीं देखा गया। वहां पर इसके डाक्टर्स हैं कि नहीं हैं, स्टाफ मौजूद है कि नहीं है। उससे फ्राड होने लगा और यह योजना बदनाम होने लगी। हमारी सरकार आने के बाद अभी मैंने उस दिन भी बताया था कि हमने फुलप्रूफ तरीके से, इस योजना में भविष्य में कोई फ्राड नहीं हो, उसको रोकने की व्यवस्था की है। इनके टाइम में थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने नहीं लगाया था, हमने 4 टी.पी.ए. मैरिट के आधार पर सलेक्ट किये हैं। सभापति महोदय, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इस पर पूरी मानिटरिंग करेंगे और ट्रांसपेरेंट मैनर में इस योजना को हम लागू करेंगे, लागू किया है। आई.टी. इनेबल भी इन्होंने नहीं कर रखा था, वह भी हमने इस योजना को आई.टी. इनेबल किया है और क्लैम की प्रोसेसिंग को सुगम बनाने एवं फ्राड को रोकने के लिए साफ्टवेयर में हमने बहुत से प्रोविजंस किये हैं जैसे क्लैम सब्मिट करते समय एम.डी.पी. दस्तावेजों का प्रदर्शन, पैकेज बुक करते समय डाक्टर के नाम की एंट्री, फ्राड को रोकने के लिए बेहतर निगरानी

(श्री रघु शर्मा)

के लिए अलग-अलग तरीके के ट्रिगर्स और राज्यस्तरीय एंटी फ्राड यूनिट द्वारा अस्पतालों को सब्मिट किये गये क्लैम्स की नियमित मानिटरिंग की जाएगी। यह तो इस योजना के क्रियान्वयन के बारे में मैंने आपको निवेदन किया है।

माननीय सभापति महोदय, जैसा हम सब जानते हैं, सदन में चर्चा भी हुई कि इस सदी की भीषणतम महामारी का मुकाबला पिछले एक साल से हमारा देश कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। हम भी कर रहे हैं। जिस ढंग का कोरोना का मैनेजमेंट राजस्थान में हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में किया गया, उसकी तारीफ ये तो नहीं करेंगे लेकिन प्रधान मंत्री जी ने इसमें कंजूसी नहीं दिखायी। उन्होंने तारीफ की और तारीफ ही नहीं की, सभापति महोदय, उन्होंने यह कहा, मुख्य मंत्री जुड़े हुए थे सारे पूरे हिन्दुस्तान के राज्यों के, उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने कोरोना का शानदार प्रबंधन किया है और अन्य राज्यों को इनको फॉलो करना चाहिए। अब उसके बाद आप आलोचना करो तो कहीं टिकोगे ही नहीं क्योंकि आपका जीवन मोदी, मोदी, मोदी में ही है, इसके बाद कुछ नहीं है। इसलिए जब मोदी जी ने कह दिया, फिर तो मान जाओ। फिर क्या बच रहा है, बताओ मेरे को।

कोरोना की रोकथाम, इसके उपचार का कार्य कर अपने प्राणों की आहूति देने वाले हमारे चिकित्सक, हमारे चिकित्सा विभाग के अन्य कर्मचारी और जो हैल्थ वर्कर्स हैं तथा इसके अलावा पुलिस है, प्रशासन है, एजुकेशन के लोग हैं, आई.सी.डी.एस. सहित जितने भी सेवारत फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, जिनका इस महामारी से लड़ते हुए निधन हो गया, मैं इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से हम सबकी ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। कोरोना प्रबंधन में हमने थोड़े ही कहा कि यह भीलवाड़ा माडल है, हमने नहीं कहा कि यह रामगंज माडल है। यह माडल माना गया पूरे देश के द्वारा, पूरी दुनिया के द्वारा अखबारों में, टेलीविजन में, क्योंकि हमारे कहने से कोई मानने वाला नहीं था। इसका मतलब प्रबंधन अच्छा हुआ, तभी माना गया। भीलवाड़ा की परिस्थिति अलग थी, रामगंज की परिस्थिति अलग थी। जब भीलवाड़ा हमारा सफल माडल सिद्ध हो गया तो लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिये कि अब रामगंज में कैसे करोगे, यहां की तो आबादी बहुत, ऐसी पुरानी वाल सिटी है, एक-एक मकान में 15-15, 20-20 परिवार रहते हैं। एक-एक परिवार में 10-10, 15-15 लोग हैं, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगी, कैसे आप इनको इस संक्रमण के खतरे से बचा पाओगे, लेकिन हमने करके दिखा दिया,

(श्री रघु शर्मा)

आपके सामने है तो एक्टिव स्क्रीनिंग हो, पैसिव स्क्रीनिंग हो, सारा काम राजस्थान में किया गया, आज भी कर रहे हैं। हमारे नेता, प्रतिपक्ष और उप नेता, प्रतिपक्ष, इन्होंने कई सवाल उठाये, लेकिन मैं उस वक्त कह रहा था और आज भी सदन में कह रहा हूं कि एक्टिव स्क्रीनिंग और पैसिव स्क्रीनिंग, एक्टिव स्क्रीनिंग में घर-घर जाकर सिर्फ पूछते ही हैं और कोई इलाज करने थोड़े ही जाता है कि सिम्पटम्स हैं कि नहीं हैं, किसी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है या नहीं है, कोई ऐसे लक्षण तो नजर नहीं आ रहे, ताकि उनको सीधा हम लोग उसका टैस्ट करके भर्ती करें। यह तमाम चीजें थीं और वे एक बार नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 7 करोड़ की आबादी है, 11 करोड़ की कैसे यह हो गयी, तो मैंने कहा कि एक बार से दो बार भी होती है, तीन बार भी जाते हैं परिवार में, तो घर-घर गये, दरवाजा नाक किया है और पूछा है, बस। यह बात तो सही है। इसके अलावा 11 मार्च को जब पहला पॉजिटिव केस आया राजस्थान का, जो इटालियन टूरिस्ट आये थे, यहां उस समय हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी, तो स्वाब लिया उनका और पूना की लैब में भेजा। दो दिन बाद जांच होकर आयी, तभी हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह संकल्प व्यक्त कर दिया था कि राजस्थान के हर जिले में, हर जिला चिकित्सालय में कोविड की जांच की सुविधा हम डवलप करेंगे और आज मुझे यह कहते हुए खुशी है कि राजस्थान में 70 हजार वह भी आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट, यह यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों की तरह एंटीजन टेस्ट, जिनकी विश्वसनीयता पर हमने ही सवालिया निशान लगाया था, वैसे टेस्ट नहीं कर रहे, हम जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय टेस्ट है कोरोना का, हिन्दुस्तान में दो ही राज्य कर रहे हैं, एक तमिलनाडु और एक राजस्थान, हमने जितने टेस्ट किये हैं यहां, टोटल टेस्ट आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट किये हैं। यह हमने राजस्थान की जनता को दिया है।

अब तक मार्च से जो सफर शुरू हुआ 36 राजकीय, 25 निजी, 2 केन्द्रीय प्रयोगशालाओं सहित 63 केन्द्रों पर राजस्थान में यह सुविधा इसी 11-12 महीने के पीरियड में डवलप की गयी है। इन सारी जांचों का सरकारी संस्थानों में हम कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। अभी कई माननीय सदस्यों ने प्राइवेट की भी बात की। प्राइवेट में शुरुआती दौर में 5 हजार में इसकी जांच होती थी। हमने उसको नीचे लाते-लाते 500 रुपये तक कर दिया, जो पूरे देश में प्राइवेट हास्पिटल में होने वाली जांच में सबसे कम राशि है राजस्थान में। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब; हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मेडिकल हैल्थ; सेक्रेटरी,

(श्री रघु शर्मा)

मेडिकल एजुकेशन, सबने बैठकर प्राइवेट हास्पिटल को, मुख्य मंत्री जी ने डाइरेक्शन दिये कि आम आदमी को कोविड की इस महामारी में लूटा नहीं जाना चाहिये। सबको बुलाकर बात की, डाइरेक्शन जारी किये गये और सबकी कीमतें तय की गयीं कि इस इलाज के लिए यह पैसा लोगे, इस इलाज के यह पैसा लोगे। इसलिए यह कहना कि लूट लिया, लूट लिया, यह राजस्थान में तो हुआ नहीं है। हो सकता है गुजरात में लूटा हो, उत्तर प्रदेश में लूटा हो, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। कृपया शांति रखें, सुनें।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मेरी हाइट बढ़े या नहीं बढ़े, यह तो मेरी पार्टी जाने या मेरी मेहनत जाने, पर इसमें नेता, प्रतिपक्ष को चिंतित होने की जरूरत नहीं और मेरे अध्यक्ष बैठे हुए हैं यहां, मेरी सारी परफोर्मेंस जज कर रहे हैं।

सभापति महोदय, हमने प्रदेश में 9 मार्च तक 64,38,485 कोरोना की आर.टी.पी.सी.आर. जांचें की हैं। अब तक 3,21,800 लोग कोरोना पॉजिटिव, पूरे प्रदेश में इसकी चपेट में आये। उसमें से 2,789 लोगों की दु:खद मृत्यु भी हुई। अभी राजस्थान में 1,963 एक्टिव केसेज हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारा रिकवरी रेट 98.60 प्रतिशत है, जो कि देश के अग्रणी राज्यों, एक दो राज्यों में और होगा इतना प्रतिशत, छोटे राज्यों की बात मैं नहीं करता, बड़े राज्यों में रिकवरी रेट में अग्रणी राज्यों में राजस्थान है। मृत्यु का प्रतिशत, क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने दो ही बातें कही थीं, लॉकडाउन लगा, सबसे पहले लॉकडाउन भी हम ही लगाने वाले थे। लॉकडाउन लगा। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि एक व्यक्ति भूखा नहीं सोने दूंगा और चिकित्सा विभाग से कहा कि एक भी व्यक्ति को कोरोना से मरने नहीं देना है। इसीलिए इतनी मशक्कत हुई और हमने मिनिमाइज किया 0.86 परसेंट राजस्थान की मृत्यु दर है, जो पूरे कंट्री में सबसे कम है। माननीय सभापति महोदय, यह कहते हैं कि क्या किया कोरोना में। आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन जो इन्फ्रास्ट्रक्चर हमने डवलप किया, उसका मैं अभी आपको जिक्र करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, उपचार की सुविधा 429 चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध करवाई, 282 कोविड केयर सेंटर डवलप किये, 87 डेडिकैटेड कोविड हैल्थ सेंटर डवलप किये और 60 डेडिकैटेड कोविड हास्पिटल

(श्री रघु शर्मा)

हैं। इसी प्रकार 42,886 आइसोलेशन बैड हमने तैयार किये, 11,815 आक्सीजन सपोर्टेड बैड बने, 3,170 आई.सी.यू. बैड बनाये इसी 11-12 महीने में एवं 2020 वेंटीलेटर्स का प्रिक्योरमेंट किया। आर.यू.एच.एस. हास्पिटल, जिसमें माननीय कालीचरण जी भी भर्ती रहकर आये और मैं भी रह कर आया, 1,200 बैड का अस्पताल, ये खुद तारीफ कर रहे थे वसुन्धरा जी के साथ उस दिन, जब वैक्सिनेशन में थे। अब यहां करें या नहीं करें, यह मैं नहीं कह सकता। (व्यवधान) नहीं की, पर यह तारीफ आपने भी की, इन्होंने वहां उपचार का लाभ उठाया। माननीय सभापति महोदय, उसमें भी 205 बैड का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आई.सी.यू. है।

हमने डे-केयर सुविधा शुरू की। दो घंटे के लिए आओ, Tocilizumab या Remdesivir लगाकर जाओ, अपने घर पर आराम करो। कई लोग अस्पताल जाने से घबराते हैं। राजस्थान में डे-केयर की फैसेलिटी शुरू की। पोस्ट कोविड के काम्प्लीकेशंस, हमने कई बार यहां चर्चा की है, कोविड तो ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद किसी के लंग्स खराब हो गये, किसी के हार्ट पर इफेक्ट आ गया, किसी के लीवर पर इफेक्ट आ गया, किसी के पेनक्रियाज पर इफेक्ट आ गया। पेनक्रियाज पर इफेक्ट आ गया तो जिसको डायबिटीज नहीं थी, वह डायबिटिक हो गया। जिसको ब्लड प्रैशर की बीमारी नहीं, वह बी.पी. का मरीज हो गया। हमने पोस्ट कोविड केयर क्लिनिक भी राजस्थान में शुरू किये। अभी आपके सामने एक बात और उठी थी कि मानसिक प्रताड़ना, यह हकीकत है कि इस भयावह महामारी से अगर कोई पॉजिटिव हो जाये तो उसका दिमागी संतुलन वास्तव में बिगड़ सकता है, तब हमने मेंटल काउंसलिंग की भी पूरे जिला मुख्यालय पर व्यवस्था की, ताकि उनकी काउंसलिंग हो। उनको तैयार किया जाये कि आपकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। यह सब उपाय राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने इसी कोविड काल के दौरान किये।

माननीय सभापति महोदय, 40 हजार का इंजेक्शन Tocilizumab और यह Remdesivir भी 2-5 हजार का आता होगा। इसको पैसे वाले आदमी तो लगा लेंगे, लेकिन अगर गरीब के कोविड हो जाये और इस इंजेक्शन से ही उसकी जिंदगी बचे तो वह इंजेक्शन कौन देगा? वह देगा अशोक गहलोत, और दिये। मैं आपको बता रहा हूं राजस्थान में 7 करोड़ 76 लाख रुपये आर.एम.सी.एल. के द्वारा 2,500 Tocilizumab इंजेक्शन, करीब 55 करोड़

(श्री रघु शर्मा)

68 लाख रुपये की लागत के 2,45,800 Remdesivir इंजेक्शन हमने प्रिक्योर किये और सी.एच.सी. लेवल तक पहुंचाये ताकि वहां भी उनकी जान बचाई जाये। माननीय सभापति महोदय, यह 0.86 परसेंट मृत्यु दर हमने नियंत्रित रखी है। प्लाज्मा थैरेपी, राजस्थान के ट्रीटमेंट प्रोटोकोल की आई.सी.एम.आर. ने तारीफ की है। नीति आयोग के सदस्य माननीय पाल यहां आये थे। उन्होंने हमारे साथ मीटिंग की, जब हमने उनको ब्रीफ किया, उन्होंने भी तारीफ की। राजस्थान का ट्रीटमेंट प्रोटोकोल पूरे कंट्री में शानदार था और यह जो प्लाज्मा थैरेपी हमने दी, 9 जगह इसकी भी सुविधा डवलप की। जो मरीज ठीक हो जाते हैं, 14 दिन बाद वह अपना ब्लड डोनेट करते हैं और उनके ब्लड से प्लाज्मा थैरेपी के माध्यम से किसी की जिंदगी बचाने का काम अगर किया गया है तो वह राजस्थान में किया गया है, अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया।

अन्य बीमारियां, क्योंकि कोविड में ही सारा ध्यान आकर्षित हो गया तो राजस्थान में जो लोग अलग-अलग बीमारियों से ग्रसित हैं, उनकी केयर कैसे हो, इस बात का भी ध्यान रखा गया और हमने लॉकडाउन के दौरान 550 मोबाइल ओ.पी.डी. वैन पूरे राजस्थान में चलाईं और उसमें नि:शुल्क दवा का लाभ भी उन तक पहुंचाया, यह काम हमने कोविड के दौरान किया है।

माननीय सभापति महोदय, कोरोना लंग्स को इफैक्ट करता है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरत आक्सीजन की रहती है। आक्सीजन अगर नहीं होगी, क्योंकि हर रोज 109 मीटिंगें की हैं। वीडियो कांफ्रेंस और उसके अलावा रैगुलर ब्रीफिंग होती थी, उसमें हर रोज जायजा लिया जाता था कि आज कौनसे अस्पताल में कितने मरीज हैं, कितनी आक्सीजन कंज़्यूम होगी। जितनी आक्सीजन कंज़्यूम होगी, उससे तीन गुना वहां आक्सीजन की अवेलेबिलिटी और सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित की जानी चाहिये। उस बात को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान में फैसला लिया गया कि जितने जिला चिकित्सालय हैं, जितने उप जिला चिकित्सालय हैं, जितने मेडिकल कालेज से सम्बद्ध अस्पताल हैं, वहां पर आक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगाये जाएं और माननीय सभापति महोदय, एक वर्ष में 17 जगह पर आक्सीजन जनरेशन के प्लांट हमने शुरू कर दिये।

इसके अलावा आर.यू.एच.एस. में, कालीचरण जी देखकर आये, मैं भी देखकर आया हूं, लिक्विड आक्सीजन स्टोरेज का प्लांट हमने वहां लगा दिया।

(श्री रघु शर्मा)

उसके अलावा जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर मेडिकल कालेज में ये प्लांट इंस्टाल कर दिये गये। इससे इन चिकित्सालयों में आक्सीजन की कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति को हमने सुनिश्चित किया है। कोविड के मरीजों की सी.टी. स्कैन की अलग से व्यवस्था की गयी। आर.यू.एच.एस. में तो जब से हमने 1,200 बैड का अस्पताल बनाया, उसके पहले थोड़े दिन नारायणा अस्पताल में जाते थे, उसके बाद वहीं सी.टी. स्कैन लगा दी। उसके अलावा जोधपुर के एम.डी.एम. अस्पताल में सिर्फ कोविड के मरीजों के लिए सी.टी. स्कैन की मशीन लगायी। माननीय सभापति महोदय, ये जो प्राइवेट सी.टी. स्कैन करते हैं, उनकी भी रेटें निर्धारित कीं। जो एन.ए.बी.एल. एक्रिडिएटेड लेबोरेटेरीज हैं, उनकी दरें हमने 1,955 रखी हैं और जो नोन एन.ए.बी.एल. हैं, उनकी 1,700 रुपये रखीं। इस तरह से मिशन लीमा भी शुरू किया। जो हाई रिस्क के लोग हैं, उन व्यक्तियों पर निगरानी रख रहे हैं, ताकि उनका कोरोना का अर्ली-डिटेक्शन हो जाए और अर्ली-ट्रीटमेंट हो जाए।

मैं आपको कितना बताऊं, मास्क की अनिवार्यता, इसी सदन में कानून बनाने वाला राजस्थान पहला प्रदेश है और मैं समझता हूं कि एकमात्र प्रदेश है। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि ताली बजाओ, थाली बजाओ और दीपक जलाओ। हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन करो। मंत्रियों की ड्यूटी लगी। स्वायत्त शासन विभाग के कोआर्डिनेशन से डेढ़ करोड़ मास्क राजस्थान के घर-घर जाकर बांटे।

जो कचरा इकट्ठा करते हैं, जो हूपर जाता है सुबह्सुबह, वे घर-घर जाकर चिपका कर आये, कोरोना की जागरुकता के पोस्टर। हम पहले से कह रहे हैं, जैसे अभी वैक्सीन आ गयी, सभापति महोदय, वैक्सीन से ज्यादा कारगर यह मास्क है। इस बीमारी का जितना प्रिवेंशन वैक्सीन से होता है, उससे ज्यादा प्रिवेंशन मास्क लगाने से होता है। जितनी आई.ई.सी. एक्टिविटीज राजस्थान में हुई हैं आप समाचार-पत्र उठाकर देख लें, टेलीविजन पर देख लें, होर्डिंग्स उठाकर देख लें, गली-गली में, घर-घर में तीन-चार चीजों का कि आप मास्क लगाकर रहिए, दो गज की दूरी बनाकर रखिए। आप बार-बार हाथ धोएं, समूह में एकत्रित मत हों, आम आदमी के कान में ये मंत्र फूंकने की कोशिश की गयी, एक डिसिप्लीन पैदा करने की क्योंकि हमने इस बीमारी पर नियंत्रण किया है, यह कुछ दिनों से बढ़ रही है। उदयुपर में, डूंगरपुर में, राजसमन्द में, कुछ स्थानों पर बढ़ी है, लेकिन एक दिन ऐसा भी

(श्री रघु शर्मा)

आया था, जब 76 केसेज पूरे स्टेट में, उसमें आधे से ज्यादा जिलों में पाजिटिव के जीरो केसेज थे। आज यह हमारे नियंत्रण में है, लेकिन मैं फिर यह बात दोहरा रहा हूं कि ये सावधानियां हमको नहीं छोड़नी हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस महामारी की रोकथाम के लिए 638 करोड़ 77 लाख रुपये का इमरजेंसी कोविड रेस्पोंस प्लान बना। उसी राशि में से 555 करोड़ 84 लाख रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो गयीं। चिकित्सा शिक्षा को सहायता विभाग से 402 करोड़ 62 लाख, एन.एच.एम. से 123 करोड़ 60 लाख सहित कुल 525 करोड़ 69 लाख रुपये प्राप्त हुए। इनमें से आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 294 करोड़ 50 लाख रुपये और किट्स एवं कन्जूमेबल तथा मानव संसाधन मानदेय के ऊपर 221 करोड़ 19 लाख रुपये खर्च किये।

अभी वैक्सीनेशन काफी चर्चा में है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 16 जनवरी को वैक्सीनेशन के फर्स्ट फेज के लिए, जो उसके लाभार्थी थे, 167 सत्र स्थल डवलप किये थे, पहले ज्यादा किये थे। फिर भारत सरकार ने कहा कि इनको कम करो, कम कर दिया। हमने प्रथम चरण में हैल्थ केयर वर्कर्स को, द्वितीय चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को, यह जो तीसरा चरण अभी चल रहा है, इसमें 60 साल से ऊपर के व्यक्ति के एवं 45 साल से 59 साल के बीच के जिनके और गम्भीर बीमारियां हैं, जो कोमोरबिड हैं, उनको इस कैटेगरी में लिया है।

अभी 5 मार्च को माननीय मुख्य मंत्री जी ने आई.डी.एच. अस्पताल में जाकर वैक्सीन लगवाया, क्योंकि कई भ्रांतियां थीं। उसी दिन पूर्व मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा राजे जी ने भी वैक्सीन लगाया और प्रदेशवासियों को मैसेज दिया कि डरने की जरूरत नहीं है। मुझे कहते हुए खुशी है कि जैसे हम पूरी कंट्री में कोविड प्रबंधन में फर्स्ट रहे, वैक्सीनेशन में भी राजस्थान नम्बर एक पर रहेगा। अभी जो कई तरह की भ्रांतियां आजकल समाचार पत्रों में आयीं, आप बताइये कि 25 फरवरी को भारत सरकार ने मीडिया ब्रीफिंग की, ऐसे चार राज्यों के बारे में बताया, जहां 75 परसेंट से अधिक हैल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर को वैक्सीनेट किया जा चुका है।

सभापति महोदय, यह मैं टेबल कर देता हूं, राजस्थान पहले नम्बर पर है। हमारे प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको हम वैक्सीनेट कर चुके हैं और पिछले सप्ताह तक राजस्थान और उत्तर प्रदेश,

(श्री रघु शर्मा)

उत्तर प्रदेश की आबादी तो हमसे कई गुना ज्यादा है, 20 लाख से ज्यादा व्यक्तियों का टीकाकरण इन दोनों प्रदेशों में हुआ है। भारत सरकार ने 8 मार्च तक जो हमको वैक्सीन की डोज दी, वह 31 लाख 45 हजार 340 थी, अब इसमें से 2 लाख 15 हजार 180 डोज हमने आर्मी वालों को दे दीं। अब इसके अलावा 24 लाख 89 हजार 863 डोज की वैक्सीन उपयोग में ले लीं। शेष वैक्सीन 4 लाख 40 हजार 297, ये डोज जिलों में उपलब्ध थीं, क्योंकि पी.एच.सी. पर लग रहा है, सी.एच.सी. पर लग रहा है, सारे अस्पतालों में लग रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ता है। हमने इतनी शानदार व्यवस्था की है कि 2,444 कोल्ड चेन पाइंट बना दिये, 34 जिला चिकित्सालयों पर स्टोरेज की व्यवस्था, सातों सम्भाग पर स्टोरेज की व्यवस्था, स्टेट लेवल पर तीन स्टोरेज की व्यवस्था, हमारे यहां कोई दिक्कत नहीं है।

अगर भारत सरकार हमको बफर स्टाक दे तो स्टोरेज की पूरी व्यवस्था हमारे पास है। हमने हमारे हैल्थ केयर वर्कर को सब जगह डेप्यूट कर दिया। सत्र स्थल भी हमने पर्याप्त मात्रा में विकसित कर दिये। जितनी वैक्सीन देंगे, उतनी वैक्सीन लगाने में राजस्थान सक्षम है। जिस दिन 4 लाख 40 हजार वैक्सीन रह गयी और हमारे यहां 2 लाख से ऊपर हर रोज वैक्सीन लग रही थी तो यह चिंता हुई, तो मैंने नीति आयोग के माननीय सदस्य डा. पाल से बात की, उसके बाद हमारे मुख्य सचिव ने कैबिनेट सैक्रेटरी को चिट्ठी लिखी, फिर मैंने कैबिनेट सैक्रेटरी को चिट्ठी लिखी। फिर मैंने डा. हर्षवर्धन जी से बात की। सबने कहा कि हम वैक्सीन भेज देंगे।

सभापति महोदय, हमारी चिंता जायज थी कि हमारा वैक्सीनेशन, जो सबसे टाप चल रहा है, कल हमारे भाई, जो इधर बैठे हुए हैं, ये कहेंगे कि राजस्थान फिसड्डी हो गया। हम फिसड्डी हमारे कारण से नहीं हो रहे हैं। वैक्सीनेशंस तो जितनी देंगे, उतनी लगाने को तैयार हैं, लेकिन देंगे तब लगाएंगे। उसके बाद हमें 9 मार्च को 85 हजार वैक्सीन मिलीं और आज 10 मार्च है। सभापति महोदय, 6 लाख 78 हजार डोज आज प्राप्त होने की सूचना अभी शाम को 5 बजे मुझे मिली।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं आपको टोकना नहीं चाहता, लेकिन आपने यह कैसे कहा कि केन्द्र सरकार ने आपको कहा कि टीके लगाना कम करो। आपकी वही आदत है। आपने प्रधान मंत्री जी के नाम से एक बार पहले कह दिया। आपने पैनिक फैला दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति जी, मैं इसलिए बीच में खड़ा हुआ हूं कि इन्होंने पूरे राजस्थान में पैनिक फैला दिया और केन्द्र सरकार पर आरोप लगा दिया कि केन्द्र सरकार ने कहा है कि वैक्सीनेशन कम करो।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, इनके सुनने का माद्दा नहीं है। जब मैं कह रहा हूं, इस सदन में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हम रोज 2 लाख से ज्यादा वैक्सीनेट कर रहे हैं तो हमारे पास अगर 4 लाख 40 हजार डोज रह जाएंगे तो कितने दिन के बचेंगे? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजिये। अंकित नहीं होगा। मंत्री जी, आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक बात बताइये, यह तो मैं कह रहा हूं। इससे भी बुरी बात सुनना है तो सुन लो। सैकण्ड डोज की वैक्सीन ही नहीं बची थी, इस वैक्सीन का सैकण्ड डोज ड्यू हो गया था, वह लगाना शुरू कर दिया। आप क्या बातें कर रहे हैं। हम यहां पारदर्शी तरीके से बैठे हैं। आपको तकलीफ क्यों होती है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। आप प्लीज विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: प्लीज, विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) 000

श्री सभापति: आप विराजिए।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उप नेता प्रतिपक्ष ने जो बात मेरे लिए कही थी, वह अब इन पर लागू हो रही है। ये अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। अब इनका कद बढ़े या नहीं बढ़े, सात बार जीत गये, इनका दु:ख यह है कि इनकी पार्टी इनको एक लेवल तक ही रखती है। इसके आगे बढ़ने ही नहीं देती। हम क्या करें, आप बताएं? (व्यवधान) इसलिए ये टोकाटाकी का काम मत कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज। आपस में मत बोलिए।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, ये मैंने मेरे वक्तव्य में साफ-साफ कहा है ...(व्यवधान) पूरा राजस्थान सुन रहा है।

श्री सभापति: आपस में मत बोलिए। मैं हूं न। कृपया सहयोग कीजिए। शांत रहें। मुझे पता है, आप विराजिए।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): 000

श्री सभापति: आप विराजिए। मुझे पता है। अब आप टोक रहे हैं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हमारा विशुद्ध मकसद यह है कि राजस्थान में जिस गति से वैक्सीनेशन का काम टोप पर चल रहा है, वह चलता रहे। हमारे पास स्टोरेज की सारी सुविधाएं मौजूद हैं, हमें बफर स्टाक दे दो, कम से कम 7 दिन का तो दे दो। ये क्या है, टुकड़ों में, कभी 85 हजार दे दी, कभी 57 हजार दे दी। (व्यवधान) 6 लाख 80...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 6 लाख दी हैं।

श्री सभापति: माननीय नेता प्रतिपक्ष, एक मिनट आप विराजिए। माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट आप विराजें। आप मौजूद थे, माननीय अध्यक्ष के स्पष्ट निर्देश थे कि आप यदि बोल रहे हैं तो इधर से कोई इंटरवीन नहीं करेगा। माननीय मंत्री महोदय रिप्लाई दे रहे हैं तो इधर से बीच में कोई इंटरवीन नहीं करेगा। आपको कोई बात कहनी है तो आप पर्सनली वैसे ही कह सकते हैं, लेकिन यदि बीच-बीच में हम टोकाटाकी शुरू कर देंगे... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष के स्पष्ट निर्देश थे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपसे परमिशन मांगी। मैंने आपसे परमिशन मांगी। टोकाटाकी नहीं की। मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। (व्यवधान) मैंने केवल आपसे चाहकर के आपकी परमिशन से कहना चाह रहा था। मैंने कोई शब्द भी नहीं बोला, यदि कोई आपके रिकार्ड पर हो तो देख लें।

श्री सभापति: प्लीज, शांत रहें। कृपया शांति रखिए। माननीय मंत्री महोदय, आप अपनी बात रखें।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अभी और आ रहा हूं। जो आप लोगों ने वक्तव्य दिये, उसको तो मुझे यहां एंडोर्स करना ही पड़ेगा। क्या करूं, बताओ आप?

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जिस बीमारी से आप और देश लड़ रहा है, मैं सोचता हूं कि इसको राजनीति के दंगल में मत डालो। आपने अपनी तरफ से उनको कुछ लिखा हो कि हमारी डोज खतम हो गयी है।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): लिखा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं कह रहा हूं, आपने लिखा तो उन्होंने भेजा। अब इसको लेकर भी राजनीति करने की मंशा है या समस्या का समाधान करना चाहते हो? मैं सोचता हूं कि इसके बारे में इस प्रकार का मन का विचार करना, ये न तो प्रदेश के हित में है और न देश के हित में है।

श्री सभापति: किसी के हित में नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): दोनों मिलकर इस समस्या से लड़ रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। अगर कहीं कमी है तो हम उनको बताएं, वे हमारी पूर्ति कर रहे हैं। (व्यवधान) अब इस बात को क्या विषय बनाकर करना है।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं बिलकुल राजनीति नहीं करना चाहता। माननीय नेता प्रतिपक्ष को यह कहना चाहता हूं कि जब कल हमने उनसे ये बात की तो उन्होंने विज्ञप्ति जारी कराई। सुनिए, राजनीति करने का हमने काम शुरू नहीं किया है। भारत सरकार ने विज्ञप्ति जारी की कि राजस्थान सरकार के पास 37 लाख वैक्सीन हैं। यह फिगर आया कहां से, सभापति महोदय। 6 लाख 80 हजार तो अब आएगी, तब 37 लाख होगा और वह विज्ञप्ति कल ही जारी हो गयी। राजनीति हम कर रहे हैं या राजनीति वे कर रहे हैं? हम नहीं करना चाहते हैं। हम क्यों कर रहे हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप आज कर लें, अगर इसमें भला होता हो प्रदेश का और देश का...

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं तो आप बुरा कराओगे क्या? बुरा कराने की धमकी ...(व्यवधान) दे रहे हो क्या? (व्यवधान) आप राज्य के लोगों का बुरा करने की धमकी दे रहे हो क्या?

श्री सभापति: माननीय, अपनी बात पूरी करने दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह बहस का विषय है? (व्यवधान) यह बहस का विषय है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, अगर इसी प्रकार से डिबेट चलानी है ...(व्यवधान) चलिए फिर ...(व्यवधान) जिस प्रकार की घटिया राजनीति करते हैं।

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): मंत्री जी का जवाब नहीं सुनना है क्या? (व्यवधान) जवाब नहीं सुनना है?

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग कीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया: (नेता, प्रतिपक्ष): यह भी कोई बहस का विषय है? (व्यवधान) बहस कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं और मेरा दल बहिर्गमन करते हैं। (व्यवधान) हम बहिर्गमन करते हैं।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): सच्चाई नहीं सुनना चाहते हैं। (व्यवधान) सभापति महोदय, ये सच्चाई नहीं सुनना चाहते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप भी जाइए।

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): दिल्ली जाकर कहकर आइए ...(व्यवधान) सच्चाई नहीं सुनना चाहते, माननीय सभापति महोदय।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी। ये वैक्सीनेशन को आप पंक्चर कर रहे हैं ... (व्यवधान) और बायकाट कर रहे हैं, सच्चाई सामने आने पर शर्म आनी चाहिए इनको।

श्री सभापति: आप बैठिए। मंत्री महोदय को बोलने दीजिए। माननीय सदस्य, आप विराजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, वे चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे थे कि प्रधान मंत्री ने दे दिये 15 मेडिकल कालेज। प्रधान मंत्री ने दे दिये, इस पर तो मैं बाद में आऊंगा। प्रधान

(श्री रघु शर्मा)

मंत्री ने जेब में से निकालकर राजस्थान को 15 मेडिकल कालेज दे दी। नि:शुल्क दवा योजना, इसमें हमने जो वादे किये थे, हमारे चुनावी घोषणा पत्र में, उन वादों को पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने 150 महंगी दवाइयां जो हार्ट की, किडनी की, कैंसर की और 34 महंगे सर्जिकल और सूचर्स, उनको आवश्यक दवा जो नि:शुल्क दवा योजना है, उसकी सूची में डाला है। अलग-अलग जगह पर यह संख्या बढ़ी है। जो वादा हमने किया, उस वादे को हम निभा रहे हैं। इसके अलावा नि:शुल्क जांच में भी इसी प्रकार का जो हमने वादा किया था, उस वादे को हमने पूरा किया है। मैं इसको टेबल करूंगा, क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा।

(सदन पटल पर रखी गयी सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

माननीय सभापति महोदय, ये बहस तो थी सिर्फ चिकित्सा शिक्षा की। लेकिन माननीय सदस्य, पी.एच.सी., सी.एच.सी. पर बोलने लग गये तो मुझे जवाब देना पड़ा। चिकित्सा शिक्षा के ऊपर मैं आपके माध्यम से सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कुल मेडिकल कालेज राजकीय क्षेत्र में 16 हैं अभी। 6 गवर्नमेंट के हैं, एक झालावाड़ सोसायटी का है, 7 राजमेस के हैं, 1 आर.यू.एच.एस. में मेडिकल कालेज है और 1 डेन्टल कालेज है आर.यू.एच.एस. का। मेडिकल कालेज, जयपुर से सम्बद्ध 12 अस्पताल हैं और जोधपुर से सम्बद्ध 10 अस्पताल हैं। उदयपुर मेडिकल कालेज से सम्बद्ध अस्पताल हैं 6, बीकानेर मेडिकल कालेज से सम्बद्ध अस्पताल भी 6 ही हैं और अजमेर मेडिकल कालेज से सम्बद्ध अस्पताल 3 हैं। कोटा से 5, झालावाड़ से 2, आर.यू.एच.एस. कालेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, जयपुर से 2 अस्पताल सम्बद्ध हैं। इसी प्रकार 7 जिलों में न्यू मेडिकल कालेज राजमेस से सम्बद्ध 9 अस्पताल तथा आर.यू.एच.एस. कालेज आफ डेन्टल साइंस से सम्बद्ध 1 अस्पताल है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन मेडिकल कालेज में कुल शय्याओं की संख्या 22 हजार 382, गत दो वर्षों में शय्याओं की संख्या में वृद्धि हुई 2,797, कुल आपरेशन थियेटर्स की संख्या 265, कुल आपरेशन थियेटर की कुल दो वर्षों में जो वृद्धि हुई वह 44, वार्षिक ओ.पी.डी. 2 करोड़ से ज्यादा, वार्षिक आईपीडी, जो भर्ती रहकर इलाज कराते हैं, वह 20 लाख से ज्यादा।

चिकित्सा शिक्षा के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के साथ ही राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना है, जहां हर जिला मुख्यालय पर मुख्य मंत्री

(श्री रघु शर्मा)

जी की मंशा के मुताबिक मेडिकल कालेज खोलने के काम को हम पूरा कर रहे हैं। उसमें से सरकारी क्षेत्र में ये 15 नये मेडिकल कालेज, अभी ये कह रहे थे कि मोदी जी ने दे दिये। भारत सरकार की बजट घोषणा में पिछले साल में 75 मेडिकल कालेज थे। 75 मेडिकल कालेज में मोदी जी राजस्थान की सरकार पर इतने मेहरबान क्यों हो जाएंगे कि 1/5 हिस्सा राजस्थान को दे देंगे। इनसे यह पूछो गुजरात में कितने मेडिकल कालेज खुले, उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कालेज खुले, बिहार में कितने मेडिकल कालेज खुले, उत्तराखण्ड में कितने मेडिकल कालेज खुले, हिमाचल प्रदेश में कितने मेडिकल कालेज खुले। जहां-जहां आपकी सरकारें हैं, पता कर लेना, 15 का फिगर किसी राज्य में नहीं निकलेगा। यह तो चैलेंज मोड पर राजस्थान सरकार ने इनकी सैंक्शन का काम किया है। उसके लिए जो आवश्यक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि भूमि का चिह्नीकरण करना, अलाटमेंट करना, जो स्थानीय वित्तीय स्वीकृति होती है क्योंकि यह पैसा पूरा, 325 करोड रुपये दिला दो मोदी जी से? पैसा तो 60-40 के रेशो से ही मिल रहा है। 325 करोड़ में से 60 परसेंट वे दे रहे हैं तो 40 परसेंट हम भी दे रहे हैं। वे मांग रहे थे, पहले राज्य अपनी वित्तीय स्वीकृति, जो 40 परसेंट है, वह जारी करे। हमारे एफ.डी. ने मंजूरी दी। 15 की मांगी, 15 की दे दी। उन राज्य सरकारों से पूछो, उनको मेडिकल कालेज नहीं मिले। भारत सरकार तो हमने जो प्रस्ताव भेजा, उसी को मंजूर कर रही थी। इसका मतलब यह है कि उनके पास लेने वाले ही नहीं आ रहे थे। यह तो मुख्य मंत्री जी का सोच है कि हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 40 परसेंट की राशि, लैंड अलाटमेंट का काम, सब कुछ कर दिया। बार-बार कह रहे हैं 4-5 ज़िलों में। माननीय सभापति महोदय 15 के 15 ज़िलों में जहां मेडिकल कालेज खुलने हैं, हमने जमीन अलाटमेंट का काम कर दिया था। 3-4 ज़िले ऐसे हैं, जिनमें कुछ दिक्कतें हैं, उन जिलों की दिक्कतें दूर करने का काम हमारा विभाग कर रहा है। आने वाले एक महीने के अन्दर-अन्दर या 15 दिन में ये दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी।

अभी झुन्झुनूं से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, हाईटेंशन लाइन, वह तो हमने हटा दी। जो पानी की समस्या आप बता रहे थे उसके लिए भी 41 लाख रुपये स्वीकृत हो चुके हैं तो जमीनों का झंझट कहीं नहीं है।

मैं इस सदन में कहना चाहता हूं, हमने, हमारे मुख्य मंत्री जी ने,

(श्री रघु शर्मा)

हमारी सरकार ने, 15 मेडिकल कालेजों के लिए जब काम शुरू हुआ है तो हमारी सरकार में ही इनका लोकार्पण करेंगे, यह सदन में मैं आन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। यह काहे के लिए दुबले हो रहे हैं। पहले कह रहे थे बजट पेश किया, योजनाएं तो अच्छी, बजट अच्छा, जमीन पर कैसे उतारोगे। आपको थोड़े ही उतारना है? यह मेडिकल कालेज खोलने हैं, हमको खोलने हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हो? इनको सुनना नहीं था, इसलिए ये वाकआउट करके चले गए। सवाल उठाकर भाग जाए, वह काहे का विपक्ष। इस विपक्ष में कोई दम नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, ये मेडिकल कालेज हैं, इनकी कार्यकारी एजेंसी तय कर दी गयी है। एम.ओ.ए. सम्पादित किया जा चुका है। दस चिकित्सा महाविद्यालयों, दौसा, नागौर, बूंदी, झुंझुनूं, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर, चित्तौडगढ़ और सिरोही की सी.पी.आर. हमने अनुमोदित कर दी है। द्वितीय फेज में स्वीकृत धौलपुर मेडिकल कालेज जिसके बारे में वे सवाल उठा रहे थे, उसकी सी.पी.आर. भी हमने अनुमोदित कर दी है, उसके निर्माण का काम भी जल्दी हम ही शुरू करेंगे। वे कह रहे थे न कि आप स्वीकृत करोगे, हम आकर उद्घाटन करेंगे, यह गलतफहमी इन लोगों को दिमाग से निकाल देनी चाहिए। उलटा हम ही ने आपके स्वीकृत किये हुए मेडिकल कालेज बाड़मेर को शुरू किया है। सीकर को, सभापति महोदय, जहां से आप आते हो, उसको हमने शुरू किया है। तीसरा धौलपुर है, इसको भी हम ही शुरू कर रहे हैं। उलटा +++ तो बीजेपी वालों का है, जो खुद के घोषित मेडिकल कालेज थे, उनको निर्धारित समय पर चालू नहीं कर सके। हमारे 15 मेडिकल कालेज, उसके बाद श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, दौसा, बूंदी, झुंझुनूं इनके कालेजों के कार्य की डी.पी.आर., डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वह अनुमोदित हो चुकी है। इसमें श्री गंगानगर और चित्तौड़गढ़ की तो निविदा भी जारी कर दी गयी है।

श्री सभापति: +++ विलोपित कर देना।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां।

श्री सभापति: आप अपनी बात जारी रखें। आप बोलिए, अपनी बात।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जैसलमेर, बारां, अलवर,

(श्री रघु शर्मा)

टोंक, करौली में भूमि आबंटन तो किया जा चुका था, परन्तु उनकी उपयुक्तता और कुछ कठिनाइयां हैं, उनका निराकरण करके, यहां की भी सी.पी.आर. हम बनाएंगे।

राज्य के 33 जिलों में से 30 ज़िलों में ये 15 मेडिकल कालेज बनने के बाद सरकारी क्षेत्र के 30 मेडिकल कालेज हो जाएंगे। एक मेडिकल कालेज आर.यू.एच.एस. से एफीलिएटेड है। सरकारी क्षेत्र के 31 मेडिकल कालेज राजस्थान में हो जाएंगे। 3 ज़िले बचे हैं, उसमें एक राजसमन्द है। राजसमन्द में नेशनल मेडिकल कमीशन, उसकी गाइडलाइन है कि जहां प्राइवेट मेडिकल कालेज है, वहां पर वे लोग परमिशन नहीं देते हैं। फिर भी हम शिथिलता का प्रयास कर रहे हैं। हमने वहां भी जमीन अलाट करा ली है। बाकी दो ज़िले बचे हैं, जालौर और प्रतापगढ़, उसके लिए हमने कोशिशें शुरू कर दी हैं, ताकि हमारे कार्यकाल में राज्य के 33 ज़िलों में सरकारी क्षेत्र के मेडिकल कालेज खुल जाएं।

राजकीय मेडिकल कालेजों में 1,255 पी.जी.,125 सुपर स्पेशलिटी की सीटें थी, जब हम सत्ता में आए। राजकीय मेडिकल कालेज में पी.जी. की सीटों की बढ़ोतरी के लिए हमने प्रयास किये। उसका परिणाम यह रहा कि 2019-20 में 950 पी.जी. की सीटें, यह ऐतिहासिक काम हुआ है गहलोत सरकार के अन्दर। 950 पी.जी. की सीटें, 11 सुपर स्पेशलिटी की सीटें, इस बढ़ोतरी की हमें मंजूरी मिली। केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत, इसकी राशि भी हमको मिल गयी है।

इस वर्ष 806 पी.जी. व सुपर स्पेशलिटी की सीटों के साथ-साथ 400 पोस्ट एम.बी.बी.एस. डिप्लोमा सीटों सहित 1,200 से अधिक सीटों की बढ़ोतरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बढ़ोतरी के बाद राज्य के राजकीय क्षेत्र में उपलब्ध पी.जी. एवं पी.जी. डिप्लोमा सीटें लगभग 2 हजार 444 हो जाएंगी।

प्रदेश में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा पोस्ट एम.बी.बी.एस. डिप्लोमा कोर्स हम वर्ष 2021-22 में प्रारम्भ कर रहे हैं। डिप्लोमा कोर्स प्रति वर्ष 8 क्लिनिकल विभागों, एक एनेस्थीसिया का, दो प्रसूति एवं स्त्री रोग, तीसरा शिशु रोग, चौथा नेत्र रोग, पांचवां नाक-कान व गला, छठा टीबी. और चैस्ट, सातवां रेडियो डाइग्नोसिस, आठवां फैमिली मेडिसिन, ये संचालित होंगे। ये

(श्री रघु शर्मा)

कोर्स दो साल के पीरियड के होंगे। इसके लिए 29 जिला अस्पतालों का राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा निरीक्षण का काम भी पूरा हो चुका है। अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् आगामी पी.जी. परीक्षा द्वारा इन सीटों को आबंटित किया जाएगा। डिप्लोमा कोर्स की 50 परसेंट सीटें राज्य के सेवारत चिकित्सकों के लिए आरक्षित की जाएंगी।

राजकीय मेडिकल कालेजों में एम.बी.बी.एस. की 2019-20 में 650 और 2020-21 में 230 सीटों की बढ़ोतरी हुई। कुल 880 यू.जी. की सीटें, दो साल के कार्यकाल में, हमारी सरकार के दौरान ये सीटें बढ़ी हैं। जब हमने सरकार सम्भाली थी, कुल सीटें 1950 थीं। अब 2,830 अंडर ग्रेजुएट की सीटें हो गयी हैं, यह बढ़ोतरी 45 परसेंट है।

जैसा मैंने अभी कहा, बाड़मेर और सीकर का मेडिकल कालेज हम चालू कर ही चुके हैं। राजमेस के सुदृढ़ीकरण की चिंता प्रतिपक्ष के नेता कर रहे थे। वहां 210 पदों का अभी हमने सृजन किया है। राज्य में 150 करोड़ की लागत से तीन जगह पर सुपर स्पेशलिटी ब्लाक, कोटा, बीकानेर और उदयपुर में बन गये। चालू भी हो गये। अब 200 करोड़ की लागत से जयपुर में वह काम लगभग पूरा हो गया। महीने-पन्द्रह दिन में हम उसको भी जनता की सेवा में, काम में लेंगे। उसका 90 परसेंट काम हो गया, 10 परसेंट काम बाकी है। ये जो सुपर स्पेशलिटी ब्लाक बने हैं, इसमें भी 60-40 का रेशो है। भारत सरकार का 60 परसेंट है और हमारा 40 परसेंट है।

एस.एम.एस. मेडिकल कालेज में, संक्रामक रोग चिकित्सालय में 22 बैड की अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित आई.सी.यू. का निर्माण किया है। अभी टीकाकरण के दिन मुख्य मंत्रीजी गये थे, वसुन्धराजी गयी थीं। इन्होंने ऊपर देखा, कैलाश मेघवालजी वहां भर्ती रहकर आये, ये कोरोना पोजिटिव हो गये थे। इन दोनों ने, मुख्य मंत्रीजी ने भी और पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने भी, जो हमने सुविधाएं डवलप की हैं IDH में, उसकी भूरि-भूरि तारीफ की। कोई भी जाकर देखो, यह छिपाने की चीज नहीं है। लगता ही नहीं है कि हम एस.एम.एस. में आ गये हैं। यह काम भी हमने ही किया है। इसमें 10 बैड, जो कैबिन हैं, वे नेगेटिव प्रेशर आई.सी.यू. के हैं, जिनमें संक्रमण फैलने का फरदर खतरा नहीं रहता है। गम्भीर संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए इस आई.सी.यू. में सभी प्रकार की जांचें, सुविधाएं बैड साइड पर उपलब्ध कराई जा

(श्री रघु शर्मा)

रही हैं। मरीज को जाना नहीं पड़ेगा, उसके बैड पर ही कराएंगे। करीब 7 करोड़ 43 लाख रुपये की लागत से इस आई.सी.यू. का निर्माण कोविड काल में मात्र 38 दिन में हुआ।

एस.एम.एस. मेडिकल कालेज जयपुर में, क्योंकि हमने 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम अंगदान और अंग प्रत्यारोपण, इस काम को मजबूती प्रदान करेंगे। हमारी सरकार आने के बाद एस.एम.एस. मेडिकल कालेज में मानव अंग एवं उनका प्रत्यारोपण आर्गनाइजेशन, जिसको सोटो बोलते हैं और कार्डियोथोरोसिक, हृदय प्रत्यारोपण का ओ.टी., वह 50 करोड़ की लागत से बना है। उसमें हार्ट ट्रांसप्लांट का काम हो रहा है। इसकी गहन चिकित्सा, इंटेंसिव केयर यूनिट बनायी है।

अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर को नोन ट्रांसप्लांट आर्गन रिट्रीवल सेंटर बनाया गया है। इसके अन्तर्गत जो ब्रेन-डैड घोषित हो जाते हैं, उसके बाद उनके परिवार की सहमति से अंग निकालकर अंग प्रत्यारोपण की जहां सुविधा होती है, वहां पर भेजा जाता है।

एस.एम.एस. हास्पिटल में 16 जनवरी, 2020 को हृदय प्रत्यारोपण किया गया, जो सम्पूर्ण उत्तर भारत में किसी भी राजकीय अस्पताल में किया गया पहला कैडेवर हार्ट ट्रांसप्लांट था। एस.एम.एस. में ही स्किन और टिश्यू बैंक स्थापित किया गया है। प्रदेश में अब तक 42 कैडेवर डोनेशन से 77 किडनी, 37 लीवर, 22 हार्ट, 4 लंग्स, एक पेन्क्रियाज और दो हार्ट वाल्व के ट्रांसप्लांट का काम किया जा चुका है। इसमें प्राइवेट सैक्टर भी शामिल है।

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में 10 करोड़ की लागत से 50 बैड का एडवांस मेडिकल आई.सी.यू., और 2 करोड़ की लागत से 10 बैड का स्ट्रोक आई.सी.यू., इसके निर्माण का काम पूरा किया जा चुका है।

डिजिटल सब्स्ट्रेक्शन एंजियोग्राफी, इस मशीन का भी लोकार्पण किया जाएगा। हाल ही में एस.एम.एस. में पेलिएटिव केयर, सर्जिकल गेस्ट्रोएंट्रोलोजी, जेरिएट्रिक मेडिसिन, इमजेंसी मेडिसिन, स्पोर्ट्स मेडिसिन और ट्रोपिकल मेडिसिन के नये विभाग स्थापित किये गये हैं।

अभी माननीय कालीचरण सराफ, हवामहल से आने वाले, पूर्व चिकित्सा मंत्री कह रहे थे, हमने स्मार्ट सिटी परियोजना का पैसा, कुछ हमारे

(श्री रघु शर्मा)

पास जो मौजूद पैसा था, सबको मिलाकर वहां पर 22 मंजिला आई.पी.डी. टावर बनाने का निश्चय किया है। वह काम, यह जो कोटेज वार्ड बने हुए हैं, इनको डिमोलिश करके, वहां जो मोर्चरी बनी हुई है, उसकी हालत खराब है, वहां कोने में कचरा पडा रहता है ...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): हवामहल से तो मुख्य सचेतकजी बैठे हैं, कालीचरणजी मालवीय नगर से हैं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मालवीय नगर से, थोड़ी-बहुत गलती हो भी सकती है। अब वे मालवीय नगर से होंगे। मैंने कहां का कहा, हवामहल! हवामहल में 50 करोड़ गये, इसलिए निकल गया मेरे मुंह से, वे मालवीय नगर से हैं। अब जयपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, प्रतापनगर में, उसको हमने क्रियाशील किया है। इसमें 70 बैड आई.पी.डी. के, 8 बैड आई.सी.यू. की सुविधा है। टर्सरी केयर सेंटर के भवन निर्माण का काम भी पूरा हो गया। ओ.पी.डी. का काम शुरू कर दिया। अब तक लगभग 11 हजार कैंसर रोगियों का पंजीयन करके वहां उपचार का काम भी हम लोग करा रहे हैं। 4,811 मरीजों को डे-केयर की सेवाएं भी उस इंस्टीट्यूट में दी गयी हैं।

जे.के. लोन अस्पताल की बात, 30 जनवरी, 2020 से श्वसन रोगी बच्चों को ब्रोंकोस्कोपी की सुविधा की शुरुआत कर दी गयी है। इसी अस्पताल में रजिस्ट्रेशन, वेटिंग हाल और ब्लड बैंक की स्थापना भी की गयी है। मैंने पहले कहा, अभी प्रश्न के उत्तर में, कि यहां एक दानदाता से हमने सहमति प्राप्त की है और जे.के. लोन अस्पताल में सी.टी. स्कैन मशीन भी आने वाले समय में जल्दी हम लगाने वाले हैं।

जे.एल.एन. अस्पताल अजमेर में 4 करोड़ 42 लाख रुपये की लागत से 4 आपरेशन थियेटर्स का नवीनीकरण कर अत्याधुनिक माड्यूलर ओ.टी., 2 करोड़ 61 लाख की लागत से आपातकालीन इकाई एवं दानदाता के सहयोग से कैंसर रोगियों के उपचार हेतु 2 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से ब्रेन की थेरैपी मशीन की स्थापना की जा चुकी है, ब्रेन की थेरैपी।

मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर में नवीन कैथ लैब, 4 आपरेशन थियेटर, 10 बैड आइसोलेशन वार्ड, 17 बैड आई.सी.यू. का निर्माण काम पूरा हो गया है।

(श्री रघु शर्मा)

मेडिकल कालेज, उदयपुर में जूनियर बाय्ज हास्टल, लैक्चर थियेटर ब्लाक, ओ.पी.डी., इन्वेस्टीगेशन, एकीकृत ब्लाक, सीनियर रेजिडेंट हॉस्टल, इनके निर्माण का काम भी पूरा हो गया है।

मेडिकल कालेज, डूंगरपुर में सी.एस.एस. के तहत 300 बैड के नवनिर्मित भवन, रेजिडेंट हॉस्टल और नर्सेज हॉस्टल, इनके निर्माण का काम भी पूरा हो गया है।

मेडिकल कालेज, कोटा में 12 करोड़ 10 लाख की लागत से सेन्ट्रल लाइब्रेरी का निर्माण, और 10 करोड़ 25 लाख की लागत से 150 छात्रों के लिए हॉस्टल के निर्माण का काम भी पूरा हो गया है।

ये जे.के. लोन, कोटा को लेकर बहुत हल्ला मचाते हैं। मैं चाहता था, वे यहां रुकते, मैं उनको जवाब देता। जे.के. लोन, कोटा में 12 बैड का नवीन एन.आई.सी.यू. वार्ड 11 दिसम्बर, 2020 को शुरू किया गया है। 20 बैड का एक नया एन.आई.सी.यू. थैलेसीमिया वार्ड में 23 दिसम्बर, 2020 को शुरू करवाकर इसे 42 बैड से 74 बैड में अपग्रेड कर दिया गया है। उसकी फोटो देखेंगे न, अख़बार वालों ने लिखा है, इंटरनेशनल स्टेंडर्ड का 'नीकू' बना है, सभापति महोदय, ये सिर्फ बच्चों की मौत पर राजनीति करते हैं।

इसके अलावा मैं और आदरणीय स्वायत्त शासन मंत्री शान्ती धारीवालजी, यही मार्च का महीना था, शायद मार्च की 10 या 11 तारीख थी, इन्होंने तो अपना काम कर लिया, पर जब गुजरात के मुख्य मंत्री राजकोट में बच्चों की मौत पर, अहमदाबाद में बच्चों की मौत पर, प्रेस वाले सवाल पूछने लगे, वे भाग गये। तब इनकी बोलती बंद हुई। हमने 156 बैड के नये अस्पताल का शुभारम्भ तभी कर दिया था, एक साल पहले जो शीघ्र ही इसको पूरा कर दिया जाएगा, उसी जे.के. लोन हास्पिटल में। क्यों, धारीवाल साहब, गलत कह रहा हूं? जे.के. लोन, कोटा में एक करोड़ 35 लाख की लागत से ड्रग वेयरहाउस का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया गया है।

एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा स्थित सेन्ट्रल लैब में राशि रुपये 88 लाख की लागत से कमरों के निर्माण का काम पूरा हुआ है। एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा परिसर स्थित सेन्ट्रल लैब में राशि रुपये 33 लाख की लागत से पेशेंट फैसिलिटी सेन्टर का निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है।

(श्री रघु शर्मा)

चिकित्सा शिक्षा विभाग में विभिन्न विशिष्टताओं के आचार्य 10, सह आचार्य 11, सहायक आचार्य 64, वरिष्ठ प्रदर्शक 5, सीनियर रेजिडेंट 108 तथा जूनियर रेजिडेंट 3 पदों का सृजन किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, विपक्ष वाले कितने भी आरोप-प्रत्यारोप कर लें, लेकिन हमारी सरकार में हमारे मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में, उनकी एक सोच है कि राजस्थान का हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत बने। राजस्थान एक लीडिंग स्टेट बने। चाहे महामारी का मुकाबला करना हो, चाहे और परिस्थितियों में, राजस्थान में निरोगी राजस्थान की शुरुआत उन्होंने की।

(20.00 बजे)

राजस्थान के 44 हजार के लगभग रेवेन्यू विलेजेज में हमारे स्वास्थ्य मित्रों का, एक बहन और भाई का, चयन का काम पूरा हो गया, उनकी ट्रेनिंग का काम पूरा हो गया। अब जो शहरी क्षेत्र है या वार्ड है, वहां पर हमने यही प्रशिक्षण का प्रोसेस शुरू कर रखा है। कुछ दिनों में यह पूरा हो जाएगा, उनकी भी ट्रेनिंग करवाएंगे। दस पाइंट लिए हैं। उन्होंने कि कैसे राजस्थान का आम अवाम निरोगी रहे, इस बात का जेहन में सोच रखकर दूरदृष्टि वाले नेता के नेतृत्व में राजस्थान की यह सरकार चल रही है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, क्योंकि मुख्य मंत्रीजी का यह सपना भी है कि राजस्थान के जो 200 विधान सभा क्षेत्र हैं, उनकी एक-एक सी.एच.सी. को मॉडल सी.एच.सी. के रूप में डवलप करेंगे हम आने वाले टाइम में और राजस्थान पहला राज्य है जहां पर विधायक कोष के दो साल के एक-एक करोड़ रुपये विधायक दे रहे हैं हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मांग संख्या 26 को पारित किया जाए। धन्यवाद।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई का पारण

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26 - चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये

(श्री सभापति)

121,19,26,35,000/- (एक सौ इक्कीस अरब उन्नीस करोड़ छब्बीस लाख पैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च 2021 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.01 बजे शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च 2021 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

धौलपुर के शहरी क्षेत्र में जल भराव की समस्या का समाधान

217. श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के शहरी क्षेत्र शिवनगर, पोखरा, वार्ड नं. 9, शनिदेव के मंदिर के सामने, होण्डावाल रोड पर जल भराव की समस्या एवं अधूरे पड़े नाले के कार्य को सरकार द्वारा पूर्ण कराये जाने की क्या योजना है? उक्त जल भराव की समस्या का समाधान एवं अधूरे पड़े नाले को कब तक पूर्ण करवा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नगर परिषद् धौलपुर द्वारा शहरी क्षेत्र शिवनगर, पोखरा, वार्ड नं. 9, शनिदेव मंदिर के सामने, होण्डावाल रोड पर जल भराव की समस्या एवं अधूरे पड़े नाले के कार्य को कराने के लिए कंसल्टेन्ट के माध्यम से डी.पी.आर. तैयार कराई गयी, जिसमें उक्त स्थान को सम्मिलित करते हुए चौपड़ा मन्दिर के पीछे से पुष्पांजलि विहार कालोनी के सामने तक होण्डावाल रोड पर, होण्डावाल रोड से सिंचाई विभाग की नहर के सहारे-सहारे छोटी रेलवे लाइन पुलिया को लेते हुए अम्बेडकर नगर होते हुए भद्रकाली माता के पास से, ओडेला रोड के सहारे-सहारे, मालौनी खुर्द तक का नाला सम्मिलित किया गया है। इसकी कुल लम्बाई लगभग 13 किलोमीटर है।

शिव नगर, पोखरा, वार्ड नं. 9, शनि मन्दिर के सामने, होण्डावाल रोड पर जल भराव की समस्या व अधूरे नाले के कार्य बाबत लगभग 22 करोड़ रुपये खर्च होगा। बजट उपलब्धता के आधार पर उक्त कार्य करवाया जा सकेगा।

सरमथुरा बस स्टैण्ड के लिए जमीन का आबंटन

220. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा रोडवेज बस स्टैण्ड, सरमथुरा के लिए जमीन आबंटन हेतु राशि लगभग 3.50 लाख रुपया जमा किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा सरमथुरा में बस स्टैण्ड जमीन आबंटन हेतु जिला कलेक्टर, धौलपुर से प्राप्त मांग अनुसार भूमि की कीमत राशि रुपये 3,60,000/- (तीन लाख साठ हजार मात्र) जमा करवाई जा चुकी है।

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

जयपुर जिले में चिकित्सालयों हेतु रियायती दर पर भूमि का आबंटन

226. श्री रमेश चन्द मीना (सपोटरा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर में चिकित्सालय निर्माण के लिए विगत दस वर्षों में कई स्थानों पर रियायती दरों पर भूमि का आबंटन किये जाने के उपरान्त भी आबंटियों द्वारा अब तक कोई निर्माण नहीं कराया गया है? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा चिकित्सालय निर्माण हेतु रियायती दरों पर भूमि आबंटन के समय निर्माण की अवधि भी निर्धारित की जाती है? यदि हां, तो उक्त प्रकरणों में कितनी अवधि निर्धारित की जाती है? यदि हां, तो उक्त प्रकरणों में कितनी अवधि निर्धारित की गयी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिन आबंटियों द्वारा चिकित्सालय निर्माण नहीं करवाया गया, उनका आबंटन निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला जयपुर में चिकित्सालय निर्माण के लिए विगत दस वर्षों में रियायती दरों पर जिन्हें भूमि का आबंटन किया गया है, उनमें से चार आबंटियों ने अब तक चिकित्सालय का निर्माण नहीं कराया है।

1. आर.के. यादव मेमोरियल सोसाइटी का आबंटन दिनांक 04.06.2014 को निरस्त किया जा चुका है।
2. महिन्द्रा लाइफ स्पोर्ट्स सर्विसेज प्रा.लि. को आबंटन की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण दिनांक 01.03.2021 को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है, तत्पश्चात् निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
3. बापू नेचर केयर हास्पिटल व योगाश्रम को भूमि आबंटित की गई थी,

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

जिस पर लीज डीड की शर्तों का उल्लंघन कर तय अवधि में निर्माण नहीं करने के कारण संस्था को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस अवधि उपरान्त निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

4. मनीपाल हैल्थ सिस्टम प्रा.लि., बैंगलोर को निर्माण नहीं करने पर दिनांक 09.02.2015 को नोटिस जारी किया गया। तत्पश्चात् संस्था ने आवंटित भूमि के बदले अन्यत्र स्थान पर भूमि आबंटित की मांग की, जिसकी पूर्ति नहीं होने पर आवंटित भूमि के पेटे जमा राशि वापस करने एवं भूमि समर्पित करने का अनुरोध किया है। उक्त आबंटन निरस्त किया जाकर राजस्थान आवासन मण्डल को अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

(2) जी हां। उक्त प्रकरणों में आबंटन पत्र में आर.के. यादव मेमोरियल सोसाइटी को दो वर्ष, महिन्द्रा लाइफ स्पोर्ट्स सर्विसेज प्रा.लि. को तीन वर्ष, बापू नेचर केयर हास्पिटल व योगाश्रम को पांच वर्ष एवं मनीपाल हैल्थ सिस्टम प्रा.लि., बैंगलोर को तीन वर्ष की निर्माण अवधि भवन निर्माण हेतु निर्धारित की गई थी।

आबंटन पत्र जारी करने पश्चात् उक्त संस्थाओं को पट्टा विलेख (Lease Deed) में दो वर्ष की निर्माण अवधि निर्धारित की गई थी।

(3) जी हां। नियमानुसार यथाशीघ्र कार्यवाही की जाएगी।

बीकानेर शहर में शहीद की मूर्ति की स्थापना

229. श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसरा): क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार शहीद मेजर जेमस थॉमस, कीर्ति चक्र की स्मृति में बीकानेर शहर में शहीद की प्रतिमा लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर में पब्लिक पार्क स्थित फौजी टैंक के पास मूर्ति स्थापना का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो अब तक उक्त प्रस्ताव स्वीकृत क्यों नहीं किया गया? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। शहीद की मूर्ति लगाने के सम्बन्ध में राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.10.2009 एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र दिनांक 10.06.2016 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है, जिनकी प्रति परिशिष्ट 'क' व 'ख' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। शहीद मेजर जेमस थॉमस, कीर्ति चक्र की स्मृति में बीकानेर शहर में शहीद की प्रतिमा लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

नवलगढ़ के विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय की स्थापना

230. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के किन-किन विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय, विषय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की मांग के आधार पर अतिरिक्त विषय, संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के विद्यालयों में अतिरिक्त विषय/ संकाय के प्रस्ताव परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा 2020-21 में बिन्दु संख्या 96 के अनुसार प्रदेश में 200 रा.उ.मा.वि. में अतिरिक्त संकाय एवं 300 रा.उ.मा.वि. में अतिरिक्त विषय खोले जाएंगे।

उक्त घोषणा की पालना में गुणावगुण के आधार पर आंकलन किया जाकर वित्तीय प्रावधानों के तहत स्थानीय एवं शैक्षिक आवश्यकता के मध्यनजर समग्र स्थिति का परीक्षण/आंकलन किया जाकर अतिरिक्त विषय/संकाय खोले जाएंगे।

(प्रस्ताव पुस्तकालय में रखे गये)

भिवाड़ी एवं अलवर में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही

231. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

(1) क्या यह सही है कि भिवाड़ी एवं अलवर में विभिन्न स्थानों पर प्रदूषण स्तर अस्वास्थ्यकर होकर विभिन्न बीमारियों का कारण बन गया है? यदि हां, तो इसके लिए मुख्य रूप से कौन-कौन से उद्योग जिम्मेदार हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि भूमिगत जलस्तर भी भिवाड़ी एवं आसपास के क्षेत्र में प्रदूषित हो गया है? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं तथा सरकार उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचनानुसार भिवाड़ी एवं अलवर क्षेत्र में प्रदूषण के कारण अस्वस्थता एवं बीमारियों के आंकडों का कोई सीधा संबंध होना नहीं पाया गया।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा समय-समय पर विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण कर प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जांच की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि उद्योगों से निष्कासित/उत्सर्जित प्रदूषक तत्व निर्धारित मानकों के अन्तर्गत हों।

(2) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा भिवाड़ी एवं आसपास के क्षेत्र से वर्ष मे दो बार 22 जगहों से भूमिगत जल के नमूने एकत्रित किये जाते हैं। वर्ष 2020 के नमूनों की जांच के परिणाम परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। वर्ष 2020 के परिणामों का विश्लेषण करने पर पाया गया है कि कुछ स्थानों पर टोटल डिजोल्व्ड सोलिड्स (टी.डी.एस.) व हैवी मैटल्स, जैसे कि आयरन, निकल, लैड व कैडमियम की मात्रा मानकों से अधिक है। दोषी उद्योगों द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के नियमों की पालना नहीं करने पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा कार्यवाही की जाती है। 01 जनवरी, 2020 से 28 फरवरी, 2021 तक जल अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बेरोजगारों के बेरोजगारी भत्ते में वृदि्ध की योजना

232. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने जन घोषणा पत्र में शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग को 3,500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की घोषणा की थी? यदि हां तो 31 जनवरी, 2021 तक प्रदेश में कुल कितने पंजीकृत हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना में बेरोजगारों को भत्ता देने हेतु 1 लाख 60 हजार की संख्या निर्धारित कर रखी है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लक्ष्य को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने जन घोषणा पत्र में राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग को 3,500/- रुपये तक प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की घोषणा की थी, जिसकी अनुपालना में दिनांक 01 फरवरी, 2019 से राज्य में मुख्य मंत्री युवा सम्बल योजना का संचालन किया गया, जिसके अन्तर्गत पुरुष आशार्थियों को 3,000/- रुपये एवं ट्रांसजेण्डर, महिला एवं विशेष योग्यजन आशार्थियों को 3,500/- रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। 31 जनवरी, 2021 को विभागीय पोर्टल पर विभिन्न शैक्षणिक योग्यताधारी कुल 15,03,834 बेरोजगार आशार्थी राज्य के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं जिनमें से स्नातक व अधिस्नातक बेरोजगारों की संख्या 12,24,008 है। जिलेवार सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। मुख्य मंत्री युवा सम्बल योजनान्तर्गत स्नातक बेरोजगारों को भत्ता देने हेतु लाभार्थियों की एक वर्ष में 1 लाख 60 हजार की अधिकतम संख्या निर्धारित है। सरकार द्वारा बजट 2021-22 की बजट घोषणा संख्या 56 के अनुसार उक्त अधिकतम सीमा में वृद्धि प्रस्तावित की गयी है। अब लगभग 2 लाख बेरोजगार युवा लाभान्वित हो सकेंगे।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

फलौदी शहर में ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की कार्ययोजना

233. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि फलौदी शहर में सीवर लाइनों एवं गंदे पानी की निकासी नहीं होने से गंदा पानी जमीन पर भरा रहता है? यदि हां, तो क्या सरकार ट्रीटमेंट प्लांट लगवाकर, सीवर लाइनों का निर्माण कर उक्त समस्या

(श्री पब्बाराम)

का समाधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा फलौदी शहर में गंदे पानी एवं सीवर के पानी की निकासी के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो सरकार भविष्य में फलौदी शहर के जल, मल निकासी हेतु क्या योजना बनाने का विचार रखती है एवं उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ करवा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका क्षेत्र के निचले क्षेत्रों में वर्षा काल में गन्दे पानी भराव की समस्या रहती है, जिसे पालिका द्वारा पम्प लगवाकर पानी की निकासी करवायी जाती है, जिससे लम्बे समय तक गन्दे पानी का भराव नहीं रहता है।

आई.एच.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत फलौदी शहर में स्थित 12 कच्ची बस्तियों, मालियों का बास, हरिजन बस्ती, संजय नगर, चन्द्रशेखर कालोनी, धोलाबाल, गवारीया बस्ती, कुदरतिया कालोनी, पेट्रोल पम्प के सामने, इन्दिरा कालोनी, बरकत कालोनी, नयापुरा मालियों का बास, मेघवालों का बास में सीवरेज लाइन डालने का कार्य वर्ष 2013-14 में करवाया गया, जिसमें राशि रुपये 1531.69 लाख रुपये व्यय हुए। शेष शहरी क्षेत्र में सीवरेज लाइन नहीं है। पालिका क्षेत्र में सीवरेज एवं ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगवाने के लिए मण्डल की बैठक दिनांक 21.01.2020 में संशोधित डी.पी.आर. बनाने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। फलौदी नगर की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 50 हजार से कम होने के कारण एशियन डवलपमेन्ट बैंक योजना में व अमृत योजनान्तर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सका।

एशियन डवलपमेन्ट बैंक के पंचम चरण में 50 हजार से नीचे के शहरों में भी सीवरेज लाइन डालना एवं ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु जलापूर्ति आदि के प्रोजेक्ट का प्रस्ताव बनने के बाद एशियन डवलपमेन्ट बैंक की स्वीकृति उपरान्त ही फलौदी शहर में सीवर लाइन व ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का कार्य हाथ में लिया जा सकता है।

(2) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 01 के उत्तर में निहित है।

पावटा में नवीन मुंसिफ न्यायालय की स्थापना

234. श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में 01 जनवरी, 2019 से अब तक किस-किस स्तर के कितने न्यायालय कहां-कहां स्थापित किये गये? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के प्रागपुरा पुलिस थाने का मुंसिफ कोर्ट कोटपूतली में स्थित है, जिसके कारण उक्त विधान सभा क्षेत्र के निवासियों को कोटपूतली जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार आमजन व पक्षकारों की परेशानी को देखते हुए उक्त विधान सभा क्षेत्र के पावटा में नया मुंसिफ न्यायालय स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में 01 जनवरी, 2019 से अब तक स्थापित किये गये न्यायालयों की दिनांकवार, स्तरवार एवं स्थानवार सूची परिशिष्ट-'1' पर संलग्न है।

(2) यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के प्रागपुरा पुलिस थाने का मुंसिफ कोर्ट कोटपूतली में स्थित है। प्रागपुरा थाने से कोटपूतली स्थित न्यायालयों की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है।

रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय के पत्र दिनांक 17.02.2020 के द्वारा पावटा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना हेतु परामर्श/ प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया गया।

वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर राज्य सरकार द्वारा न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में विचार किया जा सकेगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद

235. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि देश के 41 प्रतिशत बाजरे का उत्पादन

(श्री जगसी राम)

राजस्थान में होने के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा एम.एस.पी. पर खरीद नहीं करने से प्रदेश के बाजरा उत्पादक किसान को प्रति क्विंटल लगभग 1,000 रुपये का नुकसान उठाकर सस्ती दरों पर खुले बाजार में बेचने को बाध्य होना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्यों? वर्ष 2019 एवं 2020 के दौरान प्रदेश में बाजरे का कुल कितना उत्पादन हुआ? एम.एस.पी. पर सरकार की खरीद नहीं होने से किसानों को कुल कितना आर्थिक नुकसान हुआ? औसतन विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश के किसान से एम.एस.पी दर पर बाजरा खरीद करने अथवा बाजरा उत्पादक किसानों को अपनी पैदावार बाजार मूल्य पर बेचने पर एम.एस.पी. दर का भावान्तर राशि का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य में वर्ष 2019 एवं 2020 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद नही हुई है। हालांकि इन दोनों वर्षों में राज्य की मण्डियों में बाजरे का औसत बाजार भाव बाजरे के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम रहा है, लेकिन मण्डियों में बाजरे के भाव में बदलाव होता रहा है। साथ ही किसान के स्तर पर भी बाजरे का उपयोग होने तथा बाजरे की विपणन योग्य सरप्लस मात्रा बिन्दुओं पर किसानों तथा क्षेत्रों के मध्य परस्पर भिन्नता रहती है। अत: बाजरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नही किये जाने से किसानों के आर्थिक नुकसान का निश्चित आंकलन किया जाना सम्भव नहीं है।

वर्ष 2019 में प्रदेश में बाजरे का उत्पादन 50.52 लाख टन हुआ एवं द्वितीय अग्रिम अनुमान अनुसार वर्ष 2020 में 58.28 लाख टन बाजरे का उत्पादन सम्भावित है।

(2) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बाजरे की समर्थन मूल्य पर खरीद के क्रम में इसकी सेल्फ लाइफ का तुलनात्मक रूप से कम होना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बाजरे के वितरण एवं उपभोग की स्वीकारोक्ति, उद्योगों व अन्य क्षेत्रों में बाजरे की मांग, भारतीय खाद्य निगम द्वारा बाजरा खरीद करने की सहमति देना आदि बिंदु महत्वपूर्ण एवं खरीद करने के निर्णय के सम्बन्ध में अधिक निर्णायक हैं। आगामी खरीफ विपणन वर्ष हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद के सम्बन्ध में खाद्य विभाग

(कृषि मंत्री)

द्वारा तत्समय की परिस्थिति तथा उपरोक्त बिंदुओं के विश्लेषण उपरांत आवश्यकतानुसार समुचित निर्णय लिया जाएगा।

अवैध बजरी खनन माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही

236. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि प्रदेश में बजरी खनन माफियाओं द्वारा अवैध रूप से भार क्षमता से अधिक बजरी भरने एवं तेज वाहन चलाने से अनेक दुर्घटनाएं एवं सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की रोकथाम हेतु कोई प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। प्रदेश में भार क्षमता से अधिक बजरी सहित अन्य खनिज/माल का परिवहन करने व तेज गति से वाहन चलाने के कारण दुर्घटनाएं एवं सड़कें क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना रहती है।

प्रदेश में भार क्षमता से अधिक बजरी सहित अन्य खनिज का परिवहन करने के कारण सम्भावित दुर्घटनाओं को रोकने के दृष्टि से माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2019-20 में खान विभाग के सॉफ्टवेयर "ई-रवन्ना" को परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर "वाहन" के साथ एकीकृत की घोषणा की गयी। उक्त घोषणा के क्रम में खान विभाग एवं परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर का एकीकरण दिनांक 01.01.2020 से कर लिया गया है। उक्त एकीकरण से खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में भार क्षमता से 5 प्रतिशत से अधिक परिवहन करने पर प्रत्येक ओवरलोड वाहन की सूचना रियल टाइम बेसिस पर परिवहन विभाग को उपलब्ध हो रही है।

सरूपगंज में बस स्टैण्ड की स्थापना

237. श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि पिंडवाड़ा और सरूपगंज में मास्टर प्लान के तहत बस डिपो एवं सरूपगंज में बस स्टैण्ड नहीं है? क्या सरकार बस स्टैण्ड बनाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के पिंडवाड़ा और सरूपगंज में बस डिपो नहीं है। साथ ही प्रश्नगत स्थानों पर बस डिपो बनाने का कोई प्रस्ताव निगम स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

सरूपगंज में निगम का बस स्टैण्ड निर्मित नहीं है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नही होने के कारण सरूपगंज में भूमि खरीदकर बस स्टैण्ड का निर्माण कराना परिवहन निगम के लिए फिलहाल सम्भव नहीं है।

स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान द्वारा प्रेषित सूचना में नगरपालिका पिंडवाड़ा में नगर के भविष्य में बढ़ते यातायात को देखते हुए 2.84 हैक्टेयर की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग-14 तथा प्रस्तावित बाई-पास के चौराहे पर मास्टर प्लान में बस स्टैण्ड हेतु भूमि प्रस्तावित की गयी है।

कोचिंग सेन्टर्स द्वारा वसूली जा रही फीस पर नियंत्रण

238. श्री बलजीत यादव (बहरोड़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में कोचिंग सेन्टर्स द्वारा बेरोजगार युवाओं से मनमानी फीस की वसूली की जा रही है?

(2) क्या सरकार उक्त सेन्टर्स की फीस पर नियंत्रण हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

जोधपुर में वन भूमि पर बसी आबादी को मूलभूत सुविधाएं

239. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वन भूमियों पर काफी बड़ी संख्या में लम्बे समय से आबादियां बसी हुई हैं? यदि हां, तो जोधपुर जिले में कहां-कहां पर, कब-कब से, कितने-कितने परिवार बसे हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आबादियों में सरकार द्वारा आवश्यक सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, विद्यालय, चिकित्सालय आदि उपलब्ध कराई जा रही हैं? यदि हां, तो कहां-कहां कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती मीना कंवर)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त आबादी भूमियों को सरकार भूमि के बदले आबादी में रूपान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त भूमियों पर आबादी बसने से लेकर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर जिले में वन भूमि पर अवैध रूप से बसी हुई कालोनियों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ए' अनुसार है।

(2) विभाग द्वारा अवैध कॉलोनी में आवासीय सुविधाएं यथा बिजली, पानी, सड़क इत्यादि नहीं दी जाती हैं और न ही इन अवैध कालोनियों में उक्त सुविधाएं देने हेतु विभाग द्वारा कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

(3) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत जारी मार्गदर्शिका के अनुसार वन भूमि में आवासीय उपयोग हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जाने का प्रावधान है। मार्गदर्शिका की प्रति संलग्न परिशिष्ट 'बी' अनुसार है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

आउट आफ टर्न पालिसी के तहत खिलाड़ियों को नियुक्ति

240. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि खिलाड़ियों को उनके अच्छे प्रदर्शन पर राजकीय सेवा में नियुक्ति देने के लिए सरकार ने आउट आफ टर्न पालिसी लागू की है? यदि हां, तो कब से तथा अब तक कितने खिलाड़ियों का चयन व नियुक्ति दी गयी? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पॉलिसी के तहत 01.01.2016 के पूर्व के खिलाड़ियों को नियुक्ति के अवसर से वंचित रखा गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खिलाड़ियों को भी पालिसी का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि 01.01.2016 से पूर्व के खिलाड़ियों ने

(श्री वासुदेव देवनानी)

भी उक्त पालिसी के तहत नियुक्ति हेतु सरकार को आवेदन किये हैं? यदि हां, तो योग्य खिलाड़ियों की श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सरकार द्वारा क्रीड़ा पदक विजेता खिलाड़ियों को बिना पारी नियुक्ति नियम, 2017 एवं संशोधन नियम, 2020 के तहत दिनांक 01.01.2016 के बाद कुल 29 खिलाड़ियों को सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 153 खिलाड़ियों का चयन किया जा चुका है। नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रकरण में विधिक परीक्षण करवाया जा रहा है।

(3) जी हां। आवेदित खिलाड़ियों की सूची परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

आरक्षित वर्ग को पदोन्नति

231. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा अनारक्षित पद के विरुद्ध आरक्षित वर्ग के राजसेवक को पदोन्नत करने बाबत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं? यदि हां, तो क्या? दिशा-निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा कार्मिक (क-2) विभाग को भेजे गए पत्र क्रमांक 2606 दिनांक 14.07.2020 एवं क्रमांक 107137 दिनांक 20.06.2020 पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जन प्रतिनिधियों द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पदों पर पदोन्नति बाबत विभाग को ज्ञापन प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उक्त ज्ञापनों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के प्रावधानानुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति हेतु क्रमश: 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।

किन्तु सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता के आधार पर कार्मिक विभाग द्वारा निम्न अभिमत व्यक्त किया जा रहा है:-

यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई योग्य एवं पात्र अभ्यर्थी अपनी स्वयं की वरीयता अर्थात् सेवा में प्रवेश के समय की वरीयता के आधार पर वरिष्ठ है और उससे कनिष्ठ अनारक्षित वर्ग का राजसेवक पदोन्नत हो जाता है तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यांश यथा 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत से अथवा रोस्टर बिन्दु से पद भरा होने पर भी पदोन्नति से वंचित नहीं किया जायेगा अपितु आधिक्य हुआ निर्धारित अभ्यांश भविष्य में समायोजित किया जायेगा।

(2) मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा कार्मिक (क-2) विभाग को भेजे गये पत्र क्रमांक 2606 दिनांक 14.07.2020 एवं क्रमांक 107137 दिनांक 20.06.2020 पर की गयी कार्यवाही परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(कार्मिक मंत्री)

(3) जी हां। जन प्रतिनिधियों एवं विभिन्न माध्यमों से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों को पदोन्नति के सम्बन्ध में प्राप्त ज्ञापनों पर सामान्यतया कार्मिक विभाग द्वारा सीधे ही कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, अपितु प्राप्त ज्ञापन सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल ही प्रेषित कर दिये जाते हैं। तत्पश्चात् प्रशासनिक विभाग के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण किया जाकर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त पत्रावली पर कार्मिक विभाग का अभिमत व्यक्त करते हुए पत्रावली लौटा दी जाती है।

तथापि अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध आरक्षित वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति दिये जाने हेतु ऊर्जा विभाग को दी गयी राय के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी करने के सम्बन्ध में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त ज्ञापन एवं उन पर की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित पत्र की प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

शीघ्रलिपिक भर्ती परीक्षा का आयोजन

232. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से तीन वर्ष पूर्व निकाली गई शीघ्रलिपिक भर्ती परीक्षा को निर्धारित समय पर आयोजित कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार शीघ्रलिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2018 दिनांक 21.03.2021 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

रायपुर एवं सोजत पंचायत समितियों द्वारा कराये गये कार्यों की निविदाएं

233. श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्रीमती शोभा चौहान)

(1) सोजत विधान सभा क्षेत्र की रायपुर एवं सोजत पंचायत समितियों में वर्ष 2020 में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि के कार्य की कब-कब निविदा जारी की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त किये गये कार्यों का पंचायतवार, कार्यवार किस-किस संवेदक को कब-कब कार्य दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त किये गये कार्य का किस सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सोजत विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति रायपुर में वर्ष 2020 में किसी भी कार्य की निविदा जारी नहीं की गई है।

पंचायत समिति सोजत में राज्य वित्त आयोग-पंचम में रु. 12.98 लाख के कार्य की निविदा नियम 182 के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2020-21 में दो निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं। ग्राम पंचायत भैंसाना में रु. 4.98 लाख की निविदा संख्या 01 दिनांक 01.06.2020 एवं ग्राम पंचायत झूपेलाव में रु. 8.00 लाख की निविदा संख्या 02 दिनांक 20.12.2020 को जारी की गई है।

(2) ग्राम पंचायत भैंसाना में निविदा संख्या 01 बरसाती पानी के कटाव को रोकने हेतु सड़क के पास तालाब के पास मिट्टी भराई कार्य हेतु राशि रु. 4.98 लाख का मैसर्स महेन्द्रसिंह कन्सट्रक्शन, रून्दिया को आदेश क्रमांक 02 दिनांक 02.07.2020 द्वारा कार्य आदेश जारी किया गया।

ग्राम पंचायत झूपेलाव के कार्य के लिए की गयी निविदा को निरस्त कर दिया गया है।

(3) ग्राम पंचायत भैंसाना की निविदा सरपंच द्वारा अनुमोदित की गयी है।

बस्सी में राजकीय आवासों की मरम्मत

234. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में निर्मित कितने एवं कहां-कहां सरकारी परिसर, भवन, लाज एवं क्वार्टर्स हैं, जिनका कोई जन उपयोग नहीं हो रहा है? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री लक्ष्मण मीणा)

(2) उक्त निर्माण कब-कब, कितनी-कितनी लागत से किसके द्वारा करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त निर्मित भवनों, परिसरों, कक्षों व हाल तथा क्वार्टर्स पर कब-कब कितनी-कितनी बार कितनी राशि से किसके द्वारा मरम्मत करवाई गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार रिक्त विद्यालय भवनों को जनोपयोगी कार्यों में लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन को एवं कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं में निर्मित सरकारी भवन, लाज एवं क्वार्टर्स में से अनुपयोगी भवनों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त निर्माण कार्य की लागत, अवधि, कार्यकारी संस्था का विवरण परिशिष्ट 'अ' में अंकित है।

(3) भवन अनुपयोगी होने के कारण मरम्मत नहीं कराई गई।

(4) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में रिक्त विद्यालय भवनों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है, जिनके उपयोग करने हेतु प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) के पत्र दिनांक 31.08.2020 के द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं। जैसे ही किसी भी कार्यालय/आवास आदि की आवश्यकता होती है, सर्वप्रथम वर्तमान में उपलब्ध अनुपयोगी भवनों को उपयोग में लेने के प्रयास प्राथमिकता से किये जाएंगे।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

टोंक के वार्ड 49 में बिजली का नवीन खंभा लगाने की योजना

235. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि नगर परिषद् टोंक के वार्ड नम्बर 49 में लगा हुआ बिजली का खम्भा संख्या 214 नीचे से टूट गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त खम्भे को हटाकर उसके स्थान पर नवीन खम्भा कब तक लगा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। नगर परिषद् टोंक के वार्ड नम्बर 49 में क्षतिग्रस्त बिजली के पोल संख्या 214 को हटाकर उसके स्थान पर नया पी.सी.सी. विद्युत पोल लगा दिया गया है।

डूंगरपुर शहर की कच्ची बस्ती में पेयजल उपलब्ध कराने की योजना

236. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार डूंगरपुर शहर के पुराने शहर में रहने वाले लोगों के पीने के पानी की समस्या का निराकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शहर में कच्ची बस्ती में निवासरत लोगों को गर्मी के दिनों में पीने के पानी की गम्भीर समस्या से मुक्त करने हेतु क्या सरकार कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पाइप्ड जल योजना से लाभान्वित कस्बा डूंगरपुर की वर्ष 2011 की जनगणनानुसार जनसंख्या 47,706 एवं वर्तमान अनुमानित जनसंख्या 60,282 जन है तथा कस्बे में सम्मिलित कुल 30 वार्डों में से 16 वार्ड (वार्ड संख्या 5 से 20) कस्बे के पुराने क्षेत्र में अवस्थित हैं।

डूंगरपुर कस्बे की कुल 4,220 किलोलीटर प्रतिदिन पेयजल मांग की आपूर्ति सतही जल स्रोत डिमिया बांध एवं एडवर्ड समंद बांध से की जाती है। उक्त 16 वार्डों की वर्तमान पेयजल मांग 1,925 किलोलीटर प्रतिदिन के अनुरूप, 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 24 घण्टे के अंतराल से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है तथा इसके अतिरिक्त इन वार्डों में 150 क्रियाशील हैण्डपम्पों से भी पेयजल उपलब्ध हो रहा है। इस प्रकार डूंगरपुर कस्बे के पुराने क्षेत्र में अवस्थित उक्त 16 वार्डों में सामान्य एवं सुचारु रूप से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुनिश्चित की जा रही है।

डूंगरपुर कस्बे सहित पंचायत समिति आसपुर, दौवड़ा एवं डूंगरपुर के 151 ग्राम एवं 244 ढाणियों की वर्ष 2051 की अभिकल्पित जनसंख्या की वांछित जल मांग आपूर्ति हेतु सतही जल स्रोत सोम-कमला-आम्बा बांध से

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

राशि रुपये 365.00 करोड़ की स्वीकृत परियोजना के पैकेज-1 का कार्य माह सितम्बर, 2018 से प्रगति पर है तथा इसके पूर्ण होने पर डूंगरपुर कस्बे को वर्ष 2051 की अभिकल्पित जनसंख्या की मांग के अनुरूप 8.19 मिलियन लीटर प्रतिदिन अतिरिक्त पानी उपलब्ध हो सकेगा।

(2) डूंगरपुर कस्बे के वार्ड संख्या 5 एवं 14 से 17, इस प्रकार कुल 5 वार्डों में कच्ची बस्तियों का क्षेत्र अवस्थित है तथा इन वार्डों की वर्तमान पेयजल मांग 655 किलोलीटर प्रतिदिन के अनुरूप, 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 24 घण्टे के अंतराल से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है तथा इसके अतिरिक्त इन वार्डों में 50 क्रियाशील हैण्डपम्पों से भी पेयजल उपलब्ध हो रहा है। इस प्रकार इन वार्डों में अवस्थित कच्ची बस्तियों सहित सम्पूर्ण वार्ड क्षेत्रों में सामान्य एवं सुचारु रूप से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुनिश्चित की जा रही है।

डूंगरपुर कस्बे हेतु उक्तानुसार 8.19 मिलियन लीटर प्रतिदिन अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने हेतु परियोजना का कार्य भी प्रगति पर है।

टोंक शहर में अवैध पेयजल कनेक्शनों के विरुद्ध कार्यवाही

237. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) टोंक शहर में पेयजल के कितने उपभोक्ता हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि टोंक शहर में काफी संख्या में पेयजल के अवैध कनेक्शन हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक उक्त अवैध कनेक्शनों को हटाने के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि टोंक शहर में पेयजल के अवैध कनेक्शनों के कारण सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है और वैध उपभोक्ताओं को भी प्रेशर से उचित मात्रा में पेयजल नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो सरकार उक्त के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टोंक शहर की पाइप्ड पेयजल योजना अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

के अन्तर्गत कुल 18,768 जल उपभोक्ता हैं तथा इनमें से 18,071 जल उपभोक्ता घरेलू श्रेणी में तथा शेष जल उपभोक्ता अन्य विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत हैं।

विभिन्न श्रेणीवार जल उपभोक्ताओं सम्बन्धी वांछित विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। टोंक शहर की जल योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2020 से 31.01.2021 की अवधि में 96 अवैध जल सम्बन्धों को चिन्हित किया जाकर मौके से हटाने का कार्य पूर्ण किया गया है।

मौके से हटाये गये अवैध जल सम्बन्धों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) उपरोक्तानुसार। टोंक शहर की जल योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा 96 अवैध जल सम्बन्धों को चिन्हित किया जाकर इन्हें मौके से हटाने का कार्य पूर्ण किया गया है तथा अवैध जल सम्बन्धों को मौके से हटाने के लिए विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही सतत रूप से की जा रही है।

टोंक शहर की वर्तमान जल मांग 20.00 मिलियन लीटर प्रतिदिन के अनुरूप सतही जल स्रोत बीसलपुर बांध आधारित परियोजना से 20.00 मिलियन लीटर पेयजल प्रतिदिन लिया जा रहा है तथा इसके अतिरिक्त शहरी जल योजना अन्तर्गत निर्मित 14 खुले कुओं से भी 3.00 मिलियन लीटर स्वच्छ पेयजल प्रतिदिन उत्पादित हो रहा है।

इस प्रकार टोंक शहर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों में सतही/भू-जल स्रोतों से पर्याप्त मात्रा में प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुनिश्चित की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर के सागर एनक्लेव, धौलाई में अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही

238. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विगत तीन वर्षों में जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-8 में स्थापित आवासीय कालोनी सागर एनक्लेव, धौलाई में अवैध निर्माण के कितने प्रकरण किस-किस भूखण्ड संख्या के विरुद्ध कब-कब दर्ज किये गये हैं? वर्षवार सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

(2) उक्त दर्ज शिकायतों पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त आवासीय कालोनी में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणकर्ता द्वारा किये गये अवैध निर्माण को हटा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार सख्ती से अवैध निर्माण हटाने तथा अवैध निर्माणकर्ता पर शास्ति लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत 3 वर्षों में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के जोन-8 में आवासीय कालोनी सागर एनक्लेव, ग्राम धौलाई में अवैध निर्माण के दो प्रकरण वर्ष 2019 में प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

1. भूखण्ड संख्या 23 सागर एनक्लेव, ग्राम धौलाई में अवैध निर्माण बाबत।
2. भूखण्ड संख्या 23-ए सागर एनक्लेव, ग्राम धौलाई में अवैध निर्माण।

(2) उक्त दोनों प्रकरणों में वर्णित भूखण्ड संख्या 23 व 23-ए सागर एन्क्लेव, विधान सभा नगर ग्राम धौलाई में किये गये अवैध निर्माण के विरुद्ध दिनांक 13.11.2019 को ज.वि.प्रा. अधिनियम 1982 की धारा 32, 33 के नोटिस जारी कर माननीय न्यायालय ए.सी.जे.एम. क्रम संख्या-2, ज.वि.प्रा. में चालान पेश किया जा चुका है।

(3) वर्तमान में भूखण्ड संख्या 23 एवं 23-ए सागर एन्क्लेव आवासीय योजना में अवैध निर्माण मौजूद है तथा उक्त दोनों भूखण्डों पर परिवार निवास कर रहे हैं। सागर एन्क्लेव विधान सभा नगर ग्राम धौलाई में भूखण्ड संख्या 23 व 23-ए पर किये गये अवैध निर्माण बाबत धारा 32, 33 ज.वि.प्रा. के नोटिस दिनांक 13.11.2019 को जारी किये गये थे, जिनका चालान माननीय न्यायालय ए.सी.जे.एम. क्रम-02, ज.वि.प्रा., जयपुर में पेश किया जा चुका है। भूखण्ड संख्या 23-ए में माननीय न्यायालय अपीलीय अधिकरण, ज.वि.प्रा., जयपुर द्वारा अपील संख्या 150/2020 के तहत स्थगन आदेश जारी किया गया है, जिसमें आगामी दिनांक 23.04.2021 नियत है। माननीय न्यायालय के निर्णय के पश्चात् उक्त अवैध निर्माण पर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।

सांगानेर में नगर निगम द्वारा कराये गये विकास कार्य

239. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर नगर निगम द्वारा जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2020 तक विधान सभा क्षेत्र सांगानेर की किस-किस कालोनी, वार्ड में सड़क, नाली, पार्क, सीवरेज, ट्यूबवैल आदि के क्या-क्या विकास कार्य करवाये गये? कितने कार्य प्रगति पर हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों की वार्डवार व राशिवार प्रगति विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर नगर निगम द्वारा जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2020 तक विधान सभा क्षेत्र सांगानेर की जिस-जिस कालोनी/वार्ड में सडक, नाली, पार्क, सीवरेज, ट्यूबवैल आदि के विकास कार्य हुए हैं, उनका कार्यवार एवं प्रगतिवार विवरण परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर संलग्न है।

(2) उक्त कार्यों की प्रगति सम्बन्धी वार्डवार एवं राशिवार विवरण परिशिष्ट "अ" एवं "ब" में अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रायसिंहनगर में कृषि ऋणों पर देय अनुदान

240. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्र, पोली हाउस, ग्रीन हाउस आदि के लिए अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2020 तक विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में किस-किस किसान को किन-किन वस्तुओं पर अनुदान उपलब्ध कराया गया? अनुदान की राशि सहित तहसीलवार, किसान के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2020 तक कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रों पर तथा उद्यान विभाग द्वारा कृषि

(कृषि मंत्री)

यंत्र, पोली हाउस/ग्रीन हाउस पर दिये गये अनुदान की राशि सहित तहसीलवार, किसान के नाम मय मोबाइल नम्बर के विवरण क्रमश: परिशिष्ट '1' एवं '2' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

देवली-उनियारा में फसल बीमा योजना में देय प्रीमियम

241. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

विधान सभा क्षेत्र देवली उनियारा में विगत 5 वर्षों में सरकार द्वारा फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा कम्पनियों द्वारा कितनी प्रीमियम राशि दी गयी एवं किसानों से कितनी प्रीमियम राशि प्राप्त की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में गत 5 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कृषक प्रीमियम तथा राज्यांश प्रीमियम का विवरण (करोड़ रुपये में) निम्न प्रकार है:

मौसम	कृषक प्रीमियम	राज्यांश प्रीमियम
खरीफ 2016	0.99	4.33
रबी 2016-17	0.71	1.95
खरीफ 2017	1.09	4.24
रबी 2017-18	1.27	2.37
खरीफ 2018	1.16	1.84
रबी 2018-19	1.15	1.51
खरीफ 2019	1.09	0.78
रबी 2019-20	1.38	1.11
खरीफ 2020	1.90	8.80
रबी 2020-21	2.84	6.60

क्रूड आयल के उत्पादन में वृद्धि की कार्ययोजना

242. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य सरकार को क्रूड आयल से कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में क्रूड आयल का उत्पादन प्रतिदिन कितना बैरल है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार क्रूड आयल का उत्पादन बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार को विगत तीन वर्षों में क्रूड आयल से प्राप्त राजस्व का विवरण परिशिष्ट-'1' पर उपलब्ध है।

(2) प्रदेश में वर्तमान में 1,15,000-1,20,000 बैरल प्रतिदिन क्रूड आयल का उत्पादन हो रहा है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में क्रूड आयल का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व की जोइंट वेन्चर पालिसी एवं नवीन ओपन एक्रियेज लाइसेंसिंग पालिसी के तहत तेल व गैस की खोज के लिए 14 पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस (पी.ई.एल.) आवंटित किये गये हैं। उक्त पी.ई.एल. में अन्वेषण से राज्य में क्रूड आयल एवं गैस के अतिरिक्त भण्डार मिलने से इनके उत्पादन में वृद्धि होने की प्रबल सम्भावनाएं हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

लाडपुरा में संचालित गौशालाओं को देय अनुदान

243. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कोटा नगर निगम क्षेत्र एवं लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र में कितनी गौशालाएं संचालित की जा रही हैं? उक्त गौशालाओं में कितनी गायें एवं बछड़े वर्तमान में रह रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संचालित गौशालाओं में गायों और बछड़ों के लिए चारा-पानी एवं छाया व्यवस्था किस प्रकार की जा रही है? सरकार द्वारा प्रति गाय कितना अनुदान दिया जा रहा है? अनुदान राशि देना कब से प्रारम्भ किया गया है?

(श्रीमती कल्पना देवी)

(3) उक्त संचालित गौशालाओं में से कितनी रजिस्टर्ड हैं और कितनी अनरजिस्टर्ड हैं? अनरजिस्टर्ड को रजिस्टर्ड करने की कार्यवाही कब तक कर दी जाएगी? नवीन गौशाला खोलने पर सरकार द्वारा क्या-क्या सहायता किस-किस मद से उपलब्ध करायी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा नगर निगम क्षेत्र में 07 गौशालाएं संचालित हैं एवं लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र में कोई गौशाला संचालित नहीं है। इन गौशालाओं में गौवंश का विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) उक्त संचालित गौशालाओं में गायों व बछड़ों के लिए चारा, पानी एवं छाया व्यवस्था गौशाला प्रबंधकों द्वारा की जाती है।

गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 के अन्तर्गत पात्र गौशालाओं को उसमें आवासित गौवंश के भरण-पोषण हेतु नियमानुसार एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 180 दिवस की सहायता राशि 90-90 दिवस के दो चरणों में बड़े गौवंश हेतु राशि रु. 40 तथा छोटे गौवंश हेतु राशि रु. 20 प्रति गौवंश प्रतिदिन की दर से दिये जाने का प्रावधान है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 के अन्तर्गत सहायता का वितरण वर्ष 2016-17 से प्रारम्भ किया गया है।

(3) उक्त संचालित गौशालाओं में से मात्र एक कांजी हाउस अनरजिस्टर्ड है।

राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 की धारा (4) के अनुसार गौशाला विकास अधिकारी, जो कि रजिस्ट्रार गौशाला है, का एक पद अधिनियम अनुसार सृजित है। अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकरण कार्य किया जाता है। यदि अपंजीकृत संस्था, पंजीकरण हेतु आवेदन करेगी तो उस पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।

गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 अन्तर्गत सहायता राशि हेतु गौशाला की पात्रता के लिए न्यूनतम 200 गौवंश का संधारण, दो वर्ष पूर्व का रजिस्ट्रेशन एवं विगत दो वर्षों से संचालित होना आवश्यक है। प्रदेश की पात्र गौशालाओं में संधारित गौवंश के भरण-पोषण हेतु वर्ष में अधिकतम 180 दिवसों की सहायता राशि नियमानुसार 90-90 दिवस के दो चरणों में दिये जाने का प्रावधान है। बड़े गौवंश हेतु 40 रु. तथा छोटे गौवंश हेतु 20 रु. प्रतिदिन प्रति गौवंश की दर से दिया जा रहा है।

(गोपालन मंत्री)

गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम-2016 से सृजित निधि द्वारा गौशालाओं में आधारभूत परिसम्पत्तियों के निर्माण कार्य जैसे गौ-शैड, चारा भण्डार गृह, गौपालक आवास गृह, पानी की खेली, चारा खेली, तारबंदी आदि के लिए गौशाला जनसहभागिता विकास योजना अन्तर्गत अधिकतम राशि रु. 10 लाख प्रति गौशाला दिये जाने का प्रावधान है।

इस योजना में राज्य के पंजीकृत गौशालाओं जिनके पास स्वामित्व की भूमि तथा जिनमें न्यूनतम 100 गौवंश का संधारण गत दो वर्ष से किया जा रहा है, को सहायता उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है।

आधारभूत निर्माण हेतु 90:10 के अनुपात में राजकीय अंशदान व जनसहभागिता अंशदान का प्रावधान है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही की गौशालाओं को देय अनुदान

244. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला सिरोही में कितनी गौशालाओं के पंजीयन के आवेदन लम्बित हैं और क्यों? इनका पंजीयन कब तक कर लिया जाएगा?

(2) वर्ष 2013-14 से 2020-21 तक उक्त जिले की किस-किस गौशाला को गौवंश हेतु कितना-कितना अनुदान दिया गया? वर्षवार, गौशालावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिरोही जिले में दो गौशालाओं के आवेदन पंजीयन के लिए प्राप्त हुए, जिनका विवरण निम्न है:-

1. खुशी सेवार्थ ट्रस्ट, आबू पर्वत का आवेदन कमियों की पूर्ति हेतु संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सिरोही द्वारा दिनांक 21.12.2020 को गौशाला को लौटाया गया है।
2. श्री रोकड़िया हनुमान जानकी गौशाला, वेलांगरी का आवेदन संयुक्त निदेशक (पंजीयन) गोपालन विभाग द्वारा आक्षेप की पूर्ति हेतु दिनांक 23.02.2021 को संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सिरोही को लौटाया गया है।

(गोपालन मंत्री)

राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकरण कार्य किया जाता है। आवेदनों की कमियों की पूर्ति हो जाने पर नियमानुसार पंजीयन किया जा सकेगा।

(2) वर्ष 2013-14 से लेकर 2020-21 तक सिरोही जिले की गौशालाओं को दी गयी सहायता राशि का विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़ी में ग्रामीण बस सेवा का संचालन

245. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के मुख्यालय से ग्राम पंचायत मुख्यालय धीमरी के लिए वाया ग्राम पंचायत मुख्यालय सनौरा, ग्राम टोड़पुरा, खुले का पुरा, धन्नु का पुरा तक जनहित को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ग्रामीण बस सेवा का संचालन कराये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीमित संसाधनों के कारण प्रश्नगत स्थान होकर निगम वाहन सेवा संचालन का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

सरकार की घोषणा "ग्रामीण परिवहन बस सेवा का विस्तार करते हुए दूर-दराज के गांवों/ढाणियों को बस सेवा से जोड़ना" के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण मार्गों का सर्वे कर संचालन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

रोजदा से चांदपोल (जयपुर शहर) तक ग्रामीण परिवहन बस सेवा का संचालन

246. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आमेर के ग्राम रोजदा से चांदपोल (जयपुर शहर) तक परिवहन की व्यवस्था नहीं है?

(श्री सतीश पूनियां)

(2) क्या सरकार जनहित में ग्राम रोजदा से चांदपोल (जयपुर शहर) तक ग्रामीण परिवहन बस सेवा प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर के ग्राम रोजदा से चांदपोल (जयपुर शहर) में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के 01 वाहन का संचालन निम्न समयानुसार किया जा रहा है:-

क्र. सं.	आगार	मार्ग	समय
1	विद्याधर नगर	चांदपोल-राधाकिशनपुरा वाया रोजदा	19.15
2		राधाकिशनपुरा-चांदपोल वाया रोजदा	06.30

(2) सरकार की घोषणा "ग्रामीण परिवहन बस सेवा का विस्तार करते हुए दूर-दराज के गांवों/ढाणियों को बस सेवा से जोड़ना" के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण मार्गों का सर्वे कर संचालन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

शिक्षकों की स्थानान्तरण नीति

247. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि सरकार ने प्रदेश के शिक्षकों के स्थानान्तरण के लिए नई तबादला नीति बनाने की घोषणा की थी? यदि हां, तो क्या उक्त नीति बना ली गयी है? क्या सरकार नई तबादला नीति को प्रदेश में लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। अपितु शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के शिक्षकों के स्थानान्तरण के लिए नई तबादला नीति बनाये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

अनुदानित संस्थाओं के शिक्षाकर्मियों को पेंशन का परिलाभ

248. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2011 से अनुदानित संस्थाओं से कुछ शिक्षाकर्मियों को राजकीय संस्थाओं में समायोजित किया गया था? यदि हां, तो कितनी संख्या में शिक्षाकर्मियों को समायोजित किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि समायोजित शिक्षाकर्मियों को पुरानी पेंशन का परिलाभ दिये जाने का निर्णय वर्ष 2018 में माननीय उच्च न्यायालय ने किया है? यदि हां, तो उक्त निर्णय की पालना में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला चूरू में कुल कितने समायोजित शिक्षाकर्मी कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2011 से अनुदानित संस्थाओं से शिक्षाकर्मियों को राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम-2010 के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के 1,842 एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के 3,676 शिक्षाकर्मियों को राजकीय संस्थाओं में समायोजित किया गया। जिलावार संख्यात्मक सूची परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर संलग्न है।

(2) जी हां। समायोजित शिक्षाकर्मियों को पुरानी पेंशन का परिलाभ दिये जाने का निर्णय वर्ष 2018 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था। न्यायिक निर्णय के विरुद्ध रिव्यू याचिका (डब्ल्यू आर डब्ल्यू 31/2019) दायर की गयी, जो कि वर्तमान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में खण्डपीठ के समक्ष विचाराधीन है।

(3) चूरू जिले में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत 63 एवं माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत 110 समायोजित शिक्षाकर्मी कार्यरत हैं। विवरण परिशिष्ट "ग" एवं "घ" पर संलग्न है।

(सूचियांव विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

भीलवाड़ा में औद्योगिक प्रदूषण रोकने की कार्ययोजना

249. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा में शुष्क नदियों में औद्योगिक इकाइयों का ठोस एवं तरल कचरा प्रवाहित किया जाता है? यदि हां, तो जिले की कौन-कौनसी नदियों में प्रदूषित तत्व प्रवाहित किये जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) ने राज्य सरकार को प्रदेश की शुष्क नदियों की समीक्षा कर इनमें प्रवाहित औद्योगिक प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस कदम उठाने का आदेश दिया है? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त की समीक्षा कर ली है? क्या सरकार उक्त के संबंध में कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जल संसाधन विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार भीलवाड़ा जिले की बनास एवं कोठरी नदियों में औद्योगिक इकाइयों द्वारा तरल कचरा (liquid waste) प्रवाहित किया जा रहा है।

(2) जी हां। इस बाबत मुख्य सचिव द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। इस प्रकरण में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन.जी.टी.) के आदेशों की पालना हेतु जल संसाधन विभाग को नोडल विभाग नियुक्त किया गया है। शुष्क नदियों के प्रदूषित भागों को चिह्नित कर रीको, स्वायत्त शासन विभाग एवं उद्योग विभाग को ठोस एवं तरल अपशिष्ट को बिना उपचार किये चिह्नित शुष्क नदियों में प्रवाहित नहीं करने हेतु निर्देशित किया गया है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा इस सम्बन्ध में मानिटरिंग की जाती है।

जयपुर, अजमेर एवं भरतपुर सम्भाग के जिलों में सड़कों पर लगाये गये वृक्षों की देखभाल

250. श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2013 से वर्ष 2018 के दौरान जयपुर,

(श्री रफीक खान)

अजमेर एवं भरतपुर सम्भाग के जिलों में सड़कों के नव निर्माण व चौड़ाई बढ़ाने हेतु काटे गये वृक्षों के स्थान पर तीन गुना वृक्ष नहीं लगाये गये हैं? यदि हां, तो उक्त सम्भागों के जिलों की सड़कवार काटे गये वृक्षों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि के दौरान उक्त सम्भाग के जिलों की पहले से निर्मित सड़कों पर लगाये गये वृक्षों की समय पर देखभाल नहीं होने से अधिकांश वृक्ष नष्ट हो चुके हैं? यदि हां, तो सम्भाग के नष्ट हो चुके वृक्षों की जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार उक्त अवधि के दौरान वृक्ष नहीं लगाये जाने एवं वृक्षों की देखभाल नहीं करने के जिम्मेदार एजेन्सियों, संवेदकों एवं अधिकारियों तथा अभियंताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2013 से 2018 की अवधि में सड़क निर्माण में काटे गये वृक्षों के स्थान पर लगाये गये वृक्षों की सड़कवार सूचना संलग्न परिशिष्ट 'ए' अनुसार है।

(2) जी नहीं।

(3) देख-रेख के अभाव की स्थिति में करार के प्रावधान के अनुसार एजेन्सी संवेदक पर कार्यवाही की जाती है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

चाकसू के पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता

251. श्री वेद प्रकाश सोलंकी (चाकसू): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्तमान में जिला जयपुर में कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र चाकसू के अन्तर्गत कितने बेरोजगार लोगों ने स्थानीय जिला रोजगार केन्द्र पर पंजीकरण करा रखा है? उक्त बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में स्थित रोजगार कार्यालयों में 31 जनवरी, 2021 को विभिन्न शैक्षणिक योग्यताधारी तथा विभिन्न आयु वर्ग के कुल 1,56,157 बेरोजगार आशार्थी पंजीकृत हैं।

(2) जयपुर जिले में स्थित रोजगार कार्यालयों में 31 जनवरी, 2021 को विधान सभा क्षेत्र चाकसू के विभिन्न शैक्षणिक योग्यताधारी तथा विभिन्न आयु वर्ग के कुल 4,662 बेरोजगार आशार्थी पंजीकृत हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अन्तर्गत सभी पंजीकृत बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता है, अपितु स्नातक शैक्षणिक योग्यताधारी तथा योजना की पात्रता की अन्य शर्तों को पूर्ण करने वाले आशार्थियों को ही बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में पंजीकृत स्नातक तथा अधिस्नातक बेरोजगार आशार्थियों की कुल संख्या 4,401 है। इनमें से 31 दिसम्बर, 2020 तक न्यूनतम स्नातक शैक्षणिक योग्यताधारी तथा योजनान्तर्गत अन्य पात्रता रखने वाले कुल 2,046 बेरोजगार आशार्थियों के ऑनलाइन पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 659 आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया गया तथा पात्रता की शर्तें पूर्ण नहीं करने के कारण 76 आवेदन निरस्त किये गये। कुल 1,311 आवेदन जांच में सही पाये जाने के उपरान्त भी सम्पूर्ण प्रदेश में एक वर्ष के लिए अधिकतम एक लाख 60 हजार लाभार्थियों की सीमा (बजट घोषणा 2021-22 में 2 लाख प्रस्तावित) निर्धारित होने के कारण स्वीकृति हेतु लम्बित हैं। पात्रता की जांच हेतु उक्त दिनांक को कोई आवेदन लम्बित नहीं है। स्वीकृत आवेदनों के आवेदनकर्ताओं को नियमानुसार प्रतिमाह भत्ता प्रदान किया जा रहा है। एक वर्ष में 1,60,000 की अधिकतम लाभान्वितों की सीमा होने से जैसे-जैसे इस सूची से अपात्रता या अन्य कारणों से नाम हटते जाते हैं, जांच में सही पाये गये लम्बित आवेदनों में से भत्ता प्राप्त कर रहे लाभार्थी तथा निर्धारित अधिकतम सीमा के अंतर तक नये बेरोजगारों को भत्ता स्वीकृत कर दिया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

अनुसूचित क्षेत्र के जिलों में खेल एकेडमी की स्थापना

252. श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अनुसूचित क्षेत्र में खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामप्रसाद)

(2) अनुसूचित क्षेत्र में कुल कितनी खेल एकेडमियां संचालित हैं एवं कितने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अनुसूचित क्षेत्र में खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर खेल एकेडमी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है-

1. अनुसूचित क्षेत्र में खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा ग्रामीण केन्द्र खोले गये हैं।
2. केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविरों में प्रतिभावान चयनित खिलाड़ियों को माह मई-जून में प्रशिक्षण दिया जाता है।
3. खेलों को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित क्षेत्र सहित राज्य के प्रत्येक जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रात: एवं सायं सत्र में नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है।
4. खेलों को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष जनजाति प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।
5. उदयपुर में तीरन्दाजी खेल अकादमी संचालित की जा रही है।
6 बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के बिन्दु संख्या 65 के अनुसार डूंगरपुर में तीरन्दाजी अकादमी खोली जानी प्रस्तावित है।

(2) राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद् द्वारा उदयपुर में तीरन्दाजी खेल एकेडमी का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 15 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सरकार द्वारा बजट की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर खेल एकेडमी खोलने का निर्णय किया जाता है।

बारां के होमगार्ड्स को नियमित ड्यूटी देने की कार्ययोजना

253. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

(1) जिला बारां में कुल कितने होमगार्ड कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत 2 वर्षों में उक्त जिले के कितने होमगार्डस को कितने-कितने दिन काम पर लगाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सीमावर्ती जिला होने के उपरान्त भी उक्त होमगार्ड्स को रात्रि गश्त के कार्य पर नहीं लगाया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जिला बारां के होमगार्ड्स को नियमित ड्यूटी पर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) सरकार होमगार्ड्स के वेतनमान में वृद्धि करने, चिकित्सा लाभ दिलवाने सहित उक्त के कल्याण के लिए क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में होमगार्ड स्वयंसेवकों की नफरी का विवरण निम्नानुसार है:-

1. स्वीकृत नफरी-	550
2. उपलब्ध नफरी-	472 (रिक्त-78)
3. नियोजित-	157

(2) विगत 02 वर्षों में बारां जिले में नियोजित होमगार्ड्स का विवरण परिशिष्ट 'अ' के अनुसार संलग्न है।

(3) जी हां। किसी भी जिले में होमगार्डों की रात्रि गश्त में तैनाती पुलिस विभाग की मांग के आधार पर की जाती है। यदि पुलिस विभाग द्वारा मांग की जाती है तो गृह रक्षा विभाग चाहे अनुसार होमगार्ड उपलब्ध कराने में सक्षम है।

वर्तमान में पुलिस विभाग की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण रात्रि गश्त में स्वयंसेवक नियोजित नहीं हैं।

(4) भारत सरकार की नीति अनुसार मांगकर्ता विभाग विभिन्न राजकीय/संस्थान/उपक्रमों/पुलिस की मांग के अनुसार प्रदेश के जिला स्तर पर गृह रक्षकों को नियोजित किया जाता है।

(राज्य मंत्री, गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा)

बारां जिले में नियोजन की सीमित मांग होने के कारण होमगार्ड्स को वर्षभर नियमित ड्यूटी दिया जाना सम्भव नहीं है।

(5) 1. होमगार्ड स्वयंसेवकों को देय मानदेय में वृद्धि करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

2. गृह रक्षा विभाग द्वारा स्वयंसेवकों के कल्याण हेतु निम्नानुसार सुविधाएं दी जा रही हैं:-

(अ) स्वयंसेवक की बीमारी पर वास्तविक व्यय का पुनर्भरण किये जाने का प्रावधान किया गया है।

(ब) विभागीय कल्याण निधि से मृतक स्वयंसेवक के आश्रितों को एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

(स) मृतक स्वयंसेवक के आश्रितों में योग्य आश्रित को स्वयंसेवक के रूप में नामांकन किये जाने का प्रावधान किया गया है।

(द) स्वयंसेवक की 55 वर्ष आयु पूर्ण होने पर 50 हजार (अधिकतम) की राशि कल्याण निधि से देने का प्रावधान है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12 फरवरी, 2021)

कोटा सम्भाग में बर्ड फ्लू रोकथाम की कार्ययोजना

40. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश के कोटा सम्भाग में बर्ड फ्लू के कारण कितने पक्षियों की मौत हुई है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पक्षियों में बीमारी फैलने का क्या कारण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पक्षियों में उक्त बीमारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संदीप शर्मा)

(4) क्या यह सही है कि उक्त बीमारी से ग्रसित और मृत पक्षियों के सैम्पल को प्रदेश से बाहर भेजा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या सरकार प्रदेश में वेटेरिनरी आर.टी.-पी.सी.आर. लैब खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) प्रदेश में कोटा सम्भाग में दिनांक 25.12.2020 से 28.02.2021 तक कुल 1,975 पक्षियों की बर्ड फ्लू एवं अन्य रोग से असामान्य मृत्यु हुई है, जिसका जिलेवार विवरण निम्नानुसार है:-

जिले का नाम	**कौवे**	**मोर**	**कबूतर**	**अन्य**	**कुल**
कोटा	417	16	174	81	688
बारां	344	30	18	51	443
बून्दी	109	18	33	75	235
झालावाड़	457	12	16	124	609
कुल	**1327**	**76**	**241**	**331**	**1975**

(2) राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, भोपाल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, कोटा सम्भाग में वर्तमान में पक्षियों में बीमारी फैलने का मुख्य कारण एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस (Strain-H5N8) रहा है।

(3) पक्षियों में उक्त बीमारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयास/कार्यवाही का बिन्दुवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) जी हां। वर्तमान में उक्त बीमारी से मृत पक्षियों की जांच के लिए प्रदेश में किसी भी पशु रोग निदान प्रयोगशाला में जांच की सुविधा नहीं होने के कारण मृत पक्षियों के सैम्पल को प्रदेश से बाहर भोपाल भेजा जा रहा है।

राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, भोपाल को ही भारत सरकार के स्तर से वर्तमान में उक्त रोग की जांच के लिए अधिकृत किया हुआ है।

(5) जी हां। राज्य सरकार एवियन इनफ्लूएंजा की जांच हेतु लैब स्थापित करने का विचार रखती है। लैब स्थापित किये जाने हेतु दिनांक 28.01.2021 द्वारा भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं।

(पशुपालन मंत्री)

वेटेरिनरी आर.टी.-पी.सी.आर. लैब, भारत सरकार से स्वीकृति एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार स्थापित की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 13 फरवरी, 2021)

बालोतरा की लघु उद्योग मण्डल समिति के प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में लम्बित आवेदन

64. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बालोतरा में लघु उद्योग मण्डल समिति द्वारा एक सौ छह इकाइयों की समिति के माध्यम से रा. रा. प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में 7 जिगर की कनेक्टिविटी हेतु आवेदन विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त के लम्बित रहने के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त इकाइयों के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। बालोतरा वाटर पोल्यूशन कन्ट्रोल एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन ट्रस्ट, बालोतरा (सी.ई.टी.पी. ट्रस्ट, बालोतरा) द्वारा दिनांक 30.09.2020 को जिला प्रबोधन समिति को प्रस्तुत प्रस्ताव को जिला प्रबोधन समिति द्वारा दिनांक 01.10.2020 को अनुमोदित किया जा चुका है। दिनांक 01.10.2020 को अनुमोदित कनेक्टिविटी (सम्बद्धता) में उल्लेखित 106 टैक्सटाइल इकाइयों में से 94 आवेदन प्रस्तुत करने वाली टैक्सटाइल इकाइयों हेतु 1097.5 के एल.डी. कनेक्टिविटी (सम्बद्धता) को अनुमोदित किया जा चुका है।

(2) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा टैक्सटाइल उद्योगों को सी.ई.टी.पी. ट्रस्ट से कनेक्टिविटी प्राप्त होने तथा उक्त कनेक्टिविटी के राज्य सरकार द्वारा गठित प्रबोधन समिति से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त स्थापना एवं संचालन सम्मति जारी की जाती है। वर्तमान में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में बालोतरा क्षेत्र के टैक्सटाइल उद्योगों से सम्बन्धित प्रकरण 34/2014 (THC) दिग्विजयसिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में माननीय राष्ट्रीय

(राज्य मंत्री, पर्यावरण)

हरित अधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.03.2015 तथा 06.03.2019 द्वारा बालोतरा क्षेत्र में नवीन टैक्सटाइल उद्योग, जिनसे उच्छिष्ट उत्पन्न होता है, को स्थापना सम्मति तथा पूर्व से संचालित उद्योगों की क्षमता विस्तार हेतु स्थापना सम्मति जारी नहीं करने हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को निर्देशित किया गया है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 13 फरवरी, 2021)

कला शिक्षक को विशेषज्ञ डिग्री

79. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या प्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में कला शिक्षा (चित्रकला, संगीत) में प्रशिक्षण लेकर कला शिक्षक विशेषज्ञ की डिग्री, डिप्लोमा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को माध्यमिक स्तर तक बी.एड. व बी.एस.टी.सी. (डी.एल.एड.) डिग्री करना अनिवार्य है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में बी.एड. यथा बी.एस.टी.सी. (डी.एल.एड) डिग्री में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला शिक्षक अनिवार्य कला शिक्षा (चित्रकला, संगीत) विषय के कला शिक्षक विशेषज्ञ की योग्यता डिग्री प्राप्त करता है? यदि हां, तो उक्त सभी बी.एड. व बी.एस.टी.सी. (डी.एल.एड.) महाविद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग में राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 के प्रावधानानुसार प्राध्यापक (चित्रकला व संगीत) के पद पर भर्ती की जाती है। जिनकी वांछित न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार है:-

प्राध्यापक (चित्रकला) हेतु- चित्रकला में स्नातकोत्तर डिग्री या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा।

अथवा

ड्राइंग विषय के साथ स्नातक तथा मान्य संस्थान में ड्राइंग के अध्यापन का 05 वर्ष का अनुभव।

(शिक्षा राज्य मंत्री)

अथवा

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी स्कूल/कालेज आफ आर्ट्स से पांच वर्ष की अवधि का डिप्लोमा।

प्राध्यापक (संगीत) हेतु- सरकार द्वारा मान्य शिक्षा स्नातक (बी.एड.) और सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या उसके समतुल्य कोई अन्य अर्हता।

उक्त प्रावधानानुसार प्राध्यापक (चित्रकला) पदों के लिए बी.एड. डिग्री वांछित नहीं है, जबकि प्राध्यापक (संगीत) हेतु बी.एड. डिग्री वांछित है।

(2) बी.एड. पाठ्यक्रम में अनिवार्य कला शिक्षा के एक आंशिक भाग Visual Arts का अध्ययन EPC (Enhancing professional capacities) के अनिवार्य विषय के रूप में करवाया जाता है, परन्तु चित्रकला/संगीत विषय के वृहद् अध्ययन हेतु बी.एड. में चित्रकला/संगीत को वैकल्पिक शिक्षण विषय के तौर पर शामिल किया गया है। बी.एड. महाविद्यालयों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा डी.एल.एड. अनिवार्य कला शिक्षा (चित्रकला, संगीत) का पाठ्यक्रम संचालित नहीं है। विभाग द्वारा सामान्य डी.एल.एड. में अन्य विषयों के साथ कला शिक्षा का प्रश्न पत्र है, जिसके आधार पर ऐसे सामान्य डी.एल.एड. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चित्रकला व संगीत विषय का विशेषज्ञ नहीं माना जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा सामान्य डी.एल.एड. के अतिरिक्त द्विवर्षीय पाठ्यक्रम संगीत प्रभाकर एवं एक वर्षीय पाठ्यक्रम संगीत भूषण करवाया जाता है। प्रदेश में डी.एल.एड. करवाने वाले संस्थानों की सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

परिशिष्ट-01

मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 26-**चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

1. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में मेडिकल कालेज से सम्बद्ध राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर में बायोवैस्ट कचरे के निस्तारण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
2. मेडिकल कालेज, बाड़मेर में कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन एवं नेफ्रोलाजी के प्रोफेसर के पद स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
3. मेडिकल कालेज, बाड़मेर में विधि अधिकारी के पद को सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
4. मेडिकल कालेज, बाड़मेर से सम्बद्ध नव स्वीकृत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, बाड़मेर में भवन निर्माण हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

5. प्रदेश के निजी मेडिकल कालेजों में फीस में रियायत करने तथा एक मुश्त फीस न लेकर किस्तों में करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
6. प्रदेश में मेडिकल कालेजों एवं उससे सम्बद्ध अस्पतालों में सफाई कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों का मानदेय रुपये 10,000/- किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
7. प्रदेश के मेडिकल महाविद्यालय में महिला गायनिक विषय में महिला चिकित्सकों की आरक्षित सीटें बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा):

8. धौलपुर मेडिकल कालेज में मेडिकल छात्रों/छात्राओं की पढ़ाई शीघ्र प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना):

9. नीम का थाना में नवीन बी.एससी. नर्सिंग कालेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़):

10. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में मेडिकल कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

11. धौलपुर जिले के बाड़ी में नर्सिंग कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण)

12. अजमेर चिकित्सा महाविद्यालय को शहर से बाहर मेडिसिटी के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
13. राजकीय मेडिकल कालेजों में डाक्टर एवं पैरा मेडिकल के विभिन्न स्टाफ की अत्यधिक कमी होने के कारण कालेजों की मान्यता पर संकट उत्पन्न होने की स्थिति पर चर्चा के लिए।
14. अजमेर चिकित्सा महाविद्यालय को अंग प्रत्यारोपण केन्द्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
15. जे.एल.एन. मेडिकल कालेज, अजमेर से सम्बद्ध जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में हृदय बाईपास सर्जरी एवं हृदय का प्रत्यारोपण प्रारम्भ करने हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों को शीघ्र पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
16. जे.एल.एन. मेडिकल कालेज से संबद्ध जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में सुपर स्पेशलिटी ब्लाक स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

17. रविन्द्र नाथ टैगोर मेडिकल कालेज में कैंसर, हार्ट एवं डायबिटीज की उच्च शिक्षा प्रदान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
18. राजकीय चिकित्सालय सलूम्बर को रविन्द्र नाथ मेडिकल कालेज से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
19. उदयपुर मेडिकल कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालय में आधुनिक मेडिकल से सम्बन्धित मशीनें, उपकरण एवं इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. उदयपुर मेडिकल कालेज से संबद्ध सलूम्बर चिकित्सालय में मेडिकल विद्यार्थियों को सिखाने के लिए आधुनिक टैक्नोलोजी की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

21. प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर नर्सिंग कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. प्रतापगढ़ जिले में मेडिकल कालेज के लिए आबंटित भूमि पर मेडिकल कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी):

23. झुंझुनूं मेडिकल कालेज का स्थान परिवर्तन कर मुख्य मार्ग पर भूमि आबंटन किये जाने एवं अंग प्रत्यारोपण हेतु डोनर्स में जागरूकता पैदा करने व अन्य सुविधाएं दिये जाने हेतु मेडिकल कालेज से सम्बद्ध अस्पतालों में सभी प्रकार के आपरेशन पुन: चालू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर):

24. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पुखराज (भोपालगढ़):

25. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में चिकित्सा शिक्षा के लिए राजकीय नर्सिंग कालेज व राजकीय पैरा मेडिकल कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

26. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में चिकित्सा शिक्षा के लिए राजकीय नर्सिंग कालेज, राजकीय पैरा मेडिकल कालेज व राजकीय डेन्टल कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी):

27. बूंदी जिले में मेडिकल कालेज के शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली):

28. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) में सुपर स्पेशलिटी विभाग प्रारंभ कर नियमित रूप से फैकल्टी की भर्ती किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

29. मेडिकल उपकरणों की खरीद में होने वाले भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

30. एस.एम.एस. मेडिकल कालेज, जयपुर से सम्बद्ध जयपुर में निर्मित कैंसर हास्पिटल को शीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

31. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) से संबद्ध जयपुरिया हास्पिटल में चिकित्सा से सम्बन्धित विभिन्न सुविधाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. प्रदेश में खुल रहे नये मेडिकल कालेजों में फीस अत्यधिक होने के कारण छात्रों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

33. जयपुर शहर के एस.एम.एस. हास्पिटल के मुख्य भवन का नियमित रख-रखाव न होने के कारण भवन के जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा):

34. झुंझुनूं जिले के लिए स्वीकृत मेडिकल कालेज के लिए आबंटित जमीन की समस्या का शीघ्र निराकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

35. मेडिकल कालेज, बाड़मेर में दुर्लभ बीमारियों के उपचार हेतु यूनिट स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36. मेडिकल कालेज, बाड़मेर में मेडिकल आफिसर्स एवं पैरा मेडिकल स्टाफ सहित तकनीकी स्टाफ के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37. मेडिकल कालेज, बाड़मेर में मानदण्डानुसार सम्पूर्ण चिकित्सालय भवन के निर्माण के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. मेडिकल कालेज, बाड़मेर में सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को प्राथमिकता प्रदान कर पदस्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):

39. मेडिकल कालेज, झुंझुनूं से सम्बद्ध बी.डी.के. (B.D.K.) अस्पताल, झुंझुनूं को मेडिकल कालेज अस्पताल के स्तर की सुविधाएं प्रदान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40. मेडिकल कालेज, झुंझुनूं को शीघ्र शुरू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

41. आर.एन.टी. मेडिकल कालेज, उदयपुर से सम्बद्ध महाराणा भूपाल चिकित्सालय में आई.सी.यू. वार्ड का विस्तार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

42. विधान सभा क्षेत्र आहोर में मेडिकल कालेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर):

43. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में रेवदर चिकित्सा महाविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

44. मेडिकल कालेज, कोटा में प्रतिनियुक्ति पर लगाये गये कार्मिकों को पैतृक चिकित्सालय (विभाग) के लिए कार्यमुक्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45. कोटा में मेडिकल कालेज एवं चिकित्सा विभाग में समन्वय के अभाव के कारण कोविड-19 मरीजों के मृत्यु के केसेज को रोक पाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिए।

46. मेडिकल कालेज, कोटा एवं एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा के निजी एवं डीलक्स वार्डों की भली-भांति साफ-सफाई, मरम्मत एवं उचित देखभाल में विफलता पर चर्चा के सम्बन्ध में।

47. न्यू मेडिकल कालेज चिकित्सालय, कोटा में इमरजेंसी एवं ब्लड बैंक भवन के सामने जन सुरक्षा की दृष्टि से एक अन्य गेट खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48. राजकीय मेडिकल कालेज, कोटा से सम्बद्ध सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुल्तानपुर में विशेषज्ञ सेवाएं एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लाखन सिंह (करौली):

49. करौली जिला मुख्यालय पर स्वीकृत चिकित्सा महाविद्यालय का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष):

50. उदयपुर मेडिकल कालेज के अन्तर्गत जिला चिकित्सालय, चांदपोल एवं सैटेलाइट हास्पिटल, हिरणमगरी को अधिक सुविधाएं प्रदान कर विकसित करने एवं महाराणा भूपाल चिकित्सालय पर रोगियों का भार कम किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

51. उदयपुर मेडिकल कालेज कैम्पस में पुरानी सीवरेज, गटर एवं नालियां इत्यादि के पुनर्निर्माण करवाये जाने हेतु पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52. उदयपुर मेडिकल कालेज के कैम्पस में डाक्टर्स एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए क्वार्टर्स के स्थान पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की सुविधा बनाकर कम जगह में अधिक स्थान उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53. उदयपुर मेडिकल कालेज में सुपर स्पेशलिस्ट ब्लाक में अलग से अधीक्षक व शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

54. उदयपुर मेडिकल कालेज में पर्याप्त शिक्षक/पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध न होने से इसकी गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

55. नोखा में जी.एन.एम. ट्रेनिंग सेन्टर खोलने पर चर्चा के लिए।

56. नोखा में डी.एम.एल.टी. ट्रेनिंग सेन्टर खोलने पर चर्चा के लिए।

57. नोखा में बी.एससी. नर्सिंग कालेज स्थापना पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

58. विधान सभा क्षेत्र दूदू के दूदू मुख्यालय पर नर्सिंग कालेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

59. मेडिकल कालेज से सम्बद्ध राजकीय पण्डित बृज सुन्दर शर्मा जिला चिकित्सालय, बूंदी में स्थित ब्लड बैंक में नियमित ब्लड उपलब्ध कराने के लिए गांव में चल चिकित्सा शिविर हेतु कोटा की भांति रक्त संग्रहण वाहन उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

60. जालौर में सरकारी मेडिकल कालेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

61. डा. एस.एन. मेडिकल कालेज, जोधपुर द्वारा सिरोही जिले के पेंशनर के इलाज हेतु भगवान महावीर अस्पताल को अनुमत करने के प्रस्ताव को एस.एम.एस. मेडिकल कालेज, जयपुर द्वारा स्वीकृति न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

62. मेडिकल कालेजों के शिक्षकों के तबादलों से उत्पन्न असंतोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

63. मेडिकल कालेज, सिरोही के निर्माण हेतु निविदा जारी न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

64. राज्य के मेडिकल कालेजों में रिक्त पदों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

65. चित्तौड़गढ़ मेडिकल कालेज हेतु प्रदेश सरकार के हिस्से की राशि का बजट उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा):

66. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा के नर्सिंग कालेज में टीचिंग स्टाफ की कमी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

67. न्यू मेडिकल चिकित्सालय कोटा में द्वितीय तल का निर्माण कार्य बंद होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

68. न्यू मेडिकल कालेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लाक में विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति कर सुचारु रूप से चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

69. मेडिकल कालेज, कोटा में किडनी ट्रांसप्लांट का कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण मरीजों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

70. न्यू मेडिकल कालेज, कोटा में प्राइवेट वार्डों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

71. जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय, तलवंडी में आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

72. प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

73. टोंक जिले में स्वीकृत मेडिकल कालेज का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में नर्सिंग कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

75. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

76. राज्य में चिकित्सा शिक्षा में और अधिक बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

77. प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को बेहतर बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

78. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

79. प्रदेश में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

80. राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों की कमी को दूर करने हेतु पर्याप्त संख्या में चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

81. प्रदेश में संचालित राजकीय चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों की अत्यधिक कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

82. जालौर जिले में चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय का भवन निर्माण करवाने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

83. जालौर जिले में चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

84. जे.एल.एन. मेडिकल कालेज, अजमेर में सुपर स्पेशलिटी प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85. जे.एल.एन. मेडिकल कालेज, अजमेर में सम्बद्ध चिकित्सालय के हृदय रोग विभाग में नई कैथ लैब की स्थापना व CTVS प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

86. जे.एल.एन. मेडिकल कालेज, अजमेर में सम्बद्ध चिकित्सालय की आपातकालीन इकाई में एक्स-रे व सोनोग्राफी मशीन नहीं होने से गम्भीर मरीजों को होने वाली असुविधाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

87. प्रदेश में मेडिकल कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों की आपातकालीन इकाइयों में 24 घण्टे CMO/वरिष्ठ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. जे.एल.एन. मेडिकल कालेज, अजमेर में सम्बद्ध चिकित्सालय के ट्रोमा सेन्टर में विशेषज्ञ, चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति व आवश्यक चिकित्सीय संसाधन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़):

89. राजमाता विजया राजे सिंधिया कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालय के ट्रोमा सेन्टर में विशेषज्ञ चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति व आवश्यक चिकित्सकीय संसाधन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. राजमाता विजया राजे सिंधिया कालेज के सम्बद्ध चिकित्सालय के हृदय रोग विभाग में नई कैथ लैब की स्थापना व CTVS प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. माण्डलगढ़, बिजौलिया व बीगोद में नर्सिंग कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

92. सरदार पटेल मेडिकल कालेज, बीकानेर में मेडिकल कालेज के Gyna-cology (स्त्री व प्रसूति रोग) विभाग में नवीन पद सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

93. सरदार पटेल मेडिकल कालेज, बीकानेर के आचार्य तुलसी कैन्सर सेन्टर में Dla (oncology) व MCH (Neurosurgery) के नवीन पद स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94. सरदार पटेल मेडिकल कालेज, बीकानेर में दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए Neurosurgery में नवीन पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. सरदार पटेल मेडिकल कालेज, बीकानेर में Urology में नई यूनिट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96. सरदार पटेल मेडिकल कालेज, बीकानेर में Nephrology विभाग में Assistant Professor, Associate Professor के नवीन पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

97. मेडिकल कालेज के अधीन चिकित्सालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

98. नर्सिंग कालेज, अलवर शहर में रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. अलवर शहर में 2019 में स्वीकृत मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कर उसमें प्रथम सैशन शीघ्र प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

100. नवीन स्वीकृत मेडिकल कालेज, जालौर में नये पद सृजित करने, शय्याओं की संख्या बढ़ाने, भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101. प्रत्येक जिला मुख्यालय पर नर्सिंग महाविद्यालय खोलने के प्रथम चरण में जालौर जिले में नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (डग):

102. झालावाड़ मेडिकल कालेज में डाक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ की कमी होने एवं साफ-सफाई के बारे में व्यवस्था ठीक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

103. भवानीमण्डी में G.N.M. व A.N.M. ट्रेनिंग सेन्टर खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

104. मेडिकल कालेज, झालावाड़ में मेडिकल छात्र/छात्राओं की सीटें बढ़ाने व नर्सिंग छात्र/छात्राओं की सीटें बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अविनाश (जैतारण):

105. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में नर्सिंग कालेज की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

106. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में A.N.M. एवं G.N.M. के प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की स्वीकृति पर चर्चा के लिए।

107. जैतारण मुख्यालय पर चिकित्सा महाविद्‌यालय की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

108. रतनगढ़ (जिला चूरू) में चिकित्सा महाविद्‌यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. रतनगढ़ में नर्सिंग कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (डग):

110. विधान सभा क्षेत्र डग एवं भवानी मण्डी में नर्सिंग कालेज एवं ट्रेनिंग सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

111. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में नर्सिंग कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर)

112. जालौर जिले में मेडिकल कालेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-02

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) द्वारा सदन पटल पर रखी गयी सूचना

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने विगत कार्यकाल में यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज की दिशा में पहला कदम उठाते हुए प्रदेश में 2 अक्टूबर, 2011 से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना लागू की। अब इस योजना को व्यापक स्वरूप प्रदान किया गया है। निःशुल्क दवा वितरण में राजस्थान लगातार देश भर में प्रथम स्थान पर है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में फरवरी, 2021 तक 9 करोड़ 20 लाख से अधिक रोगियों को निःशुल्क दवा वितरित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष में 2020-21 962 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, जिसमें फरवरी 2021 तक 614 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हार्ट, किडनी व कैंसर आदि की कुल 105 महंगी दवाइयां बढ़ाकर आवश्यक दवा सूची में जोड़ी गयी हैं। साथ ही 34 महंगे सर्जिकल व सूचर्स भी आवश्यक दवा सूची में जोड़कर आमजन को राहत प्रदान की गयी है।

मेडिकल कालेज से संबद्ध चिकित्सा संस्थान में 713 औषधियां, 181 सर्जिकल एवं 77 सूचर्स निःशुल्क उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जिला/सैटेलाइट/उप जिला अस्पताल में 640 औषधियां, सी.एच.सी. में 496 औषधियां, पीएचसी में 329 औषधियां एवं सब सेन्टर में 39 प्रकार की औषधियां निःशुल्क उपलब्ध करवायी जा रही हैं।

मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना:

माननीय गहलोत साहब ने अपने पूर्व कार्यकाल में राज्य में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल, 2013 से चरणबद्ध रूप से लागू कर प्रदेशवासियों को चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व राहत प्रदान की।

प्रतिदिन औसतन 1 लाख 25 हजार से अधिक जांचें की जा रही हैं।

योजना के प्रारम्भ से 28 फरवरी, 2021 तक 35 करोड़ से अधिक जांचें कर 15 करोड़ 80 लाख मरीजों को लाभान्वित किया जा चुका है।

Free Diagnostics Services Initiatives के अनुसार जांचों का

दायरा बढ़ाते हुए Turnkey basis पर इन हाउस कैपिसिटी बिल्डिंग करते हुए राज्य में 33 मदर लैब, 117 हब लैब एवं 3,002 स्पाक्स बनाये जाने हैं। इसके तहत जिला चिकित्सालय स्तर पर 56 से बढ़ाकर 133 प्रकार की, उप जिला स्तर पर 56 से बढ़ाकर 109 प्रकार की, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 37 से बढ़ाकर 95 प्रकार की एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 15 से बढ़ाकर 61 प्रकार की जांचों की सुविधा उपलब्ध करवायी जाएगी।

मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अतिरिक्त राज्य के 54 जिला, उप जिला, सैटेलाइट अस्पतालों में आउटसोर्स के माध्यम से 40 विशिष्ट जांचें मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही हैं। इसके तहत कैंसर, हारमोन्स आदि की जांचें जिला अस्पतालों में भी उपलब्ध करवाकर रोगियों को लाभान्वित किया जा रहा है। माह अक्टूबर, 2019 से फरवरी, 2021 तक 6 लाख से अधिक मरीजों की 43 लाख 83 हजार से अधिक जांचें की जा चुकी हैं।

रेडियोलॉजी के चिकित्सकों की कमी को देखते हुए 54 जिला, उप जिला, सैटेलाइट अस्पतालों में टेलीरेडियोलॉजी के माध्यम से एक्सरे रिपोर्टिंग करवाकर मरीजों को लाभान्वित किया जा रहा है। माह अगस्त, 2019 से फरवरी, 2021 तक 6 लाख 6 हजार से अधिक मरीजों की 7 लाख 38 हजार से अधिक एक्स-रे रिपोर्टिंग की जा चुकी है।

निःशुल्क जांचों का विवरण:

वित्तीय वर्ष	निःशुल्क जांचों की कुल संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	योजना पर किया गया कुल व्यय (करोड़ों में)
2020-21 (फरवरी, 21 तक)	3,39,43,056	1,18,15,097	215.94
कुल	**35,06,67,668**	**15,80,27,394**	**1435.87**